No.K-12011/2/2005-DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division IB

New Delhi, dated the 18th March, 2008

To,

The Vice Chairman,
DDA, Vikas Sadan, INA
New Delhi

PC-Secy.

Subject: Draft Amendment to EIA Notification, 2006 vide S.O. 195(E) dated 19.1.2009.

Sir,

डायरी संख्या 99
दिनांक 26.3.09
बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.

I am directed to forward herewith a copy of O.M.No.A-46020/30/2009-Coord. dated 27.2.2009 alongwith enclosures received from Ministry of Environment & Forests. It is requested that comments of DDA in this matter may please be provided urgently.

559B
19/3/09

Yours faithfully,

(P.T.Jameskutty)
Under Secretary
Tel.No. 23016681

दि. वि. प्रा. / संसद एवं समन्वय विभाग
D.D.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
पावती सं. / DIARY No.
दिनांक / DATE

From pre-page: —

30-3-09

Copy to Com (LM) (C(LD)) & Com (Plg.), Pr Com. (CWG), for their comments.

30/3/09

30-3-09

30/3/09

27/3/09

DD (MC)

O/c

Most Immediate

(1)

F.No. A-46020/30/2009-Coord
Government of India
Ministry of Urban Development

315/DIR(DD)
02/3/09

New Delhi, the 27th February, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: **Draft Amendment to EIA Notification, 2006 vide S.O. 195(E) dated 19.1.2009.**

The undersigned is directed to forward a copy of letter No.J-11013/56/2004-IA.II(I) , dated 05-02-2009 alongwith enclosure on the subject mentioned above. Ministry of Environment & Forests have asked for comments of this Ministry on the proposed Draft Amendment.

It is requested that requisite comments/ suggestions in the matter may please be furnished to Coordination section by **16th March, 2009 positively** for onward transmission to Ministry of Environment & Forests.

'This may please be accorded 'Top Priority'.

27/2/09

(J.P. Agrawal)
Director (Coord/PG)

Encl: As above

To

1. OSD(MRTS) (DD)
2. All Directors/DSs in the Secretariat.
3. All Attached & Subordinate offices

Urgent
pl give the file on this
2/3
IB

To me
2/3

Pl forward to DDA &
for n/a
18/3
IB

By Speed Post

No. J-11013/56/2004-IA.II(I)
Government of India
Ministry of Environment & Forests

Paryavaran Bhavan,
C.G.O. Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003.
Tele: 2436 0478

Dated the 5th February, 2009

To

The Secretary
Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation,
Nirman Bhawan,
New Delhi-110 011.

Sub: Draft Amendment to EIA Notification, 2006 vide S.O. 195(E) dated 19.1.2009.

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith two copies of the Draft Amendment to EIA Notification, 2006 issued vide Notification S.O. 195(E) dated 19.1.2009 inviting comments / suggestions from all concerned on the proposed amendments contained therein. The undersigned has been directed to request that the comments / suggestions of your Ministry / Department on these proposed amendments may be sent at the earliest so as to reach this Ministry within the stipulated time frame.

Yours faithfully,

Encl.: Two copies of the Notification

(S.K. Aggarwal)
Director

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928
No. 1067] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

का.आ. 1533(अ).—केंद्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से गठित किए जाने वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन संघ मंत्रिमंडल द्वारा 18 मई, 2006 को अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार जब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिलिखित नहीं हो जाती है, भारत के किसी भाग में[1], नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों पर या इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा उपवर्णित उनके सक्षम पर्यावरणीय समाघातों पर विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अधिरोपित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का0आ0 सं0 1324(अ), तारीख 15 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ,

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और ऊपर उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आपेक्षों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना सं0 का.आ. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत[1] के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या इस अधिसूचना में इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 के

[1] भारत का राज्यक्षेत्रीय सागर खंड और अनन्य आर्थिक जोन सम्मिलित है ।

अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा ।

2. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षाएं (ई.सी.) :-

निम्नलिखित परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए, परियोजना प्रबंधन द्वारा भूमि को अभिप्राप्त करने के सिवाय, कोई संनिर्माण कार्य या भूमि तैयार करने से पूर्व उक्त अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से, जिसे अनुसूची में 'क' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहा गया है, और राज्य स्तर पर राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण कहा गया है, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी जब परियोजना या क्रियाकलाप आरंभ किया जाता है ।

(i) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाएं या क्रियाकलाप ;

(ii) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का, संबंधित क्षेत्र के लिए अर्थात् परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए जो विस्तार या आधुनिकीकरण के पश्चात् अनुसूची में दी गई अधिकतम सीमाओं को पार कर लेते हैं, क्षमता में परिवर्धन सहित विस्तार या आधुनिकीकरण ;

(iii) विनिर्दिष्ट रेंज से परे अनुसूची में सम्मिलित किसी विद्यमान विनिर्माणकर्ता यूनिट में उत्पाद मिश्रण में कोई परिवर्तन ।

3. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण :-(1) कोई राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिसे इसमें इसके पश्चात् एसईआईएए कहा गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित किया जाएगा जिसमें तीन सदस्य होंगे जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और एक सदस्य-सचिव, राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(2) सदस्य-सचिव संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सेवारत अधिकारी होगा जो पर्यावरण विधियों से परिचित होगा ।

(3) अन्य दो सदस्य या तो वृत्तिक या विशेषज्ञ होंगे जो इस अधिसूचना के परिशिष्ट VI में दी गई पात्रता कसौटी को पूरा करते हों ।

(4) ऊपर उपपैरा (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य जो पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया में विशेषज्ञ हो, एसईआईएए का अध्यक्ष होगा ।

(5) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उपपैरा (3) से उपपैरा (4) में निर्दिष्ट सदस्यों और अध्यक्ष के नामों को केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी और केन्द्रीय सरकार नामों के प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए एसईआईएए को एक प्राधिकरण के रूप में गठित करेगी ।

(6) गैर पदधारी सदस्य और अध्यक्ष की (प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से) तीन वर्षों की नियत पदावधि होगी ।

(7) एसईआईएए के सभी विनिश्चय एकमत से होंगे और किसी बैठक में लिए जाएंगे ।

4. परियोजना और क्रियाकलापों का प्रवर्गीकरण :-

(i) सभी परियोजनाएं या क्रियाकलाप मुख्यतः दो प्रवर्गों में प्रवर्गीकृत हैं- प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' सक्षम समाघात की स्थानिक सीमा और मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों पर आधारित हैं ।

(ii) अनुसूची में प्रवर्ग 'क' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सम्मिलित है, के लिए, इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित होगी ;

(iii) अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत पैरा 2 के उपपैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण या पैरा 2 के उपपैरा (iii) में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन भी है, किन्तु जिसमें वे सम्मिलित नहीं हैं जो अनुसूची में विशेषित की गई साधारण शर्तों को पूरा करते हैं, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी । एसईआईएए का अपना विनिश्चय, इस इस अधिसूचना में गठित की जाने वाली किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों पर आधारित होगा । एसईआईएए सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी की अनुपस्थिति में, कोई प्रवर्ग 'ख' परियोजना प्रवर्ग 'क' परियोजना समझी जाएगी ;

5. **स्क्रीनिंग, विस्तारण और आंकलन समिति :-** केंद्रीय सरकार के स्तर पर वही विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य या संघ राज्य स्तर पर राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईएसी और एसईएसी कहा गया है) क्रमशः प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों की स्क्रीनिंग, विस्तारण और आंकलन करेगी । ईएसी और एसईएसी की प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

(क) ईएसी की संरचना परिशिष्ट VI में दी जाएगी । राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर एसईएसी का गठन संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से समान संरचना सहित गठन किया जाएगा ।

(ख) केंद्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की पूर्व सहमति से प्रशासनिक सुविधा और लागत के कारणों से एक या अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक एसईएसी का गठन कर सकेगी ।

(ग) विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी ।

(घ) संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति के प्राधिकृत सदस्य उस परियोजना या क्रियाकलाप के संबंध में जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगी गई है, को स्क्रीन करने या विस्तार करने या आंकलन के प्रयोजनों के लिए आवेदक को जो निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं देगा, कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना देंगे ।

(ङ) विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर कृत्य करेगी । अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति बनाने का प्रयास करेगा और सहमति नहीं बन पाती है तो बहुमत का विचार माना जाएगा ।

6. **पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन (ईसी) :--** सभी मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए कोई आवेदन, परियोजना और/या क्रियाकलापों के लिए, जिससे आवेदन संबंधित है, आवेदक द्वारा स्थल पर किसी सन्निर्माण क्रियाकलाप या भूमि की तैयारी के प्रारंभ के पूर्व, पूर्वेक्षित स्थल (स्थलों) की पहचान के पश्चात् परिशिष्ट 2 दिया गया है, यदि लागू हों, इससे संलग्न प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क में किया जाएगा । आवेदक, उसके सिवाय, सन्निर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों (अनुसूची की मद 3) के मामले में प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क के अतिरिक्त पूर्व साध्यता परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति, पूर्व साध्यता रिपोर्ट के स्थान पर धारणा योजना की एक प्रति आवेदन के साथ पेश करेगा ।

7. (i) **नई परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) प्रक्रिया के प्रक्रम :--** नई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया में अधिकतम चार प्रक्रम समाविष्ट होंगे, जिनमें से सभी इस अधिसूचना में नीचे यथाउपवर्णित विशिष्ट मामलों में लागू नहीं होंगे । ये चार प्रक्रम श्रृंखलाबद्ध क्रम में होंगे :--

- प्रक्रम (1) स्क्रीनिंग (केवल प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए)
- प्रक्रम (2) विस्तारण
- प्रक्रम (3) लोक परामर्श
- प्रक्रम (4) आंकलन

I. प्रक्रम (1) - स्क्रीनिंग :

प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, यह प्रक्रम परियोजना की प्रकृति और अवस्थिति विनिर्देश पर आधारित पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने से पूर्व उसके आंकलन के लिए कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह अवधारण करने के लिए कि परियोजना या क्रियाकलाप के लिए आगे पर्यावरणीय अध्ययन करना अपेक्षित है या नहीं संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) द्वारा प्ररूप 1 में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए किसी आवेदन की संवीक्षा होगी । कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की अपेक्षा करने वाली परियोजनाओं को प्रवर्ग "ख1" कहा जाएगा और शेष परियोजनाओं को प्रवर्ग "ख2" कहा जाएगा और उसके लिए कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी । मद 8ख के सिवाय परियोजनाओं के ख 1 या ख2 में प्रवर्गीकरण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा ।

II. प्रक्रम (2) विस्तारण :

(i) उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में विशेषज्ञ आंकलन समिति, और प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार और/या आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के विस्तार, सौंपे जाने वाले विस्तृत और व्यापक कार्य अवधारित करने के लिए, उस परियोजना या क्रियाकलाप के संबंध में कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय समुत्थानों को, जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित की गई है, आवेदन सम्मिलित हैं । विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति विहित आवेदन प्ररूप 1/प्ररूप 1क में दी गई जानकारी के आधार पर सौंपे जाने वाले कार्य अवधारित करेगी, जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा सौंपे जाने वाले प्रस्थापित कार्य, किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति के किसी सब ग्रुप द्वारा देखा गया कोई स्थल, यदि विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए, आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कार्य और अन्य सूचना जो विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के पास उपलब्ध हो, सम्मिलित हैं । अनुसूची की मद 8 में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों (संनिर्माण, नगरी/वाणिज्यिक काम्प्लैक्स/आवासन) के लिए विस्तार अपेक्षित नहीं होगा और उनका आंकलन प्ररूप 1/प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) सौंपे गए कृत्यों को प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवेदक को प्रेषित किया जाएगा । अनुसूची के प्रवर्ग क हाइड्रोक्लेक्ट्रिक परियोजना मद 1 (ग) (i) के मामले में सौंपे गए कृत्यों को पूर्व संनिर्माण क्रियाकलापों के लिए अनापत्ति सहित प्रेषित किया जाएगा । यदि सौंपे गए कृत्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर आवेदक को प्रेषित किया जाता है तो आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कृत्य ईआईए अध्ययन के लिए अनुमोदित, अंतिम सौंपे गए कृत्यों के रूप में समझे जाएंगे । अनुमोदित सौंपे गए कृत्य, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे ।

(iii) इसी प्रक्रम पर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिश पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदनों को नामंजूर किया जा सकेगा । ऐसे नामंजूर किए जाने की दशा में, विनिश्चय को उसके कारणों सहित आवेदक को, आवेदन की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर लिखित में संसूचित किया जाएगा ।

III प्रक्रम (3) लोक परामर्श

(i) "लोक परामर्श" उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा स्थानीय प्रभावी व्यक्तियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की चिंताओं को, जिनका परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाघातों में न्यायसंगत आधार है, समुचित रूप में अभिकल्पित परियोजना या क्रियाकलाप में संबंधित सभी सामग्री को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा । सभी प्रवर्ग " क" और प्रवर्ग "ख1" परियोजनाएं या क्रियाकलाप निम्नलिखित के सिवाय लोक परामर्श करेंगे :-

(क) सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण (अनुसूची की मद 1(ग) (ii))।

(ख) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित औद्योगिक संपदाओं या पार्कों के भीतर अवस्थित सभी परियोजनाएं या क्रियाकलाप (अनुसूची की मद 7(ग)) और जिन्हें ऐसे अनुमोदन में अननुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(ग) सड़कों और राजमार्गों का विस्तार (अनुसूची की मद 7(च))जिनमें भूमि का कोई और अर्जन अंतर्वलित नहीं है ।

(घ) सभी भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और नगरीय योजनाएं (मद 8)।

(ङ) सभी प्रवर्ग ख 2 परियोजनाएं और क्रियाकलाप ।

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी परियोजनाएं और क्रियाकलाप या जिसमें अन्य युक्तगत विचार अंतर्वलित हैं ।

(ii) लोक परामर्श में साधारणतया दो घटक समाविष्ट होंगे :-

(क) स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं को सुनिश्चित करने के लिए परिशिष्ट 4 में विहित रीति में की जाने वाली स्थल पर या उसके निकट परिसर में जिला वार कोई लोक सुनवाई ;

(ख) परियोजना या क्रियाकलाप के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना ।

(9)

(iii) स्थल (स्थलों) पर या उसके निकट परिसर में सभी मामलों में लोक सुनवाई विनिर्दिष्ट रीति में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा की जाएगी और कार्यवाहियों को आवेदक से प्राप्त अनुरोध के पैंतालीस दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा ।

(iv) यदि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई नहीं करती है और लोक सनुवाई को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी नहीं करती है और/या लोक सुनवाई की कार्यवाहियां को विहित अवधि के भीतर यथाउपर्युक्त संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रेषित नहीं करती है तो विनियामक प्राधिकरण अन्य लोक अभिकरण या प्राधिकरण को, जो विनियामक प्राधिकरण का अधीनस्थ नहीं है, प्रक्रिया को पैंतालीस दिनों की और अवधि के भीतर पूरा करने के लिए लगाएगी ।

(v) यदि ऊपर उपपैरा (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट लोक अभिकरण या प्राधिकरण, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को यह रिपोर्ट करता है, कि स्थानीय अवस्थिति के कारण लोक सुनवाई करना संभव नहीं है, तो किसी रीति में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किए जाने वाले संबंधित स्थानीय व्यक्तियों के विचारों का समर्थन करेंगे । वह उस तथ्य की रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण को ब्यौरेवार देगा जो रिपोर्ट पर और अन्य विश्वसनीय सूचना पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात्, जिसका लोक परामर्श के लिए विनिश्चय किया गया है, उस दशा में जिसे लोक सुनवाई में सम्मिलित करने की आवश्यकता है, रिपोर्ट करेगा ।

(vi) परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रक्रिया अभिप्राप्त करने के लिए, संबंधित विनियामक प्राधिकरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, आवेदक द्वारा परिशिष्ट 3क में दिए गए प्ररूप में तैयार की गई संक्षिप्त ईआईए रिपोर्ट को उनके वेबसाइट पर देते हुए ऐसे संबंधित व्यक्तियों से लोक सुनवाई की व्यवस्था के लिए किसी लिखित अनुरोध की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर प्रतिक्रियाएं प्राप्त करेंगी । गोपनीय सूचना, जिसके अंतर्गत प्रकट न करने योग्य या विधिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त सूचना, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार अंतर्वलित हैं, आवेदन में विनिर्दिष्ट स्रोत, वेबसाइट पर नहीं रखे जाएंगे । संबंधित विनियामक प्राधिकरण, परियोजना या क्रियाकलाप की बाबत विस्तृत प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए अन्य समुचित मीडिया का उपयोग भी कर सकेगा । विनियामक प्राधिकरण, तथापि लोक सुनवाई की तारीख तक निरीक्षण के लिए प्रारूप ईआईए रिपोर्ट किसी संबंधित व्यक्ति से, सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान अधिसूचित स्थान पर किसी लिखित अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा । इस लोक परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राप्त सभी प्रतिक्रियाएं शीघ्रतम उपलब्ध साधन से आवेदक को अग्रेषित की जाएंगी ।

(vii) लोक परामर्श पूरा करने के पश्चात्, इस प्रक्रिया के दौरान अभिव्यक्त सभी सारवान पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करेगा और प्रारूप ईआइए और ईएमपी में समुचित परिवर्तन करेगा । इस प्रकार तैयार की गई अंतिम ई आई ए रिपोर्ट आवेदक के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी । आवेदक, लोक परामर्श के दौरान अभिव्यक्त की गई सभी चिंताओं को संबोधित करते हुए, प्रारूप ईआईए और ईएमपी की एक संक्षिप्त रिपोर्ट अंनुकल्पतः प्रस्तुत करेगा ।

IV प्रक्रम(4) - आंकलन :

(i) आंकलन से आवेदन और अन्य दस्तावेजों, ऐसे अंतिम ईआईए रिपोर्ट, लोक परामर्शों का निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई की कार्यवाहियां हैं, पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को

आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विस्तृत संवीक्षा अभिप्रेत है । यह आंकलन विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा किसी कार्यवाही को, जिसमें आवेदक को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रुप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है, एक पारदर्शी रीति में किया जाएगा । इस कार्यवाही के निष्कर्ष पर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित निबंधनों और शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए या पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन को नामंजूर करने के लिए उसके कारणों सहित स्पष्ट सिफारिशें करेंगी ।

(ii) सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन जो लोक परामर्श के लिए अपेक्षित नहीं है या कोई पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, जैसा लागू हो विहित आवेदन प्ररूप 1 और प्ररूप 1क के आधार पर उपलब्ध सभी अन्य सुसंगत विधिमान्य सूचना और दौरा किए स्थल को, जहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है, कार्यान्वित किया जाएगा ।

(iii) किसी आवेदन का आंकलम, विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा अंतिम पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति या प्ररूप 1 या प्ररूप 1क के साठ दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, जहां लोक परामर्श आवश्यक नहीं है, वहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अगले पन्द्रह दिनों के भीतर अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाएगा । आंकलन की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट V में दी गई है ।

7. (ii) विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया,-

उस क्षमता के परे जिसके लिए इस अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की गई है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या तो पट्टा क्षेत्र या खनन परियोजनाओं की दशा में उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या इस अधिसूचना की अनुसूची में विहित अंतिम सीमा के परे कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित विद्यमान यूनिट के आधुनिकीकरण के लिए, प्रक्रिया और/या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के माध्यम से या उत्पाद मिश्रण में किसी परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित करने वाले सभी आवेदन प्ररूप 1 में किए जाएंगे और उन पर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा साठ दिनों के भीतर विचार किया जाएगा, जो सम्यक् आवश्यक तत्परता से जिसके अंतर्गत ईआईए का तैयार किया जाना और लोक परामर्श भी है, विनिश्चय करेगी और आवेदन का तद्नुसार पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए आंकलन किया जाएगा ।

8. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर किया जाना या उसको खारिज किया जाना,-

(i) विनियामक प्राधिकरण, संबंधित ई ए सी या एस ई ए सी की सिफारिशों पर विचार करेगा और अपने विनिश्चय को आवेदक को विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर प्रेषित करेगा या अन्य शब्दों में अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ पांच दिनों के भीतर प्रेषित करेगा और जहां पर्यावरणीय समाघात निर्धारण पूरे आवेदन की प्राप्ति के एक सौ पांच दिनों के भीतर अपेक्षित नहीं है वहां अपेक्षित दस्तावेज, नीचे उपबंधित के सिवाय प्रेषित करेगा ।

11

अनुसूची

(पैरा 2 और 7 देखे)

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची

क्र सं.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीमा सहित प्रवर्ग		शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख	
1	खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षयता के लिए)			
1	2	3	4	5
1(क)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का ≥50 है0 किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान दिए बिना ऐस्बैस्टज खनन	< 50 हैक्टेयर ≥ 5 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र	साधारण शर्त लागू होगी टिप्पण खनिज पदार्थों के पूर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बर्शत कि वास्तिवक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है ।
1(ख)	अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन	सभी परियोजनाएं	-	टिप्पण सार खोज सर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बर्शत कि वास्तिवक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमित ली गई है ।
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥50 मे0वा0 जल विद्युत उत्पादन (ii)≥10,000 है0खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	(i) <50 ≥ 25 मे0वा0 जल विद्युत उत्पादन (ii) <10,000 है0 खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	सधारण शर्त लागू होगी
1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	(कोयला लिग्नाइट और नेष्या गैस आधारित) ≥500 मे.वा. ≥ 50 मे.वा. (पैटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)	(कोयला/लिग्नाइट/नैफ्था एवं गैस आधारित) <500 मे.वा. (पैटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)<50 मे.वा ≥5 मे.वा.	साधारण शर्त लागू होगी
1(ङ)	आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं	-	
2	प्राथमिक प्रसंस्करण			
2(क)	कोयला धोवनशालाएं	≥1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	<1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्त लागू होगी (यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए)

2(ख)	खनिज सज्जीकरण	≥0.1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	<0.1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्त लागू होगी अनापत्ति प्रदान करने के लिए खनन प्रस्ताव का खनिज सज्जीकरण के साथ ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए
3	पदार्थ उत्पादन -			
3(क)	धातुकर्म उद्योग (फेरस और गैर फैरस)	क) प्राथमिक धातुकर्म उद्योग सभी परियोजनाएं ख) स्पंज आयरन विनिर्माण ≥ 200 टन पी डी ग) गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली ईकाइयां ≥ 20,000 टन/ वार्षिक	स्पंज आयरन विनिर्माण < 200 टन पी डी गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग 1) सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली ईकाइयां <20,000 टन/ वार्षिक 2)अन्य सभी विषरहित गौण धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग > 5000 टन /वार्षिक	स्पंज आयरन विनिर्माण के लिए साधारण शर्त लागू होगी
3(ख)	सीमेंट संयंत्र	वार्षिक उत्पादन क्षमता ≥ 1.0 मिलियन टन	वार्षिक उत्पादन क्षमता < 1.0 मिलियन टन यह सभी ग्राइंडिंग इकाइयों के लिए लागू है	साधारण शर्त लागू होगी
4	पदार्थ प्रसंस्करण			
4 (क)	पेट्रोलिम रिफाइनिंग उद्योग	सभी परियोजनाएं	-	-
4(ख)	कोक भट्टी संयंत्र	≥ 2,50,000 टन वार्षिक	< 2,50,000 एवं ≥ 25,000 टन वार्षिक	-
4(ग)	एस्बेस्टास मिलिंग और एस्बेस्टास आधारित उत्पाद	सभी परियोजनाएं	-	-
4(घ)	क्लोरक्षार उद्योग,	उत्पादन क्षमता ≥ 300टन पी डी या अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा से बाह्य अवस्थित ईकाई	उत्पादन क्षमता < 300 टन पी डी और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा मे अवस्थित ईकाई	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी किसी नए पारा प्रकोष्ठ आधारित संयंत्र को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और इस अधिसूचना द्वारा झिल्लीमय प्रकोष्ठ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने वाली विद्यमान इकाई को छूट प्राप्त है ।

4 (ड)	सोडा भस्म उद्योग	सभी परियोजनाएं	-	-
4(च)	चमड़ा/त्वचा/खाल प्रसंस्करण उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर सभी नई परियोजनाएं या औद्योगिक क्षेत्र के बाहर विद्यमान ईकाइयों का विस्तार	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित सभी नई परियोजनाएं या परियोजनाओं का विस्तार	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5	उत्पादन/फैब्रिकेशन			
5(क)	रासायनिक उर्वरक	सभी परियोजनाएं	-	-
5(ख)	कीटनाशक उद्योग और कीटनाशक विशिष्ट मध्यक जीवमार (विनिर्मिति को छोड़कर)	तकनीकी श्रेणी के कीटनाशको को उत्पादन करने वाली सभी ईकाइयां	-	-
5(ग)	पेट्रो रसायन परिसर (पेट्रोलियम के अंश और प्राकृतिक गैस और/या सुगन्धितों में सुधार प्रसंस्करण आधारित उद्योग	सभी परियोजनाएं	-	-
5(घ)	मानव निर्मित फाइवर का उत्पादन	रेयन	अन्य	साधारण शर्त लागू होगी
5(ङ)	पेट्रो रसायन आधारित प्रसंस्करण (भंजन से भिन्न अन्य प्रसंस्करण तथा सुधार और जो परिसर के भीतर समाविष्ट नहीं है)	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(च)	संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन उद्योग (रंजक और रंजक मध्यक; थोक औषधि और औषधि विनिर्मितियों को छोड़कर मध्यकः संश्लिष्ट रबड़ मूल कार्बनिक रसायन, अन्य संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन और रसायन मध्यक)	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(छ)	आसवनी	(i) सभी शीरा आधारित आसवनी । (ii) सभी गन्ने का रस/गैर -शीरा आधारित आसवनी ≥30 कि0ली0 दैनिक	सभी गन्ने का रस/गैर शीरा आधारित आसवनी <30 कि0ली0 दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी
5(ज)	समेकित पेंट उद्योग	-	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
5(झ)	अपशिष्ट कागज से कागज का निर्माण और तैयार लुग्दी और विरंजन किए बिना तैयार लुग्दी से कागज निर्माण के अलावा लुग्दी एवं कागज	लुग्दी विनिर्माण और लुग्दी और कागज विनिर्माण उद्योग	लुग्दी विनिर्माण के बिना कागज विनिर्माण उद्योग	साधारण शर्त लागू होगी

	उद्योग			
5(ञ)	चीनी उद्योग		गन्ना पेरने की क्षमता ≥ 5000 टन दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी
5(ट)	प्रेरण/आर्क भट्टी/कुपोला भट्टी 5 टन प्रति घंटा या ज्यादा	-	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
6	**सेवा सेक्टर**			
6(क)	राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों/ प्रवाल भित्तियों/ एल एन जी टर्मिनल सहित पारिस्थिकीय संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली तेल और गैस परिवहन पाइप लाइनें(अपरिकृष्त और परिष्करणी /पेट्रो रसायन उत्पाद)	सभी परियोजनाएं	-	-
6(ख)	एकल भंडारकरण और परिसंकटमय रसायन को संभालना (एमएसआईएचसी नियम, 1989 और 2000 की संशोधित अनुसूची 2 और 3 के स्तंभ 3 में उपदर्शित अवसीमा योजना परिमाण के अनुसार		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7	**पर्यावरणीय सेवाओं सहित भौतिक अवसंरचना**			
7(क)	विमानपत्तन	सभी परियोजनाएं	-	-
7(ख)	सभी पोत भंजन यार्ड जिसमें पोत भंजन इकाई भी सम्मिलित है	सभी परियोजनाएं	-	-
7(ग)	औद्योगिक सम्पदा/पार्क/परिसर/ क्षेत्र/निर्यात प्रंसंकरण जोन(नि.प्रं.जो.), विशेष आर्थिक जोन(वि.आ.जो.) जैव प्रौद्योगिकी पार्क चमड़ा परिसर	प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में यदि एक भी उद्योग श्रेणी क के अंतर्गत आता है तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र को श्रेणी क ही समझा जाएगा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो 500 हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की औद्योगिक संपदाएं और जिनमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित हो	औद्योगिक संपदाएं और जिनमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित है और क्षेत्र< 500 हैक्टेयर हो औद्योगिक संपदाएं क्षेत्र > 500 हैक्टेयर और जिसमें श्रेणी क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है	विशेष शर्त लागू होगी टिप्पण 500 हैक्टेयर से कम क्षेत्र की औद्योगिक संपदाओं जिनमें क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है, को मंजूरी की आवश्यकता नहीं है
7(घ)	सामान्य परिसंकटमय ,अपशिष्ट उपचार भंडारकरण और निपटान सुविधाएं (उ.भं.नि.सु.)	सभी एकीकृत सुविधाएं जिनमें भस्मीकरण और भूमिभरण या केवल भस्मीकरण शामिल है	केवल भूमि भरण वाली सभी सुविधाएं	साधारण शर्त लागू होगी

7(ङ)	पत्तन, बंदरगाह	≥ 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता (मत्स्य बंदरगाह से भिन्न)	< 5 मिलयन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता और पत्तन/बंदरगाह में ≥ 10,000 टन वार्षिक मछली पकड़ने की क्षमता	साधारण शर्त लागू होगी
7(च)	राजमार्ग	1) नए राष्ट्रीय राजमार्गः और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं ।	1) नए राज्य राजमार्गः और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबे राष्ट्रीय /राज्य राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है ।	साधारण शर्त लागू होगी
7(छ)	आकाशी यात्री रज्जुमार्ग		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(ज)	सामान्य स्राव उपचार संयंत्र (स.स्रा.उ.सं.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(झ)	नगरपालिका ठोस अपशिट प्रबंधन सुविधा (स.न..अ.प्र.स.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
8	भवन/ संर्निमाण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण			
8(क)	भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं		≥ 20000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < 1,50,000 वग मीटर के निर्मित क्षेत्र #	# आवृत संनिर्माण के लिए निर्मित क्षेत्र आकाश की ओर खुली सुविधाओं की दशा में यह क्रियाकलाप क्षेत्र भी होगा ।
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		≥50है0. क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए और या निर्मित क्षेत्र ≥ 1,50,000 वर्ग मीटर ++	++ 8 (ख) के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को ख 1 प्रवर्ग के अनुसार निबंधित किया जाएगा ।

टिप्पण

साधारण शर्त (सा.श.)

प्रवर्ग "ख" में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप को प्रवर्ग "क" माना जाएगा, यदि वह : (i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र; (ii) उसकी समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है; (iii) परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है ; और (iv) अंतरराज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से दस किलोमीटर के भीतर संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप में अवस्थित है ।

विनिर्दिष्ट शर्त (वि.श.)

यदि कोई मद 4(घ), 4(च), 5(ङ), 5(च) जैसी समयुग्म की प्रकार का उद्योगों वाला औद्योगिक संपदा/कांप्लेक्स/निर्यात प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन/जैव प्रौद्योगिकी उद्यान/चमड़ा परिसर या पूर्व निर्धारित गतिविधियां वाले उद्योग (आवश्यक नहीं कि वे समयुग्म हों) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संपदाओं/कांप्लेक्सों के भीतर प्रस्तावित उद्योगों सहित निजी उद्योगों को तब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक कांप्लेक्स/संपदा के लिए निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करते (ऐसी संपदा/कांप्लेक्सों की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की निबंधनों और शर्तों के लिए सहमता सुनिश्चित करने के विधिक उत्तरदायित्व से स्पष्ट रूप से पहचान करने का प्रबंध होना चाहिए जिसे कांप्लेक्स/संपदा के सारे जीवन में उसके अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा) ।

[सं. जे-11013/56/2004-आईए-II(I)]

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट -I
(पैरा 6 देखे)
प्ररूप 1

(1) आधारभूत जानकारी

परियोजना का नाम :

विचाराधीन अनुकल्पी अवस्थिति/स्थान :

परियोजना का आकार * :

परियोजना की प्राक्कलित लागत

संपर्क जानकारी :

संवीक्षा प्रवर्ग :

- अंचलीय क्रियाकलाप के लिए तत्स्थानी क्षमता (जैसे विनिर्माण करने के लिए उत्पादन क्षमता, खनिज उत्पादन के लिए खनन पट्टा क्षेत्र और उत्पादन क्षमता, खनिज पूर्वेक्षण के लिए क्षेत्र, अनुरेख परिवहन अवसंरचना के लिए लंबाई, विद्युत उत्पादन आदि के उत्पादन क्षमता)

(II) क्रियाकलाप

1. परियोजना का संनिर्माण, प्रचालन या न निकालना जिसमें ऐसी कार्रवाई भी सम्मिलित है जो परिक्षेत्र में भौतिक परिवर्तनों का कारण होगी (स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जल निकायों में परिवर्तन आदि)

क्र.सं.	जानकारी/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	उनके ब्यौरे (लगभग मात्रा/दरों, सहित, जो संभव हो, सहित) आंकड़ों की जानकारी के स्रोत सहित ।
1.1	भूमि उपयोग, समावेश भूमि या स्थलाकृति में स्थायी या अस्थायी जिसमें भूमि उपयोग की मात्रा(स्थानीय भूमि उपयोग योजना के बारे में वृद्धि भी सम्मिलित है)		
1.2	विद्यमान भूमि, वनस्पति और भवनों की अनापत्ति		
1.3	नई भूमि उपयोगों का सृजन		
1.4	संनिर्माण पूर्व अन्वेषण अर्थात बोर, गृह, मिट्टी का परिक्षण करना		
1.5	संनिर्माण कार्य		
1.6	विध्वंस कार्य		

1.7	संनिर्माण कार्य या संनिर्माण कर्मकारों के घर के प्रबंध के लिए उपयोग किए गए अस्थायी स्थल		
1.8	उपर्युक्त भू-भवन, संरचनाएं या धुस्स जिसमें अनुरेखीय संरचनाएं, काटना और भरना या खुदाई भी सम्मिलित है।		
1.9	भूमिगत कार्य जिसमें खनन या सुरंग बनाना भी सम्मिलित है।		
1.10	भूमि उद्धार कार्य		
1.11	तलकर्षक		
1.12	अपतट संरचनाएं		
1.13	उत्पादन और विनिर्माण प्रक्रियाएं		
1.14	सामग्रियों या माल के भंडार की सुविधाएं		
1.15	ठोस अपशिष्ट या तरल बहिःस्रावों के उपचार या निपटान के लिए सुविधाएं		
1.16	परिचालन कर्मकारों के दीर्घकालिक घर का प्रबंध के लिए सुविधाएं		
1.17	संनिर्माण या प्रचालन के दौरान नई सड़क, रेल या समुद्री यातायात		
1.18	नई सड़क, रेल, वायु जल वाहित या अन्य परिवहन अवसंरचना जिसमें नए या परिवर्तित मार्ग और स्टेशन, पत्तन, विमानपत्तन आदि भी सम्मिलित है।		
1.19	विद्यमान परिवहन मार्गों को बंद करना या अपवर्तन या यातायात परिचालन में परिवर्तनों के लिए प्रमुख अवसंरचना		
1.20	नई या अपवर्तित प्रेषण लाईनें या पाइपलाइनें		
1.21	अवरूद्ध करना, बांध बनाना, पुलिया बनाना, पुनःरेखांकन या जलमार्गों या एक्वीकरों के जल विज्ञान के लिए अन्य परिवर्तन		
1.22	प्रवाह पार		
1.23	भूजल या भूतल से जल का अंतरण या पृथक्करण		
1.24	नालियों या प्रवाह को प्रभावित करने वाले जलनिष्पादों या भूमि स्तर में परिवर्तन		
1.25	संनिर्माण, परिचालन या न निकालने के लिए कार्मिक या सामग्रियों का परिवहन		
1.26	दीर्घकालिक रूप मे तोड़ना, प्रारंभ करना या कार्य पुनः आरंभ करना।		
1.27	आंरभ के दौरान जारी ऐसे क्रियाकलाप जो पर्यावरण पर समाघात कर सकेंगे।		
1.28	जनता का किसी क्षेत्र के लिए या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से आना।		
1.29	अन्य देशीय प्रजातियों का आना		
1.30	मूल निवासी प्रजातियों या आनुवंशिक विविधता की हानि		
1.31	अन्य कोई कार्रवाईयां		

2. परियोजना के संनिर्माण या प्रचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग(जैसे भूमि, जल सामग्री या ऊर्जा विशेष रूप से ऐसा कोई संसाधन जो नवीकरणीय नहीं हैं या जिसका प्रदाय कम है)

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
2.1	विशेष रूप से अविकसित भूमि या कृषि भूमि (हे0)		
2.2	जल (अनुमानित स्रोत और प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई : के.एल.डी.		
2.3	खनिज (एम.टी.)		
2.4	संनिर्माण सामग्री -- पत्थर, औसत, बालू/मृदा (अनुमानित स्रोत एम.टी.)		
2.5	वन और इमारती लकड़ी (स्रोत - एम.टी.)		
2.6	ऊर्जा जिसके अंतर्गत विद्युत और ईंधन (स्रोत, प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई : ईंधन (एम.टी.) ऊर्जा (एम.डब्ल्यू)		
2.7	कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन (समुचित मानक इकाइयों का उपयोग करें)		

3. पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग भंडारण, परिवहन, संभाई धराई या उत्पादन, जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक या जिनके मानव स्वास्थ्य की जोखिम की वास्तविकता के बारे में चिंताएं उठती हैं ।

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
3.1	पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण (फ्लोरा, फोना और जल प्रदाय के लिए परिसंकटमय) (एम.एस.आई.एच.सी. नियमों के अनुसार) हैं		
3.2	रोग के होने में परिवर्तन या रोग वाहकों के रोग का प्रभाव (उदहरणार्थ कीट या जल-जन्य रोग)		
3.3	लोगों के कल्याण पर प्रभाव उदहरणार्थ जीवन दशाओं में परिवर्तन करके		
3.4	लोगों के संवेदनशील समूह जो परियोजना अर्थात् अस्पताल रोगियों, बालकों, वृद्धों आदि द्वारा प्रभावित हो सकते हैं		
3.5	कोई अन्य कारण		

4. निर्माण या प्रचालन या प्रारंभ न करने के दौरान ठोस अपशिष्टों का उत्पादन (एम.टी./मास)

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
4.1	मृदा, अधिक भार या खान अपशिष्ट		
4.2	नगरपालिक अपशिष्ट (घरेलू और या वाणिज्यिक अपशिष्ट)		
4.3	परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंध तंत्र नियमों के अनुसार)		
4.4	अन्य औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट		
4.5	अधिशेष उत्पाद		
4.6	मल बही-स्राव उपचार से मल गाद या अन्य गाद		
4.7	निर्माण या ढाये गए अपशिष्ट		
4.8	बेकार मशीनरी या उपस्कर		
4.9	संदूषित मृदाएं या अन्य सामग्रियां		
4.10	कृषि अपशिष्ट		
4.11	अन्य ठोस अपशिष्ट		

5. वायु में संदूषकों या किसी परिसंकटमय विषैले या जहरीले पदार्थों का विसर्जन

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
5.1	स्थिर सामग्री या चल संसाधनों से जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जन		
5.2	उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्सर्जन		
5.3	सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत भंडारण या परिवहन भी है, उत्सर्जन		
5.4	निर्माण क्रियाकलापों से जिसके अंतर्गत संयंत्र और उपस्कर भी हैं, उत्सर्जन		
5.5	सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत निर्माण सामग्री, मल और अपशिष्ट भी हैं धूल या गंध		
5.6	अपशिष्ट के भस्मीकरण से उत्सर्जन		
5.7	खुली वायु में अपशिष्ट के दहन से उत्सर्जन (उदाहरणार्थ स्लैश सामग्री, निर्माण सामग्री का ढेर)		
5.8	किन्हीं अन्य स्रोतों से उत्सर्जन		

6. शोर और कंपन का पैदा होना तथा प्रकाश और उष्मा का उत्सर्जन

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
6.1	उपस्कर के प्रचालन से उदाहरणार्थ ईंजन, वातायन संयंत्र, संदलनित्र		
6.2	औद्योगिक या उसी प्रकार की प्रक्रियाओं से		
6.3	निर्माण या ढहाने से		
6.4	विस्फोटन या पाइलिंग से		
6.5	निर्माण या प्रचालन संबंधी यातायात से		
6.6	प्रकाशन या प्रशीतन प्रणालियों से		
6.7	किन्हीं अन्य संसाधनों से		

7. भूमि या मल नालियों, सतही जल, भूमिगत जल, तटीय जल या समुद्र में प्रदूषकों के विसर्जन से भूमि या जल के संदूषण के जोखिम

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
7.1	परिसंकटमय सामग्री की उठाई धराई, भंडारण, उपयोग या गाद से		
7.2	जल या भूमि में (अनुमानित ढंग और विसर्जन का स्थान) मल या अन्य बही स्रावों के विसर्जन से		
7.3	वायु से भूमि या जल में उत्सर्जित प्रदूषकों के जमा होने से		
7.4	किन्हीं अन्य संसाधनों से		
7.5	क्या इन संसाधनों से पर्यावरण में प्रदूषकों के जमा होने से दीर्घकालिक जोखिम है ?		

8. परियोजना के निर्माण या प्रचालन के दौरान दुर्घटनाओं का जोखिम जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
8.1	परिसंकटमय पदार्थों के विस्फोट, गाद, आग, भंडारण, उठाई धराई या उत्पादन से		
8.2	किन्हीं अन्य कारणों से		
8.3	क्या परियोजना प्राकृतिक विपदाओं द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी (उदाहरणार्थ बाढ़, भूकंप, भू-सखलन, वृष्टिस्फोट आदि) ?		

9. बातें जिन पर विचार किया जाना चाहिए (जैसे पारिणामिक विकास) जिनके कारण पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं या जो संचयी प्रभावों को करने के लिए अन्य विद्यमान प्रभावों सहित या परिक्षेत्र में नियोजित क्रियाकलापों के लिए सामर्थवान हैं

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
9.1	जिसके कारण आधार का विकास, सहायक विकास या परियोजना द्वारा विकास को बल मिलता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है अर्थात् – • आधारिक अवसंरचना (सड़कें, बिजली प्रदाय, अपशिष्ट या अपशिष्ट जल उपचार आदि) • आवासन विकास • निष्कर्षित उद्योग • पूर्ति उद्योग • अन्य		
9.2	जिसके कारण स्थल का बाद में उपयोग होता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है		
9.3	पश्चात्वर्ती विकासों के लिए उदाहरण स्थापित करना		
9.4	सामिप्य के कारण अन्य विद्यमान परियोजनाओं पर संचयी प्रभाव हैं या उसी प्रकार के प्रभावों सहित नियोजित परियोजनाएं		

(III) पर्यावरणीय संवेदनशीलता

क्र.सं.	क्षेत्र	नाम/पहचान	आकाशी दूरी (15 किलोमीटर के भीतर) प्रस्तावित परियोजना अवस्थान सीमा
1.	उनके पारिस्थितिक भू-दृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, राष्ट्रीय या स्थानीय विधान के अधीन संरक्षित क्षेत्र ।		
2.	क्षेत्र जो पारिस्थितिक कारणों के लिए महत्वपूर्ण या संवेदनशील हैं - वेट लैंड्स, जल स्रोत या अन्य जल संबंधी निकाय, तटीय जोन, बायोस्फीयर, पहाड़ियां, वन		
3.	क्षेत्र जो प्रजनन, घोसला बनाने, चारे के लिए, आराम करने के लिए, सर्दी के लिए, प्रवास के लिए फ्लोरा और फोना के संरक्षित महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं		
4.	अंतरदेशीय, तटीय, सामुद्रिक या भूमिगत जल		

5.	राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं		
6.	मनोरंजन की या अन्य पर्यटक/यात्रियों वाले क्षेत्रों में पहुंच के लिए जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग या सुविधाएं		
7.	रक्षा प्रतिष्ठापन		
8.	सघन रूप से बसे हुए या निर्मित क्षेत्र		
9.	संवेदनशील मानव निर्मित भूमि उपयोगों के अधिभोगाधीन क्षेत्र अस्पताल, पाठशालाएं, पूजा स्थल, सामुदायिक सुविधाएं		
10.	महत्वपूर्ण, उच्च क्वालिटी या दुर्लभ संसाधनों वाले क्षेत्र (भूमिगत जल संसाधन, भूतल संसाधन, वनोद्योग, कृषि, मत्स्य उद्योग, पर्यटन, खनिज)		
11.	क्षेत्र जो पहले से ही प्रदूषण या पर्यावरणीय नुकसान के अधीन हैं (वे जहां विद्यमान विधिक पर्यावरणीय मानक अधिक होते हैं)		
12.	क्षेत्र जहां प्राकृतिक संकट हो सकता है जो वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं की योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं (धंसना, भूस्खलन, भूमि कटाव, बाढ़ या अत्यंत या प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं)		

परिशिष्ट 2
(पैरा 6 देखे)

प्ररूप 1क (केवल अनुसूची की मद 8 के अधीन सूचीबद्ध निर्माण परियोजनाओं के लिए)

पर्यावरणीय प्रभावों की जांच सूची

(पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित परियोजना सलाहकार और जहां कहीं आवश्यक हो प्ररूप के साथ स्पष्टीकारक टिप्पण संलग्न करें तथा प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबंधतंत्र योजना और मानिटरी कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत करें)

1. **भूमि पर्यावरण**

(परियोजना स्थल और आसपास का विशाल दृश्य संलग्न करें)

1.1 क्या विद्यमान भूमि के उपयोग में परियोजना से सारवान रूप से परिवर्तन किया जाएगा जो वातावरण आसपास से संगत नहीं है ? (प्रस्तावित भूमि उपयोग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित मास्टर प्लान/विकास योजना के अनुरूप होना चाहिए । भूमि उपयोग में परिवर्तन यदि कोई हो और सक्षम प्राधिकारी से कानूनी अनुमोदन प्रस्तुत किया जाए) । (i) स्थल अवस्थान, (ii) प्रस्तावित स्थल (पांच सौ मीटर के भीतर आसपास के लक्षणों) और (iii) समुचित मापमान के स्थल (स्तर और समोच्च रेखा उपदर्शित करते हुए) के नक्शे संलग्न करें । यदि उपलब्ध नहीं है तो केवल अवधारणा युक्त योजना संलग्न करें ।

1.2 भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, जल उपभोग, विद्युत अपेक्षा, संयोजकता, सामुदायिक सुविधाओं [illegible] आवश्यकताओं आदि के अनुसार सभी बड़ी परियोजना की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करें ।

1.3 प्रस्तावित स्थल से संलग्न विद्यमान सुविधाओं पर प्रस्तावित क्रियाकलाप के [illegible] प्रभाव [illegible] खुले स्थल, सामुदायिक सुविधाएं, विद्यमान भूमि उपयोग के ब्यौरे, स्थानीय पारिस्थिति में [illegible] ।

1.4 क्या किसी महत्वपूर्ण भूमि विघ्न के परिणामस्वरूप भूस्खलन, भूमि कटाव [illegible] आदि [illegible] किस्म, ढाल विश्लेषण, भूमि कटाव की संवेदनशीलता, भूकंपन आदि के ब्यौरे दिए [illegible]

1.5 क्या प्राकृतिक मल निकास प्रणाली के परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव है ? (प्रस्तावित परियोजना स्थल के निकट प्राकृतिक मल निकासी को दर्शित करते हुए किसी समोच्च नक्शे के ब्यौरे दें)

1.6 निर्माण क्रियाकलाप – कर्तन, भरण, भूमि सुधार आदि में अंतर्वलित भूमि कार्य की मात्राएं क्या हैं ? (अंतर्वलित भूमि कार्य, स्थल आदि के बाहर से सामग्री भरने के परिवहन के ब्यौरे दें)

1.7 निर्माण अवधि के दौरान जल प्रदाय अपशिष्ट उठाई धराई आदि के संबंध में ब्यौरे दें ।

1.8 क्या नीचे के क्षेत्रों और वेट लैंडस में परिवर्तन होंगे ? (वह ब्यौरे दें कि किस प्रकार निचले क्षेत्र और वेट लैंडस प्रस्तावित क्रियाकलापों से रुपांतरित हो रहे हैं)

1.9 क्या निर्माण के दौरान निर्माण के कूड़ा करकट और अपशिष्ट से स्वास्थ्य को खतरा होगा ? (निर्माण के दौरान जिसके अंतर्गत निर्माण श्रम और व्ययन की युक्तियां भी हैं, जनित अपशिष्टों की विभिन्न किस्मों की मात्राएं दें ।)

2. **जल पर्यावरण**

2.1 विभिन्न उपयोगों की अपेक्षाओं के विश्लेषण सहित प्रस्तावित परियोजना के लिए जल अपेक्षा की कुल मात्रा दें । जल अपेक्षा की पूर्ति कैसे होगी । स्रोतों और मात्राओं का कथन करें तथा एक जल अतिशेष विवरण दें ।

2.2 जल के प्रस्तावित स्रोत की क्षमता क्या है ? (बहाव या प्राप्ति के आधार पर)

2.3 अपेक्षित जल की क्वालिटी क्या है यदि पूर्ति किसी नगर पालिक स्रोत से नहीं है ? (जल की क्वालिटी के वर्ग सहित भौतिक, रासायनिक, जैव वैज्ञानिक लक्षणों को दर्शित करें)

2.4 कितनी जल अपेक्षा की उपचारित बेकार जल के पुनःचक्रण से पूर्ति हो सकती है ? (मात्राओं, स्रोतों और उपयोगिताओं के ब्यौरे दें ।)

2.5 क्या अन्य उपयोक्ताओं से जल का उपयोजन होगा ? (कृपया अन्य विद्यमान उपयोगों और उपभोग की मात्राओं पर परियोजना के प्रभाव का निर्धारण करें)

2.6 प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त बेकार जल से प्रदूषण के भार में क्या वृद्धि है ? (प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त बेकार जल की मात्राओं और संघटन के ब्यौरे दें)

2.7 जल अपेक्षाओं की जल संचयन से हुई पूर्ति के ब्यौरे दें । सृजित सुविधाओं के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।

2.8 दीर्घकालिक आधार पर निर्माण चरण के पश्चात् क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के लक्षणों (मात्रात्मकता के साथ-साथ क्वालिटी भी) के कारण भूमि उपयोग में हुए परिवर्तनों का क्या प्रभाव होगा ? क्या इससे बाढ़ या जल के जमा होने की किसी रूप में समस्या में वृद्धि होगी ?

2.9 भूमिगत जल पर प्रस्ताव के क्या प्रभाव होंगे ? (क्या भूमिगत जल में नल लगाया जाएगा ; भूमिगत जल की सारणी, पुनः प्रभारण क्षमता और सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राप्त अनुमोदन यदि कोई हों के ब्यौरे दें)

2.10 भूमि और पानियों को प्रदूषित करने वाले निर्माण क्रियाकलापों से [illegible] को रोकने के लिए क्या सावधानियां/कदम उठाए जाते हैं ? (प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए मात्राओं और अपनाए जाने वाले उपायों के ब्यौरे दें)

2.11 स्थल के भीतर किस प्रकार तेज जल की व्यवस्था की जाएगी ? (क्षेत्र में बाढ़ से बचने के लिए किए गए उपबंध, समोच्च स्तरों के उपदर्शन के स्थल अभिन्यास सहित उपलब्ध कराई गई जल निकासी सुविधाओं के ब्यौरे का कथन करें)

2.12 क्या आवश्यक अवधि में विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के लगाए जाने से परियोजना स्थल के आसपास अस्वच्छता दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं ? (उचित स्पष्टीकरण से न्यायोचित ठहराएं)

2.13 स्थल सुविधाओं पर संग्रहण, उपचार और जल निकासी के सुरक्षित व्ययन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है ? (पुनःचक्रण और व्ययन के लिए प्रोद्योगिकी और सुविधओं सहित जनन, उपचार क्षमताओं की, चाहे जैसी हों मात्राओं के ब्यौरे दें)

2.14 दोहरी नलसाजी प्रणाली के ब्यौरे दें यदि उपयोग किए गए उपचारित अपशिष्ट का प्रसाधनों को बहाने या किसी अन्य उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है ।

3 वनस्पति

3.1 क्या जैवविविधता पर परियोजना का कोई खतरा है ? (स्थानीय पारिस्थितिक प्रणाली का उसकी विशिष्ट बातों सहित यदि कोई हों वर्णन करें)

3.2 क्या निर्माण में वनस्पति की विस्तृत निकासी या उपांतरण अंतर्वलित है ? (परियोजना द्वारा प्रभावित वृक्षों और वनस्पति का विस्तृत लेखा जोखा दें)

3.3 महत्वपूर्ण स्थल की बातों पर प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं ? (किसी समुचित मापमान कि किसी अभिन्यास योजना सहित वृक्षारोपण, भूदृश्य, जल निकायों आदि के सृजन के प्रस्ताव के ब्यौरे दें)

4. जीव जन्तु

4.1 क्या जीव जन्तुओं, स्थलीय और जलीय रूप से किसी प्रकार हटाने या उनके चलने फिरने के लिए रूकावटें होने की संभावना है ? ब्यौरे दें ।

4.2 क्षेत्र के जीव जन्तुओं पर क्या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं ? ब्यौरे दें ।

4.3 जीवजन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कारीडोर, मछली सीड़ियों आदि जैसे उपाय विहित करें ।

5. वायु पर्यावरण

5.1 क्या परियोजना से द्वीपों में गैसों के वायुमंडलीय सांद्रण में वृद्धि होगी और उसके परिणामस्वरूप ऊष्मा बढ़ेगी ? (प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप वर्धित यातायात बढ़ने को ध्यान में रखते हुए विक्षेपण आदर्शों पर आधारित अनुमानित मूल्यों सहित पृष्ठभूमि वायु क्वालिटी स्तरों के ब्यौरे दें)

5.2 धूल, जहरीली वाष्पों या अन्य परिसंकटमय गैसों के बनने पर क्या प्रभाव हैं ? सभी मौसम विज्ञान परिमापों के संबंध में ब्यौरे दें ।

5.3 क्या प्रस्ताव से यानों को पार्क करने के स्थल में कमी आएगी ? परिवहन अवसंरचना और सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों के, जिसके अंतर्गत परियोजना स्थल के प्रवेश और निर्गम पर यातायात व्यवस्था भी है, विद्यमान स्तर के ब्यौरे दें ।

5.4 प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों, बाइसिकिल मार्गों, पैदल यात्री मार्गों, पैदल मार्गों आदि पर चलने के पैटर्नों के ब्यौरे दें।

5.5. क्या यातायात शोर और कंपन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी ? ऊपर वर्णित बातों को कम करने के लिए स्रोतों और प्रस्तावित उपायों के ब्यौरे दें।

5.6 परियोजना स्थल के आसपास शोर स्तरों और कंपन तथा घिरी हुई वायु की क्वालिटी पर डीजी सेटों और अन्य उपस्करों पर क्या प्रभाव होगा ? ब्यौरे दें।

6. **सौन्दर्यबौद्धी**

6.1 क्या प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप किसी दृश्य, दृश्यसुविधा या भूदृश्य में रूकावट होगी ? क्या प्रस्तावको ने इन बातों पर विचार कर लिया है ?

6.2 क्या विद्यमान परिनिर्माणों पर नए निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा ? किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?

6.3 क्या डिजाइन मापमान को प्रभावित करने वाले शहर रूपी या शहरी डिजाइनों का कोई स्थानीय आकलन हैं ? उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है।

6.4 क्या कोई मानव विज्ञान संबंधी या पुरातत्वीय स्थल या बाह्य चीजें आसपास में हैं ? कथन करें यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण बात, जिसपर प्रस्तावित स्थल के परिक्षेत्र में होने पर विचार किया गया है।

7 **सामाजिक - आर्थिक पहलू**

7.1 क्या प्रस्ताव के परिणास्वरूप स्थानीय जनता के समाज संबंधी परिनिर्माणों में कोई परिवर्तन होगा ? ब्यौरे दें।

7.2 प्रस्तावित परियोजना के आसपास विद्यमान सामाजिक अवसंरचना के ब्यौरे दें।

7.3 क्या परियोजना से स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव, पवित्र स्थलों या अन्य सांस्कृतिक मूल्यों में विघ्न पड़ेगा ? प्रस्तावित सुरक्षापाय क्या हैं ?

8 **निर्माण सामग्री**

8.1 अधिक ऊर्जा संहित निर्माण सामग्री का उपयोग हो सकेगा। क्या ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं सहित निर्माण सामग्री उत्पादित की जाती है ? (निर्माण सामग्री और उनकी ऊर्जा दक्षता का चयन करने में ऊर्जा संरक्षण उपायों के ब्यौरे दें)

8.2 निर्माण के दौरान सामग्री का परिवहन और उठाई धराई के कारण प्रदूषण, शोर और लोक अशान्ति हो सकती है। इन प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं ?

8.3 क्या सड़कों और ढ़ाचों में पुनः चक्रित सामग्री उपयोग की जाती है ? की गई बचतों का सीमा का कथन करें ?

8.4 परियोजना के प्रचालन संबंधी चरणों के दौरान हुए कूड़े के संग्रहण, पृथक्करण और व्ययन की पद्वति के ब्यौरे दें।

9 ऊर्जा संरक्षण

9.1 विद्युत अपेक्षा प्रदाय के स्रोत, स्रोत आदि की पृष्ठभूमि आदि के ब्यौरे दें । निर्मित क्षेत्र में प्रति वर्ग फुट ऊर्जा खपत कितनी है ? ऊर्जा खपत को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

9.2 विद्युत की पृष्ठभूमि की किस्म और क्षमता, जिसको देने की आपकी योजना है, क्या है ?

9.3 उपयोग किए जाने वाले कांच के अभिलक्षण क्या हैं ? शार्ट वेव और लांग वेव विकिरण दोनों से संबंधित उसके अभिलक्षणों के निर्देश दें ।

9.4 भवन में कौन से अप्रत्यक्ष सौर वास्तविक कारक उपयोग किए जा रहे हैं ? प्रस्तावित परियोजना में किए गए उपयोजन को स्पष्ट करें ।

9.5 क्या गलियों और भवनों के अभिन्यास सौर ऊर्जा युक्तियों की क्षमता को अधिकतम करते हैं ? क्या आपने भवन कम्प्लैक्स में उपयोग के लिए सड़क प्रकाशन आपात प्रकाशन और सौर तप्त जल प्रणालियों के उपयोग पर विचार कर लिया है ? ब्यौरों का सार दें ।

9.6 क्या प्रशीतन/तापन भार को कम करने के लिए शेडिंग का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है ? पूर्व और पश्चिम की दीवारों और छत पर शेडिंग को अधिकतम करने के लिए उपयोग करने के सिद्धांत क्या हैं ?

9.7 क्या परिनिर्माणों में ऊर्जा दक्ष स्थल शीतन, प्रकाशन और यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है ? तकनीकी ब्यौरे दें । ट्रांसफार्मरों और मोटर दक्षता प्रकाशन तीव्रता और वायु प्रशीतन भार धारणाओं के ब्यौरे दें । क्या आप सीएफसी एचसीएफसी फ्री चिलर्स का उपयोग कर रहे हैं ? विनिर्देश दें ।

9.8 सूक्ष्म जलवायु के परिवर्तन में भवन क्रियाकलापों के संभावित प्रभाव क्या हैं ? तप्त द्वीप और प्रतीपन प्रभावों के सृजन पर प्रस्तावित निर्माण के संभावित प्रभावों पर स्वतः निर्धारण का उल्लेख करें ।

9.9 भवन आहाते के तापीय अभिलक्षण क्या हैं ? (क) छत ; (ख) बाह्य दीवारें ; और (ग) झरोखे ? उपयोग की गई सामग्री और व्यष्टिक संघटकों के यू मूल्यों या आर मूल्यों के ब्यौरे दें ।

9.10 अग्नि संकट के लिए प्रस्तावित सावधानियां और सुरक्षा उपाय क्या हैं ? आपात योजनाओं के ब्यौरे दें ।

9.11 दिवाल सामग्री के रूप में यदि कांच का उपयोग किया जाता है तो ब्यौरे और विनिर्देश जिसके अंतर्गत उत्सर्जनता और तापीय अभिलक्षण भी हैं, दें ।

9.12 भवन में वायु प्रवेशन की दर क्या है ? प्रवेशन के प्रभावों को कैसे कम कर रहे हैं, उसके ब्यौरे दें ।

9.13 समग्र ऊर्जा खपत में अपारंपरिक ऊर्जा प्रोद्योगिकियों का किसी सीमा तक उपयोग किया जाता है ? उपयोग की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रोद्योगिकियों के ब्यौरे दें ।

10 पर्यावरण प्रबंध योजना

पर्यावरण प्रबंध योजना में, निर्माण, प्रचालन और परियोजना के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए समस्त जीवन चक्र के दौरान किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्रत्येक मदवार के लिए सभी न्यूनतम करने वाले उपाय अंतर्विष्ट होंगे । इसमें विभिन्न पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन के लिए पर्यावरणीय मानिटरी योजना का आलेखन भी होगा । आपात की दशा में, जैसे स्थल पर दुर्घटना जिसके अंतर्गत आग लगना भी है, उठाए जाने वाले कदमों का कथन भी होगा ।

परिशिष्ट 3
(पैरा 7 देखें)

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण दस्तावेज की साधारण संरचना

क्र.सं.	ईआईए संरचना	अंतर्वस्तु
1.	प्राक्कथन	• रिपोर्ट का प्रयोजन • परियोजना और परियोजना प्रस्तावक की पहचान • परियोजना की प्रकृति, आकार, अवस्थान का संक्षिप्त वर्णन और देश, प्रदेश में इसका महत्व • अध्ययन का विस्तार – किए गए विनियामक विस्तार के ब्यौरे (सौंपे गए कृत्यों के अनुसार)
2.	परियोजना वर्णन	• परियोजना के उन पहलुओं का संघनित वर्णन (परियोजना साध्यता अध्ययन पर आधारित) जिनकी पर्यावरणीय प्रभाव कारित करने की संभावना है । निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए ब्यौरे उपबंधित किए जाने चाहिए : • परियोजना के किस्म • परियोजना की आवश्यकता • अवस्थान (साधारण अवस्थान, विनिर्दिष्ट अवस्थान, परियोजना सीमा और परियोजना स्थल अभिन्यास को दर्शित करते हुए नक्शे) • प्रचालन का आकार या विस्तार (जिसके अंतर्गत परियोजना द्वारा या उसके लिए अपेक्षित सहयोजित क्रियाकलाप) • अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित अनुसूची • प्रोद्योगिकी और प्रक्रिया वर्णन • परियोजना वर्णन, जिसके अंतर्गत परियोजना अभिन्यास, परियोजना आदि के संघटकों को दर्शित करते हुए आरेखन । साध्यता आरेखनों के स्कीमबद्ध प्रतिनिधित्व जो ईआईए परियोजना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दें । • पर्यावरणीय मानकों, पर्यावरणीय प्रचालन दशाओं या अन्य ईआईए अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए परियोजनाओं में सम्मिलित न्यूनिकरण उपायों का वर्णन (विस्तार द्वारा यथाअपेक्षित) • प्रोद्योगिकीय असफलता के जोखिम के लिए नई और अपरीक्षित प्रोद्योगिकी का निर्धारण
3.	पर्यावरण का वर्णन	• अध्ययन क्षेत्र, अवधि, संघटक और पद्धति • विस्तार में पहचान किए गए मूल्यवान पर्यावरणीय संघटकों के लिए आधारिक लेखा की स्थापना • सभी पर्यावरणीय संघटकों के आधार नक्शे
4.	अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय	• परियोजना अवस्थान, संभावित दुर्घटनाओं, परियोजना डिजाइन, परियोजना निर्माण, नियमित प्रचालनों, पूरी की गई परियोजना को अंतिम रूप से बंद करना या पुर्नस्थापन के कारण अन्वेषित पर्यावरणीय समाघातों के ब्यौरे । • पहचान किए गए प्रतिकूल समाघातों न्यूनिकृत और/या दूर करने के लिए उपाय • पर्यावरणीय संघटकों के असंपरिवर्तनीय और पुनः प्राप्त न किए जा सकने वाले आश्वासन ।

		• समाघातों के महत्व का निर्धारण (महत्व महत्व निर्धारण का अवधारणा करने के लिए मानदण्ड) • न्यूनीकरण उपाय
5.	अनुकल्पियों का विश्लेषण (प्रोद्योगिकी और स्थल)	• यदि विस्तारित करने के कार्य के परिणामस्वरूप अनुकल्पियों की आवश्यकता होती है : • प्रत्येक अनुकल्पी का वर्णन • प्रत्येक अनुकल्पी के प्रतिकूल समाघातों का सार • प्रत्येक अनुकल्पी के लिए प्रस्तावित न्यूनीकरण उपाय और • अनुकल्पी का चयन
6.	पर्यावरणीय मानिटरी कार्यक्रम	• न्यूनीकरण उपायों की प्रभावशीलता को मानीटर करने के तकनीकी पहलू (जिसके अंतर्गत माप, पद्वति, आवर्त, अवस्थान, आंकड़े विश्लेषण, रिपोर्ट करने की अनुसूचियां, आपात प्रक्रियाएं, विस्तृत बजट और उपापन अनुसूचियां भी है)
7.	अतिरिक्त अध्ययन	• लोक परामर्श • जोखिम निर्धारण • सामाजिक समाघात निर्धारण आर और आर अनुवर्ती योजनाएं
8.	परियोजना के फायदे	• भौतिक अवसंरचना में सुधार • सामाजिक अवसंरचना में सुधार • नियोजन क्षमता - कुशल ; अर्धकुशल और अकुशल • अन्य मूर्त फायदे
9.	पर्यावरणीय लागत फायदा विश्लेषण	यदि विस्तारण प्रक्रम पर सिफारिश की जाती है ।
10.	ईएमपी	• यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनीकरण संबंधी उपाय कार्यान्वित किए गए हैं और ईआईए के अनुमोदन के पश्चात् उनकी प्रभावी मानीटरी की गई है, प्रशासनिक पहलुओं का वर्णन ।
11.	संक्षिप्त सार और निष्कर्ष (यह ईआईए रिपोर्ट का संक्षिप्त सार होगा)	• परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समग्र औचित्य । • यह स्पष्टीकरण कि प्रतिकूल प्रभाव किस प्रकार कम किए जाते हैं
12.	नियोजित परामर्शियों का प्रकटन	• उनके संक्षिप्त कार्य और दिए गए परामर्श की प्रकृति सहित नियोजित किए गए परामर्शियों के नाम

परिशिष्ट 3क

(पैरा 7 देखे)

संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की अंर्तवस्तु

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संक्षिप्त सार अधिकतम ए -4 आकार के दस पृष्ठों पर पूरी पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का एक संक्षिप्त सार होगा । इसमें संक्षेप में अनिवार्य रूप से पूर्ण पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निम्नलिखित अध्याय होने चाहिएं :-

(1) परियोजना वर्णन :

(2) पर्यावरण का वर्णन :

(3) अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय :

(4) पर्यावरणीय मानीटरी कार्यक्रम :

(5) अतिरिक्त अध्ययन :

(6) परियोजना के फायदे :

(7) पर्यावरण प्रबंधन योजना :

परिशिष्ट 4

(पैरा 7 देखिए)

लोक सुनवाई को संचालित करने के लिए प्रक्रिया

1.0 लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परियोजना स्थल (स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध, समयबद्ध और पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी ।

2.0 प्रक्रिया :

2.1 आवेदक, उस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, विहित कानूनी अवधि के भीतर लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एक सादा पत्र के माध्यम से अनुरोध करेगा । यदि परियोजना स्थल का किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के परे विस्तार है तो प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें परियोजना स्थित है, लोक सुनवाई आज्ञापक है और आवेदक, इस प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को पृथक अनुरोध करेगा ।

2.2 आवेदक, अनुरोध पत्र के साथ प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की कम से कम दस हार्ड प्रतियां और उसी के बराबर सॉफ्ट (इलैक्ट्रानिक) प्रतियां, परिशिष्ट 3 में दी गई सामान्य संरचना सहित (जिसके अंतर्गत विस्तार (प्रक्रम 2) के पश्चात् संसूचित किए गए सौंपे गए कृत्यों के अनुसार निर्बाध रूप से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तैयार की गई संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट सम्मिलित है) संलग्न की जाएगी । इसके साथ-साथ आवेदक संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ ऊपर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक हार्ड प्रति और एक सॉफ्ट प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा निम्नलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों को जिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा :

(क) जिला मजिस्ट्रेट

(ख) जिला परिषद या नगर निगम

(ग) जिला उद्योग कार्यालय

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंधित प्रादेषिक कार्यालय

2.3 ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सिवाय, प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, अपनी अधिकारिताओं के भीतर, उसमें हितबद्ध व्यक्तियों से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अपनी टीका-टिप्पणियां भेजने का अनुरोध करते हुए, विस्तृत प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे । वे लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान जनता को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण करने के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे । पर्यावरण और वन मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार तत्परता से प्रदर्शित करेगा और दिल्ली स्थित मंत्रालय में सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान किसी अधिसूचित स्थान पर निर्देश के लिए पूरे प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट को भी उपलब्ध करेगा ।

2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजना की बाबत प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेगी और चयनित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या पंचायतों आदि में निरीक्षण के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट (परिशिष्ट 3क) का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी । वे उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों/कार्यालयों अर्थात् पर्यावरण और वन मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट आदि को प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति अतिरिक्त रूप से भी उपलब्ध कराएंगे ।

3.0 लोक सुनवाई की सूचना

3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव परियोजना सलाहकार से प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई संचालित करने के लिए तारीख, समय और निश्चित स्थान को अंतिम रूप देगा और उसको मुख्य राष्ट्रीय दैनिक में और एक प्रादेशिक भाषा के दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापित करेगा । जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम से कम तीस दिनों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ;

3.2 विज्ञापन, जनता को उन स्थानों या कार्यालयों की बाबत भी सूचित करेगा जहां प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार तक सुनवाई से पूर्व जनता की पहुंच हो सके ;

3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवांछित आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर किया आस्थगन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेषिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा ;

3.4 ऊपर आपवादिक परिस्थितियों में, केवल जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य-सचिव द्वारा लोक परामर्श के लिए नई तारीख, समय और स्थान का विनिश्चय किया जाएगा और ऊपर 3.1 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से अधिसूचित किया जाएगा ।

4.0 पैनल

जिला मजिस्ट्रेट या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से समस्त लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा ।

5.0 वीडियोग्राफी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी । संबंधित विनियामक प्राधिकरण को इसे अग्रेषित करते समय वीडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी लोक सुनवाई कार्रवाईयों के साथ संलग्न की जाएगी ।

6.0 कार्यवाहियां

6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो स्थल पर विद्यमान हैं, अंतिम कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.2 कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए उपस्थिति हेतु कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।

6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, परियोजना और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियां आरंभ करेगा ।

6.4 स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को, आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा । लोक सुनवाई कार्यवाहियों का संक्षिप्त सार ठीक रूप से प्रदर्शित करते हुए अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त चिंताओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रांतीय भाषा में अंतर्वस्तुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को पढ़ कर सुनाया जाएगा तथा करार पाए गए कार्यवृत्त पर उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रेषित किया जाएगा ।

6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और आवेदक की टीका-टिप्पणियों को भी स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.6 लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को उस पंचायत घर के कार्यालय पर, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, संबंधित जिला परिषद, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्यालय में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति साधारण जानकारी के लिए अपने वेबसाइट पर कार्यवाहियों को प्रदर्शित भी करेगी । कार्यवाहियों पर टीका-टिप्पणियों को, यदि कोई हों, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों और संबंधित आवेदक को प्रत्यक्षतः भेजी जा सकेगी ।

7.0 लोक सुनवाई को पूरा करने के लिए कालावधि :

7.1 लोक सुनवाई, आवेदक से अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी । अतः संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को भेजेगी । आवेदक, लोक सुनवाई और लोक परामर्श के पश्चात् तैयार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट या प्रारूप पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर अनुपूरक रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण को, अनुमोदित लोक सुनवाई कार्यवाहियों की एक प्रति प्रत्यक्षतः भी अग्रेषित करेगा ।

7.2 यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, नियत पैंतालीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई करने में असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रवर्ग 'क' परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और प्रवर्ग ख परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राज्य पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अनुरोध पर, किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकरण को इस अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोजित करेगी ।

परिशिष्ट 5

(पैरा 7 देखिए)

आंकलन के लिए विहित प्रक्रिया

1. आवेदक, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करते हुए, जहां लोक परामर्श आज्ञापक है, एक सादा सूचना के माध्यम से आवेदन करेगा :-

- अंतिम पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट की बीस हार्ड प्रतियां और एक साफ्ट प्रति
- लोक सुनवाई की कार्यवाहियों की वीडियो टेप की एक प्रति या सी.डी.
- अंतिम अभिन्यास योजना की बीस प्रतियां
- परियोजना साध्यता रिपोर्ट की एक प्रति

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर कार्यालय में तत्परता से टीओआर के प्रतिनिर्देश से समीक्षा की जाएगी और ध्यान में रखी गई अपर्याप्तताओं को प्रत्येक अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करते हुए, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई कार्यवाहियां और प्राप्त की गई अन्य लोक प्रतिक्रियाएं भी हैं, प्ररूप 1 या प्ररूप 1क की एक प्रति और प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठकों के लिए निश्चित तारीखें सहित पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्यों को एकल सेट में इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा संसूचित किया जाएगा ।

3. जहां कोई लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है और इसलिए कोई औपचारिक पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन अपेक्षित नहीं है, वहां आंकलन, विहित आवेदन प्ररूप 1 के आधार पर और अनुसूची की मद 8 से भिन्न सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में किसी पूर्व साध्यता रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा । अनुसूची की मद 8 की दशा में, इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुए, संबंधित पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, प्ररूप 1, प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर सभी प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन करेगी और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तें नियत करेगी । जब कभी आवेदक सभी अन्य आवश्यक कानूनी अनुमोदनों सहित निश्चित पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों को पूरा करते हुए अनुमोदित स्कीम/भवन योजना प्रस्तुत करता है तो पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, सक्षम प्राधिकारी को पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने की सिफारिश करेगी ।

4. प्रत्येक आवेदन, पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के समक्ष और इसका पूरा आंकलन, विहित रीति में अपेक्षित दस्तावेजों/ब्यौरों सहित इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर रखा जाएगा ।

5. आवेदक को परियोजना प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की निश्चित तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचित किया जाएगा ।

6. पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक के कार्यवृत्त को बैठक के पांच कार्यकरण दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा और संबंधित विनियामक प्राधिकरण के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । परियोजना या क्रियाकलापों को पर्यावरणीय अनापत्ति को मंजूर किए जाने के लिए सिफारिश की दशा में, कार्यवृत्त में विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षापायों और शर्तों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा । यदि सिफारिशें नामंजूर करने के लिए हैं तो उसके कारणों को भी स्पष्ट रूप से कथित किया जाएगा ।

परिशिष्ट 6

(पैरा 5 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के लिए सेक्टर/परियोजना विनिर्दिष्ट विशेषज्ञ आंकलन समिति और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों की संरचना

1. विशेषज्ञ आंकलन समितियां और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियां केवल निम्नलिखित पात्रता कसौटी को पूरा करने वाले वृत्तिकों और विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी

वृत्तिक : ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम से कम (i) एम.ए./एम.एस.सी डिग्री सहित संबंधित विद्या शाखा में पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या (ii) इंजीनयरी/प्रौद्योगिकी/वास्तुविद विद्या शाखाओं की दशा में, बी.टेक/बी.ई./बी.आर्क. डिग्री सहित क्षेत्र में विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित किसी वृत्तिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में चार वर्षीय औपचारिक प्रशिक्षण, या (iii) अन्य वृत्तिक डिग्री (जैसे विधि) जिसमें पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण अंतर्वलित है, या (iv) विहित शिक्षुता/कारीगारी तथा संबंधित वृत्तिक संगम द्वारा संचालित परिक्षाएं उत्तीर्ण की हो (जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी) या (v) किसी विश्वविद्यालय डिग्री के पश्चात् किसी विश्वविद्यालय या सेवा अकादमी में दो वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण (जैसे एम.बी.ए./आई.ए.एस./आई.एफ.एस.) व्यष्टि वृत्तकों का चयन करते समय उनके द्वारा उनके क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा ।

विशेषज्ञ : ऊपर पात्रता कसौटी को पूरा करने वाला कोई वृत्तिक जिसके पास क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का सुसंगत अनुभव या संबंधित क्षेत्र में कोई उच्चतर डिग्री हो (जैसे पी.एच.डी. और कम से कम दस वर्ष का सुसंगत अनुभव) ।

आयु : सत्तर वर्ष से नीचे । तथापि, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता/कमी की दशा में विशेषज्ञ आंकलन समिति के सदस्यों की अधिकतम आयु को पचहतर वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

2. पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों/विद्या शाखाओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव वाले विशेषज्ञ होंगे । उस दशा में कि "विशेषज्ञ" की कसौटी को पूरा करने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले वृत्तिकों पर भी विचार किया जा सकेगा ।

- पर्यावरण क्वालिटी विशेषज्ञ : पर्यावरणीय क्वालिटी के संबंध में माप/मानिटरी, विश्लेषण और निर्वचन में विशेषज्ञ ।

- परियोजना प्रबंधन में क्षेत्रीय विशेषज्ञ : परियोजना प्रबंधन या सुसंगत क्षेत्रों में प्रक्रिया /प्रचालन/सुविधा प्रबंधन में विशेषज्ञ ।
- पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया विशेषज्ञ : पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संचालन और कार्यान्वयन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना और अन्य प्रबंधन योजना तैयार करने में विशेषज्ञ और जो पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली भावी तकनीकों और औजारों में विस्तृत विशेषज्ञता और ज्ञान रखते हों ।
- जोखिम निर्धारण विशेषज्ञ ।
- पेड़ - पौधे और जीव- जन्तु प्रबंधन में प्राणी विज्ञान विशेषज्ञ ।
- वन और वन्य जीव विशेषज्ञ ।
- परियोजना आंकलन में अनुभव सहित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र विशेषज्ञ ।

3. पर्यावरणीय निर्धारण समिति की सदस्यता पंद्रह नियमित सदस्यों से अधिक की नहीं होगी । तथापि, अध्यक्ष समिति की किसी विशिष्ट बैठक के लिए किसी सुसंगत क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा ।

4. अध्यक्ष, सुसंगत विकास क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और पर्यावरणीय निति या प्रबंधन में अथवा लोक प्रशासन में अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ होगा ।

5. अध्यक्ष, सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

6. पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि उसके सचिव के रूप में समिति की सहायता करेगा ।

7. किसी सदस्य की अधिकतम पदावधि, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, प्रत्येक तीन वर्ष की दो पदावधि होगी ।

8. अध्यक्ष/सदस्य को किसी कारण और समुचित जांच के बिना पदावधि के अवसान से पूर्व नहीं हटाया जा सकेगा ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

S.O. 1533(E).—Whereas, a draft notification under Sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for imposing certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts as indicated in the Schedule to the notification, being undertaken in any part of India[1], unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objectives of National Environmment Policy as approved by the Union Cabinet on 18th May, 2006 and the procedure specified in the notification, by the Central Government or the State or Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), to be constituted by the Central Government in consultation with the State Government or the Union Territory Administration concerned under Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of this notification, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1324(E), dated the 15th September, 2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public ;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15th September, 2005;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification.

---

[1] Includes the territorial waters

2. **Requirements of prior Environmental Clearance (EC):-** The following projects or activities shall require prior environmental clearance from the concerned regulatory authority, which shall hereinafter referred to be as the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for matters falling under Category 'B' in the said Schedule, before any construction work, or preparation of land by the project management except for securing the land, is started on the project or activity:

(i) All new projects or activities listed in the Schedule to this notification;

(ii) Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization;

(iii) Any change in product - mix in an existing manufacturing unit included in Schedule beyond the specified range.

3. **State Level Environment Impact Assessment Authority:- (1)** A State Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the SEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of three Members including a Chairman and a Member – Secretary to be nominated by the State Government or the Union territory Administration concerned.

(2) The Member-Secretary shall be a serving officer of the concerned State Government or Union territory administration familiar with environmental laws.

(3) The other two Members shall be either a professional or expert fulfilling the eligibility criteria given in Appendix VI to this notification.

(4) One of the specified Members in sub-paragraph (3) above who is an expert in the Environmental Impact Assessment process shall be the Chairman of the SEIAA.

(5) The State Government or Union territory Administration shall forward the names of the Members and the Chairman referred in sub- paragraph 3 to 4 above to the Central Government and the Central Government shall constitute the SEIAA as an authority for the purposes of this notification within thirty days of the date of receipt of the names.

(6) The non-official Member and the Chairman shall have a fixed term of three years (from the date of the publication of the notification by the Central Government constituting the authority).

(7) All decisions of the SEIAA shall be unanimous and taken in a meeting.

4. **Categorization of projects and activities:-**

(i) All projects and activities are broadly categorized in to two categories - Category A and Category B, based on the spatial extent of potential impacts and potential impacts on human health and natural and man made resources.

(ii) All projects or activities included as Category 'A' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities and change in product mix, shall require prior environmental clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests (MoEF) on the recommendations of an Expert Appraisal Committee (EAC) to be constituted by the Central Government for the purposes of this notification;

(iii) All projects or activities included as Category 'B' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities as specified in sub paragraph (ii) of paragraph 2, or change in product mix as specified in sub paragraph (iii) of paragraph 2, but excluding those which fulfill the General Conditions (GC) stipulated in the Schedule, *will* require prior environmental clearance from the State/Union territory Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). The SEIAA shall base its decision on the recommendations of a State or Union territory level Expert Appraisal Committee (SEAC) as to be constituted for in this notification. In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project;

5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government and SEACs (hereinafter referred to as the (EAC) and (SEAC) at the State or the Union territory level shall screen, scope and appraise projects or activities in Category 'A' and Category 'B' respectively. EAC and SEAC's shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union territory Administration with identical composition;

(b) The Central Government may, with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administrations, constitutes one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost;

(c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years;

(d) The authorised members of the EAC and SEAC, concerned, may inspect any site(s) connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought, for the purposes of screening or scoping or appraisal, with prior notice of at least seven days to the applicant, who shall provide necessary facilities for the inspection;

(e) The EAC and SEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II, after the identification of prospective site(s) for the project and/or activities to which the application relates, before commencing any construction activity, or preparation of land, at the site by the applicant. The applicant shall furnish, along with the application, a copy of the pre-feasibility project report except that, in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule) in addition to Form 1 and the Supplementary Form 1A, a copy of the conceptual plan shall be provided, instead of the pre-feasibility report.

7. Stages in the Prior Environmental Clearance (EC) Process for New Projects:-

7(i) The environmental clearance process for new projects will comprise of a maximum of four stages, all of which may not apply to particular cases as set forth below in this notification. These four stages in sequential order are:-

- Stage (1) Screening (Only for Category 'B' projects and activities)
- Stage (2) Scoping
- Stage (3) Public Consultation
- Stage (4) Appraisal

I. **Stage (1) - Screening:**

In case of Category 'B' projects or activities, this stage will entail the scrutiny of an application seeking prior environmental clearance made in Form 1 by the concerned State level Expert Appraisal Committee (SEAC) for determining whether or not the project or activity

requires further environmental studies for preparation of an Environmental Impact Assessment (EIA) for its appraisal prior to the grant of environmental clearance depending up on the nature and location specificity of the project . The projects requiring an Environmental Impact Assessment report shall be termed Category 'B1' and remaining projects shall be termed Category 'B2' and will not require an Environment Impact Assessment report. For categorization of projects into B1 or B2 except item 8 (b), the Ministry of Environment and Forests shall issue appropriate guidelines from time to time.

II. **Stage (2) - Scoping**:

(i) "Scoping": refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category 'A' projects or activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1' projects or activities, including applications for expansion and/or modernization and/or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms Of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. The Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the Terms of Reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form1/Form 1A including Terns of Reference proposed by the applicant, a site visit by a sub- group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, Terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. All projects and activities listed as Category 'B' in Item 8 of the Schedule (Construction/Township/Commercial Complexes /Housing) shall not require Scoping and will be appraised on the basis of Form 1/ Form 1A and the conceptual plan.

(ii) The Terms of Reference (TOR) shall be conveyed to the applicant by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as concerned within sixty days of the receipt of Form 1. In the case of Category A Hydroelectric projects Item 1(c) (i) of the Schedule the Terms of Reference shall be conveyed along with the clearance for pre-construction activities .If the Terms of Reference are not finalized and conveyed to the applicant within sixty days of the receipt of Form 1, the Terms of Reference suggested by the applicant shall be deemed as the final Terms of Reference approved for the EIA studies. The approved Terms of Reference shall be displayed on the website of the Ministry of Environment and Forests and the concerned State Level Environment Impact Assessment Authority.

(iii) Applications for prior environmental clearance may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned at this stage itself. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.

III. **Stage (3) - Public Consultation**:

(i) "Public Consultation" refers to the process by which the concerns of local affected persons and others who have plausible stake in the environmental impacts of the project or activity are ascertained with a view to taking into account all the material concerns in the project or activity design as appropriate. All Category 'A' and Category B1 projects or activities shall undertake Public Consultation, except the following:-

(a) modernization of irrigation projects (item 1(c) (ii) of the Schedule).

(b) all projects or activities located within industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals.

(c) expansion of Roads and Highways (item 7 (f) of the Schedule) which do not involve any further acquisition of land.

(d) all Building /Construction projects/Area Development projects and Townships (item 8).

(e) all Category 'B2' projects and activities.

(f) all projects or activities concerning national defence and security or involving other strategic considerations as determined by the Central Government.

(ii) The Public Consultation shall ordinarily have two components comprising of:-

(a) a public hearing at the site or in its close proximity- district wise, to be carried out in the manner prescribed in Appendix IV, for ascertaining concerns of local affected persons;

(b) obtain responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity.

(iii) the public hearing at, or in close proximity to, the site(s) in all cases shall be conducted by the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) concerned in the specified manner and forward the proceedings to the regulatory authority concerned within 45(forty five) of a request to the effect from the applicant.

(iv) in case the State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee concerned does not undertake and complete the public hearing within the specified period, and/or does not convey the proceedings of the public hearing within the prescribed period directly to the regulatory authority concerned as above, the regulatory authority shall engage another public agency or authority which is not subordinate to the regulatory authority, to complete the process within a further period of forty five days,.

(v) If the public agency or authority nominated under the sub paragraph (iii) above reports to the regulatory authority concerned that owing to the local situation, it is not possible to conduct the public hearing in a manner which will enable the views of the concerned local persons to be freely expressed, it shall report the facts in detail to the concerned regulatory authority, which may, after due consideration of the report and other reliable information that it may have, decide that the public consultation in the case need not include the public hearing.

(vi) For obtaining responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity, the concerned regulatory authority and the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) shall invite responses from such concerned persons by placing on their website the Summary EIA report prepared in the format given in Appendix IIIA by the applicant along with a copy of the application in the prescribed form , within seven days of the receipt of a written request for arranging the public hearing . Confidential information including non-disclosable or legally privileged information involving Intellectual Property Right, source specified in the application shall not be placed on the web site. The regulatory authority concerned may also use

other appropriate media for ensuring wide publicity about the project or activity. The regulatory authority shall, however, make available on a written request from any concerned person the Draft EIA report for inspection at a notified place during normal office hours till the date of the public hearing. All the responses received as part of this public consultation process shall be forwarded to the applicant through the quickest available means.

(vii) After completion of the public consultation, the applicant shall address all the material environmental concerns expressed during this process, and make appropriate changes in the draft EIA and EMP. The final EIA report, so prepared, shall be submitted by the applicant to the concerned regulatory authority for appraisal. The applicant may alternatively submit a supplementary report to draft EIA and EMP addressing all the concerns expressed during the public consultation.

IV. Stage (4) - Appraisal:

(i) Appraisal means the detailed scrutiny by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee of the application and other documents like the Final EIA report, outcome of the public consultations including public hearing proceedings, submitted by the applicant to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance. This appraisal shall be made by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned in a transparent manner in a proceeding to which the applicant shall be invited for furnishing necessary clarifications in person or through an authorized representative. On conclusion of this proceeding, the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall make categorical recommendations to the regulatory authority concerned either for grant of prior environmental clearance on stipulated terms and conditions, or rejection of the application for prior environmental clearance, together with reasons for the same.

(ii) The appraisal of all projects or activities which are not required to undergo public consultation, or submit an Environment Impact Assessment report, shall be carried out on the basis of the prescribed application Form 1 and Form 1A as applicable, any other relevant validated information available and the site visit wherever the same is considered as necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iii) The appraisal of an application be shall be completed by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within sixty days of the receipt of the final Environment Impact Assessment report and other documents or the receipt of Form 1 and Form 1 A, where public consultation is not necessary and the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee shall be placed before the competent authority for a final decision within the next fifteen days .The prescribed procedure for appraisal is given in Appendix V ;

7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects:

All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects or for the modernization of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology or involving a change in the product –mix shall be made in Form I and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence

necessary including preparation of EIA and public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

8.Grant or Rejection of Prior Environmental Clearance (EC):

(i) The regulatory authority shall consider the recommendations of the EAC or SEAC concerned and convey its decision to the applicant within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned or in other words within one hundred and five days of the receipt of the final Environment Impact Assessment Report, and where Environment Impact Assessment is not required, within one hundred and five days of the receipt of the complete application with requisite documents, except as provided below.

(ii) The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. In cases where it disagrees with the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty days.

(iii) In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iv) On expiry of the period specified for decision by the regulatory authority under paragraph (i) and (ii) above, as applicable, the decision of the regulatory authority, and the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be public documents.

(v) Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.

(vi) Deliberate concealment and/or submission of false or misleading information or data which is material to screening or scoping or appraisal or decision on the application shall make the application liable for rejection, and cancellation of prior environmental clearance granted on that basis. Rejection of an application or cancellation of a prior environmental clearance already granted, on such ground, shall be decided by the regulatory authority, after giving a personal hearing to the applicant, and following the principles of natural justice.

2900 GI/2006—6B

43 42

9. Validity of Environmental Clearance (EC):

The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub paragraph (iv) of paragraph 7 above, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects (item 1(c) of the Schedule), project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects and activities. However, in the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer. This period of validity may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of five years provided an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form 1, and Supplementary Form 1A, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule). In this regard the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as the case may be.

10. Post Environmental Clearance Monitoring:

(i) It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1st June and 1st December of each calendar year.

(ii) All such compliance reports submitted by the project management shall be public documents. Copies of the same shall be given to any person on application to the concerned regulatory authority. The latest such compliance report shall also be displayed on the web site of the concerned regulatory authority.

11. Transferability of Environmental Clearance (EC):

A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.

12. Operation of EIA Notification, 1994, till disposal of pending cases:

From the date of final publication of this notification the Environment Impact Assessment (EIA) notification number S.O.60 (E) dated 27th January, 1994 is hereby superseded, except in suppression of the things done or omitted to be done before such suppression to the extent that in case of all or some types of applications made for prior environmental clearance and pending on the date of final publication of this notification, the Central Government may relax any one or all provisions of this notification except the list of the projects or activities requiring prior environmental clearance in Schedule I , or continue operation of some or all provisions of the said notification, for a period not exceeding one year from the date of issue of this notification.

SCHEDULE

(See paragraph 2 and 7)

LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
1		**Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(a)	Mining of minerals	≥ 50 ha. of mining lease area Asbestos mining irrespective of mining area	<50 ha ≥ 5 ha .of mining lease area.	General Condition shall apply Note Mineral prospecting (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey
1(b)	Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production	All projects		Note Exploration Surveys (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey
1(c)	River Valley projects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area	(i) < 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation; (ii) < 10,000 ha. of culturable command area	General Condition shall apply
1(d)	Thermal Power Plants	≥ 500 MW (coal/lignite/naphta & gas based); ≥ 50 MW (Pet coke diesel and all other fuels -)	< 500 MW (coal/lignite/naptha & gas based); <50 MW ≥ 5MW (Pet coke ,diesel and all other fuels)	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(e)	Nuclear power projects and processing of nuclear fuel	All projects		
2		**Primary Processing**		
2(a)	Coal washeries	≥ 1 million ton/annum throughput of coal	<1million ton/annum throughput of coal	General Condition shall apply (If located within mining area the proposal shall be appraised together with the mining proposal)
2 (b)	Mineral beneficiation	≥ 0.1million ton/annum mineral throughput	< 0.1million ton/annum mineral throughput	General Condition shall apply (Mining proposal with Mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance)

3		**Materials Production**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)	a)Primary metallurgical industry All projects b) Sponge iron manufacturing ≥ 200TPD c)Secondary metallurgical processing industry All toxic and heavy metal producing units ≥ 20,000 tonnes /annum	Sponge iron manufacturing <200TPD Secondary metallurgical processing industry i.)All toxic andheavymetal producing units <20,000 tonnes /annum ii.)All other non –toxic secondary metallurgical processing industries >5000 tonnes/annum	General Condition shall apply for Sponge iron manufacturing
3(b)	Cement plants	≥ 1.0 million tonnes/annum production capacity	<1.0 million tonnes/annum production capacity. All Stand alone grinding units	General Condition shall apply

47

4		**Materials Processing**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4(a)	Petroleum refining industry	All projects	-	-
4(b)	Coke oven plants	≥2,50,000 tonnes/annum -	<2,50,000 & ≥25,000 tonnes/annum	-
4(c)	Asbestos milling and asbestos based products	All projects	-	-
4(d)	Chlor-alkali industry	≥300 TPD production capacity or a unit located out side the notified industrial area/ estate	<300 TPD production capacity and located within a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply No new Mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempted from this Notification
4(e)	Soda ash Industry	All projects	-	-
4(f)	Leather/skin/hide processing industry	New projects outside the industrial area or expansion of existing units out side the industrial area	All new or expansion of projects located within a notified industrial area/ estate	Specific condition shall apply
5		**Manufacturing/Fabrication**		
5(a)	Chemical fertilizers	All projects	-	-
5(b)	Pesticides industry and pesticide specific intermediates (excluding formulations)	All units producing technical grade pesticides	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(c)	Petro-chemical complexes (industries based on processing of petroleum fractions & natural gas and/or reforming to aromatics)	All projects -	-	-
5(d)	Manmade fibres manufacturing	Rayon	Others	General Condition shall apply
5(e)	Petrochemical based processing (processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes)	Located out side the notified industrial area/ estate -	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)	Located out side the notified industrial area/ estate	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(g)	Distilleries	(i)All Molasses based distilleries (ii) All Cane juice/ non-molasses based distilleries ≥30 KLD	All Cane juice/non-molasses based distilleries – <30 KLD	General Condition shall apply
5(h)	Integrated paint industry	-	All projects	General Condition shall apply

49

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(i)	Pulp & paper industry excluding manufacturing of paper from waste paper and manufacture of paper from ready pulp with out bleaching	Pulp manufacturing and Pulp& Paper manufacturing industry -	Paper manufacturing industry without pulp manufacturing	General Condition shall apply
5(j)	Sugar Industry	- -	≥ 5000 tcd cane crushing capacity	General Condition shall apply
5(k)	Induction/arc furnaces/cupola furnaces 5TPH or more	- -	All projects	General Condition shall apply
6		**Service Sectors**		
6(a)	Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery/ petrochemical products), passing through national parks /sanctuaries/coral reefs /ecologically sensitive areas including LNG Terminal	All projects -		-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6(b)	Isolated storage & handling of hazardous chemicals (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSIHC Rules 1989 amended 2000)	-	All projects	General Condition shall apply
7		**Physical Infrastructure including Environmental Services**		
7(a)	Air ports	All projects	-	-
7(b)	All ship breaking yards including ship breaking units	All projects	-	-
7(c)	Industrial estates/ parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes.	If at least one industry in the proposed industrial estate falls under the Category A, entire industrial area shall be treated as Category A, irrespective of the area. Industrial estates with area greater than 500 ha. and housing at least one Category B industry.	-Industrial estates housing at least one Category B industry and area <500 ha. Industrial estates of area> 500 ha. and not housing any industry belonging to Category A or B.	Special condition shall apply Note: Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance.
7(d)	Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)	All integrated facilities having incineration &landfill or incineration alone	All facilities having land fill only	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7(e)	Ports, Harbours	≥ 5 million TPA of cargo handling capacity (excluding fishing harbours)	< 5 million TPA of cargo handling capacity and/or ports/ harbours ≥10,000 TPA of fish handling capacity	General Condition shall apply
7(f)	Highways	i) New National High ways; and ii) Expansion of National High ways greater than 30 KM, involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition and passing through more than one State.	i) New State High ways; and ii) Expansion of National / State Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition.	General Condition shall apply
7(g)	Aerial ropeways		All projects	General Condition shall apply
7(h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)		All projects	General Condition shall apply
7(i)	Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF)		All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		Building /Construction projects/Area Development projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects		≥20000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs. of built-up area#	#(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area)
8(b)	Townships and Area Development projects.		Covering an area ≥ 50 ha and or built up area ≥1,50,000 sq .mtrs ++	++All projects under Item 8(b) shall be appraised as Category B1

Note:-

General Condition (GC):

Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries.

Specific Condition (SC):

If any Industrial Estate/Complex / Export processing Zones /Special Economic Zones/Biotech Parks / Leather Complex with homogeneous type of industries such as Items 4(d), 4(f), 5(e), 5(f), or those Industrial estates with pre -defined set of activities (not necessarily homogeneous, obtains prior environmental clearance, individual industries including proposed industrial housing within such estates /complexes will not be required to take prior environmental clearance, so long as the Terms and Conditions for the industrial estate/complex are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the Terms and Conditions of prior environmental clearance, who may be held responsible for violation of the same throughout the life of the complex/estate).

[No. J-11013/56/2004-IA-II(I)]
R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.

APPENDIX I

(See paragraph – 6)

FORM 1

(I) **Basic Information**

Name of the Project:

Location / site alternatives under consideration:

Size of the Project: *

Expected cost of the project:

Contact Information:

Screening Category:

- *Capacity corresponding to sectoral activity (such as production capacity for manufacturing, mining lease area and production capacity for mineral production, area for mineral exploration, length for linear transport infrastructure, generation capacity for power generation etc.,)*

(II) Activity

1. Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
1.1	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan)		
1.2	Clearance of existing land, vegetation and buildings?		
1.3	Creation of new land uses?		
1.4	Pre-construction investigations e.g. bore houses, soil testing?		
1.5	Construction works?		
1.6	Demolition works?		
1.7	Temporary sites used for construction works or housing of construction workers?		
1.8	Above ground buildings, structures or earthworks including linear structures, cut and fill or excavations		
1.9	Underground works including mining or tunneling?		
1.10	Reclamation works?		
1.11	Dredging?		
1.12	Offshore structures?		
1.13	Production and manufacturing processes?		

1.14	Facilities for storage of goods or materials?		
1.15	Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid effluents?		
1.16	Facilities for long term housing of operational workers?		
1.17	New road, rail or sea traffic during construction or operation?		
1.18	New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc?		
1.19	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements?		
1.20	New or diverted transmission lines or pipelines?		
1.21	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology of watercourses or aquifers?		
1.22	Stream crossings?		
1.23	Abstraction or transfers of water form ground or surface waters?		
1.24	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off?		
1.25	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning?		
1.26	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works?		
1.27	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment?		
1.28	Influx of people to an area in either temporarily or permanently?		
1.29	Introduction of alien species?		
1.30	Loss of native species or genetic diversity?		
1.31	Any other actions?		

2. **Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply):**

S.No.	Information/checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
2.1	Land especially undeveloped or agricultural land (ha)		

2.2	Water (expected source & competing users) unit: KLD		
2.3	Minerals (MT)		
2.4	Construction material – stone, aggregates, and / soil (expected source – MT)		
2.5	Forests and timber (source – MT)		
2.6	Energy including electricity and fuels (source, competing users) Unit: fuel (MT), energy (MW)		
2.7	Any other natural resources (use appropriate standard units)		

3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
3.1	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSIHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)		
3.2	Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases)		
3.3	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
3.4	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc.,		
3.5	Any other causes		

4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
4.1	Spoil, overburden or mine wastes		

4.2	Municipal waste (domestic and or commercial wastes)		
4.3	Hazardous wastes (as per Hazardous Waste Management Rules)		
4.4	Other industrial process wastes		
4.5	Surplus product		
4.6	Sewage sludge or other sludge from effluent treatment		
4.7	Construction or demolition wastes		
4.8	Redundant machinery or equipment		
4.9	Contaminated soils or other materials		
4.10	Agricultural wastes		
4.11	Other solid wastes		

5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
5.1	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources		
5.2	Emissions from production processes		
5.3	Emissions from materials handling including storage or transport		
5.4	Emissions from construction activities including plant and equipment		
5.5	Dust or odours from handling of materials including construction materials, sewage and waste		

5.6	Emissions from incineration of waste		
5.7	Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris)		
5.8	Emissions from any other sources		

6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data with source of information data
6.1	From operation of equipment e.g. engines, ventilation plant, crushers		
6.2	From industrial or similar processes		
6.3	From construction or demolition		
6.4	From blasting or piling		
6.5	From construction or operational traffic		
6.6	From lighting or cooling systems		
6.7	From any other sources		

7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
7.1	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials		
7.2	From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge)		
7.3	By deposition of pollutants emitted to air into the land or into water		
7.4	From any other sources		
7.5	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources?		

8. Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
8.1	From explosions, spillages, fires etc from storage, handling, use or production of hazardous substances		
8.2	From any other causes		
8.3	Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e.g. floods, earthquakes, landslides, cloudburst etc)?		

59 58

9. **Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality**

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
9.1	Lead to development of supporting. lities, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.: • Supporting infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.) • housing development • extractive industries • supply industries • other		
9.2	Lead to after-use of the site, which could havean impact on the environment		
9.3	Set a precedent for later developments		
9.4	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects		

(III) Environmental Sensitivity

S.No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value		

2	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests		
3	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration		
4	Inland, coastal, marine or underground waters		
5	State, National boundaries		
6	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas		
7	Defence installations		
8	Densely populated or built-up area		
9	Areas occupied by sensitive man-made land uses *(hospitals, schools, places of worship, community facilities)*		
10	Areas containing important, high quality or scarce resources *(ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)*		
11	Areas already subjected to pollution or environmental damage. *(those where existing legal environmental standards are exceeded)*		
12	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems *(earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)*		

(IV). Proposed Terms of Reference for EIA studies

APPENDIX II

(See paragraph 6)

FORM-1 A (only for construction projects listed under item 8 of the Schedule)

CHECK LIST OF ENVIRONMENTAL IMPACTS

(Project proponents are required to provide full information and wherever necessary attach explanatory notes with the Form and submit along with proposed environmental management plan & monitoring programme)

1. LAND ENVIRONMENT

(Attach panoramic view of the project site and the vicinity)

1.1. Will the existing landuse get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings? (Proposed landuse must conform to the approved Master Plan / Development Plan of the area. Change of landuse if any and the statutory approval from the competent authority be submitted). Attach Maps of (i) site location, (ii) surrounding features of the proposed site (within 500 meters) and (iii)the site (indicating levels & contours) to appropriate scales. If not available attach only conceptual plans.

1.2. List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.

1.3. What are the likely impacts of the proposed activity on the existing facilities adjacent to the proposed site? (Such as open spaces, community facilities, details of the existing landuse, disturbance to the local ecology).

1.4. Will there be any significant land disturbance resulting in erosion, subsidence & instability? (Details of soil type, slope analysis, vulnerability to subsidence, seismicity etc may be given).

1.5. Will the proposal involve alteration of natural drainage systems? (Give details on a contour map showing the natural drainage near the proposed project site)

1.6. What are the quantities of earthwork involved in the construction activity-cutting, filling, reclamation etc. (Give details of the quantities of earthwork involved, transport of fill materials from outside the site etc.)

1.7. Give details regarding water supply, waste handling etc during the construction period.

1.8. Will the low lying areas & wetlands get altered? (Provide details of how low lying and wetlands are getting modified from the proposed activity)

1.9. Whether construction debris & waste during construction cause health hazard? (Give quantities of various types of wastes generated during construction including the construction labour and the means of disposal)

2. WATER ENVIRONMENT

2.1. Give the total quantity of water requirement for the proposed project with the breakup of requirements for various uses. How will the water requirement met? State the sources & quantities and furnish a water balance statement.

2.2. What is the capacity (dependable flow or yield) of the proposed source of water?

2.3. What is the quality of water required, in case, the supply is not from a municipal source? (Provide physical, chemical, biological characteristics with class of water quality)

2.4. How much of the water requirement can be met from the recycling of treated wastewater? (Give the details of quantities, sources and usage)

2.5. Will there be diversion of water from other users? (Please assess the impacts of the project on other existing uses and quantities of consumption)

2.6. What is the incremental pollution load from wastewater generated from the proposed activity? (Give details of the quantities and composition of wastewater generated from the proposed activity)

2.7. Give details of the water requirements met from water harvesting? Furnish details of the facilities created.

2.8. What would be the impact of the land use changes occurring due to the proposed project on the runoff characteristics (quantitative as well as qualitative) of the area in the post construction phase on a long term basis? Would it aggravate the problems of flooding or water logging in any way?

2.9. What are the impacts of the proposal on the ground water? (Will there be tapping of ground water; give the details of ground water table, recharging capacity, and approvals obtained from competent authority, if any)

2.10. What precautions/measures are taken to prevent the run-off from construction activities polluting land & aquifers? (Give details of quantities and the measures taken to avoid the adverse impacts)

2.11. How is the storm water from within the site managed?(State the provisions made to avoid flooding of the area, details of the drainage facilities provided along with a site layout indication contour levels)

2.12. Will the deployment of construction labourers particularly in the peak period lead to unsanitary conditions around the project site (Justify with proper explanation)

2.13. What on-site facilities are provided for the collection, treatment & safe disposal of sewage? (Give details of the quantities of wastewater generation, treatment capacities with technology & facilities for recycling and disposal)

2.14. Give details of dual plumbing system if treated waste used is used for flushing of toilets or any other use.

3. VEGETATION

3.1. Is there any threat of the project to the biodiversity? (Give a description of the local ecosystem with it's unique features, if any)

3.2. Will the construction involve extensive clearing or modification of vegetation? (Provide a detailed account of the trees & vegetation affected by the project)

3.3. What are the measures proposed to be taken to minimize the likely impacts on important site features (Give details of proposal for tree plantation, landscaping, creation of water bodies etc along with a layout plan to an appropriate scale)

4. FAUNA

4.1. Is there likely to be any displacement of fauna- both terrestrial and aquatic or creation of barriers for their movement? Provide the details.

4.2. Any direct or indirect impacts on the avifauna of the area? Provide details.

4.3. Prescribe measures such as corridors, fish ladders etc to mitigate adverse impacts on fauna

5. AIR ENVIRONMENT

5.1. Will the project increase atmospheric concentration of gases & result in heat islands? (Give details of background air quality levels with predicted values based on dispersion models taking into account the increased traffic generation as a result of the proposed constructions)

5.2. What are the impacts on generation of dust, smoke, odorous fumes or other hazardous gases? Give details in relation to all the meteorological parameters.

5.3. Will the proposal create shortage of parking space for vehicles? Furnish details of the present level of transport infrastructure and measures proposed for improvement including the traffic management at the entry & exit to the project site.

5.4. Provide details of the movement patterns with internal roads, bicycle tracks, pedestrian pathways, footpaths etc., with areas under each category.

5.5. Will there be significant increase in traffic noise & vibrations? Give details of the sources and the measures proposed for mitigation of the above.

5.6. What will be the impact of DG sets & other equipment on noise levels & vibration in & ambient air quality around the project site? Provide details.

6. AESTHETICS

6.1. Will the proposed constructions in any way result in the obstruction of a view, scenic amenity or landscapes? Are these considerations taken into account by the proponents?

6.2. Will there be any adverse impacts from new constructions on the existing structures? What are the considerations taken into account?

6.3. Whether there are any local considerations of urban form & urban design influencing the design criteria? They may be explicitly spelt out.

6.4. Are there any anthropological or archaeological sites or artefacts nearby? State if any other significant features in the vicinity of the proposed site have been considered.

7. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

7.1. Will the proposal result in any changes to the demographic structure of local population? Provide the details.

7.2. Give details of the existing social infrastructure around the proposed project.

7.3. Will the project cause adverse effects on local communities, disturbance to sacred sites or other cultural values? What are the safeguards proposed?

8. BUILDING MATERIALS

8.1. May involve the use of building materials with high-embodied energy. Are the construction materials produced with energy efficient processes? (Give details of energy conservation measures in the selection of building materials and their energy efficiency)

8.2. Transport and handling of materials during construction may result in pollution, noise & public nuisance. What measures are taken to minimize the impacts?

8.3. Are recycled materials used in roads and structures? State the extent of savings achieved?

8.4. Give details of the methods of collection, segregation & disposal of the garbage generated during the operation phases of the project.

9. ENERGY CONSERVATION

9.1. Give details of the power requirements, source of supply, backup source etc. What is the energy consumption assumed per square foot of built-up area? How have you tried to minimize energy consumption?

9.2. What type of, and capacity of, power back-up to you plan to provide?

9.3. What are the characteristics of the glass you plan to use? Provide specifications of its characteristics related to both short wave and long wave radiation?

9.4. What passive solar architectural features are being used in the building? Illustrate the applications made in the proposed project.

9.5. Does the layout of streets & buildings maximise the potential for solar energy devices? Have you considered the use of street lighting, emergency lighting and solar hot water systems for use in the building complex? Substantiate with details.

9.6. Is shading effectively used to reduce cooling/heating loads? What principles have been used to maximize the shading of Walls on the East and the West and the Roof? How much energy saving has been effected?

9.7. Do the structures use energy-efficient space conditioning, lighting and mechanical systems? Provide technical details. Provide details of the transformers and motor efficiencies, lighting intensity and air-conditioning load assumptions? Are you using CFC and HCFC free chillers? Provide specifications.

9.8. What are the likely effects of the building activity in altering the micro-climates? Provide a self assessment on the likely impacts of the proposed construction on creation of heat island & inversion effects?

9.9. What are the thermal characteristics of the building envelope? (a) roof; (b) external walls; and (c) fenestration? Give details of the material used and the U-values or the R values of the individual components.

9.10. What precautions & safety measures are proposed against fire hazards? Furnish details of emergency plans.

9.11. If you are using glass as wall material provides details and specifications including emissivity and thermal characteristics.

9.12. What is the rate of air infiltration into the building? Provide details of how you are mitigating the effects of infiltration.

9.13. To what extent the non-conventional energy technologies are utilised in the overall energy consumption? Provide details of the renewable energy technologies used.

10. Environment Management Plan

The Environment Management Plan would consist of all mitigation measures for each item wise activity to be undertaken during the construction, operation and the entire life cycle to minimize adverse environmental impacts as a result of the activities of the project. It would also delineate the environmental monitoring plan for compliance of various environmental regulations. It will state the steps to be taken in case of emergency such as accidents at the site including fire.

APPENDIX III

(See paragraph 7

GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSENT DOCUMENT

S.NO	EIA STRUCTURE	CONTENTS
1.	Introduction	• Purpose of the report • Identification of project & project proponent • Brief description of nature, size, location of the project and its importance to the country, region • Scope of the study – details of regulatory scoping carried out (As per Terms of Reference)
2.	Project Description	• Condensed description of those aspects of the project (based on project feasibility study), likely to cause environmental effects. Details should be provided to give clear picture of the following: • Type of project • Need for the project • Location (maps showing general location, specific location, project boundary & project site layout)

		• Size or magnitude of operation (incl. Associated activities required by or for the project • Proposed schedule for approval and implementation • Technology and process description • Project description. Including drawings showing project layout, components of project etc. Schematic representations of the feasibility drawings which give information important for EIA purpose • Description of mitigation measures incorporated into the project to meet environmental standards, environmental operating conditions, or other EIA requirements (as required by the scope) • Assessment of New & untested technology for the risk of technological failure
3.	Description of the Environment	• Study area, period, components & methodology • Establishment of baseline for valued environmental components, as identified in the scope • Base maps of all environmental components
4.	Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures	• Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project • Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified • Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components • Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance, Assigning significance) • Mitigation measures
5.	Analysis of Alternatives (Technology & Site)	• In case, the scoping exercise results in need for alternatives: • Description of each alternative • Summary of adverse impacts of each alternative • Mitigation measures proposed for each alternative and • Selection of alternative

6.	Environmental Monitoring Program	• Technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures (incl. Measurement methodologies, frequency, location, data analysis, reporting schedules, emergency procedures, detailed budget & procurement schedules)
7.	Additional Studies	• Public Consultation • Risk assessment • Social Impact Assessment. R&R Action Plans
8.	Project Benefits	• Improvements in the physical infrastructure • Improvements in the social infrastructure • Employment potential –skilled; semi-skilled and unskilled • Other tangible benefits
9.	Environmental Cost Benefit Analysis	If recommended at the Scoping stage
10.	EMP	• Description of the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored, after approval of the EIA
11	Summary & Conclusion (This will constitute the summary of the EIA Report)	• Overall justification for implementation of the project • Explanation of how, adverse effects have been mitigated
12.	Disclosure of Consultants engaged	• The names of the Consultants engaged with their brief resume and nature of Consultancy rendered

APPENDIX III A
(See paragraph 7)

CONTENTS OF SUMMARY ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

The Summary EIA shall be a summary of the full EIA Report condensed to ten A-4 size pages at the maximum. It should necessarily cover in brief the following Chapters of the full EIA Report: -

1. Project Description
2. Description of the Environment
3. Anticipated Environmental impacts and mitigation measures
4. Environmental Monitoring Programme
5. Additional Studies
6. Project Benefits
7. Environment Management Plan

APPENDIX IV

(See paragraph 7)

PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District -wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

2. 0 **The Process:**

2.1 The Applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is extending beyond a State or Union Territory, the public hearing is mandated in each State or Union Territory in which the project is sited and the Applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.

2.2 The Applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the Ministry of Environment and Forests and to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

(a) District Magistrate/s
(b) Zila Parishad or Municipal Corporation
(c) District Industries Office
(d) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests

2.3 On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the above-mentioned authorities except the MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities. They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over. The Ministry of Environment and Forests shall promptly display the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report on its website, and also make the full draft EIA available for reference at a notified place during normal office hours in the Ministry at Delhi.

2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or panchayats etc. They shall also additionally

69 CS

make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices viz. Ministry of Environment and Forests. District Magistrate etc.

3.0 Notice of Public Hearing:

3.1 The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7(seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily. A minimum notice period of 30(thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses;

3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing.

3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and only on the recommendation of the concerned District Magistrate the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee;

3.4 In the above exceptional circumstances fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member –Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

4.0 The Panel

4.1 The District Magistrate or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

5.0 Videography

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

6.0 Proceedings

6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.

6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.

6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.

6.4 Every person present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the Applicant. The summary of the public

hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the Applicant shall also be prepared in the local language and in English and annexed to the proceedings.

6.6 The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate ,and the SPCB or UTPCC . The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings which may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the Applicant concerned.

7.0 **Time period for completion of public hearing**

7.1 The public hearing shall be completed within a period of 45 (forty five) days from date of receipt of the request letter from the Applicant. Therefore the SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within 8(eight) days of the completion of the public hearing .The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations.

7.2 If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45(forty five) days, the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this notification.

APPENDIX –V
(See paragraph 7)

PROCEDURE PRESCRIBED FOR APPRAISAL

1. The applicant shall apply to the concerned regulatory authority through a simple communication enclosing the following documents where public consultations are mandatory: -

- Final Environment Impact Assessment Report [20(twenty) hard copies and 1 (one) soft copy)]
- A copy of the video tape or CD of the public hearing proceedings
- A copy of final layout plan (20 copies)
- A copy of the project feasibility report (1 copy)

2. The Final EIA Report and the other relevant documents submitted by the applicant shall be scrutinized in office within 30 days from the date of its receipt by the concerned Regulatory Authority strictly with reference to the TOR and the inadequacies noted shall be communicated electronically or otherwise in a single set to the Members of the EAC

/SEAC enclosing a copy each of the Final EIA Report including the public hearing proceedings and other public responses received along with a copy of Form -1or Form 1A and scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the proposal .

3. Where a public consultation is not mandatory and therefore a formal EIA study is not required, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and a pre-feasibility report in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule .In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle , the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual plan and stipulate the conditions for environmental clearance . As and when the applicant submits the approved scheme /building plans complying with the stipulated environmental clearance conditions with all other necessary statutory approvals, the EAC /SEAC shall recommend the grant of environmental clearance to the competent authority.

4. Every application shall be placed before the EAC /SEAC and its appraisal completed within 60 days of its receipt with requisite documents / details in the prescribed manner.

5. The applicant shall be informed at least 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the project proposal.

6. The minutes of the EAC /SEAC meeting shall be finalised within 5 working days of the meeting and displayed on the website of the concerned regulatory authority. In case the project or activity is recommended for grant of EC, then the minutes shall clearly list out the specific environmental safeguards and conditions. In case the recommendations are for rejection, the reasons for the same shall also be explicitly stated.

APPENDIX VI

(See paragraph 5)

COMPOSITION OF THE SECTOR/ PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY A PROJECTS AND THE STATE/UT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACs) FOR CATEGORY B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

1. The Expert Appraisal Committees (EAC(s) and the State/UT Level Expert Appraisal Committees (SEACs) shall consist of only professionals and experts fulfilling the following eligibility criteria:

Professional: The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA/MSc Degree, or (ii) in case of Engineering /Technology/Architecture disciplines, 4 years formal training in a professional training course together with prescribed practical training in the field leading to a B.Tech/B.E./B.Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. Law) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/article ship and pass examinations conducted by the concerned professional association (e.g. Chartered Accountancy),or (v) a University degree , followed by 2 years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/IAS/IFS). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.

Expert: A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 15 years of relevant experience in the field, or with an advanced degree (e.g. Ph.D.) in a concerned field and at least 10 years of relevant experience.

Age: Below 70 years. However, in the event of the non-availability of /paucity of experts in a given field, the maximum age of a member of the Expert Appraisal Committee may be allowed up to 75 years

2. The Members of the EAC shall be Experts with the requisite expertise and experience in the following fields /disciplines. In the event that persons fulfilling the criteria of "Experts" are not available, Professionals in the same field with sufficient experience may be considered:

- **Environment Quality Experts**: Experts in measurement/monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality

- **Sectoral Experts in Project Management**: Experts in Project Management or Management of Process/Operations/Facilities in the relevant sectors.

- **Environmental Impact Assessment Process Experts**: Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process

- **Risk Assessment Experts**

- **Life Science Experts in floral and faunal management**
- **Forestry and Wildlife Experts**
- **Environmental Economics Expert with experience in project appraisal**

3. The Membership of the EAC shall not exceed 15 (fifteen) regular Members. However the Chairperson may co-opt an expert as a Member in a relevant field for a particular meeting of the Committee.

4. The Chairperson shall be an outstanding and experienced environmental policy expert or expert in management or public administration with wide experience in the relevant development sector.

5. The Chairperson shall nominate one of the Members as the Vice Chairperson who shall preside over the EAC in the absence of the Chairman /Chairperson.

6. A representative of the Ministry of Environment and Forests shall assist the Committee as its Secretary.

7. The maximum tenure of a Member, including Chairperson, shall be for 2 (two) terms of 3 (three) years each.

8. The Chairman / Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

73

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2009/पौष 29, 1930

No. 116] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2009/PAUSA 29, 1930

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2009

का.आ. 195(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा जारी पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में कतिपय संशोधन करने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर डाक द्वारा लिखित में सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को सम्बोधित करक या इलेक्ट्रानिक रूप से ई-मेल पता-secy-moef@nic.in पर ऐसा कर सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (V) के अधीन संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा जारी भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा यह निदेश देती है कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही नई परियोजनाओं या क्रिया-कलापों का अपेक्षित सन्निर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रिया-कलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी और या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार से या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा;

और पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उक्त अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन किया गया है ;

और राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अधिसूचना के लिए राज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने में हुए विलंब के परिणामस्वरूप अनुसूची के प्रवर्ग 'ख' की अनेक परियोजनाओं का केन्द्रीय स्तर पर आकलन किया जाना जारी है ;

और अनेक परियोजनाएं निर्देश निबंधन हेतु लंबित हैं ;

और अधिसूचना के उपबंधों के कार्यान्वयन के विषय में पिछले दो वर्ष के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर निर्देश निबंधनों और पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रक्रिया को और सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि किसी क्षेत्र में किसी प्रसंस्करण या प्रचालन में लगे किसी उद्योग पर प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित किया जाना चाहिए तो वह ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगी ;

अतः अब केन्द्रीय सराकर उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन अपेक्षानुसार यह प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित करती है जो उक्त अधिसूचना के अंतिम प्रकाश्न की तारीख से ही उसमें निम्नलिखित संशोधन करेगी, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(I) पैरा 2 में, उपपैरा (iii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"तथापि प्रदूषण भार में किसी वृद्धि के बिना या किसी अतिरिक्त जल या भूमि अपेक्षा के बिना आधुनिकीकरण या विस्तार प्रस्तावों इस अधिसूचना के उपबंध से छूट प्राप्त हैं :

परन्तु यह उल्लेख करते हुए कि प्रस्ताव में अतिरिक्त प्रदूषण भार, अपशिष्ट उत्पादन या जल अपेक्षा अंतर्विष्ट नहीं होगा, स्व प्रमाणपत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनियामक प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए ।";

(II) पैरा 2 के उपपैरा (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(7) एसईआईएए के सभी विनिश्चय बैठक में बहुमत द्वारा लिए जाएंगे ।";

(III) पैरा 4 के उपपैरा (iii) में, "सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी की अनुपस्थिति में कोई प्रवर्ग 'ख' परियोजना प्रवर्ग 'क' परियोजना समझी जाएगी" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी के अभाव में प्रवर्ग 'ख' परियोजना केन्द्रीय स्तर पर समझी जाएगी । तथापि प्रवर्ग 'ख' परियोजनाएं इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष के विस्तार तक छूट प्राप्त होगी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(IV) पैरा 7(i) में लोक परामर्श से संबंधित प्रक्रम (3) के उपपैरा (iii) के खंड (i) में,--

(i) मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(गग) निष्कर्षण परन्तु निष्कर्षित सामग्री का निपटान या ढेर पत्तन सीमाओं के भीतर किया जाएगा ।";

(ii) मद (घ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(घ) सभी भवन या संन्निर्माण परियोजनाएं या क्षेत्र विकास परियोजनाएं (जिसके अंतर्गत कोई प्रवर्ग 'क' परियोजनाएं या क्रियाकलाप नहीं है) और नगरीय परियोजनाएं (मद 8) ।";

(V) विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण के परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया से संबंधित पैरा 7(ii) के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"तथापि 50 प्रतिशत से अधिक की उत्पादन की वृद्धि वाली विस्तारण परियोजनाओं की दशा में लोक परामर्श करना अनिवार्य होगा और इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी ।";

(VI) पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति को मानिटर करने से संबंधित पैरा 10 में,-

(क) विद्यमान उपपैरा (i) को उपपैरा (ii) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपपैरा (ii) के पूर्व निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(i) परियोजना प्रस्तावक के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह पर्यावरणीय शर्तों और रक्षोपाय सहित अपनी परियोजना के लिए अनुदत्त पर्यावरणीय अनापत्ति को अपने खर्चे पर उस जिले या राज्य के, जहां परियोजना अवस्थित है कम से कम दो स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापित करके सार्वजनिक करें । यथास्थिति, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण भी पर्यावरणीय अनापत्ति को सरकारी पोटल पर लोक क्षेत्र में रखेगा । इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय अनापत्ति की प्रतियां

सरकार के सुसंगत कार्यालयों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगरपालिका निकायों के प्रधानों को भी पृष्ठांकित की जाएगी";

(ख) विद्यमान उपपैरा (ii) को उपपैरा (iii) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।

(VII) अनुसूची में,-

(i) मद 1(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(क)	(i) खनिजों का खनन । (ii) पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यानों/पक्षी उद्यान/प्रवाल भित्ती से होकर गुजरने वाली पतली पाइप लाइनें (कोयला लिग्नाइट और अन्य अयस्क)	**गैर कोयला खान पट्टे के संबंध में खनन पट्टा क्षेत्र का ≥ 50 है0 ।** कोयला खान पट्टे के संबंध में खनन पट्टा क्षेत्र का >150 है0 । खनन क्षेत्र पर ध्यान दिए बना एसवेस्टोज खनन ।	गैर कोयला खान पट्टे के संबंध में >50 हैक्टेयर ≥5 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र कोयला खान पट्टे के संबंध में खनन पट्टा क्षेत्र का ≤150 हैक्टेयर ≥5 है0 ।	साधारण शर्त लागू होगी । टिप्पण : खनिज पूर्वेक्षण को छूट दी जाती है ।";

(ii) मद 1(ग) के सामने स्तंभ (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"साधारण शर्त लागू होगी ।

टिप्पण : जल मग्नता या अंतरराज्यिक क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजनाओं को एसईआईएए द्वारा प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के रूप में निर्धारित किया जाएगा ।";

(iii) मद 1(घ) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"≥500 मेगावाट (कोयला लिगनाइट/नेफ्था गैस आधारित) ;

≥50 मेगावाट (पेट कोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन बायोमास के सिवाय) ;

>50 मेगावाट (ईंधन के रूप में बायोमास पर आधारित) ;

(ख) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"50 मेगावाट (कोयला लिगनाइट/नेफ्था गैस आधारित) ;

< 50 मेगावाट ≥5 मेगावाट (पेट कोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन बायोमास के सिवाय) ।";

(ख) स्तंभ (5) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"साधारण शर्त लागू होगी ।

टिप्पण :

(i) बायोमास आधारित और कोयला/लिगनाइट/ 15 प्रतिशत तक पेट्रोलियम उत्पाद जैसे आक्मीलरी ईंधन का उपयोग करके 50 मेगावाट तक विद्युत संयंत्र छूट प्राप्त है ।

(ii) गैर परिसंकटमय नगरपालिका अपशिष्ट आधारित 50 मेगावाट तक विद्युत संयंत्र छूट प्राप्त हैं ।

(iii) किसी एक्जलरी ईंधन के बिना अपशिष्ट ऊष्म बायलर का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र छूट प्राप्त हैं ।";

(iv) मद 3(क) के सामने, स्तंभ (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"साधारण शर्त लागू होगी ।

टिप्पण :

(i) एचएसएम नियमों के अंतर्गत आने वाली पुनःचक्रण औद्योगिक यूनिटें जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित हैं छूट प्राप्त हैं ।

(ii) गौण धातुकर्म प्रसंस्करण औद्योगिक इकाईयों की दशा में केवल वे परियोजनाएं जिनमें भट्टियों का प्रचालन अंतर्वलित है जैसे कि प्रेरण और विद्युत आर्क भट्टी, सबमर्ज आर्क भट्टी पूर्व उष्म भट्टी, पांच टन से अधिक उष्मता क्षमता वाली गुम्बदी और कोठाली भट्टी को पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी ।

(iii) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (अपरिसंकटमय) पर आधारित संयंत्र/इकाईयां छूट प्राप्त है ।";

(v) मद 4(ख) के सामने, स्तंभ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण शर्तें लागू होंगी ।";

(vi) मद 4(घ) के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(i) आकार पर ध्यान दिए बिना सभी परियोजनाएं यदि वे अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित हैं ।

(ii) <300 टीपीडी और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित ।";

(ख) स्तंभ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।";

(vii) मद 4(च) के सामने स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।";

(viii) मद 5(क) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"सभी परियोजनाएं, एकल सुपर फास्फेट को छोड़कर ।";

(ख) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"एकल सुपर फास्फेट ।";

(ix) मद 5(ङ) के सामने स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।";

(x) मद 5(च) के सामने, स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।";

(xi) मद 5(ट) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xii) मद 7(क) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"सभी परियोजनाएं, जिनके अंतर्गत ऐसी वायु पट्टियां भी हैं जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए हैं ।";

(ख) स्तंभ (5) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"टिप्पण :

1. ऐसी वायु पट्टियां जिनमें बंकर/पुनःईंधन भरण सुविधा सम्मिलित नहीं है और/या वायुमार्ग यातायात नियंत्रण छूट प्राप्त हैं ।

2. विमान पत्तन का आधुनिकीकरण छूट प्राप्त है परन्तु प्रदूषण भार में कोई वृद्धि नहीं है ।";

(xiii) मद 7(ग) के सामने, स्तंभ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।

टिप्पण :

1. 500 हे0 से कम क्षेत्र वाली औद्योगिक संपदा जिसमें प्रवर्ग क या प्रवर्ग ख का कोई उद्योग स्थित नहीं है को अनापत्ति अपेक्षित नहीं है ।

2. यदि क्षेत्र 500 हे0 से कम है किन्तु उसमें >50,000 वर्गमीटर के भवन और संन्निर्माण परियोजनाएं और/या 100 हे0 से अधिक विकास क्षेत्र अंतर्विष्ट है तो उसे यथास्थिति कार्यकलाप 8(क) या 8(ख) माना जाएगा ।

(xiv) मद 7(ङ) के सामने,-

(क) स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"पत्तन, बंदरगाह, तरंग रोध, तलकर्षण ।";

(ख) स्तंभ (5), में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :-

" साधारण शर्त लागू होगी ।

टिप्पण :

पत्तन या बंदरगाह और जलान्तराल के अंदर और बाहर झमाई शामिल हैं ।"

(xv) मद 7 (च) के सामने स्तंभ (4), की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी की जाएगी, अर्थात् :--

"पहाड़ी क्षेत्रों या पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की सभी राज्य राजमार्ग परियोजनाएं और राज्य राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं ।";

(xvi) मद संख्या 7 (छ) के सामने --

(क) स्तंभ (3), में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

81

" (i) 1000 मीटर और इससे ऊपर की ऊचांई पर स्थित सभी परियोजनाएं
(ii) अधिसूचित पारिस्थितिक क्षेत्रों में स्थित सभी परियोजना ।";

(ख) स्तंभ (4), में प्रविष्टि के स्थान निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : --
" स्तंभ (3), में आने वाली परियोजनाओं के सिवाय सभी परियोजनाएं ।";

(xvii) मद 8(क) के सामने स्तंभ (4), की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी :--

"$\geq$ 5000 वर्ग मीटर और
<150000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र #.";

(xviii) मद 8(ख), के सामने स्तंभ (4), प्रविष्टि के "$\geq$ 50 हैक्टेयर" के स्थान पर "$\geq$100 हैक्टेयर" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

(xix) अनुसूची के पश्चात् टिप्पण में साधारण शर्त (सा. श.) से संबंधित उपशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्रवर्ग 'ख' में विनिर्दिष्ट कोई परियोजना या क्रियाकलाप प्रवर्ग 'क' के रूप में समझा जाएगा यदि वह : (i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र ; (ii) समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र है ; (iii) पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जैसे महाबलेश्वर, पंचगनी, मथेरन, पंचमढ़ी दहानू, दून घाटी, आदि और (iv) अंर्तराज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 10 कि.मी. के भीतर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवस्थित हैं :

परंतु अंतरराज्यीय सीमाओं की 10 कि.मी.की दूरी से संबंधित अपेक्षा को, एक ही सीमा के संबद्ध राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के बीच करार द्वारा कम किया जा सकता है या पूरी तरह से हटाया जा सकता है ।

(VIII) परिशिष्ट 1 के प्ररूप 1 में, --

(क) आधारभूत जानकारी से संबंधित मद (I) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(I) आधारभूत जानकारी

क्रम संख्या	मद	ब्यौरे
1.	परियोजना/परियोजनाओं का नाम	
2.	अनुसूची में क्रम संख्या	
3.	प्रस्तावित क्षमता/क्षेत्र/लंबाई /उपयोग किए जाने वाले टन/समादेश क्षेत्र/पट्टाक्षेत्र/निष्कर्षी कुओं की संख्या	
4.	नया/विस्तार/आधुनिकीकरण	
5.	विद्यमान क्षमता/क्षेत्र आदि	
6.	परियोजना का प्रवर्ग अर्थात् 'क' या 'ख'	
7.	क्या इसे साधारण शर्त लागू होती है ? यदि हां, तो कृपया विनिदिष्ट करें ।	
8.	क्या इसे विनिर्दिष्ट शर्त लागू होती है ? यदि हां, तो कृपया विनिदिष्ट करें ।	
9.	स्थान प्लाट/सर्वे/ खसरा सं0 ग्राम तहसील जिला राज्य	
10.	आवेदक का नाम	
11.	रजिस्ट्रीकृत पता	
12.	पत्राचार का पता नाम पदनाम (स्वामी/भागीदार/सीईओ) पता पिन कोड ई मेल दूरभाष सं. फैक्स सं0	
13.	जांच की गई अनुकल्पी स्थल, यदि कोई हो, के ब्यौरे। इन स्थलों की अवस्थिति टापशीट पर दर्शाई जाए ।	ग्राम-जिला-राज्य 1. 2. 3.
14.	जुड़ी परियोजनाएं	
15.	क्या जुड़ी परियोजना के लिए पृथक आवेदन किया गया	

	है ।	
16.	यदि हां, प्रस्तुतीकरण की तारीख	
17.	यदि नहीं, कारण	
18.	क्या प्रस्ताव के लिए : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (ग) सी.आर.जेड अधिसूचना, 1991 के अधीन अनुमोदन/अनापत्ति की आवश्यकता है ।	
19.	अंतर्वलित वन भूमि (हैक्टेयर)	
20.	क्या परियोजना और/या भूमि जिसमें परियोजना का स्थापित किया जाना प्रस्तावित है के विरुद्ध कोई वाद लंबित है (क) न्यायालय का नाम (ख) वाद संख्या (ग) न्यायालय का आदेश/निदेश, यदि कोई है और प्रस्तावित परियोजना के लिए इसका महत्व	

(ख) अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

मैं यह वचन देता हूँ कि आवेदन और संलग्नकों में दिए गए आंकड़े और सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और मुझे यह जानकारी है कि यदि प्रस्तुत आंकड़े और सूचना का कोई भाग किसी प्रक्रम पर असत्य या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गई अनापत्ति, यदि कोई है, हमारे जोखिम और लागत पर प्रतिसंहृत की जाएगी ।

तारीख :
स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम और पूरा पता
(परियोजना प्रस्तावक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टिप्पण :

1. तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के अधीन अनापत्ति वाली परियोजनाएं आवेदन के साथ परियोजना क्रिया कलाप, डब्लू आर टी, सी आर जैड दर्शाते हुए एक प्राधिकृत अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से रेखांकित सी आर जैड नक्शा और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण की सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी । सी आर जैड में की जाने वाली क्रियाकलापों के

लिए सी आर जैड अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए भी साथ साथ कारवाई की जाएगी ।

2. राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारणय, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बन्य पशुओं के प्रवासी कारीडोर की 10कि.मी. के भीतर स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक इन लक्षणों के साथ साथ परियोजना अवस्थिति दर्शाते हुए मुख्य वन प्राणी वार्डन द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित नक्शा और उस पर मुख्य वन प्राणी वार्डन की सिफारिशें या टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा ।";

(Ix) **परिशिष्ट 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्** :-- -

"परिशिष्ट 4
(पैरा 7 देखिए)

लोक सुनवाई को संचालित करने के लिए प्रक्रिया

1.0 लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परियोजना स्थल (स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध, समयबद्ध या पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी ।

2.0 प्रक्रिया :

2.1 आवेदक, उस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, विहित कानूनी अवधि के भीतर लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एक सादा पत्र के माध्यम से अनुरोध करेगा । यदि परियोजना स्थल एक से अधिक जिले या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है तो प्रत्येक जिला, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें परियोजना स्थित है, लोक सुनवाई आज्ञापक है और आवेदक, इस प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण समिति को पृथक अनुरोध करेगा ।

2.2 आवेदक, अनुरोध पत्र के साथ प्ररूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की कम से कम दस हार्ड प्रतियां और उसी के बराबर सॉफ्ट (इलैक्ट्रानिक)प्रतियां, परिशिष्ट 3 में दी गई सामान्य संरचना सहित (जिसके अंतर्गत विस्तार(प्रक्रम 2) के पश्चात् संसूचित किए गए सौंपे गए कृत्यों के अनुसार निर्बाध रूप से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तैयार की गई संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट सम्मिलित है) संलग्न की जाएगी । इसके साथ-साथ आवेदक संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ ऊपर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की हार्ड प्रति और एक

सॉफ्ट प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा निम्नलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों को जिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा :

(क) जिला मजिस्ट्रेट
(ख) जिला परिषद या नगर निगम
(ग) जिला उद्योग कार्यालय
(घ) शहरी स्थानीय निकाय /संबद्ध पी आर आई
(ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंधित प्रादेशिक कार्यालय

2.3 ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के सिवाय, प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति पर अपनी अधिकारिता के भीतर उसमें हितबद्ध व्यक्तियों से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अपनी टीका-टिप्पणियां भेजने का अनुरोध करते हुए, विस्तृत प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे । वे लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान जनता को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण करने के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे ।

2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजना की बाबत प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेगी और चयनित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या किसी अन्य उपयुक्त स्थानों आदि में निरीक्षण के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट (परिशिष्ट 3क) का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी । वे जैसा पैरा 2.2 में वर्णित है, उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों/कार्यालयों, को अतिरिक्त रूप प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति से भी उपलब्ध कराएंगे ।

3.0 **लोक सुनवाई की सूचना**

3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव परियोजना सलाहकार से प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई संचालित करने के लिए तारीख, समय और निश्चित स्थान को अंतिम रूप देगा और उसको मुख्य राष्ट्रीय दैनिक में और एक प्रादेशिक भाषा /राज्य की राजभाषा के दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापित करेगा । जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम कम तीस दिनों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ;

3.2 विज्ञापन, जनता को उन स्थानों या कार्यालयों की बाबत भी सूचित करेगा जहां प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार तक सुनवाई से पूर्व जनता की पहुंच हो सके । ऐसे स्थानों को जहाँ समाचार पत्र नहीं पहुंचते हैं, सक्षम प्राधिकारी को ढोल बजाकर और रेडियो/टेलीविजन पर विज्ञापन /घोषणा द्वारा जैसे अन्य माध्यमों से जनता को आम जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवांछित आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर किया आस्थगन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा ;

3.4 ऊपर आपवादिक परिस्थितियों में, केवल जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य - सचिव लोक परामर्श के लिए नई तारीख, समय और स्थान का विनिश्चय किया जाएगा और ऊपर 3.1 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से अधिसूचित किया जाएगा ।

4.0 **पैनल**

जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर/उप आयुक्त या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से समपूर्ण लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा ।

5.0 **वीडियोग्राफी**

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी । संबंधित विनियामक प्राधिकरण को इसे अग्रेषित करते समय विडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी लोक सुनवाई कार्रवाईयों के साथ संलग्न की जाएगी ।

6.0 **कार्यवाहियां**

6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो स्थल पर विद्यमान हैं, अंतिम कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.2 कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए उपस्थिति हेतु कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।

6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, परियोजना और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियां आरंभ करेगा ।

6.4 स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों को, आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा । लोक सुनवाई कार्यवाहियों का संक्षिप्त सार ठीक रूप से प्रदर्शित करते हुए अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त चिंताओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र

प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रांतीय भाषा में अंतर्वस्तुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को पढ़कर सुनाया जाएगा तथा करार पाए गए कार्यवृत्त पर उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रेषित किया जाएगा ।

6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और आवेदक की टीका-टिप्पणियों को भी, यथास्थिति, स्थानीय भाषा या राज्य की राजभाषा में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.6 लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को उस पंचायत घर के कार्यालय पर, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, संबंधित जिला परिषद्, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्यालय में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति साधारण जानकारी के लिए अपने वेबसाइट पर कार्यवाहियों को प्रदर्शि भी करेगी । कार्यवाहियों पर टीका-टिप्पणियों को, यदि कोई हों, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों और संबंधित आवेदक को प्रत्यक्षतः भेजी जा सकेगी ।

7.0 **लोक सुनवाई को पूरा करने के लिए कालावधि**

7.1 लोक सुनवाई आवेदक से अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी । इसके पश्चात् संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को भेजेगी । आवेदक, उन समुत्थानों को संबोधित करते हुए कार्रवाई योजना और वित्तीय आबंटन मद-वाद के साथ लोक सुनवाई में व्यक्त चिंताओं को सम्मिलित करते हुए लोक सुनवाई और लोक परामर्श के पश्चात् तैयार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात रिपोर्ट या प्रारूप पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर अनुपूरक रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण की, अनुमोदित लोक सुनवाई कार्यवाहियों की एक प्रति प्रत्यक्षतः भी अग्रेषित करेगा ।

7.2 **यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, नियत पैंतालीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई करने में असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रवर्ग 'क' परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और प्रवर्ग ख परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राज्य पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अनुरोध पर, किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकरण को इस अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोजित करेगी ।";**

(x) परिशिष्ट 5 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"3. जहा काइ लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है वहां आकलन अनुसूची की मद 8 के अलावा सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में विहित आवेदन प्रारूप 1 और ईआईए रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा । अनुसूची की मद 8 की दशा में इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुए संबद्ध पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति प्ररूप 1 प्ररूप -1क और धारणा योजना के आधार पर सभी प्रवर्ग ख परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आकलन

करेंगी और परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति देने या अन्यथा के अनुमोदन के बारे में सिफारिश करेगी और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तों का भी अनुबंध करेगी ।" ।

[सं. जे-11013/56/2004-I ए. II (I)]

जे. एम. माऊसकर, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनको का. आ. 1737 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2009

S.O. 195(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, issued vide number.O. 1533(E), dated the14th September, 2006, is hereby published as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003 or electronically at email address: secy-moef@nic.in.

Draft Notification

Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the implementation of the provisions of the said notification has been reviewed by the Ministry of Environment and Forests;

And whereas, as a result of the delay in submission of the proposals by the States for notification of the State level Environment Impact Assessment Authority, a

number of projects in Category 'B' of the Schedule continue to be appraised at the Central level;

And whereas, a number of projects are pending for award of Terms of Reference;

And whereas, the need for further streamlining of the procedure for consideration of proposals for Terms of Reference and environmental clearance has been felt on the basis of experience gained during the past two years on the implementation of provisions of the notification;

And whereas, clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby publishes this draft notification as required under sub-rule 3 of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986, which shall on and from the date of its final publication make the following amendments in the said notification, namely:—

In the said notification,—

(I). in para 2, after sub-para (iii), the following shall be inserted; namely:—

"However, modernization or expansion proposals without any increase in pollution load and, or without any additional water and or land requirement are exempted from the provisions of this notification:

Provided that, a self certification, stating that the proposal shall not involve any additional pollution load, waste generation or water requirement, be submitted to the regulatory authority by the project proponent.";

(II) in para 3, for sub-para (7), the following shall be substituted, namely:—

"(7) All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting by majority.";

(III) in para 4, in sub-para (iii), for the words and letters "In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project", the words and letters "In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category "B" project shall be considered at the

Central Level. However, Category 'B' projects are exempt from scoping for three years from the date of issue of this notification" shall be substituted;

(IV) in para 7(i), in sub-para III Relating to Stage (3)- Public Consultation, in clause (i),—

(i) after item (c), the following item shall be inserted, namely:—

"(cc) dredging provided the dredged material shall be disposed or dumped within port limits.";

(ii) for item (d), the following item shall be substituted, namely:—

"(d) All Building or Construction projects or Area Development projects (which do not contain any category 'A' projects and activities) and Townships (item 8).";

(V) in para 7(ii) relating to prior environmental clearance (EC) process for expansion or modernization or change of product mix in existing projects, the following shall be inserted at the end, namely:—

"However, in case of expansion projects involving enhancement of production by more than 50%, holding of public consultation shall be essential and no exemption in this regard shall be provided.";

(VI) In para 10 relating to Post Environmental Clearance Monitoring,-

(a) The existing sub-para (i) shall be renumbered as sub-para (ii) and before sub-para (ii) as so re-numbered, the following sub-para shall be inserted namely;

"(i) It shall be mandatory for the project proponent to make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by advertising it at least in two local newspapers of the district or State where the project is located. The Ministry of Environment and Forests and the State or UT Environmental Impact Assessment Authorities (SEIAAs), as the case may be, shall also place the environmental clearance in the public domain on Government portal. Further, copies of the environmental clearance shall be endorsed to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government";

(b) existing sub-para (ii) shall be renumbered as sub-para (iii).

(VII) **in the Schedule,—**

(i) for item 1(a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(a)	(i)Mining of minerals. (ii)Slurry pipelines (coal lignite and other ores) passing through national parks/ sanctuaries/ coral reefs, ecologically sensitive areas.	**≥50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease.** >150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease. Asbestos mining irrespective of mining area.	**< 50 ha ≥ 5 ha of mining lease area in respect of non coal mine lease.** ≤ 150 ha ≥ 5 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.	General Condition shall apply. Note: Mineral prospecting is exempted.";

(ii) against item 1(c), for the entries in column (5), the following entries shall be substituted, namely:—

"General Condition shall apply.

"Note: Irrigation projects not involving submergence or inter-state domain shall be appraised by the SEIAA as Category 'B' Projects.";

(iii) against item 1(d),—

(a) in column (3), for the entries, the following entries shall be substituted, namely—

"≥ 500MW(coal/lignite/naphta and gas based);
≥ 50MW (Pet coke diesel and all other fuels except biomass);
>50MW (based on biomass as fuel).";

(b) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"50MW(coal/lignite/naphta and gas based);
<50 MW ≥ 5 MW (Pet coke, diesel and all other fuels except biomass).";

(b) in column (5), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"General Condition shall apply.

Note:

(i) **Power plants upto 50 MW, based on biomass and using auxillary fuel such as coal / lignite / petroleum products upto 15% are exempt.**

(ii) **Power plants upto 50 MW, based on non-hazardous municipal waste are exempt.**

(iii) **Power plants using waste heat boiler without any auxillary fuel are exempt.";**

(iv) againist item 3(a), in column (5), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"General condition shall apply.

Note:

(i) The recycling industrial units covered under HSM Rules, which require registration are exempted.

(ii) In case of secondary metallurgical processing industrial units only those projects involving operation of furnaces such as induction and electric arc furnace, submerged arc furnace, pre heating furnace, cupola and crucible furnace with capacity more than 5 tonnes per heat would require environmental clearance.

(iii) Plant / units based on municipal solid waste (non-hazardous) are exempted.";

(v) against item 4(b), in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General conditions shall apply.";

(vi) against item 4(d),—

(a) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"(i) All projects irrespective of the size if it is located in a Notified Industrial Area/Estate.

(ii) < 300 TPD and located outside a Notified Industrial Area/ Estate.";

(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General as well as specific conditions shall apply.";

(vii) against item 4(f), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General as well as specific conditions shall apply.";

(viii) against item 5(a),—

(a) in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"All projects except Single Super Phosphate.";

(b) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Single Super Phosphate.";

(ix) against item 5(e), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General as well as specific conditions shall apply.";

(x) against item 5(f), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General and specific conditions shall apply. ";

(xi) item 5(k) and the entries relating thereto shall be omitted;.

(xii) against item 7(a),—

(a) in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"All projects including airstrips, which are for commercial use.";

(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Note:

1. **Air strips, which do not involve bunkering/ refueling facility and or Air Traffic Control, are exempted.**
2. **Modernization of airport is exempted provided there is no increase in pollution load." ;**

(xiii) against item 7(c), in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General as well as specific conditions shall apply.

Note:

1. Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance.
2. If the area is less than 500 ha. but contains building and construction projects > 50,000 Sq. mtr. and or development area more than 100 ha it will be treated as activity 8(a) or 8(b) as the case may be.

(xiv) against item 7(e),—

(a) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Ports, harbors, break waters, dredging.";

(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

" General Condition shall apply.
Note:
Dredging inside and outside the ports or harbors and channels are included.";

(xv) against item 7(f), in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"All State Highway projects and State Highway expansion projects in hilly terrain or in ecologically sensitive areas.";

(xvi) against item 7(g),—

(a) in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"(i) All projects located at altitude of 1,000 mtr. and above.
(ii) All projects located in notified ecologically sensitive areas.";

(b) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"All projects except those covered in column (3).";

(xvii) against item 8(a), in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"≥ 50000 sq.mtrs and
<1,50,000 sq.mtrs. of builtup area";

(xviii) against item 8(b), in column (4), for the entry "≥50 ha", substitute the entry "≥100ha.";

(xix) after the Schedule, in the 'Note', for sub-heading relating to 'General Condition (GC)', the following shall be substituted, namely:—

"Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category 'A', if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected areas notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972; (ii) Critically polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, such as, Mahabaleshwar Panchgani, Matheran, Pachmarhi, Dahanu, Doon Valley, etc., and (iv) inter-State boundaries and international boundaries:

Provided that the requirement regarding distance of 10 km of the inter-State boundaries can be reduced or completely done away with by an agreement between the respective States or U.Ts sharing the common boundary.

(VIII) in the Appendix I, in Form I,—

(a) for item (I) relating to the Basic Information, the following shall be substituted, namely:—

"(I) Basic Information

S.No.	Item	Details
1.	Name of the project/s	
2.	S.No. in the schedule	
3.	Proposed capacity/area/length/tonnage to be handled/command area/lease area/number of wells to be drilled	
4.	New/Expansion/Modernization	
5.	Existing Capacity/Area etc.	
6.	Category of Project i.e. 'A' or 'B'	
7.	Does it attract the general condition? If yes,	

95

	please specify.	
8.	Does it attract the specific condition? If yes, please specify.	
9.	Location	
	Plot/Survey/Khasra No.	
	Village	
	Tehsil	
	District	
	State	
10.	Name of the applicant	
11.	Registered Address	
12.	Address for correspondence :	
	Name	
	Designation (Owner/Partner/CEO)	
	Address	
	Pin Code	
	E-mail	
	Telephone No.	
	Fax No.	
13.	Details of Alternative Sites examined, if any. Location of these sites should be shown on a toposheet.	Village-District-State 1. 2. 3.
14.	Interlined Projects	
15.	Whether separate application of interlined project has been submitted	
16.	If yes, date of submission	
17.	If no, reason	
18.	Whether the proposal involves approval/clearance under: (a) The Forest (Conservation) Act, 1980 (b) The Wildlife (Protection) Act, 1972 (c) The C.R.Z Notification, 1991	
19.	Forest land involved (hectares)	
20.	Whether there is any litigation pending against the project and/or land in which the project is propose to be set up (a) Name of the Court (b) Case No. (c) Orders/directions of the Court, if any and its relevance with the proposed project.	

(b) the following shall be inserted at the end, namely:—

"I hereby given undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information submitted is found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance give, if any to the project will be revoked at our risk and cost.

Date: ___________________

Place: ___________________

Signature of the applicant
With Name and Full Address
(Project Proponent / Authorised Signatory)

NOTE:

1. The projects involving clearance under Coastal Regulation Zone Notification, 1991 shall submit with the application a C.R.Z map duly demarcated by one of the authorized agencies, showing the project activities, w.r.t. C.R.Z and the recommendations of the State Coastal Zone Management Authority. Simultaneous action shall also be taken to obtain the requisite clearance under the provisions of the C.R.Z Notification, 1991 for the activities to be located in the CRZ.
2. The projects to be located within 10 km of the National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Migratory Corridors of Wild Animals, the project proponent shall submit the map duly authenticated by Chief Wildlife Warden showing these features vis-à-vis the project location and the recommendations or comments of the Chief Wildlife Warden thereon.";

(IX) **for Appendix IV, the following shall be substituted, namely:—**

"APPENDIX IV

(See paragraph 7)

PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District-wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

2. 0 The Process:

2.1 The applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is covering more than one District or State or Union Territory, the public hearing is mandated in each District, State or Union Territory in which the project is located and the applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.

2.2 The applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

(a) District Magistrate/s
(b) Zila Parishad or Municipal Corporation
(c) District Industries Office
(d) Urban Local Bodies (ULBs) / PRIs Concerned
(e) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests

2.3 On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the above-mentioned authorities except the Regional Office of MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities. They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over.

2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or any other suitable location etc. They shall also additionally make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices as given in para 2.2.

3.0 Notice of Public Hearing:

3.1 The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7 (seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily / Official State Language. A minimum notice period of 30 (thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses;

3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing. In places where the newspapers do not reach, the Competent Authority should arrange to inform the local public about the public hearing by other means such as by way of beating of drums as well as advertisement / announcement on radio / television.

3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and then only on the recommendation of the concerned District Magistrate, the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee;

3.4 In the above exceptional circumstances, fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member – Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

4.0 The Panel

4.1 The District Magistrate / District Collector / Deputy Commissioner or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

5.0 Videography

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

6.0 Proceedings

6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.

6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.

6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.

6.4 Persons present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the applicant. The summary of the

public hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the applicant shall also be prepared in the local language or the Official State language, as the case may be, and in English and annexed to the proceedings÷

6.6 The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate, and the SPCB or UTPCC. The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings, may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the applicant concerned.

7.0 Time period for completion of public hearing

7.1 The public hearing shall be completed within a period of forty five days from date of receipt of the request letter from the applicant. Thereafter the SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within eight days of the completion of the public hearing. The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations incorporating the concerns expressed in the public hearing along with action plan and financial allocation, item-wise, to address those concerns.

7.2 **If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45 (forty five) days, the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA or project proponent, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this Notification.";**

(X) in Appendix V, for para 3, the following para shall be substituted, namely:—

"3. Where a public consultation is not mandatory, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and EIA report, in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule. In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle, the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual

101

102

plan and make recommendations on the project regarding grant of environmental clearance or otherwise and also stipulate the conditions for environmental clearance.".

[No. J-11013/56/2004-I A. II (I)]

J. M. MAUSKAR, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजि. ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2008/चैत्र 4, 1930
No. 389] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2008/CHAITRA 4, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2008

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन के विनियम (दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत)

का.आ. 683(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. प्रस्तावना
2. परिभाषाएं
3. अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन के मानदण्ड
   3.1 निर्धारक तिथि
   3.2 नियमन के लिए पात्र बस्ती
   3.3 नियमन के लिए विचार नहीं की जाने वाली कॉलोनियों की प्रकृति
   3.4 गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले आवासीय भवन
   3.5 अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई
   3.6 विनियम जो संभ्रांत कॉलोनियों से संबद्ध नहीं हैं
4. नियमन की पद्धति
   4.1 रेजीडेंट सोसायटी का पंजीकरण
   4.2 रेजीडेंट सोसायटी के कार्य
   4.3 ले-आउट प्लान तैयार करना
   4.4 ले-आउट प्लान में संशोधन करना
   4.5 ले-आउट प्लान प्रस्तुत करने की अपेक्षाएं
   4.5.1 प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
   4.5.2 वर्तमान/प्रस्तावित ले-आउट प्लान के संबंध में सूचना
   4.5.3 वचनबंध-पत्र
5. नियमन के लिए स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई/पद्धति
   5.1 एक पृथक कक्ष (सेल) का सृजन
   5.2 ले-आउट प्लान की जांच
   5.3 सीमाओं को अंतिम रूप देना
   5.4 स्थानीय निकायों को ले-आउट प्लान अग्रेषित करना
   5.5 ले-आउट प्लान का अनुमोदन
   5.6 भूमि उपयोग परिवर्तन
   5.7 आदेश जारी करना
   5.8 भूमि की लागत
   5.9 जुर्माना
   5.10 विकास कार्य प्रारंभ करना

5.11 समय अनुसूची

6. नियमन के मानदण्ड/आधार

6.1 भूमि का हक

6.2 योजना मानदण्ड

6.3 मिश्रित उपयोग

6.4 लागत/विकास प्रभार की वसूली

7. विविध

7.1 संस्वीकृति देना या ठुकराना

7.2 दिशानिर्देशों के साथ पठित विनियम

7.3 समन्वय आदि रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा

1. प्रस्तावना

शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 05-10-2007 के पत्र द्वारा दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन हेतु संशोधित मार्गनिर्देश 2007 की सूचना दी है, जिसे 1994 की रिट याचिका सं. 725 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14-02-2006 के आदेशों और 1993 की सिविल रिट याचिका सं. 4771 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 27-2-2001 के आदेशों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। उच्च न्यायालय के आदेशों में मार्गनिर्देशों के अनुसार नियमित की जाने वाली कॉलोनियों की अधिसूचना और नियमों को तैयार करने की माँग की गई है।

2. परिभाषाएँ

(क) "वास्तुकार/नगर योजनाकार" ऐसा वास्तुकार जो वास्तुकला परिषद् में पंजीकृत हो और जिसके पास नगर योजना में ऐसी योग्यता हो जो नगर योजनाकार संस्थान, भारत की सदस्यता के लिए मान्य हो;

(ख) "संबंधित एजेंसी" से अभिप्राय ऐसे स्थानीय निकाय/दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.)/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार) अथवा किसी अन्य एजेन्सी से है, जो योजनाओं के नियमन/तैयार करने, क्रियान्वयन की प्रक्रिया और अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाली अनधिकृत कॉलानियों के नियमन के कार्य में सम्मिलित हो।

(ग) "बस्ती" शब्द से अभिप्राय संशोधित मार्गनिर्देश 2007/विनियमों में यथा निर्दिष्ट नियमन के उद्देश्य के लिए उन बस्तियों से है जो 31-3-2002 को विद्यमान थी तथा जो गाँव की आबादी के विस्तार के रूप में बनी हैं और जो गाँव की आबादी के लाल डोरा विस्तार के रूप में अधिसूचित नहीं हैं;

(घ) "आधारिक संरचना" से अभिप्राय उस आधारिक संरचना से है, जो 'सामाजिक आधारिक संरचना' जैसे जल आपूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, बिजली और कूड़ा निपटान, जिसका उल्लेख दिल्ली मुख्य योजना (एम.पी.डी.)-2021 के अध्याय-14 (भौतिक आधारिक संरचना) में हुआ है, से भिन्न है;

(ङ) "ले-आउट प्लान" से अभिप्राय: उस नक्शे से है जिसमें सभी विद्यमान (प्रस्तावित भी, यदि कोई हो) सड़कों की उनकी चौड़ाई सहित अवस्थिति, बिल्डिंग लाइन्स सहित प्लाटों की दिशाओं, नालों और सार्वजनिक सुविधाओं, यदि कोई हो, की अवस्थिति, सड़कों के स्थल के कुल क्षेत्रफल को दर्शाने वाला विवरण और यदि उपलब्ध हो, तो पार्को के लिए खुले स्थलों, खेल-मैदानों, मनोरंजनात्मक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों को दर्शाया गया हो;

(च) "रेजीडेंट्स सोसायटी" से अभिप्राय एक पंजीकृत रेजीडेट सोसायटी से है, जिसमें अनधिकृत कॉलोनी/आवास के सदस्य शामिल हैं, जो समन्वय, ले-आउट प्लान तैयार करने और नियमन की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में संबंधित एजेंसी से सम्पर्क करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(छ) "सर्विस रोड"–ऐसी रोड/लेन जिसकी व्यवस्था सर्विस उद्देश्यों के लिए प्लाट के पीछे या एक तरफ की गई है;

(ज) "साइट या प्लॉट"–ऐसा भूखण्ड जिसकी सीमाएँ निर्धारित हैं;

(झ) "सामाजिक आधारिक संरचना" से अभिप्राय उन सामाजिक आधारिक संरचना संबंधी सुविधाओं से है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल सुविधाओं एवं सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यकलापों और धार्मिक कार्यकलापों से संबंधित हैं;

(ञ) "स्ट्रीट" में कोई भी मार्ग, रोड, लेन, स्कवेयर, कोर्ट, गली, नाली, रास्ता चाहे वह आम रास्ता हो या न हो और चाहे यह बना हुआ हो या न हो, जिसके ऊपर आम जनता को चलने का अधिकार हो और चाहे वह किसी पुल या पक्के नदी पथ पर बना रोड वे या पैदल रास्ता हो, शामिल है;

(ट) "अनधिकृत कॉलोनी" से अभिप्राय ऐसी कॉलोनी/समीपस्थ विकास क्षेत्र से है, जहाँ ले-आउट प्लान, और/अथवा बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन के लिए संबंधित एजेंसी से कोई अनुमति प्राप्त न की गई हो;

3. अनधिकृत कॉलोनियों और बस्तियों के नियमन हेतु मानदण्ड

3.1 नियमन की निर्धारक (कट ऑफ) तिथि 31-3-2002 है।

3.2 ऐसे आवास जो गाँव की आबादी के विस्तार के रूप में बने है और जो गाँव के लाल डोरे से बाहर स्थित हैं, वे नियमन के लिए अनधिकृत कॉलोनियों की पद्धति के समान आधार पर नियमन के लिए पात्र होंगे।

3.3 निम्नलिखित प्रकार की कॉलोनियों अथवा उनके भाग पर नियमन हेतु विचार नहीं किया जाएगा :

(क) ऐसी अनधिकृत कॉलोनियाँ/कॉलोनियों के भाग/बस्तियां, जो अधिसूचित या आरक्षित वन क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं।

(ख) अनधिकृत/कॉलोनियां/कॉलोनियों के भाग/बस्तियां जो आधारिक-संरचना सुविधाओं की व्यवस्था में वाधा

उत्पन्न करती हैं, अथवा विद्यमान/प्रस्तावित रेलवे लाइनों; मुख्य योजना सड़कों और बड़ी/मुख्य जलपूर्ति और सीवरेज लाइनों के मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) के क्षेत्र में आती हैं।

(ग) अनधिकृत कॉलोनियां/बस्तियां, जिनमें नियमन योजना की औपचारिक घोषणा की तिथि को 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटों पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है। तथापि, उपर्युक्त कॉलोनियों में 31-3-2002 के बाद और नियमन योजना की औपचारिक घोषणा की तिथि तक बने प्लाटों को कॉलोनी की नियमन की पात्रता निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) अनधिकृत कॉलोनियां/कॉलोनियों के भाग/बस्तिया-जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1956 की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करती हैं।

3.4 समय-समय पर यथा संशोधित, दि.मु.यो.-2021 में निहित मिश्रित भूमि उपयोग विनियमों के अंतर्गत शामिल होने वाले आवासीय भवनों को छोड़कर, गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जा रहे आवासीय भवनों के संबंध में कोई नियमन नहीं किया जाएगा। इन कॉलोनियों के संबंध में दि.मु.यो.-2021 के खण्ड 15.3.4 में यथा-निर्धारित मिश्रित उपयोग सड़कों की अधिसूचना के लिए सर्वेक्षण करने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कॉलोनी को नियमित कॉलोनी माने जाने की अधिसूचना की तिथि से अथवा उस तिथि-जिससे कॉलोनी नियमन के लिए योग्य मानी जाएगी, से आरंभ होगी।

3.5 अनधिकृत कॉलोनियां/कालोनियों के भाग/बस्तियां जा नियमन की शर्तें पूरी नहीं करती हैं, में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा पैरा 16.2.3 में दी गई व्यवस्थाओं सहित दिल्ली मुख्य योजना में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार की जाएगी।

3.6 ये विनियम सार्वजनिक और निजी भूमि पर संभ्रांत वर्गों द्वारा बसायी गयी बस्तियों/अनधिकृत कॉलोनियों पर लागू नहीं होते।

4. नियमन के लिए प्रक्रिया

नियमन के लिए निम्नलिखित कदमों को अपनाया जाएगा:-

4.1 रेजीडेण्टस् सोसायटी का पंजीकरण

प्रत्येक अनधिकृत कॉलोनी/बस्ती के निवासी एक पंजीकृत रेजीडेण्ट्स सोसायटी (जिसे आगे रेजीडेण्ट सोसायटी कहा जाएगा) का गठन करेंगे। नियमन के मामले में विचार के लिए यह एक पूर्व-शर्त होगी। एक कॉलोनी में कई एसोसिएशनों के होने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, परंतु इन एसोसिएशनों को संयुक्त रूप से एक पंजीकृत रेजीडेण्टस् सोसायटी बनानी होगी। स्थानीय निकाय केवल ऐसी रेजीडेण्ट्स सोसायटियों को मान्यता देगा और उनसे बातचीत करेगा, जिसमें उस कॉलोनी के कम-से-कम 75 प्रतिशत निवासी उसके सदस्य हों।

4.2 रेजीडेण्ट्स सोसायटी निम्नलिखित कार्य करेगी:-

4.2.1.1 नियमन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मामलों में संबंधित अभिकरण के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

4.2.1.2 वास्तुकार/नगर योजनाकार के माध्यम से कॉलोनी का विद्यमान ले-आउट प्लान तैयार करना। तथापि, रेजीडेन्ट सोसायटी अपनी कॉलोनी के संबंध में संशोधित ले-आउट प्लान स्वैच्छिक रूप से भी जमा करा सकती है।

4.2.1.3 इस प्रकार तैयार किया गया ले-आउट प्लान रेजीडेण्ट सोसायटी द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत किया जाएगा और इसके साथ ही साथ रेजीडेण्ट सोसायटी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को भी ले-आउट प्लान की एक प्रति जमा कराएगी।

4.2.2 रेजीडेण्ट सोसायटी द्वारा ले-आउट प्लान के साथ पूर्ण विवरण जैसे प्लाट नं. और कॉलोनी के क्षेत्रफल सहित सदस्यों की पूर्ण सूची स्थानीय निकाय को जमा कराना होगा। रेजीडेण्ट्स सोसायटी का यह दायित्व होगा कि वह सामाजिक आधारिक संरचना की व्यवस्था करने हेतु कार्य करने के लिए संबंधित अभिकरण को जहां संभव हो, भूमि उपलब्ध कराए । जिन कॉलोनियों में सोसायटी द्वारा सामाजिक आधारिक संरचना के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकती, उन कॉलोनियों को ऐसी आधारिक-संरचना की व्यवस्था के बिना अपना काम चलाना होगा।

4.2.3 स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार/भारत संघ के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी कि वे उन निवासियों को वैकल्पिक स्थलों/फ्लैटों का आवंटन करें, जिन्हें खण्ड 3.3 में यथावर्णित नियमित नहीं हुई कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं/आधारिक-संरचना की व्यवस्था के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए विस्थापित किया गया हो।

4.2.4 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार रेजिडेंट सोसायटियों/व्यक्तियों से वसूल किए जाने वाले विकास प्रभारो/कार्यवाही शुल्क, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगी।

4.3 रेजिडेंट सोसायटी को ले-आउट प्लान और संशोधित ले-आउट प्लान का प्रस्ताव, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना होगा। यह उस विधि से और उतनी संख्या में प्रस्तुत करना होगा जिस रूप में रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उचित समझा जाए।

4.4 ले-आउट प्लान एक बार संस्वीकृत हो जाने पर रेजिडेंट सोसायटी उसकी मुद्रित प्रमाणित प्रति सोसायटी के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराएगी। संस्वीकृत ले-आउट प्लान में कोई भी अंतर एवं संशोधन संबंधित स्थानिय निकाय/दि.वि.प्रा. के अनुमोदन के अधीन होगा।

4.5 ले-आउट प्लान को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज

4.5.1 प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज :

अनधिकृत कालोनियों के नियमन हेतु आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

(i) खसरा संख्या सहित भूमि का ब्यौरा जिसके साथ स्थल नक्शा लगा हो जिसमें स्थल का वास्तविक विवरण दिया गया हो।

(ii) प्रमाण-पत्रों पर रेजिडेंट सोसायटी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/स्वामी और वास्तुकार/नगर योजनाकार के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए।

(iii) विनियमन हेतु आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया ले-आउट प्लान 1:1000 या बड़े पैमाने पर तैयार किया हुआ होना चाहिए और उसमें आगे के पैराग्राफ में दिया गया विवरण दर्शाया हुआ होना चाहिए।

4.5.2 **विद्यमान/प्रस्तावित ले-आउट प्लान पर प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित जानकारी :**

(i) स्वामित्व संबंधी स्थिति सहित स्थल की चारदीवारी और उससे सटी हुई भूमि;

(ii) समीपवर्ती क्षेत्र/सड़कों के संबंध में इस स्थल की स्थिति;

(iii) उन मार्गों के नाम जिनमें प्लॉट प्रस्तावित/विद्यमान हैं;

(iv) भूमि के उप विभाजन (सब डिवीजन) सहित उस पर प्लॉटों का उपयोग एवं स्थिति ;

(v) पहुंच मार्ग/रोड स्ट्रीट और उनकी चौड़ाई ;

(vi) नॉर्थ प्वाइंट ;

(vii) अन्य विद्यमान भौतिक विशेषताएं जैसे कुंए, नाले, वृक्ष आदि;

(viii) प्लान रेजिडेंट सोसायटी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और वास्तुकार/नगर योजनाकार द्वारा अधिप्रमाणित होना चाहिए।

4.5.3 **वचनबंध-पत्र**

रेजिडेंट्स सोसायटी को ले-आउट प्लान प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित वचनबंध-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

(i) वे शर्तों सहित अथवा शर्तों के बिना यथा अनुमादित ले-आउट प्लानों का पालन करेंगे।

(ii) वे सामाजिक-आधारिक संरचना के लिए उपलब्ध भूमि, यदि कोई हो, का हस्तांतरण दि.वि.प्रा. या दि. न.नि./नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के नाम में, नि:शुल्क रूप से, ऐसी सामाजिक आधारिक संरचना उपलब्ध कराने के लिए करेंगे।

5. **नियमन के लिए स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय/कार्य-पद्धति :**

5.1 स्थानीय निकायों/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार में, उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली अनधिकृत कालोनियों के नियमन से संबंधित कार्य को करने के लिए एक पृथक कक्ष बनाया जाएगा। रेजीडेंट सोसायटी द्वारा तैयार किया गया ले-आउट प्लान इस कक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

5.2 रेजिडेंट सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किए गए ले-आउट प्लान के प्राप्त होने पर स्थानीय निकाय अथवा दि.वि.प्रा. जैसी भी स्थिति हो, दो माह के अन्दर ले-आउट प्लान की जांच पूरी करेगा।

5.3 इसके साथ-साथ, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार सैटेलाइट/एरियल सर्वेक्षण चित्रों का प्रयोग करते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से तीन माह के अन्दर प्रत्येक निर्धारित कालोनी की सीमाओं को अंतिम रूप देगी।

5.4 संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा जांच किए गए ले-आउट प्लान पर सीमाएं निर्धारित किए जाने के बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, औपचारिक रूप से ले-आउट प्लान को अनुमोदन के लिए स्थानीय निकाय को भेजेगी।

5.5 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा चारदीवारियों के निर्धारण के पश्चात् ले-आउट प्लान की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संबंधित स्थानीय निकाय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदित किया जाएगा।

5.6 साथ ही साथ, स्थानीय निकाय मामले को नियमन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को और भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए दि.वि.प्रा. को भेजेगा।

5.7 भूमि उपयोग परिवर्तन और सभी अपेक्षित प्रभारों के भुगतान सहित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा औपचारिक आदेश अथवा नियमन जारी किया जाएगा।

5.8 सरकारी भूमि पर कॉलोनियों के संबंध में भूमि की लागत भूमि स्वामी एजेंसी की ओर से स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा एकत्रित की जाएगी। प्राप्त की गई राशि को संबंधित भूमि स्वामी एजेंसी के खाते में जमा किया जाएगा।

5.9 इसी तरह, स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा एकत्रित की जाने वाली जुर्माना राशि एक अलग फंड में जमा की जाएगी।

5.10 यदि यह संतुष्टि होती है कि कॉलोनियां अथवा उनके भाग-संशोधित दिशानिर्देश 2007 में निहित सामान्य सिद्धान्तों की पूर्ति करते हैं तो ले-आउट प्लान की प्राप्ति के तुरन्त बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार सार्वजनिक हित में कालोनियों में विकास कार्य और आधारिक सुविधाओं के संबर्धन को प्रारम्भ कर सकती है।

5.11 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगी कि भूमि उपयोग में परिवर्तन के अतिरिक्त नियमन की संपूर्ण-प्रक्रिया 6 माह के अन्दर पूरी होगी और रेजिडेंट सोसायटी द्वारा ले-आउट प्लान प्रस्तुत करने के 9 माह के अन्दर भूमि उपयोग में प्रभावी परिवर्तन के बाद औपचारिक नियमन हो जाएगा। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर उपराज्यपाल, दिल्ली पृथक कॉलोनियों के संबंध में समय-सीमा में छूट दे सकते हैं।

6. **नियमन के लिए मानदण्ड/आधार**

6.1 **भूमि का हक**

भूमि का हक देने के लिए, समुचित संशोधित दिशानिर्देश, 2007 तैयार करने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार दि.वि.प्रा. के प्रतिनिधियों के साथ वरीयत: 2 माह की समय-सीमा के अन्दर एक कमेटी का गठन करेगी।

6.2 **योजना मानदण्ड**

दि. मु.यो.—2021 के पैरा 4.2.2.2 (बी) में यथा निहित संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

6.3 **मिश्रित उपयोग**

दि.मु. यो.—2021 के संगत प्रावधान संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा मिश्रित उपयोग सड़कों (स्ट्रीट्स)/स्थानीय व्यावसायिक स्ट्रीट की घोषणा के आधार पर लागू होंगे।

6.4 **भूमि की लागत और विकास प्रभारों की वसूली**

यूनिट एरिया विधि के आधार पर सम्पत्ति कर की वसूली हेतु कॉलोनियों के वर्गीकरण के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा अपनाए गए मानदण्ड के आधार पर नियमितीकरण उद्देश्य हेतु, कॉलोनियों को मुख्यत: तीन समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जो कि निकटवर्ती नियोजित कॉलोनी की अपेक्षा दो स्तर कम से मानक पर आधारित है।

समूह I : श्रेणी सी एवं डी में अनधिकृत कॉलोनियां।

समूह II : श्रेणी ई एवं एफ में अनधिकृत कालोनियां।

समूह III : श्रेणी जी में अनधिकृत कॉलोनियां।

सरकारी भूमि की लागत निम्नानुसार वसूल की जाएगी :–

(क) **अविकसित सार्वजनिक/सरकारी भूमि हेतु :**

समूह-I की कालोनियों में :

कृषि भूमि की प्रचलित अधिग्रहण लागत (575 रुपए प्रति वर्ग मी.) + 100 वर्ग मीटर तक के प्लाट आकार हेतु 10 प्रतिशत जुर्माना राशि और 100 से 250 वर्ग मीटर तक के प्लाट साइज के लिए 25 प्रतिशत जुर्माना राशि, और 250 वर्गमीटर से बड़े प्लाट साइज के लिए 50 प्रतिशत जुर्माना राशि ।

समूह II की कालोनियों में :

कृषि भूमि की प्रचलित अधिग्रहण लागत में से 15 प्रतिशत घटाकर + 100 से 250 वर्गमीटर तक के प्लाट साइज के लिए 10 प्रतिशत जुर्माना राशि और 250 वर्ग मीटर से बड़े प्लाट साइज के लिए 25 प्रतिश जुर्माना राशि । 100 वर्ग मीटर तक के प्लाट साइज के लिए कोई जुर्माना राशि वसूल नहीं की जाएगी ।

समूह III की कालोनियों में :

कृषि भूमि की प्रचलित अधिग्रहण लागत में से 30 प्रतिशत घटाकर + 100 से 250 वर्ग मी. तक के प्लाट साइज के लिए 5 प्रतिशत जुर्माना राशि और 250 वर्ग मी. से बड़े प्लाट साइज के लिए 10 प्रतिशत जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। 100 वर्ग मीटर तक के प्लाट के लिए कोई जुर्माना राशि वसूल नहीं की जाएगी।

(ख) **विकसित सार्वजनिक भूमि/सरकारी भूमि हेतु :**

अधिसूचित भूमि-दर और जुर्माना राशि (100 वर्ग मीटर तक के प्लाट के लिए 10 प्रतिशत तथा 100 वर्ग मीटर से बड़े प्लाट के लिए 50 प्रतिशत)।

(ग) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा निजी भूमि के रूप में निर्धारित की गई भूमि पर बसी हुई अधनाढ्य (नॉन-एफ्लूएंट) कॉलोनियों से कोई भी परिवर्तन प्रभार अथवा संघटन-शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त दरें समय-समय पर परिवर्तनीय रहेंगी।

7. **विविध**

7.1 **संस्वीकृति प्रदान करना अथवा मना करना :--**

स्थानीय निकाय योजनाओं को अनुमोदित अथवा संशोधित कर सकता है अथवा जैसा वह आवश्यक समझे उन्हें संशोधनों/निर्देशों सहित मंजूर कर सकता है तथा विनिर्धारित रूप में नोटिस देकर संबंधित व्यक्ति को अपना निर्णय प्रेषित करेगा। जिन मामलों में प्लान में दिशा-निर्देश, 2007 अथवा विनियमों का पर्याप्त उल्लंघन पाया जाएगा, उन मामलों में स्थानीय निकाय प्लान को रद्द कर सकता है अथवा 'रेजिडेंट सोसाइटी' द्वारा उन्हें संशोधित कराने का आदेश दे सकता है।

7.2 इन विनियमों को, संशोधित दिशा-निर्देश, 2007 के साथ पढ़ा जाए और एक तालमेल के साथ इनका प्रतिपादन किया जाए ताकि अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया सुविधाजनक हो सके।

7.3 नियमितीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा समन्वित और पर्यवेक्षित किया जाना है, जो संशोधित दिशा-निर्देश, 2007 और इन विनियमों को और भी अधिक प्रचार-प्रसार देगी।

[सं. फा. 3(11)2004/एम.पी./पार्ट-I]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

अनुबंध

अनधिकृत कॉलोनी के नियमन हेतु जांच-सूची

1. कॉलोनी का नाम और पता :
2. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की सूची :
3. रेजिडेंट्स वैलफेयर एसोसिएशन/आवेदक की सोसायटी का नाम :
4. रेजिडेंट्स वैलफेयर/एसोसिएशन सोसायटी की पंजीकरण संख्या :
5. अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं के नाम :
6. कॉलोनी की श्रेणी (दि.न.नि. सम्पत्तिकर के अनुसार) :
7. राजस्व गांव/खसरा सं. :
8. जोन (दिल्ली मुख्य योजना के अनुसार) :

9. अनधिकृत कॉलोनी कब से अस्तित्व में है :

10. अवस्थिति/आस-पास के स्थान (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर) :

11. विकास क्षेत्र सं.- :
दि.न.नि./न.दि.न.पा./कैंट बोर्ड क्षेत्र/ :
क्या यह अधिसूचित स्लम क्षेत्र में पड़ता है?

12. अनधिकृत कॉलोनी का कुल क्षेत्र :

13. भूमि की स्थिति (स्टेट्स) :

14. न्यायालय मुकदमा, यदि कोई हो :
(कृपया, विवरण संलग्न करें)

15. क्या भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचित है? :

16. रेजिडेंट्स सोसायटी के सदस्य के रूप में निवासियों/गृह-स्वामियों का प्रतिशत :

17. निर्मित प्लॉटों की संख्या :
(i) 100 वर्ग मीटर तक :
(ii) 100 वर्ग मीटर से अधिक एवं 250 वर्ग मीटर तक :
(iii) 250 वर्ग मीटर से अधिक :

18. खाली प्लॉटों की संख्या :
(i) 100 वर्ग मीटर तक :
(ii) 100 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर :
(iii) 250 वर्ग मीटर से बड़े :

19. सुविधिाओं की स्थिति	संख्या/क्षेत्र/ चौड़ाई/लंबाई	विकास-चरण
• पार्क/परिवहन लॉट्स/ सामान्य खुला स्थल		
• स्कूल		
• समाज सदन		
• सामान्य पार्किंग क्षेत्र		
• डिस्पेंसरी/स्वास्थ्य केन्द्र		
• धार्मिक संरचना		
• पुलिस पोस्ट/फायर पोस्ट		

संलग्नक :

(क) सदस्यों/स्वामियों/अधिभोगियों की सूची
(ख) रेजिडेंट्स सोसायटी का पंजीकरण/संकल्प
(ग) नियमितीकरण प्लान्स/ले-आउट प्लान
(घ) वचन बंधपत्र
(ङ) प्रमाणित भूमि स्वामित्व दस्तावेज/खसरा गिल्दावरी
(च) भुगतानों की रसीद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर रेजिडेंट्स सोसायटी

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2008

Regulations for Regularisation of Unauthorised Colonies in Delhi

(under Section 57 of DD Act, 1957)

S.O. 683(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations :—

1. Introduction
2. Definitions
3. Criteria for Regularization of Unauthorized Colonies
   3.1 Cut off date
   3.2 Habitation eligible for regularization
   3.3 Types of colonies NOT to be considered for regularization
   3.4 Residential buildings used for non-residential purposes
   3.5 Action against unauthorized construction
   3.6 Regulations not relate to affluent colonies
4. Procedure for Regularization
   4.1 Registration of Resident Society
   4.2 Functions of Resident Society
   4.3 Submission of Layout Plan
   4.4 Modification in the Layout Plan
   4.5 Requisites for submission of Layout Plan
   4.5.1 Documents to be submitted
   4.5.2 Information regarding existing/proposed Layout Plan
   4.5.3 Undertakings
5. Steps/procedure to be followed by Local Body/DDA/GNCTD for regularization
   5.1 Creation of a separate Cell
   5.2 Scrutiny of Layout Plan
   5.3 Finalization of boundaries
   5.4 Forwarding of Layout Plan to Local Body
   5.5 Approval of Layout Plan
   5.6 Change of Land Use
   5.7 Issue of Orders
   5.8 Cost of land
   5.9 Penalties
   5.10 Commencement of developmental works
   5.11 Time schedule

6. Parameters/basis for regularization

6.1 Title of land

6.2 Planning norms

6.3 Mixed use

6.4 Recovery of cost/development charges

7. Miscellaneous

7.1 Grant of sanction or refusal

7.2 Regulations to be read together with Guidelines

7.3 GNCTD to Coordinate, etc.

1. Introduction

Ministry of Urban Development *vide* letter dated 05-10-2007 conveyed the Revised Guidelines 2007 for regularization of unauthorized colonies in Delhi which also referred to orders of Supreme Court dated 14-02-2006 in WP@ No. 725 of 1994 and orders of Delhi High Court dated 27-2-2001 in CW(P) No. 4771 of 1993. The High Court order stipulates notification of the colonies to be regularized as per the guidelines and framing of modalities.

2. Definitions

(a) "Architect/Town Planner": An architect registered with the Council of Architecture and having qualification in Town Planning, recognized for the membership of Institute of Town Planners, India;

(b) "Concerned agency" means Local Body/Delhi Development Authority (DDA)/ Government of NCT of Delhi (GNCTD) or any other agency involved in the process of regularization/ preparation, implementation of the plans and work of regularization of unauthorized colonies falling within their respective jurisdictions;

(c) "Habitations" for the purpose of regularization as envisaged in the Revised Guidelines 2007/ Regulations means those habitations existing as on 31-3-2002 that have come up as extension to village abadi and have not been notified as Lal Dora extension to village abadi;

(d) "Infrastructure" means infrastructure other than 'social infrastructure' such as water supply, drainage, sewerage, electricity and solid waste management, as mentioned in the Chapter 14 (Physical Infrastructure) of the Master Plan for Delhi (MPD)-2021.

(e) "Layout Plan" means a plan that will indicate the location of all existing (also proposed, if any) roads with their widths, dimensions of plots along with building lines, location of drains and public facilities, if any, a statement indicating the total area of the site under roads, and if available, then open spaces for parks, playgrounds, recreational spaces and other public spaces;

(f) "Residents' Society" means a registered Resident Society and comprising the members of the unauthorized colony/habitation which will be responsible for coordination, preparation of layout plans, and for liaison with the concerned agency in respect of various issues pertaining to the regularization process;

(g) "Service Road" - A road/lane provided at the rear or side of a plot for service purposes;

(h) "Site or Plot" - A parcel/piece of land enclosed by definite boundaries;

(i) "Social infrastructure" means social infrastructure facilities pertaining to health, education, sports facilities and socio-cultural activities and religious activities.

(j) "Street" includes any way, road, lane, square, court, alley, gully, passage, whether a thoroughfare or not and whether built upon or not, over which the public have a right of way and also the roadway or footway over any bridge or causeway;

(k) "Unauthorized colony" means a colony/ development comprising of contiguous area, where no permission of concerned agency has been obtained for approval of Layout Plan, and/ or building plan;

3. Criteria for Regularization of Unauthorized Colonies and Habitations

3.1 Cut off date for regularization is 31-3-2002.

3.2 Habitations that have come up as extension to village abadi and are outside the Lal Dora of village, would be eligible for regularization on the same lines as those of unauthorized colonies.

3.3 The following types of colonies or parts thereof would not be considered for regularization:

(a) Unauthorized colonies/part of colonies/ habitations falling in notified or reserved forest areas.

(b) Unauthorized colonies/part of colonies/ habitations which pose hindrances in the provision of infrastructure facilities or fall in the area of right of way (ROW) of existing/proposed railway lines; Master Plan roads and major/trunk water supply and sewerage lines.

(c) Unauthorized colonies/habitations where more than 50% plots are un-built on the date of formal announcement of regularization scheme. However, plots, which have been built up in the above mentioned colonies, even after 31-3-2002

and till the date of formal announcement of regularization scheme will be taken into consideration for deciding the eligibility of the colony for regularization.

(d) Unauthorized colonies/part of colonies/ habitations which violates the provisions of Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1958.

3.4 No regularization will be done in respect of residential buildings used for non-residential purposes except those covered under the mixed land use regulations contained in the MPD-2021 as may be amended from time to time. The time limit of 90 days for conducting survey for notification of mixed use streets as prescribed in clause 15.3.4 of the MPD-2021 in respect of these colonies will commence with effect from the date of notification of the colony as deemed regularized colony by the GNCTD or the date with effect from which the colony shall qualify for regularization.

3.5 Action against unauthorized constructions in unauthorized colonies/parts of colonies/ habitations which do not fulfill the conditions for regularization, will be taken by concerned Local Body/DDA subject to provisions contained in Master Plan of Delhi including those in para 16.2.3.

3.6 These Regulations do not relate to unauthorized colonies/habitations inhabited by affluent sections on public and private land.

4. Procedure for regularization

The following steps are to be followed for regularization :

4.1 Registration of Residents' Society

The residents of each unauthorized colony/ habitation shall establish a registered Residents Society (henceforth called as Resident Society). This shall be a pre-condition for considering the case for regularization. There would be no objection to several associations in a colony, but they would have to be federated into one recognized Residents Society. The Local Body shall only recognize and interact with such Residents Societies which have at least 75% of residents of that colony as its members.

4.2. The Resident Society shall perform/carry out the following functions :

4.2.1.1 Liaise with the concerned agency in various matters pertaining to the regularization process.

4.2.1.2 Prepare through an Architect/Town Planner, the existing layout plan of the colony. The Resident Society may, however, voluntarily also submit proposal for improved Layout Plan in respect of their colony.

4.2.1.3 The Layout Plan thus prepared shall be submitted by the Resident Society to the concerned Local Body/DDA, and simultaneously, a copy of the Layout Plan shall also be submitted to GNCTD by the Resident Society.

4.2.2 Along with the layout plan, the Resident Society shall be required to submit the complete list of members with details such as plot nos. and area of the colony to the Local Body. It shall be the duty of the Resident Society to make available, wherever possible, land to the concerned agency for taking up the works for provision of social infrastructure. In such colonies where land cannot be made available by the society for social infrastructure, the colony shall have to manage without the provision of such infrastructure.

4.2.3 There shall be no obligation on part of the Local Body/DDA/GNCTD/Union of India to allot alternate sites/flats to residents who may be displaced on account of provision of land for civic amenities/infrastructure which are not regularized as in clause 3.3.

4.2.4 The GNCTD shall determine the development charges/processing fee, if any, to be charged from the Residents Societies/individuals.

4.3 The Resident Society shall be required to submit the layout plan and proposal for improved layout plan if any. It shall be submitted in such manner and numbers as the GNCTD may deem fit.

4.4 Once sanctioned, a printed authenticated copy of the layout plan shall be made available by the Resident Society to all its members. Any deviation and modification in the sanctioned layout plan shall be subject to approval by the concerned Local Body/DDA.

4.5 Requisites for submission of Layout Plan:

4.5.1 Documents to be submitted

Application for regularization of unauthorized colonies shall be accompanied by the following documents:

(i) Land details with Khasra No. accompanied by a site plan giving the physical description of the site.

(ii) The certificates duly signed by the authorized signatory of Resident Society/ owner and the Architect/Town Planner.

(iii) The layout plan submitted with the application for regularization shall be drawn to a scale of 1 : 1000 or larger and shall show details as given in the following paragraphs.

4.5.2 Information required to be furnished on Existing/ Proposed Layout Plan:

(i) The boundaries of the site and of contiguous land with ownership status;

(ii) The position of the site in relation to neighbouring area/roads;

(iii) The name of the streets in which the plots are proposed/existing;

(iv) The use and position of the plots on the land including sub division;

(v) The means of access/roads streets and their widths;

(vi) The North point;

(vii) Any existing physical features, such as wells, drains, trees etc;

(viii) The plan shall be authenticated by the authorized signatory of Resident Society and Architect/Town Planner.

4.5.3 Undertakings

The Residents' Society shall furnish the following undertakings at the time of submission of the layout plan:

(i) - That they shall abide by the layout plans as may be approved with or without conditions.

(ii) - That they shall transfer the land available if any for social infrastructure in the name of the DDA or the MCD/NDMC, free of cost, in order to provide such social infrastructure.

5. Steps/Procedure to be followed by Local Body/ DDA/GNCTD for regularization:

5.1 A separate Cell is to be created in the local bodies/ DDA/GNCTD to carry out the work relating to regularization of unauthorized colonies within their jurisdiction. The layout plan prepared by Resident Societies would be submitted to this Cell.

5.2 On receipt of the layout plan submitted by the Resident Society, the Local Body or DDA, as the case may be, within two months will complete the scrutiny of the layout plan.

5.3 Simultaneously, GNCTD will finalize the boundaries of each identified colony within three months from the last date of submission of layout plan by using satellite/aerial survey images.

5.4 After fixing the boundaries on the scrutinized layout plan by the Local Body concerned, GNCTD to formally forward the layout plan to Local Body for approval.

5.5 Lay-out plan to be approved by the competent authority in the Local Body concerned within one month of receipt of LOP after fixation of boundaries by GNCTD.

5.6 Simultaneously, the Local Body to refer the case to GNCTD for regularization and to DDA for land use change.

5.7 Formal orders or regularization to be issued by GNCTD only after completing all formalities including land use change and payment of all requisite charges.

5.8 The cost of land shall be collected by Local Body/ DDA on behalf of land owning agency in respect of colonies on public land. Amounts so recovered to be credited to the account of respective land owning agency.

5.9 Similarly, penalties to be collected by Local Body/ DDA and to be credited into a separate fund.

5.10 GNCTD may commence the development works and augmentation of infrastructure facilities in public interest in colonies soon after the receipt of layout plan if it is satisfied that the colonies or part thereof fulfil the general principles contained in the Revised Guidelines 2007.

5.11 GNCTD shall take all required steps to ensure that the entire process of regularization except change in land use is completed within six months and formal regularization after effecting change in land use is done within nine months of submission of LOP by Resident Society. Lt. Governor, Delhi may relax the time limit in respect of individual colonies on specific request of GNCTD.

6. Parameters/basis for regularization

6.1 Title of land

GNCTD shall constitute a Committee with representatives of DDA to evolve suitable Revised Guidelines-2007 to confer title of land preferably within a time frame of two months.

6.2 Planning norms

Relevant provisions as contained in para 4.2.2.2(B) of MPD 2021 to apply.

6.3 Mixed Use

The relevant provisions of MPD-2021 shall be applicable subject to declaration of mixed use street / local Commercial Street by the concerned Local Body.

6.4 Recovery of cost of land and development charges

Based on criteria adopted by the Municipal Corporation of Delhi for categorization of colonies for recovery of property tax based on Unit Area Method, the colonies are broadly clubbed under three groups for regularization purpose based on the criteria of two stage lower than adjacent planned colony:

Group-I: Unauthorized Colonies in Category C and D

Group-II: Unauthorized Colonies in Category E & F

Group-III: Unauthorized Colonies in Category G

The cost of Government land shall be recovered as under:

(a) For undeveloped public/Govt. land

In Group-I colonies:

Prevailing Cost of acquisition of agricultural land (Rs. 575 per sqm) + 10% penalty for plot size up to 100 sqm and 25% penalty for plot size from 100 to 250 sq. m, and 50% penalty for plot size beyond 250 sqm.

In Group-II colonies:

Prevailing Cost of acquisition of agricultural land minus 15% + 10% penalty for plot size from 100 to 250 sqm and 25% penalty for plot size beyond 250 sqm. No penalty is to be levied for plot size up to 100 sqm.

In Group-III colonies:

Prevailing Cost of acquisition of agricultural land minus 30%; + 5 % penalty for plot size from 100 to 250 sqm and 10% penalty for plot size beyond 250 sqm. No penalty is to be levied for plot size up to 100 sqm.

(b) For developed public land/Govt. land

Notified land rate and penalty (10% up to 100 sqm plot and 50% beyond 100 sqm plot).

(c) No conversion charges or compounding fee for non-affluent colonies on lands identified as private land by the GNCTD shall be levied.

Above rates are subject to changes from time to time.

7. Miscellaneous

7.1 Grant of Sanction or Refusal - The Local Body may either approve or modify the plans, or may sanction them with modifications or directions as it may deem necessary and thereupon shall communicate its decision to the person giving the notice in the prescribed form. In cases where the plans are substantially violative of the guidelines-2007 or the Regulations, the Local Body may reject or cause the plans to be modified by the Resident Society.

7.2 These Regulations may be read together with the Revised Guidelines 2007 and may be interpreted harmoniously so as to facilitate the process of regularization of the unauthorized colonies.

7.3 The entire process of regularization is to be coordinated and supervised by GNCTD, which may also give wide publicity to the Revised Guidelines 2007 and these Regulations.

[F. No. 3(11)2004-MP-pt. I]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

Annexure

Check list for Regularization of Unauthorized Colony

1. Name and address of the Colony
2. Serial No. in the GNCTD List, if any
3. Name of RWA/Applicant Society
4. Registration no. of the RWA/Society
5. Name of Authorized Signatories
6. Category of colony (as per MCD Property Tax)
7. Revenue Village/khasra no.
8. Zone (As per Master Plan of Delhi)
9. Date from which unauthorized colony exists
10. Location/surroundings (Towards North, South, East West)
11. Development Area No :

    MCD/NDMC/Cantt. Board Area/Whether falls in Notified Slum Area?
12. Total area of Unauthorized Colony
13. Land Status
14. Court Case, if any (Please attach details)
15. Land whether notified for acquisition
16. Percentage of Residents/house owners as members of the Residents Society
17. No. of Built up Plots:
    - (i) Up to 100 sq.m.———
    - (ii) Above 100 sqm & upto 250 sqm.———
    - (iii) Above 250 sqm.———
18. No. of Vacant Plots:
    - (i) Upto 100 sq.m.———
    - (ii) Upto 100 - 250 sqm.———
    - (iii) Above 250 sqm.———
19. Status of Facilities Nos./ Area/ Width/ Length Stage of Development.

- Parks / Transport lots/ Common open space;
- Schools
- Community Hall
- Common Parking Areas
- Dispensary / Health Centre
- Religious structures
- Police Post / Fire Post

—Enclosures:

(a) Lists of members/owners/occupants.

(b) Registration/ resolution of the Residents Society.

(c) Regularization Plans / Layout Plan.

(d) Undertakings

(e) Certified Land Ownership documents/ Khasra Gildawari (f) Receipt of payments.

Signature of Authorized Signatory
Resident Society

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 812] नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2008/ज्येष्ठ 26, 1930
No. 812] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2008/JYAISTHA 26, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2008

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के विनियमन के विनियम

(दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा-57 के अंतर्गत)

का.आ. 1452(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा, दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के विनयमन के लिए विनियमों—जो सं. का.आ. 683(अ) दिनांक 24-3-2008 के माध्यम से अधिसूचना सं. एफ. 3(11)2004/एम.पी./पार्ट-I द्वारा अधिसूचित किए गए थे, में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन :—

उप-खंड 4.5.3 (वचनबंध) के बाद निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे :—

"4.6.1 किसी कॉलोनी के निवासियों द्वारा विनियमों के खण्ड 4 की अपेक्षाओं की पूर्ति किए जाने के तुरन्त बाद, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार उस अनधिकृत कॉलोनी को अनन्तिम विनियमन प्रमाण-पत्र जारी कर सकती है। स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. एवं रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार, अनन्तिम प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 12 माह की अवधि के अन्दर विनियमों के खण्ड 5 के अंतर्गत यथा निर्धारित अनधिकृत कालोनी के औपचारिक विनियमन से पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति करेंगे। उपराज्यपाल, दिल्ली विनियमों के खंड 5.11 के प्रावधानों के अनुसार पृथक कॉलोनियों के संबंध में समय-सीमा में छूट दे सकते हैं।

4.6.2 तथापि, यह प्रमाण पत्र समृद्ध वर्गों द्वारा बसाई गई अनधिकृत कॉलोनी/आवासों को जारी नहीं किया जा सकता।

4.6.3 तथापि, इन कॉलोनियों का अंतिम रूप से सीमांकन विनियमों के खण्ड 3 में शामिल अपेक्षाओं सहित सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा नियत किया जाएगा।"

[सं. एफ. 3(11)2004/एम.पी./पार्ट-I]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2008

Regulations for Regularization of Unauthorized Colonies in Delhi (Under Section 57 of DD Act, 1957)

S.O. 1452(E).—In exercise of power conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) the Delhi Development Authority with the prior approval of Central Government hereby makes following Amendments in Regulations for Regularization of unauthorized colonies in Delhi which were notified *vide* Notification No. F. 3(11)2004/MP/Part I *vide* No. S.O. 683 (E) dated 24-3-2008.

Amendments :—

The following Sub-clauses shall be added after Sub-clause 4.5.3 (Undertakings) :—

"4.6.1 Soon after the requirements of Clause 4 of the Regulations are fulfilled by the residents of the colony, the GNCTD may issue a provisional regularization certificate to that unauthorized colony. The local body/DDA and GNCTD would complete the prescribed formalities before formal regularization of the unauthorized colony as prescribed under Clause 5 of the Regulations within a period of 12 months from the date of issue of the Provisional Certificate. Lt. Governor, Delhi may relax the time limit in respect of individual colonies as provided in Clause 5.11 of the Regulations.

4.6.2 However, this certificate cannot be issued to unauthorized colony/habitations inhabited by affluent sections.

4.6.3 However, the final boundary of these colonies would be fixed by the GNCTD only after completing all requisite formalities including those in Clause 3 of the Regulations."

[No. F. 3(11)2004/MP/Part I]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(To be published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary)

No. K-11011/21/2004-DDIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)
*****

Nirman Bhawan, New Delhi,
Dated the February 25, 2009

Notification

G. S. O. No. Pursuant to their election by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, the Central Government in accordance with the provisions of sub-section (1), read with clause (f) of sub-section (3) of section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), hereby nominates S/Shri Subhash Chopra, Naseeb Singh and Dr. Harsh Vardhan, MLAs as Members of the Delhi Development Authority with immediate effect.

75-G-PW
26/2/09

(N.T. Joseph)
Under Secretary (DD IA)

लिंक शाखा, दि.वि.प्रा.
Linking Cell, D.D.A.
No. 68
2.3.09

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri,
New Delhi.

Copy forwarded for information to :

1. The Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
2. The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi-23
3. Shri Subhash Chopra, MLA, A-12, Hauz Khas, New Delhi.
4. Shri Naseeb Singh, MLA, 91, Village Gazipur, Delhi -110096.
5. Dr. Harsh Vardhan, MLA, E-8A/14, Krishna Nagar, Delhi-110051.
6. Principal Commissioner-cum- Secretary, DDA, New Delhi - 23
7. Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Secretary, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi-110054
9. Engineer Member, DDA, Vikas Sadan, New Delhi-23
10. Finance Member, DDA, Vikas Sadan, New Delhi-23
11. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
12. Chief Planner, TCPO, Vikas Bhawan, New Delhi-2

(N.T. Joseph)
Under Secretary (DD 1A)

Copy also forwarded to PS to UDM/PS to MOS (UD)/Sr. PPS to Secretary (UD)/PS to Joint Secretary (DL)/PS to Director (DD).

N.T. Joseph)
Under Secretary (DD 1A)

DD (MC) 27/2

3/3/09

No. K-20013/4/2008- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 23rd December, 2008

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
पावती सं
Diary No. 584
दिनांक
Date 30.12.08

To

The Media Officer,
DAVP, PTI Building,
Parliament Street,
New Delhi.

Subject: Request for publishing Government Public Notice.

दि. वि. प्रा. / संसद एवं
D.D.A. / PARLT. & CO-ORDN.
पावती सं. / DIARY NO.
दिनांक / DATE

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Government Notice for publication in the English national daily "Times of India" and in Hindi Daily "Navbharat Times" immediately.

Yours faithfully,

Encl: As above

(P.K.Santra)
Under Secretary
Telefax: 23061681

Copy to:-

1. The Vice Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023.
2. The Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, Town Hall, Delhi-110006.
3. The Chairman, New Delhi Municipal Council, Palika Kendra, New Delhi-110001.
4. The Principal Secretary (UD), Govt. of NCT of Delhi, I.P. Estate, New Delhi-2
5. Secretary to Lt.Governor, Raj Nivas, Delhi.
6. Director (TP), Slum and JJ Deptt. Vikas Bhawan Annexe, IP Estate, New Delhi-110002.
7. The Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi-2.
8. CMD, DSIDC, Govt. of NCT of Delhi, N. Block, Connaught Place, New Delhi.

(P.K.Santra)
Under Secretary

Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, Dated the 23rd December, 2008

–The following amendments/ modifications which the Central Government propose to make in the Building Bye-laws, 1983 for Delhi are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion may send the same in writing to the Under Secretary, Delhi Division, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 within a period of 30 days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address.

Modification :

Modify Clause 17.1 as under:-

"17.1 Buildings, shall be planned, designed and constructed to ensure fire safety and this shall be done in accordance with part IV Fire Protection of National Building Code of India. In the case of buildings (identified in Bye-laws No.6.2.4.1), the building schemes shall also be cleared by the Chief Fire Officer, Delhi Fire Service."

[No.K-20013/4/2008-DDIB]

(P.K.Santra)
Under Secretary to the Govt. of India

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
****

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर, 2008

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली के लिए भवन उप नियम, 1983 में केन्द्र सरकार का निम्नलिखित जिन संशोधनों / उपांतरणों को करने का प्रस्ताव है, उन्हें सार्वजनिक सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हों, तो उन्हें इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अंदर लिखित रुप में अवर सचिव, दिल्ली प्रभाग, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को भेजा जा सकता है । आपत्ति अथवा सुझाव भेजने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी भिजवाएं ।

उपांतरण :

खण्ड 17.1 में निम्नलिखित उपांतरण :-

"17.1 भवनों की योजना, डिजाइन और निर्माण इस प्रकार होगा जिससे अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित हो और यह भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता की अग्नि सुरक्षा भाग-IV के अनुसार किया जाएगा । ऐसे भवनों (भवन उप नियम सं0 6.2.4.1 में अभिज्ञांत) के मामले में भवन योजना मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दिल्ली फायर सर्विस द्वारा भी स्वीकृत की जाएगी "

(सं0के- 20013/4/2008-डी डी I बी)

पी. के. सांतरा
(पी0 के0 सांतरा)
अवर सचिव, भारत सरकार

38
4/2/09

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(RTI IMPLEMENTATION AND CO-ORDINATION BRANCH)
C BLOCK IIIrd FLOOR VIKAS SADAN INA
FAX NO.24619550

F .No.11(264)07/RTI/DDA/ 215 Dt.3.2.09

Sub:- Gazette Notification of 34 A DDA Act.

Please find enclosed the Gazette Notification dt. Friday 2nd May 2008on section 34 A of DD Act.

This is for information only.

All Appellate Authority/DDA
All Public Information officers/DDA
Asstt.Director (Meeting Cell)

3/2/09
Sr. R.O.(RTI)

Copy for information to:-
1. Ms. Gita Dewan Verma 1356,D-1 Vasnt Kunj New Delhi-70.
2. Sh.Ajit Sintgh MalikC-39 Village Masudpur Delhi-70.

4/2-9
A.D (Meeting Cell)
M/A

Sr.R.O.(RTI)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰–33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II— खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2008/वैशाख 12, 1930
No. 600] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2008/VAISAKHA 12, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2008

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 29(1) के अंतर्गत शक्ति प्रदान करना

का.आ. 1072(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 34-ए की उप-धारा (i) एवं (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली एतद्द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के निदेशक (भूमि प्रबंध)-I और निदेशक (भवन) को अधिसूचित विकास क्षेत्रों के संबंध में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 29-ए के अंतर्गत किए गए अपराध के संबंध में उनकी अपनी जानकारी अथवा उनके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर शिकायतें करने को शक्तियां प्रदान करते हैं। ये शक्तियां दि.वि.प्रा. के अधिकारियों को पहले प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त हैं।

[सं. एफ. 11(264)07/आर.टी.आई.]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2008

Empowerment under Section 29(1) of the Delhi Development Act, 1957

S.O. 1072(E).—In exercise of the powers conferred upon him by sub-sections (i) and (ii) of Section 34-A of the Delhi Development Act, 1957, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby empowers Director (Land Management)-I and Director (Building) of the Delhi Development Authority to make complaints of commission of offences under Section 29(1) of the Delhi Development Act, 1957 in relation to the notified Development Areas, whether on their own information or on information received by them. These powers are in addition to the powers conferred earlier on officers of DDA.

[F. No. 11(264)07/RTI]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

1603 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K-20013/18/2006- DDVA/IB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 16th January, 2008

Subject: Extraordinary Gazette Notification – No.S.O.43(E) dated 6.1.2008 regarding Change of land use of site measuring 3923 sqm. from 'Recreational' (District Park) to 'PSP Facilities' (Burial Ground) at Badarpur..

...

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi with reference to letter No.F.20(13)2005/MP dated 31.7.2008.
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi.

Copy to :-

Computer Cell, M/o UD for display of the above Notification on the website of the Ministry.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2009/पौष 16, 1930
No. 36] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2009/PAUSA 16, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2009

का.आ. 43(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 जनवरी, 2008 की सं. का.आ. 218(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा-अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए ।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में दो आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए थे । यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

3. अत: अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन

जोन "एफ" में बदरपुर स्थित 3923 वर्गमीटर माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है :

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोन-"एफ" में बदरपुर क्षेत्र	3923 वर्ग मीटर	मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क)	सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक सुविधाएं (कब्रिस्तान)	**उत्तर पश्चिम**—डिस्ट्रिक्ट पार्क **उत्तर पूर्व**—डिस्ट्रिक्ट पार्क **दक्षिण पश्चिम**—रेलवे लाइन **दक्षिण पूर्व**—वर्तमान सड़क

[सं. के. 20013/18/2006-डी डी वी ए/आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

No. K-13011/6/2008- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 16th January, 2008

Subject: Extraordinary Gazette Notification – No.S.O.141(E) dated 14.1.2008 regarding Change of land use of an area measuring 2.052 acres at Vasant Vihar.

...

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

23-PUS/MP 19/1/09

PC 2 Secy.

16/1/09

बैठक कक्ष दि.वि.प्रा.
Meeting ... D.D.A.
पावती सं. Diary No. 20
दिनांक Date 20.1.09

... कार्यालय
... डायरी सं. 95B
दिनांक 16-1-09

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi with reference to letter No.F20(9)2008/MP dated 12.1.2009.
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi with reference to L&DO Note No.L-II(B)-1(1786)08 dated 2.9.2008.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi.

Copy to :-

Computer Cell, M/o UD for display of the above Notification on the website of the Ministry.

Copies to all concerned
DD(MC) 20/1 21/1/09 AD 21/1/09

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 2009/पौष 24, 1930
No. 87] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2009/PAUSA 24, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2009

का.आ. 141(अ).—यत: नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 17 सितम्बर, 2008 का सं. का.आ. 2217(अ) तथा दिनांक 14 अक्तूबर, 2008 के शुद्धि-पत्र सं. का.आ. 2448(अ) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

3. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन :

जोन-एफ में वसंत विहार के 2.052 एकड़ भू-क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है :–

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
जोन-एफ में वसंत विहार	2.052 एकड़	आवासीय	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	**पूर्व** :	8 मी. चौड़ी सड़क, मार्केट और सरकारी भूमि
				पश्चिम :	12 मी. सड़क, मिजोरम गेस्ट हाऊस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का स्कूल
				उत्तर :	सरकारी भूमि
				दक्षिण :	12 मी. चौड़ी सड़क

[सं. के.-13011/6/2008-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
(LANDSCAPE & ENVIRONMENTAL PLANNING UNIT)
11TH FLOOR, VIKAS MINAR, NEW DELHI

No.PA/Dir.(LS)/DDA/2008/653 Dated: 4/07/08

To,

1341 DPR
9/7/08

The Director(PR/DDA)PIO,
Vikas Sadan,
New Delhi.

SUB : Information under RTI Act 2005, in regard to the application of Ms. Geeta Dewan Verma dt. 21.04.08.
REF.: Letter No. F.3(210)2008/DPR/DDA/RTI/90 dt. 1st July, 2008.

Madam,

Kindly refer to the subject and reference noted above. The information in regards the para 1© of the RTI application of Ms. Geeta Dewan Verma dt. 21.04.2008 has been perused & stated that :-

A committee known as 'Delhi Bio-diversity foundation' was constituted by the Authority under Section 5-A of DD Act under the Delhi Bio-Diversity Foundation Regulation, 2004 and the Gazette notification in this regard was published on 6th April, 05.

With a view to safeguard, conserve, preserve & retain to Ecological aesthetical and cultural quality of Bio-diversity sites in the National Capital Territory of Delhi, the Delhi Bio-Diversity Foundation is set up by DDA.

The copy of the Gazette Notification dt. 6th April, 2005 is also attached herewith for your further reference.

Encl. : As above

(Savita Bhandari) 3/7/08
Director/Landscape(PIO)

Col. Verma
9/7
9/7

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2005/चैत्र 16, 1927
No. 148] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2005/CHAITRA 16, 1927

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2005

सा.का.नि. 218(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन* से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

दिल्ली जैव–विविधता फाउन्डेशन विनियम, 2004

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में जैव–विविधता स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण और उनकी पारिस्थितिकीय, सौन्दर्यपरकता तथा सांस्कृतिक स्तर को बनाए रखने के लिए, अधिनियम की धारा 5–क के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली जैव विविधता फाउन्डेशन की स्थापना की है। फाउन्डेशन का कार्य इन विनियमों के अन्तर्गत शासित होगा ।

ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से तत्काल लागू होंगे ।

परिभाषाएं:—

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ अथवा अर्थ के अनुसार, कुछ भी असंगत न हो :—

- 'अधिनियम' का अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है ।
- 'प्राधिकरण' का अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है ।
- 'दिल्ली जैव विविधता फाउन्डेशन' का अभिप्राय अधिनियम की धारा 5–क के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा गठित समिति से है ।
- 'सदस्य' का अभिप्राय, दिल्ली जैव–विविधता फाउन्डेशन के सदस्यों से होगा ।

दिल्ली जैव विविधता फाउन्डेशन के लिए उप–विधि

0.1 नाम:

फाउन्डेशन का नाम 'दिल्ली जैव विविधता फाउन्डेशन' होगा, जिसे इसमें आगे 'फाउन्डेशन' कहा गया है ।

0.2 कार्यालयः

फाउन्डेशन का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एन सी टी डी) में स्थित होगा ।

*भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली डिवीज़न) का अनुमोदन । पत्र संख्या के–20013/2/2002–डी.डी.वी.ए. दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा सम्प्रेषित ।

0.3 लक्ष्य और उद्देश्य

1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में समाज के लिए जैव विविधता विरासत एक पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्त्व रखने वाली प्राकृतिक विशेषताओं/परिसम्पत्तियों के संरक्षण, पुनरुद्धार और प्रबंध के लिए नीति बनाना तथा कार्यान्वयन करना ।

2 विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालियों का उनके पौधे, पशु और सूक्ष्म जैवीय समुदाय सहित पुनरुद्धार और प्रतिवलित करना ।

3 बाढ़ की संभावना वाले मैदानों, नम भूमियों के मोजेइक वाले वनों का विकास करना, जो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में कार्य करे और जलाशयों की गाद को रोकने, जल शुद्धिकरण और भूमिगत जल को रीचार्ज करने के अतिरिक्त जलीय, अनुवांशिक संसाधनों का परीक्षण कर सके ।

4 विशेष प्रकार के पत्थरों की प्रजातियों और संकटमय अन्य प्रजातियों का संरक्षण करना ।

5 किसी भी पर्यावास के जैव–विविधता को परिरक्षित करना, जिसके अब और भविष्य में शहरी विकास के लिए प्रयोग किए जाने की संभावना हो ।

6 लुप्तमान थलचर प्रजातियों और जंगली आनुवांशिक संसाधनों के लिए फील्ड– जीन बैंकों का सृजन करना ।

7 पर्यावरणीय जागरुकता और प्राकृतिक संरक्षण की शिक्षा को बढ़ावा देना ।

8 अल्पावधि और दीर्घावधि पारिस्थितिक प्रणाली अनुसंधान को बढ़ावा देना ।

9 पारिस्थितिक–पर्यटन को बढावा देना ।

10 नगर की पर्यावरणीय सम्पत्तियों जैसे, नदी–मुहाना, पहाड़ियों, नगर वनों, मुख्य नालों के किनारों इत्यादि की रक्षा और सुधार करना ।

11 अन्य संबंधित ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना जिन्हें फाऊंन्डेशन द्वारा उपयुक्त समझा जाए ।

0.4 फाउन्डेशन का गठन

फाउन्डेशन के शासक निकाय में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली	सदस्य
4.	कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय अथवा उनके नामित व्यक्ति	सदस्य
5.	अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.	सदस्य
6.	वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.	सदस्य

संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार — सदस्य

निदेशक, सी.ई.एम.डी.ई. — सदस्य

9. आयुक्त(योजना), दि.वि.प्रा. — सदस्य

10. सचिव (पर्यावरण एवं वन) रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार — सदस्य

11. निदेशक (भू–दृश्य), दि.वि.प्रा. — सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त फाउन्डेशन प्रख्यात वैज्ञानिकों, वनस्पति शास्त्रियों, प्राणी विज्ञानी, भू–दृश्य वास्तुकारों, पर्यावरणीय योजनाकारों, आई.ए.आर.आई और अन्य संस्थाओं / गैर सरकारी संगठनों से विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों से सदस्य सहयोजित करेगा । तथापि, सहयोजित सदस्यों की संख्या 4 से अधिक नहीं होगी ।

0.5 फाउन्डेशन के कार्यः–

फाऊन्डेशन निम्नलिखित कार्य करेगा :

क. राजधानी नगर के क्षेत्र में जैव विविधता स्थलों की पारिस्थितिक प्रणाली, सौंदर्यपरक सांस्कृतिक कोटि के सृजन, सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण अथवा प्रतिधारण, के लिए विनियमों के अंतर्गत आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों, संशोधनों अथवा छूटों के संबंध में तथा अन्य संबंधित मामलों में प्राधिकरण को सलाह देना ।

ख. समाज के लिए बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सौन्दर्यपरक और मनोरंजनात्मक लाभ वाले जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव–विविधता पार्कों की स्थापना । ये स्थल अल्पावधि और दीर्घावधि अनुसंधान के लिए प्रकृति रिज़र्व और फील्ड प्रयोगशालाओं के रूप में भी कार्य करेंगे ।

ग. अकेले अथवा अन्य संगठनों अथवा व्यक्तियों के साथ मिलकर ऐसे सभी अन्य कार्य करना जिन्हें फाउण्डेशन, लक्ष्यों की प्राप्ति में आनुषंगिक अथवा सहायक समझे ।

घ. प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथा निर्णीत अन्य कार्य करना ।

0.6 फाउन्डेशन की बैठक

जब भी अपेक्षित हो, फाउन्डेशन की बैठकें आयोजित की जाएंगी । फाउन्डेशन को अपनी कार्य–पद्धति विनियमित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी । निदेशक (भू–दृश्य) सदस्य–सचिव के रूप में बैठकों का रिकार्ड रखेंगे और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगें ।

0.7 फाउन्डेशन के अध्यक्ष की शक्तियां :–

अध्यक्ष को, इन विनियमों के ढांचे के अन्तर्गत उपयुक्त समझी जाने वाली आवश्यक कार्रवाई करने की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी । तथापि, ये कार्रवाई फाउन्डेशन की अगली होने वाली बैठक की पुष्टि पर आधारित होंगी ।

0.8 फाउन्डेशन के उपाध्यक्ष की शक्तियां

उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समन्वय में कार्य करेंगे और फाउन्डेशन के सामान्य कार्यों को देखेंगे ।

0.9 फाउन्डेशन के सदस्य सचिव की शक्तियां

सदस्य सचिव, फाउन्डेशन के कार्यों से संबंधित सभी प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह करेंगे ।

10. समिति का गठनः

क. कार्यकारिणी समिति

फाउन्डेशन के दिन–प्रतिदिन के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा.	अध्यक्ष
2.	वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.	सदस्य
3.	अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.	सदस्य
4.	निदेशक, सी.ई.एम.डी.ई.	सदस्य
5.	निदेशक(भू–दृश्य), दि.वि.प्रा.	सदस्य सचिव

कार्यकारिणी समिति, फाउन्डेशन द्वारा उसे दी जाने वाली शक्तियों का प्रयोग करेगी ।

ख. फाउन्डेशन, फाउन्डेशन के उद्देश्यों और कार्यों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं और अन्य पहलुओं पर सलाह देने के लिए, विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों वाली एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन कर सकता है ।

ग. इसके अतिरिक्त, फाउन्डेशन, फाउन्डेशन द्वारा समय–समय पर चलाई जाने वाली विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों की देखरेख एवं निष्पादन के लिए आवश्यक समझी गई किसी अन्य समिति का गठन कर सकता है ।

11. बजट, वित्त एवं लेखा :

1. फाउन्डेशन की स्थापना और उसके प्रचालन कार्यों पर होने वाला व्यय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, भारत सरकार, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए अनुदानों और ऋणों और दान इत्यादि से पूरा किया जाएगा ।
2. फाउन्डेशन के संबंध में संशोधित और बजट अनुमान, अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा ।
3. जैव–विविधता फाउन्डेशन खाते से संबंधित विभिन्न प्राप्तियों और भुगतान के रिकार्ड के लिए एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा ।

4. फाउन्डेशन, समुचित खातों और अन्य संबंधित रिकार्डो का अनुरक्षण करेगा और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में तुलन पत्र सहित खातों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा ।

12. खातों का परिचालन

फाउन्डेशन का खाता वित्त सदस्य द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा ।

13. व्यय करने की शक्तियां:

फाउन्डेशन को, फाउन्डेशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने और उन्हें प्राप्त करने के लिए समय–समय पर ऐसे व्यय संस्वीकृत करने की शक्तियां होगी, जो वह आवश्यक समझें ।

14. स्टाफ की नियुक्ति हेतु शक्तियां

जैव–विविधता फाउन्डेशन में सभी लिपिकीय स्टाफ और लेखा स्टाफ की तैनाती दि.वि.प्रा. के मौजूदा स्टाफ की पुनर्तैनाती से की जाएगी । तथापि, वैज्ञानिक कार्मिक अनुबंध आधार पर रखे जाएंगे, जिनका चयन, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा इस उद्ददेश्य हेतु नामित समिति द्वारा किया जाएगा ।

15. लेखा परीक्षा:

फाउन्डेशन के खातों की लेखा परीक्षा, दि.वि.प्रा. अधिनियम, 1957 के अनुसार कराई जाएगी ।

16. बैठकों में भाग लेने के लिए मानदेय:

फाउन्डेशन की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर सरकारी सदस्यों को, समय–समय पर यथा निर्णीत मानदेय दिया जाएगा ।

17. विवाद :

किसी भी विवाद पर उपराज्यपाल, दिल्ली जो फाऊन्डेशन के अध्यक्ष हैं, का निर्णय अंतिम होगा ।

18. विधिक कार्यवाही

फाउन्डेशन के विरूद्ध कोई भी मुकदमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के बाहर स्थित किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा ।

19. दि.वि.प्रा. अधिनियम, 1957 की प्रयोजनीयता

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के समय–समय पर यथा संशोधित प्रावधान लागू होंगे ।

20. निरसन और बचाव:

इन उप–विधियों के प्रारंभ होने की तिथि को और तिथि से, फाउन्डेशन को शासित करने वाले सभी मौजूदा नियम निरस्त हो जाएंगे, किंतु फाउन्डेशन के लिए पहले से की गई कार्रवाई पर, उक्त निरस्ती (रिपील) का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं. पीए/डीआईआर (एल एस)/2005/273]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

1134 GI/05-2

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2005

G.S.R. 218(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority hereby makes, with the previous approval* of the Central Government, the following regulations, namely :—

DELHI BIO-DIVERSITY FOUNDATION REGULATIONS, 2004

With a view to safeguard, conserve, preserve and retain the ecological, aesthetical and cultural quality of Bio-Diversity sites in the National Capital Territory of Delhi, the Delhi Bio-Diversity Foundation is set up by Delhi Development Authority in exercise of its powers under Section 5-A of the Act. The business of the Foundation will be governed under these Regulations:-

These Regulations shall come into force immediately from the date of their publication in the Official Gazette.

DEFINITIONS:

In these regulations unless there is anything inconsistent with the context or meaning: -

- "Act" means the Delhi Development Act.1957 (61 of 1957).
- "Authority" means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.
- "Delhi Bio-Diversity Foundation" means the Committee constituted by the Authority under Section 5-A of the Act.
- "Members" shall mean the Members of the Delhi Bio-Diversity Foundation.

BYE LAWS FOR THE DELHI BIO DIVERSITY FOUNDATION

01. NAME:

The name of the Foundation shall be 'Delhi Bio Diversity Foundation' herein after called the '**Foundation**'.

02. OFFICE:

The office of the Foundation shall be located in the National Capital Territory of Delhi (NCTD).

***Approval of the Government of India, Ministry of Urban Development(Delhi Division) communicated vide letter No.K-20013/2/2002-DDVA dated 31st December 2004**

S AND OBJECTIVES:

To frame and implement policies for the conservation, regeneration and nagement of the Bio Diversity heritage and other natural features / assets ing ecological, cultural and educational significance for the society in the ional Capital Territory of Delhi.

To regenerate and replicate the various eco-systems together with their plant, nal and microbial communities.

To develop flood plains, forests together with a mosaic of wetlands that serves bird sanctuaries and preserves aquatic, genetic resources besides prevention iltation of reservoirs, water purification and recharging of ground water.

To conserve the key stone species and other species that are threatened.

To preserve the biodiversity of any habitat that is likely to be used for urban development now and/or in future.

To create field gene banks for the threatened land races and wild genetic ources.

) To promote education on environmental awareness and nature conservation.

) To promote short and long term eco-system research.

To promote Eco-tourism.

To protect and improve environmental assets of the city such as, riverfront, je, city forests, banks of major drains, etc.

To promote other related activities as maybe considered appropriate by the ndation

CONSTITUTION OF THE FOUNDATION:

Governing Body of the Foundation shall comprise the following members.

Hon'ble L.G., Delhi.	Chairman
Vice-Chairman, DDA	Vice-Chairman
Chief Secy., NCTD.	Member
Vice-Chancellor, Delhi University or his Nominee	Member
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	Member Secy.

I/c5-3

- 7 -

In addition the Foundation shall co-opt members from eminent Scientists, Botanists, Zoologists, Landscape Architects, Environmental Planners, Experts from IARI and other such Institutions/NGO's and renowned citizens. However the number of Co-opted members should not be more than four.

05. FUNCTIONS OF THE FOUNDATION:

The Foundation shall perform the following functions:

a) Advise the Authority in respect of any alterations ,modifications or relaxations under the regulations as may be considered necessary for creation, protection, conservation, preservation or retention of ecological systems, aesthetical cultural quality of any biodiversity sites in the area of the Capital city, and related matters.

b) Establishment of biodiversity parks for conservation of Bio Diversity having ecological, cultural, educational, aesthetical and recreational benefits for the society at large. Such sites will also serve as Nature Reserves and Field Laboratories for short and long-term research.

c) To do all such other acts and things, either alone or in conjunction with other organizations or persons, as the Foundation may consider incidental or conducive to the attainment of the objectives.

d) To perform any other functions as may be decided by the Authority from time to time.

06. MEETING OF THE FOUNDATION:

The meetings of the Foundation shall be held as and when required. The Foundation shall have the power to regulate its own procedure. The Director (Landscape) as Member Secretary shall keep the records of the meetings and take the required follow-up actions.

07. POWERS OF THE CHAIRMAN OF THE FOUNDATION:

The Chairman shall have all the powers to take necessary steps as he may deem fit within the framework of these regulations. However, they shall be subject to the confirmation of the Foundation in its next meeting.

08. POWERS OF THE VICE CHAIRMAN OF THE FOUNDATION:

The Vice Chairman shall work in coordination with the Chairman and oversee the general functions of the Foundation.

…S OF THE MEMBER SECRETARY OF THE FOUNDATION

…e Member Secretary shall perform all the administrative duties connected with the functioning of the Foundation.

…. CONSTITUTION OF COMMITTEES:

…) Executive Committee

For smooth day to day functioning of the Foundation there shall be an Executive Committee comprising of the following members:

… Vice Chairman DDA	Chairman
… Finance member DDA	Member
…i. Engineer member DDA	Member
…v. Director CEMDE	Member
… Director (Landscape) DDA	Member Secretary

The Executive Committee will exercise such powers as may be delegated to it by the Foundation.

…) The Foundation may constitute a Technical Advisory Committee comprising of experts and eminent citizens to render advice on different projects and other aspects pertaining to the objectives and functions of the Foundation.

…) The Foundation may, in addition, constitute any other Committee as it may consider necessary to oversee and perform functions pertaining to implementation of specific projects that may be undertaken by the Foundation from time to time.

…1. BUDGET, FINANCE & ACCOUNTS:

i) The expenses for setting up the Foundation and its operational activities shall be met by the Delhi Development Authority, Grants and Loans given by Govt. of India, G.N.C.T.D./Local Bodies and donations, etc.

ii) The revised and budget estimates in respect of the Foundation shall be placed before the Authority for its approval.

iii) Separate Bank Account shall be opened to record various receipts and payments relating to Bio Diversity Foundation account.

iv) The Foundation shall maintain proper Accounts and other relevant records and prepare annual statement of Accounts including the balance sheet in such form as the Authority may prescribe.

12. OPERATION OF ACCOUNTS:

The Account of the Foundation shall be operated by an officer so authorized by the Finance Member.

13. POWERS TO INCUR EXPENSES:

The Foundation shall have the power to sanction such expenses from time to time, as it considers necessary for the promotion and achieving of the aims and objectives of the Foundation.

14. POWERS FOR ENGAGEMENT OF STAFFS

All Ministerial Staff and Accounts Staff will be posted in the Bio-Diversity Foundation by redeployment of DDA's existing staff. However, the Scientific personnel will be on contract basis who will be selected by the Committee to be nominated for the purpose by the Hon'ble Ltd.Governor, Delhi.

15. AUDIT:

The Audit of Accounts of the Foundation shall be conducted as per the DDA Act 1957.

16. HONORARIUM FOR ATTENDING MEETINGS:

The non-official members will be given an honorarium as may be decided from time to time for attending the meetings of the Foundation.

17. DISPUTES:

The decision of the Lt. Governor, Delhi who is the Chairman of the Foundation on any dispute shall be the final.

18. LEGAL PROCEEDINGS:

No suit against the Foundation shall lie in any Court outside the NCT, Delhi.

19. APPLICABILITY OF DDA ACT, 1957

The provisions of the Delhi Development Authority Act 1957, as amended from time to time will apply.

20. REPEAL AND SAVING:

On and from the date of commencement of these bye-laws, all existing rules governing the Foundation shall stand repealed Provided that the above repeal shall not affect the actions already taken for the Foundation.

[No. PA/Dir. (LS)/2005/273]

V.M. BANSAL, Pr. Commr-Cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(TO BE PUBLISHED IN PART –IV EXTRAORDINARY OF THE DELHI GAZETTE)

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
पावती सं
Diary No. 537
दिनांक
Date 10/11/08

Government of National Capital Territory of Delhi
Department of Law Justice & Legislative Affairs,
8th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-2.

No. F.9/01/08/AR/ 9864 - 9978/C Dated: 03/11/08

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 read with Section 5 of the Delhi Lokayukta and Upalokayukta Act 1995 (Delhi Act of 1996) and with the prior approval of the President of India, I, Tejendra Khanna, Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoint Shri Justice Manmohan Sarin, retired Chief Justice of the High Court of Jammu & Kashmir as Lokayukta for the National Capital Territory of Delhi.

Shri Justice Manmohan Sarin shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.

(Tejendra Khanna)
Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi.

No. F.9/01/08/AR/ 9864 -9978/C Dated: 03/11/08

Copy forwarded to :-

1. Pr. Secretaries/Secretaries/Special Secretaries/Joint Secretaries/Dy.Secretaries/Under Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
2. All Heads of Departments;, Government of NCT of Delhi,Delhi/New Delhi.
3. All Heads of Local Bodies/Autonomous Bodies/ Undertakings and other institutions owned or substantially financed by the Government of NCT of Delhi.
4. Pr. Secretary to the Lt. Governor/Pr.Secretary to Chief Minister/Secretary to Ministers.
5. OSD to Chief Secretary, Delhi Secretariat, 5th Level, A-Wing, New Delhi.
6. Joint Secretary (Coordination) Govt.of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi for publication in Delhi Gazette.
7. Shri Justice Manmohan Sarin, Lokayukta, 15 Akbar Road, N.Delhi.

(G.P.Mittal)
Pr.Secretary (Law Justice & L.A.)

3

No. K-12011/5/2007- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 14th August, 2008

Subject: **Publication of Notification in the Gazette of India Extraordinary Part-II Section 3(ii)—Modification of MPD-2021.**

Sir,

A copy of Notification No.2034 dated 12th August, 2008 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K.Santra)
Under Secretary
Tel.No.23061681

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 452
दिनांक
Date 25.8.2008

To

1. **Vice Chairman**, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi
2. **Chairperson**, NDMC, Palika Kendra, New Delhi
3. **Commissioner** (MCD), Town Hall, Delhi
4. **Principal Secretary (UD),** Govt. of National Capital Territory of Delhi, I.P.Estate, Delhi.

Copy to:- NIC, M/o UD to put the above Notification on the website of this Ministry immediately.

दि. वि. प्रा. / संसद एवं समन्वय विभाग
D.D.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
डायरी सं. / DIARY No. 20
दिनांक / DATE 25-8-08

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1156] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2008/श्रावण 21, 1930
No. 1156] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2008/SRAVANA 21, 1930

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2008

का.आ. 2034(अ).—यत: नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधनों के अनुसार सार्वजनिक सूचनाओं के रूप में सं. का.आ. 1049(अ) दिनांक 30-4-2008, 1142(अ) दिनांक 15-5-2008, 1172(अ) दिनांक 19-5-2008, 1396(अ) दिनांक 9-6-2008 और 1397(अ) दिनांक 9-6-2008 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (3) द्वारा यथा-अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

2. यत: प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित जाँच और सुनवाई बोर्ड तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भी विचार किया गया; और

3. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

4. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में अनुलग्नक 'क' तथा 'ख' के अनुसार निम्नलिखित संशोधन करती है ।

[सं. के-12011/5/2007-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

अनुलग्नक-क

क्र. सं.	पृष्ठ सं0	दिल्ली मास्टर प्लान-2021का पैरा/खंड सं0	संशोधन
1.	27	उप पैरा 4.4.3 के तहत शर्त (xvii)	इस शर्त के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया: **(xvii) निम्नलिखित को छोड़कर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा और उसे अतिरिक्त निर्माण अथवा ऊंचाई के नियमन हेतु स्थानीय निकाय की स्वीकृति से पूर्व हटा दिया जाएगा :-** "(क) अनियोजित क्षेत्रों (विशेष क्षेत्र, गांव आबादी और अनधिकृत नियमित कालोनियों सहित) और पुनर्वास कालोनियों में 1962 से पूर्व की कालोनियों (क तथा ख श्रेणी को छोड़कर) में 24 मीटर मार्गाधिकार से कम की सड़कों पर 175 वर्ग मी0 तक के प्लाटों के लिए भू-सतह से 3 मीटर की ऊंचाई से ऊपर 1 मीटर तक के 7.2.2007 से पूर्व मौजूद प्रोजेक्सन/छज्जा/कवर्ड छज्जा निर्मित भाग को नियमित किया जाएगा। भूस्वामियों/कब्जाधारकों को सरकार द्वारा यथा अधिसूचित यथोचित समयावधि में संरचना सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र और अग्नि सुरक्षा संबंधी मंजूरी लेनी होगी। इस प्रकार के प्रोजेक्सन/निर्मित भाग को एफएआर में लिया जाएगा और अनुमत्य एफएआर से अधिक और अतिरिक्त एफएआर के मामले में ऐसे आधिक्य एफएआर को सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रभार का भुगतान करने की शर्त पर नियमित किया जाएगा। (ख) अधिसूचना की तारीख के दो माह के भीतर संबंधित स्थानीय निकाय नियमितीकरण के लिए पात्र ऐसे सभी प्रोजेक्सनों के संबंध में एक सर्वेक्षण करेगा और इनकी सूची को सार्वजनिक रखेगा ताकि कब्जाधारक/ भूस्वामी और जनता का कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रोजेक्सनों को सूची में शामिल करने/शामिल न करने के संबंध में अपनी आपत्तियां रख सके और लिखित में प्राप्त ऐसी आपत्तियों पर विचार करके एक माह के भीतर सूची को अंतिम रुप देगा।"
2.	35-36	सारणी 5.4 - 4(ग) होस्टल	(ग) होस्टल के विकास नियंत्रण मानकों को **अनुलग्नक-"ख"** के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	46	सारणी 7.3 के नीचे नोट (V)	इस नोट के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:- "V. औद्योगिक परिसरों में बैंक्वेट हॉल की अनुमति होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित परिवर्तन प्रभारों सहित निर्धारित किए जाने वाले विनिर्देशनों/ विनियमों के अध्यधीन होगी।"

4.	46	सारणी 7.3 के नीचे नोट (vi)	इस नोट के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा । **"vi. औद्योगिक इकाइयां/प्लॉट जो 24 मी और उससे ऊपर के मार्गाधिकार वाली सड़कों के साथ संलग्न है, वे विद्यमान विकास नियंत्रण मानकों के अंतर्गत व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तन के लिए पात्र होंगी, बशर्ते कि वे सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित परिवर्तन प्रभारों और पार्किंग की लागत का भुगतान कर देते हैं । ऐसे प्लाटों में स्थानीय बाजारों में अनुमेय कार्यकलापों की अनुमति होगी । इसके अतिरिक्त बहुस्तरीय पार्किंग की भी अनुमति होगी । तथापि, इसकी अनुमति असंगत/ नियमित किए गए औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं दी जाएगी । उपर्युक्त प्रावधान किसी भी प्रकार से उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रभावित नहीं करेगा । "**
5.	78	उप पैरा 12.12.2 के नीचे खंड (vii)	इस नोट के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा । **"vii. अधिकतम 10 एफएआर, सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित परिवर्तन प्रभारों/शुल्कों के भुगतान की शर्त पर अज्वलनशील, अहानिकारक व्यावसायिक कार्यकलापों के लिए अनुमेय हैं ।"**
6.	97	सारणी 13.21 के तहत क्रम सं0 14	इस क्रम सं0 में **"स्वीकार्य कार्यकलाप" शीर्षक के तहत इंडोर गेम्स हॉल के बाद "स्विमिंग पूल" जोड़ा जाएगा ।"**
7.	97	सारणी 13.21	इस सारणी के नीचे निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा । **"नोट 1. इंडोर गेम्स हॉल में फिजिकल ट्रेनिंग और उपकरण स्वीकार्य कार्यकलाप है ।"**
8.	113	उप पैरा 15.3.2(1) के तहत "अन्य कार्यकलाप" पर स्पष्टीकरण	इस स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:- **"पैरा नं0 15.7 में दी गई शर्तों के अधीन जैसा कि पैरा 15.7.1 में परिभाषित है, "अन्य कार्यकलाप" गेस्ट हाउस नर्सिंगहोम और प्री-प्राइमरी स्कूलों तक सीमित है । ये उन प्लाटों में अनुमत होंगे, जो नियमित प्लॉटिड विकास में कम से कम 18 मी0 मार्गाधिकार वाली सड़कों से लगते होंगे, क्योंकि यह कार्यकलाप "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं "के रुप में है । नए बैंक, फिटनेस केन्द्रों, वेलनेस केन्द्रों और गैर-सरकारी संगठनों को अनुमति नहीं दी जाएगी । लेकिन जो बैंक 7.9.2006 को पहले से ही विद्यमान है फिटनेस केन्द्र और वेलमेस केन्द्र तथा गैर सरकारी संगठन जो 7.2.2007 को मौजूद हैं (जैसा कि पैरा 15.7.1 में बताया गया है) समय-समय पर इस संबंध में जारी अधिसूचनाओं के अनुसार हैं और अधिसूचना की तिथि को कम से कम 18 मी0 मार्गाधिकार की सड़कों से लगे हुए प्लाटों पर हैं, कार्य करते रहेंगे । "**
9.	114	उप पैरा 15.3.2(सभी श्रेणी की कालोनियों में ग्रुप हाउसिंग) के	इसके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:- **"केवल व्यावसायिक कार्यकलाप और पैरा 15.6.3 के अनुसार छोटी दुकानें अनुमत्य होंगी और स्कूल के बच्चों के लिए ट्यूशन केन्द्रों को अनुमति दी जायेगी । समूह आवास के ले-आउट प्लान में विशेष रुप**

		नीचे स्पष्टीकरण(4)	**से उपलब्ध कराई गई फुटकर दुकानें तथा पैरा 5.4(ii) के तहत समूह आवास में अनुमत्य गतिविधियों की अनुमति होंगी ।"**
10.	115	उप पैरा 15.3.3 के तहत खण्ड(i)	इस खण्ड को संशोधित किया जायेगा और इसे निम्नवत पढ़ा जाए :- **"(i) उस भाग/गली में जहां 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटों में भ-ूतल पर स्थानीय शॉपिंग केन्द्र में अनुमत्य दुकानें/कार्यालय और अन्य गतिविधियां चल रही हैं, ऐसी गली/भाग को मिश्रित उपयोग सड़क के रुप में अधिसूचित किया जा सकेगा ।"**
11.	114	उप पैरा 15.3.3 के तहत खण्ड (iv)	इस खंड के बाद, निम्नलिखित नोट जोड़ा जायेगा: **"नोट-1** **स्थानीय निकाय इस अधिसूचना के तीन माह की अवधि के भीतर 7.2.2007 को अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अनुसरण में शहरी गांवों में सर्वेक्षण करेगा तथा सर्वेक्षण नहीं की गई अनधिकृत कालोनियों को नियमित करेगा ।"**
12.	115	उप पैरा 15.4(ii) के तहत ग्रुप हाउसिंग में	" केवल------- की अनुमति दी जाएगी" वाक्य के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा:- **"तथापि, मिश्रित उपयोग/व्यवसायिक उपयोग क्षेत्र/स्ट्रेच/सड़कों पर डीडीए फ्लैटों के समग्र भूतल पर मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक उपयोग की अनुमति है । दो अथवा अधिक डीडीए फ्लैटों को मिलाने की अनुमति नहीं होगी ।"**
13.	115	15.6	इस उप पैरा के शीर्ष को संशोधित किया जायेगा और इसे "**फुटकर दुकानें और कार्यालय**" के रुप में पढ़ा जाए ।
14.	115	उप पैरा 15.6.1 के तहत खंड(i) और (ii)	इन खंडों को संशोधित किया जायेगा और इन्हें निम्नवत पढ़ा जाए :- **"(i)फुटकर दुकानों और कार्यालयों की अनुमति मिश्रित उपयोग के लिए अधिसूचित सड़कों से सटे प्लाटों पर केवल भूतल पर और अधिकतम अनुमेय भ-ूतल कवरेज तक के लिए दी जाएगी ।"** **(ii) इन सड़कों पर बेसमेंट में चल रहा मिश्रित उपयोग भवन उपविधि के संबंधित उपबंधों, संरचनात्मक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा अनापत्ति की शर्तों के अनुसार जारी रह सकता है । तथापि, यदि बेसमेंट के ऐसे प्रयोग से प्लाट का एफ ए आर अनुमेय एफ ए आर से अधिक होगा तो वह बढ़ा हुआ एफ ए आर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों का भुगतान करना होगा । पैरा 15.3.2.1, 15.3.2.2, 15.3.2.3, 15.3.3(i) और 15.4 तथा कोई अन्य संबंधित प्रावधानों को उपर्युक्त प्रावधानों के साथ पढ़ा जायेगा ।"**
15.	116	उप पैरा 15.6.3	इस उप पैरा के प्रारंभिक वाक्य को संशोधित किया जाएगा और इसे निम्नवत पढ़ा जाए:- **"निम्नलिखित निर्दिष्ट 24 मदों/गतिविधियों से संबंधित /व्यापार भूखण्ड में रिहायशी ईकाइयों की अधिकतम अनुमेय संख्या अथवा 4 संख्या , जो भी कम हो, तक प्रतिबंधित अधिकतम 20 वर्ग मी0 क्षेत्र की प्रत्येक छोटी दुकान को ए और बी**

			श्रेणी की कालोनियों को छोड़कर रिहायशी भूखण्ड में भूतल पर ही अनुमति दी जाती है । तथापि, 7.2.2007 को मौजूद निम्नलिखित निर्दिष्ट मदों/गतिविधियों से संबंधित / व्यापार भूखण्ड में रिहायशी ईकाइयों की अधिकतम अनुमेय संख्या अथवा 4 संख्या , जो भी कम हो, तक प्रतिबंधित अधिकतम 20 वर्ग मी0 क्षेत्र की प्रत्येक छोटी दुकान को ए और बी श्रेणी की कालोनियों को छोड़कर जारी रह सकती हैं किन्तु भविष्य में ए और बी श्रेणी की कालोनियों में रिहायशी भूखण्ड में भूतल पर 20 वर्ग मी0 की केवल एक छोटी दुकान की ही अनुमति दी जाएगी । "
16	117	उप पैरा 15.7.1 का खण्ड ख(ii)	इस खंड के उपरांत निम्न को जोड़ा जाएगा:- **iii) "डे स्पेस सहित वैलनेस सेंटर/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद सेंटर/स्वास्थ्य और सौंदर्यपरक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले सैलून और 7.2.2007 को संचालित ।"**
17	117	उप पैरा 15.7.1 का खण्ड (ड.)	इस खंड के उपरांत निम्न को जोड़ा जाएगा:- **"7.2.2007 को मौजूद"**
18	117	उप पैरा 15.7.1 का खण्ड (च)	इस खंड के उपरांत निम्न को जोड़ा जाएगा:- **"(छ)7.2.2007 को मौजूद और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 एए(1)(ख)सहित धारा 12ए के तहत पंजीकृत लाभ प्राप्त नहीं करने वाले गैर-सरकारी संगठन" ।**
19	117	उप पैरा 15.7.2	इस पैरा के अंत में निम्न नोट जोड़ा जाएगा:- **"नोट : क और ख श्रेणी की कालोनियों सहित 1962 से पहले नियोजित और विकसित सभी कालोनियों में, जब तक न्यूनतम आर ओ डब्ल्यू निर्दिष्ट नहीं होती 9 मी0 की न्यूनतम आर ओ डब्ल्यू पर कोचिंग सेंटरों/ट्यूशन सेंटरों को चलाने की अनुमति भी दी जा सकती है ।"**
20	117	उप पैरा 15.7.2 से नीचे नोट	नोट में * निशान वाले शब्द **"और फिटनेस सेंटर"** हटाए जाएंगे ।
21	117	उप पैरा 15.7.3	इस उप पैरा का ओपनिंग फ्रेज इस प्रकार संशोधित किया जाएगा:- **"उपरोक्त निर्दिष्ट सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक कार्यकलाप पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में निर्धारित सामान्य शर्तो संबंधी निम्नलिखित अतिशयित दशाओं के अध्यधीन होंगे ।"**

22	117	उप पैरा 15.7.3 का खंड(ii)	इस खण्ड को निम्न रुप में संशोधित किया जा सकता है:- **" ii. बैंकों का 600 वर्ग मी0 की शर्त पर एफएआर का अधिकतम दो तिहाई की अनुमति दी जाएगी जबकि गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम वैलनेस सेंटर समेत डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र, फिटनेस प्रदान करने वाले सैलूनों और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवाओं को फर्शी क्षेत्र के 3/4 तक अनुमति दी जाएगी ।"**
23	117	उप पैरा 15.7.3 का खंड(iii)	इस खण्ड में '**क्लीनिक**' तथा '**और**' शब्द के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:- **'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले सैलून सहित वेलनेस सेंटर । "**
24	117	उप पैरा 15.7.3 का खंड(iv)	इस खंड में 'नर्सिंग होम' और 'ऑपरेटिंग ' शब्दों के बीच में निम्न को जोड़ा जाएगा:- **'डे स्पेस/वेट लोस सेंटर/आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने वाले आयुर्वेद केन्द्र/ फिटनेस और सौन्दर्यपरक चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाले प्रदान करने वाले सैलून सहित वेलनेस सेंटर । "**
25	117	उप पैरा 15.7.3 का खंड (vi)	इस खंड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:- **"पूर्व प्राथमिक विद्यालय (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमत्य ग्राउंड कवरेज तक केवल भू-तल पर ही होंगे ।** **फिटनेस सेंटर (जिमनेजियम, योग/ध्यान केन्द्र), (वाणिज्यिक सड़कों से लगते भूखंडों पर निर्मित पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को छोड़कर) अनुमति सभी तलों पर दी जाती है । इसके अलावा भवन उप-नियमों, ढांचागत सुरक्षा संबंधी मनकों और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के संगत प्रावधानों के अध्यधीन बेसमेंट में भी इन केन्द्रों के संचालन की अनुमति दी गई है । यदि भूखंड पर बेसमेंट का प्रयोग अनुमत्य एफ ए आर सीमा से अधिक हो जाता है तो इस प्रकार के अधिक एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों के भुगतान के अध्यधीन होगा ।"**
26	117	उप पैरा 15.7.3 का खंड (vii)	यह पठन हेतु निम्नानुसार संशोधित होगा:- **"कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग केन्द्र सहित पैरा 15.7.1(च) में उल्लिखित कोचिंग केन्द्र और ट्यूशन केन्द्रों के लिए अधिकतम 500**

			वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र और बेसमेंट के अध्यधीन प्लाटों के आकार का अधिकतम अनुमेय फर्शी क्षेत्रफल अनुपात के 2/3 तक अनुमति होगी । प्लाट के आकार के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा । बेसमेंट का प्रयोग मास्टर प्लान दिल्ली- 2021 के संगत उपबंधों के अनुसार अग्निशमन प्राधिकारी और अन्य सांविधिक निकायों तथा समय -समय पर संशोधित यूनिफाईड बिल्डिंग बाई लॉ, 1983 के अनुसार मंजूरी मिलने के अध्यधीन होगा । यदि कम्प्यूटर कोचिंग और भाषा कोचिंग गतिविधियों सहित कोचिंग केन्द्र और ट्यूशन केन्द्र हेतु बेसमेंट का प्रयोग प्लाट के अनुमत्य फर्शी क्षेत्रफल अनुपात से अधिक होता है तो, ऐसे अधिक फर्शी क्षेत्रफल अनुपात का प्रयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभार की अदायगी के अध्यधीन होगा । अन्य मौजूदा कोचिंग/ट्यूशन केन्द्रों को चलाने के लिए मई 2008 के अंत तक वे कंफोर्मिंग स्थानों पर शिफ्ट हो जाएंगे । केवल स्कूलों के बच्चों के लिए ट्यूशन केन्द्र का संचालन 100 वर्ग मीटर के किसी भी आवास समूह के भू-तल में या फ्लैट के फर्शी क्षेत्र के 50% भाग में, जो भी कम हो, अनुमत्य होगा ।"
27	118	उप पैरा 15.7.3 का खंड (ix)	इस खण्ड के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए:- "(x) खंड (छ) में उल्लिखित उप-पैरा 15.7.1 के अनुसार यदि गैर सरकारी संगठनों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ तो उनका अधिसूचना की तिथि से 1 वर्ष के भीतर पंजीकरण कराना चाहिए। " गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियां परिसर के केवल उस भाग से जारी रखने की अनुमति होगी जो 7.2.2007 की स्थिति के अनुसार इस शर्त के अध्यधीन अनुमति बगैर आगे बढ़ाया जाना प्रयोग में था कि यह फर्शी क्षेत्रफल के 3/4 से कम है ।"
28	118	उप पैरा 15.8 (iv)	यह उप पैरा पढ़ने हेतु इस प्रकार संशोधित होगा:- "बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधि चलाना, भवन उप-नियमों के संगत प्रावधान, ढांचागत सुरक्षा मानदंड और अग्नि सुरक्षा मंजूरी के अध्यधीन भूखंडीय विकास में अनुमत्य होगा । यदि व्यावसायिक कार्यकलाप के लिए बेसमेंट के प्रयोग से अनुमेय एफ ए आर अधिक हो जाता है तो बढ़े हुए एफ ए आर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभार का भुगतान करने पर किया जा सकता है ।"
29	118	उप पैरा 15.9 के अंतर्गत खंड(ii)	इस खंड के अंत में, निम्नलिखित जोड़ा जाए:- "वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए मिश्रित प्रयोग हेतु, संपत्ति मालिक/आबंटी को खंड 15.9(v) के अंतर्गत दिनांक 30.6.2009 को

			या इससे पहले किसी भी शास्ति का भुगतान किए बगैर एक बार में पंजीकरण प्रभार तथा वार्षिक परिवर्तन प्रभार की अदायगी करना अनुमत्य होगा ।"
30	118	उप पैरा 15.9 के अंतर्गत खंड(V)	इस खण्ड के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएं:- **"(vi) विशेष क्षेत्र में दिनांक 7.2.2007 को पहले से ही मिश्रित भूमि के अधीन आवासीय परिसर के संबंध में, भूखंडीय विकास के स्वामी/आबंटी/दखलकार से इस संबंध में एक प्रपत्र भरकर ऐसे मिश्रित उपयोग की घोषणा करके संबंधित स्थानीय निकाय को जमा करना अपेक्षित होगा और सरकार के समय-समय पर अनुमोदन से अधिसूचित दर पर दिनांक 30.6.2009 को या इससे पहले बिना कोई शास्ति दिए एक बार में पंजीकरण प्रभार और परिवर्तन प्रभार की अदायगी करनी होगी । "**
31.	119	उप पैरा 15.12.1 के अंतर्गत खंड (ग)	इस खंड को पढ़ने के लिए इस प्रकार संशोधित किया जाए:- **"(ग) ई,एफ और जी श्रेणी की कालोनियों में, जहां 80 प्रतिशत आवासीय भूखंड मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आते हों या जहां एक हेक्टेयर क्षेत्र में 150 दुकाने हों, स्थानीय निकाय द्वारा इस अधिसूचना की तारीख से तीन महीने के अंदर ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा ।"**
32	119	उप पैरा 15.12.2	इस उप पैरा के अंत में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए:- **" टिप्पणी 1: स्थानीय निकाय द्वारा शहरी गांवों तथा नियमित अनधिकृत कालोनियों में उन क्षेत्रों/मार्गों/सड़कों में इस अधिसूचना के तीन महीने के अंदर सर्वेक्षण किया जाएगा जिनका दिनांक 7.2.2007 को अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अनुसरण में सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।"**
33	120	उप पैरा 15.12.3 की शर्त(iv)	इस शर्त को इस प्रकार संशोधित किया जाए:- **" iv. इस खंड के अंतर्गत व्यवसायिक सड़क/क्षेत्र की अधिसूचना होने पर जैसा कि इस योजना के अध्याय 5.0 में उल्लिखित है, ये सड़कें/क्षेत्र स्थानीय शापिंग केन्द्र माने जाएंगे इन व्यावसायिक सड़कों/क्षेत्रों पर भू-खंड स्वामियों/आबंटियों को निर्मित क्षेत्र, जो प्लाट के लिए लागू रिहायशी विकास नियंत्रण मानकों से अधिक न हो, के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर विशेष परिवर्तन प्रभारों का भुगतान करना होगा । ऐसे व्यावसायिक क्षेत्रों/सड़कों में प्लाट आबंटियों/स्वामियों के लिए यह एक बार की सुविधा है और भविष्य में इसका आशय विकास नियंत्रण मानदंडों में छूट नहीं माना जाना चाहिए । "**

34	120	उप पैरा 15.12.3 की शर्त(vii)	इस शर्त को इस प्रकार संशोधित किया जाए:- " **vii. इन सड़कों पर बेसमेंट में चल रही दुकानें भवन उपविधि के संबंधित उपबंधों, संरचनात्मक सुरक्षा और अग्नि-सुरक्षा अनापत्ति की शर्तों के अध्यधीन जारी रह सकती है । तथापि, यदि बेसमेंट के ऐसे प्रयोग से प्लाट का एफएआर अनुमेय एफएआर से अधिक होगा तो वह बढ़ा हुआ एफएआर प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित प्रभारों का भुगतान किया जाए ।** "
35	122	उप पैरा 16.2(3)	इस उप पैरा को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाए:- " **3. विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनियों और गांव आबादी के लिए विशेष क्षेत्र भवन विनियम बनाए जाएंगें । विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनियों और गांव आबादी के स्वामी आगामी छः माह के अंदर स्थानीय निकाय के पास स्वयं को पंजीकृत करवाएगें । उनके द्वारा योग्यता प्राप्त इंजीनियर से प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा । 15 मीटर से अधिक ऊँची संपत्तियों के स्वामियों/दखलकारों को 30 जून 2009 तक ऊँचाई को निर्धारित स्तर तक लाना होगा । उस समय तक 15 मीटर से ऊँची संरचनाओं के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी । इस तारीख के बाद 15 मीटर की ऊँचाई की शर्त पर इस पंजीकरण में कवर होने वाले सभी भवनों को जब तक इन क्षेत्रों के लिए विशेष क्षेत्र भवन विनियमन अधिसूचित नहीं हो जाते अथवा अधिकतम तीन वर्ष, जो भी पहले हो, दंडात्मक कार्रवाई से छूट होगी ।**"
36.	123	अध्याय 17 के अंतर्गत खंड 2(10)	इस खंड को इस प्रकार संशोधित किया जाए:- " **सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित परिवर्तन प्रभार/अन्य शुल्क वहां देने होंगे, जहां कहीं मास्टर प्लान/जोनल प्लान, मिश्रित उपयोग विनियिमों और अन्य विनियमों के अंतर्गत परिसर में भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है ।**"
37.	126	अध्याय 17 के अंतर्गत उप खंड 8(2)(vi)	इस उप खंड को इस प्रकार संशोधित किया जाए:-" "**V. किसी भी उपयोग जोन में स्थित गांव आबादी (लाल डोरा/फिरनी) का भू-उपयोग रिहायशी है ।**"

3053625/08-2

अनुलग्नक-ख

तालिका 5.4: विकास नियंत्रण-वाणिज्यिक केन्द्र (ग) होटल को इस प्रकार संशोधित किया जाए:-

उपयोग/उपयोग परिसर	अधिकतम कवरेज	एफएआर	ऊँचाई (मीटर)	पार्किंग मानक ईसीएस/फर्शी क्षेत्र का 100 वर्ग मीटर	अन्य नियंत्रण
(ग)होटल	40	225#	एनआर*	3@	(i) प्रांगण के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त भू-कवरेज की अनुमति होगी । यदि प्रांगण के लिए अनुमत अतिरिक्त भू-कवरेज का उपयोग किया जाता है तो उपयोग में लाए गए भू-कवरेज के 25% की गणना एफएआर के लिए की जाएगी । (ii) तल क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) के अधिकतम 20% का उपयोग व्यावसायिक कार्यालयों, खुदरा एवं सेवा दुकानों के लिए किया जा सकता है । (iii) सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित किए जाने वाले प्रभारों का भुगतान करने पर ही बढ़ाए गए एफएआर की अनुमति दी जाएगी ।

एनआर*- कोई प्रतिबंध नहीं, एएआई, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य वैधानिक निकायों से अनुमोदन की शर्त पर ।

एफएआर#- एल बी जैड क्षेत्र, सिविल लाइन्स बंगला क्षेत्र तथा हेरीटेज संरचनाओं पर विद्यमान होटलों को छोड़कर अन्य सभी होटलों के संबंध में ।

@- जिन होटलों के भवन निर्माण नक्शे 27.1.2006 से पहले स्वीकृत कर दिए गए हैं, उनके संबंध में 100 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र अनुपात के लिए 3 ईसीएस के पार्किंग मानक केवल अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र अनुपात, जो कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में संशोधन के परिणामस्वरूप उपलब्ध कराया गया है, के लिए ही लागू होंगे । जिन होटलों के भवन निर्माण नक्शे 27.1.2006 अथवा उसके बाद स्वीकृत किए गए हैं, उनके संबंध में 100 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र के लिए 3 ईसीएस के पार्किंग मानक सारे भूखंड के लिए लागू होंगे ।

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2008

S.O. 2034(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) as Public Notices vide No. S.O. 1049(E), dated 30-4-2008, 1142(E), dated 15-5-2008, 1172(E), dated 19-5-2008, 1396(E), dated 9-6-2008 and 1397(E) dated 9-6-2008 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions with regard to the proposed modifications have been considered by a Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also by the Delhi Development Authority; and

3. Whereas the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the modifications in the said Master Plan for Delhi, 2021 as per Annexure A and B with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

[No. K-12011/5/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Annexure-A

Sl. No.	Page No.	Para/ Clause No. of MPD-2021	Modifications
1.	27	Condition (xvii) under sub-para 4.4.3	This condition shall be substituted by the following:- **"(xvii) Encroachment on public land shall not be regularized and shall be removed before the local body grants sanction for regularization of additional construction or height except the following:-** **(a) Projections/chajjas/ covered chajjas built up portion which existed before 7.2.2007 upto 1m above 3m height from the ground level shall be regularized for plot size upto 175 sqm on roads below 24m ROW in pre-1962 colonies (except for A & B category), in unplanned areas (including special area, village abadi and unauthorized-regularized colonies) and re-settlement colonies. The owners/occupiers shall have to obtain structural safety certificate and fire clearance within a reasonable period of time as notified by the Government. Such projections/built up portion thereon shall be counted in FAR and in case of excess FAR over and above permissible FAR, such FAR in excess shall be regularized subject to payment of appropriate charges as approved by the Government.** **(b) The local body concerned shall carry out a survey within a period of two months from the date of notification of all such projections eligible to be regularized and put such list in public domain for objections from the occupiers/owners and any person of the public against inclusion/exclusion of such projection in the list and the list thereafter will be finalized within a period of one month after considering such objections received in writing."**

2.	35-36	Table 5.4-4(c) Hotels	The Development Control Norms of (c) Hotels shall be substituted as per **Annexure 'B'.**
3.	46	Note (v) below Table 7.3	This Note shall be substituted by the following: **"v. Banquet hall shall be permissible in Industrial premises subject to specifications/ regulations as may be prescribed, along with conversion charges as prescribed by the Government from time to time."**
4.	46	Note (vi) below Table 7.3	This note shall by substituted by the following:- **"vi. Industrial units/ plots abutting roads of 24m ROW and above shall be eligible for conversion to commercial use within the existing development control norms, subject to payment of conversion charges as prescribed by the Government from time to time, and cost of parking as decided by Government from the time to time. The activities permissible in local shopping centres will be permitted in such plots. In addition, multilevel parking shall be permissible activity. However, this shall not be permitted on non-conforming/ regularized industrial cluster. The above provision shall not affect the Supreme Court orders in any way."**
5.	78	Clause (vii) below sub-para 12.12.2	This clause shall be substituted by the following:- **"vii. Maximum 10 FAR permissible for non-inflammable, non-hazardous commercial activities subject to payment of conversion charges/levies, as prescribed by the Government from time to time."**
6.	97	Sl.No.14 under Table 13.21	In this Sl.No. under the Heading 'Activity permitted', after Indoor Games Hall, **"Swimming Pool"** shall be added.
7.	97	Table 13.21,	Below this table, the following foot note shall be added:- **"Note 1: Physical training with equipment is permitted activity in the Indoor Games Halls".**

8.	113	Clarification on 'Other activity' under sub-para 15.3.2(1)	This clarification shall be substituted by the following: " **"Other Activity" restricted to guest houses, nursing homes and pre-primary schools, as defined in para 15.7.1, subject to conditions contained in para 15.7, in plots abutting roads of minimum 18m ROW in regular plotted development, since these activities are in the nature of 'Public and Semi Public' facilities. New banks, fitness centres, wellness centres and NGOs will not be permissible. Banks which existed as on 7.9.2006, fitness centres, wellness centres and NGOs which existed as on 7.2.2007, (as defined in para 15.7.1), in accordance with notifications issued in this regard from time to time, and are on plots abutting roads of minimum 18m ROW, on the date of notification, shall however, continue."**
9.	114	Clarification (4) below sub para 15.3.2 (Group Housing in all categories of colonies)	This shall be substituted by the following:- **"Only professional activity, small shops in terms of para 15.6.3 and tuition centres for school children only shall be permissible. Retail shops specifically provided for in the lay out plan of group housing and activities permitted in group housing under para 15.4(ii) would be permissible."**
10.	114	Clause (i) under Sub-para 15.3.3	This Clause shall be modified to read as under:- **"(i) Where more than 50% of the plots in a stretch/street, are having shops/ offices and other activities permitted in Local Shopping Centres on ground floor, such streets/ stretches shall be eligible for notification as mixed use street".**
11.	114	Clause (iv) under Sub Para 15.3.3	After this clause, the following note shall be added:- **"Note-1** **The local body shall carry out a survey in those streets/roads in urban villages and regularized-unauthorized colonies not surveyed pursuant to the provisions of MPD-2021 notified on 7.2.2007, within a period of three months of this Notification."**

12.	115	In Group Housing under Sub-Para 15.4(ii)	After the sentence " **Only ----permissible**", the following shall be added:- **"However, the entire ground floor of DDA flats on mixed use/ commercial use area/ stretches/ roads is allowed for mixed use/ commercial use. No amalgamation of two or more DDA flats shall be allowed."**
13.	115	15.6	The Heading of this sub para shall be modified to read as **"Retail Shops and Offices".**
14.	115	Clause (i) & (ii) under sub-para 15.6.1	These clauses shall be modified to read as under: **"(i) Retail shops and Offices shall be permitted on plots abutting streets notified for mixed use only on the ground floor upto the maximum permissible ground floor coverage.** **(ii) Mixed use from basement on such streets may be allowed, subject to relevant provisions of building bye-laws, structural safety and fire safety clearance. However, if such use of basement leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used, subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government. Paras 15.3.2.1, 15.3.2.2, 15.3.2.3, 15.3.3(i) and 15.4 and any other relevant provisions shall be read alongwith the above provisions."**
15.	116	Sub Para 15.6.3	The opening phrase of this sub para shall be modified to read as under:- **"Small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of DUs in the plot or four numbers, whichever is less, trading in or dealing with the following specified 24 items/activities are allowed on ground floor only in residential plot, excluding A & B category of colonies. However, small shops of maximum 20 sqm area each, restricted to maximum permissible number of dwelling units in the plot or four in number, whichever is less, trading in or dealing with specified items/**

			activities existing as on 7.2.2007 may continue on ground floor only in a residential plot in A & B category of colonies but in future only one small shop of 20 sqm area shall be allowed on ground floor in a residential plot in A & B category of colonies."
16.	117	Clause b(ii) of sub-para 15.7.1	After this Clause, the following shall be added:- **"iii. Wellness Centers including Day Spas/ Weight Loss Centres/ Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services and operating as on 7.2.2007."**
17.	117	Clause (e) of Sub-para 15.7.1	At the end of this Clause, the following shall be added:- **"as existed on 7.2.2007."**
18.	117	Clause (f) of Sub-para 15.7.1	After this Clause, the following shall be added:- **"(g) Non-profit making Non-Governmental Organizations (NGOs) existing as on 7.2.2007 and registered as such under Section 12A read with Section 12AA(1)(b) of the Income Tax Act, 1961."**
19.	117	Sub Para 15.7.2	At the end of this sub para, the following note shall be added:- **"Note: Coaching centres/tuition centres shall also be allowed to operate on a minimum ROW of 9m unless lesser ROW is specified, in all colonies planned and developed prior to 1962 including A and B category colonies."**
20.	117	Notes below Sub-para 15.7.2	In the Note with * mark, the words **'and fitness centers'** shall be deleted.
21.	117	Sub Para 15.7.3	The opening phrase of this sub-para shall be modified as under:- **"The above mentioned public and semi-**

			public activities shall be subject to the following overriding conditions on the general conditions prescribed in preceding paras:"
22.	117	Clause (ii) of sub-para 15.7.3	This Clause shall be substituted by the following:- **"ii. Banks shall be permissible on maximum 2/3rd of FAR subject to 600 sqm while guest house, nursing homes, Wellness Centers including Day Spas/ Weight Loss Centres/ Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services will be permissible upto 3/4th of the floor area."**
23.	117	Clause (iii) of sub-para 15.7.3	In this Clause, between the words "**clinics**" and "**and**", the following shall be inserted:- **",Wellness Centers including Day Spas/ Weight Loss Centers/ Ayurvedic Centers offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services".**
24.	117	Clause (iv) of sub-para 15.7.3	In this Clause, between the words "**Nursing Homes**" and "**operating**", the following shall be inserted:- **"Wellness Centers including Day Spas/ Weight Loss Centres/ Ayurvedic Centres offering Ayurvedic treatment/ Salons offering fitness & aesthetic medical services."**
25.	117	Clause (vi) of Sub-para 15.7.3	This clause shall be substituted by the following: **"Pre-primary school (other than those on plots abutting commercial streets) shall be restricted only to the ground floor upto the permissible ground coverage.** **Fitness Centre (including Gymnasium, Yoga/Meditation Centre), (other than those on plots abutting commercial streets) is permitted on all floors. It is also permitted in the basement subject to relevant provisions of Building Bye Laws,**

			structural safety norms and fire safety clearance. In case the use of basement leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government".
26.	117	Clause (vii) of Sub Para 15.7.3	This clause shall be modified to read as under:- **"Coaching centres and tuition centres referred to in para 15.7.1 (f) including computer coaching and language coaching centres shall be permissible up to 2/3rd of the maximum permissible FAR of the plot size subject to a maximum of 500 sqm built area and basement. There shall be no restriction on the size of the plot. Use of basement shall be subject to clearance from the fire authorities and other statutory bodies as per the relevant provisions of MPD 2021 and Unified Building Bye-Laws, 1983, amended from time to time. In case the use of basement for coaching centres and tuition centres including computer coaching and language coaching activity leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government. Other existing coaching/tuition centres may be allowed to continue till end of May, 2008 and shift to conforming locations by then.** **The tuition centres for school children only, shall also be permissible in the ground floor dwelling of any group housing on a maximum floor area of 100 sqm or 50% of the floor area of the flat, whichever is less."**
27.	118	Clause (ix) of Sub-para 15.7.3	After this Clause, the following Clause shall be added:- **"(x) NGOs as referred to in Clause (g) of Sub-para 15.7.1, if not registered as yet, should get themselves registered within one year from the date of Notification. Activities of NGOs will be allowed to**

			continue only from that part of the premises which was in use as on 7.2.2007 without permitting any further increase subject to the condition that it is less than 3/4th of the floor area."
28.	118	Sub Para 15.8 (iv)	This sub para shall be modified to read as under:- **"Professional activity in basements is permissible in plotted development, subject to relevant provisions of Building Bye-Laws, structural safety norms and fire safety clearance. In case, the use of basement for professional activity leads to exceeding the permissible FAR on the plot, such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government."**
29.	118	Clause (ii) under sub-para 15.9	At the end of this Clause, the following shall be added :- **"For mixed use for the year 2006-07 and 2007-08, the property owner/allottee shall be allowed to pay one time registration charges and annual conversion charges without payment of any penalty under Clause 15.9 (v) for mixed use on or before 30.6.2009."**
30.	118	Clause (v) under sub-para 15.9	After this clause, the following clauses shall be added : **"(vi) In respect of residential premises already under mixed use on 7.2.2007 in Special area, the owner/allottee/occupier of the plotted development shall be required to declare such mixed use by filling up a form in this respect and depositing it with local body concerned and pay one time registration charges and conversion charges without penalty on or before 30.6.2009 at the rate to be notified with the approval of the Government from time to time."**

31.	119	Clause (c) under Sub-para 15.12.1	This Clause shall be modified to read as under:- **"(c) In E, F & G category colonies, where 80% of residential plots are under mixed use, or if there are 150 shops, within a contiguous area of 1 hectare, the Local Body shall carry out a survey in such areas within a period of three months from the date of this Notification."**
32.	119	Sub-para 15.12.2	At the end of this sub-para, the following note shall be added:- **"Note 1: The local body shall carry out a survey in those areas/ streets/roads in urban villages and regularized-unauthorized colonies not surveyed pursuant to the provisions of MPD-2021 notified on 7.2.2007, within a period of three months of this notification."**
33.	120	Condition (iv) to sub-para 15.12.3	This condition shall be modified to read as under: **"iv. On notification of a commercial street/ area under this clause, such streets/ areas shall be considered as local shopping centres as mentioned in Chapter 5 of this Plan. The plot owners/ allottees on these commercial streets/ areas shall have to pay conversion charges as prescribed by the Government from time to time, in respect of the built up area which shall not exceed the residential development control norms applicable to the plot. This is a one-time facility for plot allottees/ owners in such commercial areas/ streets and shall not be construed as relaxation of the development control norms in future."**
34.	120	Condition (vii) to sub-para 15.12.3	This condition shall be modified to read as under: **"vii. Commercial activity in basement on such streets shall be permitted, subject to relevant provisions of building bye laws, structural safety and fire safety clearance. However, if such use of basement leads to exceeding the permissible FAR on the plot,**

			such FAR in excess shall be used subject to payment of appropriate charges prescribed with the approval of Government."
35.	122	Sub-para 16.2(3)	This Sub-para shall be modified to read as under: **"3. Special Area building Regulations shall be framed for special area, unauthorized regularized colonies and village abadis. Owners in special area, unauthorized regularized colonies and village abadi shall register themselves with the Local Body within the next six months. They will also submit a certificate of structural safety by qualified engineers. Owners/ occupiers of properties beyond 15 m height, may bring the structure within prescribed height by 30th June, 2009. Till such time, no punitive action would be taken against these structures beyond 15 m height. Subsequent to this date, subject to height restriction of 15 m, all buildings covered by such registration shall be exempted from punitive action till Special Area Building Regulations for these areas are notified or maximum three years, whichever is earlier."**
36.	123	Clause 2(10) under Chapter 17	This Clause shall be modified to read as under:- **"Conversion charges/other levies as prescribed by the Government from time to time shall be payable wherever land use conversion is enabled at premise level by the Master Plan/Zonal Plan, Mixed Use Regulation and other Regulations."**
37.	126	Sub Clause 8(2)(vi) under Chapter 17	This sub-clause shall be modified to read as under:- **"(v) Land use of village Abadi (Lal Dora/firni) located in any use zone is residential."**

ANNEXURE – B

Table 5.4: Development Control-Commercial Centers of (c) Hotels shall be modified to read as under:

Use/use premises	Maximum Coverage (%)	FAR	Height (mts.)	Parking Standards ECS/100 sqm of floor area	Other controls
(c)Hotels	40	225#	NR*	3@	(i) Maximum 10% ground coverage shall be allowed for providing atrium. In case, the permissible additional ground coverage for atrium is utilized, 25% of the utilized ground coverage shall be counted towards FAR. (ii) Maximum 20% of the FAR can be used for the Commercial Offices, Retail & Service Shops. (iii) The enhanced FAR will be allowed subject to payment of charges to be prescribed/ notified by the Government.

NR*-No Restriction, subject to clearance from AAI, Delhi Fire Service and other statutory bodies.

FAR#- In respect of all hotels except those located in LBZ area, Civil Lines Bungalow Area and Hotels existing on heritage structures.

@- In respect of hotels where the building plans stand sanctioned prior to 27.1.2006, parking standard of 3 ECS for 100 sqm of floor area shall be applicable only for the additional FAR which will be availed consequent upon amendment to MPD 2021. In respect of hotels where the building plans have been sanctioned on or after 27.1.2006, the parking standard of 3 ECS for 100 sqm of floor area shall be applicable to the entire plot.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K-20013/15/2004- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 3rd September, 2008

Subject: **Publication of Notification in the Gazette of India Extraordinary— Change of land use of Plot measuring 2.58 acres allotted to Ministry of Culture at 24, Tilak Marg (Sikandra Road), New Delhi from Public and Semi Public to Government Office.**

...

Sir,

A copy of Notification No.1442(E) dated 27th August, 2008 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
पावती सं. Diary No. 502
दिनाँक Date 19.9.08

(P.K.Santra)
Under Secretary
Tel.No.23061681

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi
2. Chairperson, NDMC, Palika Kendra, New Delhi
3. Commissioner (MCD), Town Hall, Delhi
4. Principal Secretary(UD), Govt. of National Capital Territory of Delhi, I.P.Estate, Delhi.
5. Director General, Archeological Survey of India, Ministry of Culture, Janpath, New Delhi.

Copy to:- NIC, M/o UD to put the above Notification on the website of this Ministry immediately.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1222] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2008/भाद्र 5, 1930
No. 1222] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2008/BHADRA 5, 1930

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2008

का.आ. 2113(अ).—यत: नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में नीचे दिए गए क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार 13 जून, 2008 की सं. का.आ. 1442(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

2. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है ।

3. अत:, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, बशर्ते कि मौजूदा अनधिकृत कालोनी के साथ-साथ डिफेंस अपनी भूमि पर उचित सड़क मुहैया कराए ।

संशोधन :

जोन ''डी'' में 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली में 2.58 एकड़ (1.04 हैक्टेयर) के निम्न क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा
1	2	3	4	5
जोन-डी में 24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली	2.58 एकड़ (1.04 हैक्टेयर)	''सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सुविधाएं''	''सरकारी कार्यालय''	**पूर्व**—तिलक मार्ग **पश्चिम**—प्लाट सं. 7 **उत्तर**—सिकन्दरा रोड **दक्षिण**—कला महाविद्यालय

[सं. के-20013/15/2004-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2008

S.O. 2113(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1442(E) dated 13th June, 2008 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhl- 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 2.58 acre (1.04 ha.) at 24, Tilak Marg, New Delhi falling in Zone-D is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
24, Tilak Marg, New Delhi in Zone-D	2.58 acre (1.04 ha.)	'Public and Semi Public Facilities'	'Government Office'	**East**—Tilak Marg **West**—Plot No. 7 **North**—Sikandra Road **South**—College of Arts

[No. K-20013/15/2004-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

69/lett.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
OFFICE OF THE JT. DIRECTOR (MASTER PLAN)
6th floor, VIKAS MINAR, IP ESTATE, NEW DELHI.
(Ph. No. 23370507.)

No. F.5(44)2007/MP/271 Dated 10/9/08

From:
H.S.Dhillon
Jt. Director (MP)

To
The Principal Commr.-cum-Secy.
DDA, Vikas Sadan
New Delhi.

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
पावती सं
Diary No. 487
दिनाँक
Date 15/9/08

Sub.: Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Plg. & Engg.) Centre Regulations-2008.

Sir,

Please find enclosed a copy of the regulation namely "Unified Traffic & Transportation Infrastructure (Plg. & Engg.) Centre Regulations-2008" published by DDA through Gazette Notification dated 31st July, 2008 in exercise of the power conferred by Section-57 of DD Act, 1957.

I am directed to draw your attention to Para-5(g) of the bye-laws which states that all transportation projects/transport Engineering Solutions in Delhi by any agency having road engineering/infrastructure implication would require clearance of the Centre.

Yours faithfully,

(H.S. Dhillon)
Jt. Director (MP)

DD (C)

DD (MC)

A new file be opened on the subject.
15/9

28771/L

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1090] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2008/श्रावण 9, 1930
No. 1090] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2008/SRAVANA 9, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2008

का.आ.1903(अ).— दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र विनियम, 2008

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आवागमन में वृद्धि करने, भीड़ को कम करने और मानक परिवहन योजना पद्धतियां, क्षमता निर्माण, प्रवर्तन उपाय, सड़क सुरक्षा निगरानी, यातायात इंजीनियरिंग पद्धतियां लागू करके यातायात सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तथा अच्छी लेन क्षमता एवं कार्य जोन प्रबंध, उपयोगिताओं के समन्वय, यातायात की समझ को विकसित करके और यातायात योजना की कमियों को दूर करके बेहतर संगठनात्मक समन्वय को अपनाने की दृष्टि से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र स्थापित किया गया है। यातायात एवं परिवहन केन्द्र का कार्य इन विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

ये विनियम, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से तत्काल लागू होंगे।

परिभाषाएँ

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ अथवा अभिप्राय से कुछ असंगत न हो :—

—''अधिनियम'' से अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है।

—''प्राधिकरण'' से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।

—''एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) ''केन्द्र'' (यातायात एवं परिवहन केन्द्र के रूप में संदर्भित) से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए के अंतर्गत गठित समिति से है।

—''सदस्यों'' से अभिप्राय एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र के सदस्यों से होगा।

एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र हेतु उपविधि

01. **नाम**

केन्द्र का नाम ''एकीकृत यातायात एवं परिवहन (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र'' होगा, जिसे इसके बाद **'यातायात परिवहन केन्द्र'** (टी टी सेन्टर) कहा जाएगा।

02. **कार्यालय**

'यातायात एवं परिवहन केन्द्र' (टी टी सेन्टर) का कार्यालय विकास मीनार, दि. वि. प्रा. कार्यालय, नई दिल्ली में अवस्थित होगा।

03. **उद्देश्य एवं लक्ष्य**

''एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र'' के उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) यातायात एवं परिवहन की योजना एवं इंजीनियरिंग पद्धति के मानदंडों और मानकों का अध्यन एवं समन्वय करना।

क्तियां प्राप्त होंगी। सदस्य सचिव बैठकों का रिकॉर्ड रखेंगे और अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे ।

07. यातायात एवं परिवहन केन्द्र के अध्यक्ष की शक्तियां

अध्यक्ष को इन विनियमों के ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त समझी गई कार्रवाई करने की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। तथापि, वे अगली बैठक में पुष्टि के अधीन होंगी।

08. यातायात एवं परिवहन केन्द्र के उपाध्यक्ष की शक्तियां

उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सहयोग में कार्य करेंगे और केन्द्र के सामान्य कार्य देखेंगे।

09. केन्द्र के सदस्य-सचिव की शक्तियां

सदस्य-सचिव केन्द्र के कार्यों से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्य करेंगे।

10. समितियों का गठन

(क) कार्य-समूह और कार्यकारी समिति :-

यातायात और परिवहन केन्द्र के दैनिक कार्यों के सुचारू रूप से करने के लिए एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(1) उपाध्यक्ष, दि.वि. प्रा.	—अध्यक्ष
(2) वित्त सदस्य, दि. वि. प्रा.	—सदस्य
(3) अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा.	—सदस्य
(4) आयुक्त (योजना), दि. वि. प्रा.	—सदस्य
(5) अपर आयुक्त (योजना), टी टी	—सदस्य
(6) परियोजना प्रबंधक (फ्लाई ओवर) ग्रुप-I एवं II, दि.वि.प्रा.	—सदस्य
(7) निदेशक (टी टी), दि. वि. प्रा./ सलाहकार (टी टी)	—सदस्य सचिव

कार्यकारी समिति उन शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इसे यातायात एवं परिवहन केन्द्र द्वारा प्रदान की जाएंगी।

(ख) यातायात एवं परिवहन केन्द्र अभियंता सदस्य और आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में कार्य-समूहों का गठन कर सकता है।

(ग) इसके अतिरिक्त, यातायात एवं परिवहन केन्द्र, यदि आवश्यक समझे तो यातायात एवं परिवहन केन्द्र द्वारा समय-समय पर आरंभ की जाने वाली विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वियन से संबंधित कार्यों की निगरानी और निष्पादन के लिए, किसी अन्य समिति का गठन कर सकता है ।

11. बजट, वित्त एवं लेखा

(1) यातायात एवं परिवहन केन्द्र स्थापित करने और इसके संचालन कार्यों के लिए व्यय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए अनुदान एव ऋण और दान आदि से पूरा किया जाएगा ।

(2) यातायात एवं परिवहन केन्द्र से संबंधित संशोधित और बजट अनुमानों को अनुमोदनार्थ, प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

(3) केन्द्र के लिए वित्तपोषण की विधि तथा निधि प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। यातायात एवं परिवहन केन्द्र से संबंधित विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतान के रिकार्ड के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाएगा ।

(4) यातायात और परिवहन केन्द्र उचित लेखा और अन्य संबंधित रिकार्डों का रख-रखाव करेगा और प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित रूप में तुलन-पत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

12. लेखा परिचालन

यातायात एवं परिवहन लेखा का संचालन, वित्त सदस्य, दि.वि. प्रा. द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

13. व्यय करने की शक्तियां

यातायात एवं परिवहन केन्द्र को, यातायात एवं परिवहन केन्द्र के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने और पूरा करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे गए व्यय संस्वीकृत करने की शक्ति होगी।

14. स्टाफ नियुक्त करने की शक्तियां

यातायात एवं परिवहन केन्द्र में संपूर्ण लिपिकीय स्टाफ और लेखा स्टाफ की तैनाती, दि.वि.प्रा. के विद्यमान स्टाफ में से की जाएगी। तथापि, सलाहकारों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को अनुबंध आधार पर रखा जाएगा।

15. लेखा-परीक्षा

यातायात एवं परिवहन केन्द्र के लेखा परीक्षा, दि.वि. अधिनियम, 1957 के अनुसार की जाएगी।

16. बैठकों में उपस्थित होने हेतु मानदेय

यातायात एवं परिवहन केन्द्र की बैठक में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर यथा निर्णीत मानदेय दिया जाएगा।

17. विवाद

किसी भी विवाद पर, उप-राज्यपाल, दिल्ली, जो यातायात एवं परिवहन केन्द्र के अध्यक्ष हैं, का निर्णय अंतिम होगा।

18. कानूनी कार्यवाही

यातायात एवं परिवहन केन्द्र के विरुद्ध रा.रा.क्षेत्र दिल्ली से बाहर किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

19. दि.वि. अधिनियम, 1957 की प्रयोज्यता

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधान लागू होंगे।

20. निरसन और बचाव

इन विनियमों के आरंभ होने की तिथि को और इस तिथि से यातायात एवं परिवहन केन्द्र तदनुसार कार्य करेगा बशर्ते कि यातायात एवं परिवहन केन्द्र के लिए एवं उसके द्वारा पहले की गई कार्रवाई प्रभावित न हो।

[फा. सं. एफ. 5 (44) 2007/एम पी]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2008

S.O. 1903(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957

(61 of 1957) the Delhi Development Authority hereby makes the following regulations, namely :—

UNIFIED TRAFFIC AND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE (PLANNING AND ENGINEERING) CENTRE REGULATIONS, 2008

With a view to enhance mobility, reduce congestion and to promote traffic safety by adopting standard transport planning practices, capacity building, enforcement measures, road safety audits, traffic engineering practices and better organizational co-ordination for improved traffic management by efficient lane capacity and work zone management, utilities coordination, developing traffic culture and avoiding transport planning pitfalls in the National Capital Territory of Delhi, the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre is set up by Delhi Development Authority in exercise of powers under Section 5A of the Act. The business of the TT Centre will be governed by these Regulations :—

These regulations shall come into force immediately from the date of their publication in the Official Gazette.

DEFINITIONS

In these Regulations unless there is anything inconsistent with the context or meaning :—

—"Act" means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

—"Authority" means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.

—"Unified" Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre" (referred as TT Centre) means the committee constituted by the Authority under Section 5A of the Act.

—"Members" shall mean the members of the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre.

BYE-LAWS FOR THE UNIFIED TRAFFIC AND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE (PLANNING AND ENGINEERING) CENTRE

01. Name

The name of the Centre shall be "Unified Traffic and Transportation (Planning & Engineering) Centre" hereinafter called the "TT Centre".

02. Office

The office of the 'TT Centre' shall be located in Vikas Minar, DDA office, New Delhi.

03. Aims and Objectives

The aims and objectives of the "Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre" shall be as follows :—

(i) To study and coordinate the norms and standars for Planning and Engineering Practices in Traffic and Transportation.

(ii) Engineering Aspects of Implementation of National Transport Policy-2006 and Master Plan of Delhi-2021 Transportation proposals.

(iii) Traffic Road Safety Audit Guidelines (TRSAG).

(iv) To coordinate the Engineering and Infrastructu... aspects of sustainable public transportation system.

(v) To evolve a parking policy and evolve parking solutions.

(vi) Inventory of corridor-wise Traffic and Transportation issues, Traffic Management Strategies and Enforcement Guidelines.

(vii) To act as a repository for sharing of traffic and transportation plans/database/information/ digitization and website development.

(viii) Evolving Environmental Impact Assessment Guidelines for Traffic and Transportation Projects.

(ix) Developing protocols and norms for signages, street furniture, lighting, signals, hoardings, trees, roadside landscapes, zebra crossing, pedestrian passages, commuter facilities etc.

(x) Evaluation—Public participation—Feedback.

(xi) To take up other related activities as may be considered appropriate by the 'TT Centre' including co-ordination, capacity building and training.

04. Constitution of the TT Centre

The Governing Body of the TT Centre shall comprise the following members :

LG, Delhi	—Chairman
Vice-Chairman, DDA	Vice-Chairman
Engineer Member, DDA	—Member
Pr. Commissioner-cum-Secy. (TPT) GNCTD	—Member
OSD (MRTS), MOUD	—Member
Commissioner (Plg.), DDA	—Member
Secretary, Indian Roads Congress (IRC)	—Member
President, Institute of Road Traffic Education	—Member
Chief Planner, TCPO	—Member
Head, Traffic & Transportation Division, CRRI	—Member
Managing Director, DIMTS	—Member
Chief Town Planner, MCD	—Member
Engineer in Chief, MCD	—Member
Engineer in Chief, PWD	—Member
Engineer in Chief, NDMC	—Member
Chief Engineer, NR	—Member
Director (Project), DMRC	—Member
Joint Commissioner of Police (Traffic)	—Member
Additional Commissioner (Planning) TT, DDA	—Member
Director (TT) DDA/Sr. Advisor (TT)	Member-Secy.

Experts can be co-opted from other organizations like SPA, IIT Delhi, DCE, NGOs and other such institutions.

The meeting of the Governing Body shall be normally held every three months.

Working Groups shall be constituted for day to day work and to help the Governing Body.

05. Functions of the TT Centre

In view of Aims and Objectives defined in clause 0.3, the TT Centre shall perform the following functions :—

(a) To compile a manual based on hand books/best practices/Traffic transportation planning and engineering norms for uniform adoption in NCT Delhi.

(b) To digitize the available Traffic & Transportation plans.

(c) To develop a comprehensive integrated programme for traffic and transportation projects.

(d) To coordinate integrated development of traffic & transportation projects including Integrated Freight Complex (IFC), Metropolitan Passenger Terminal (MPT), Inter-State Bus Terminal (ISBT) by involving concerned local bodies.

(e) To coordinate refurbishment of urban corridors for capacity augmentation with focus on small improvements and retrofitting measures that synergize into zero defect roads and relieving traffic congestion.

(g) All transportation projects/transport Engineering solutions in Delhi by any agency having road Engineering/Infrastructure implication would require clearance of the centre. This would ensure that latest technology and research finding support is available to all new roads and projects.

(h) The Technical support of staff and secretarial assistance to this centre shall be provided by the Authority.

06. Meetings of the TT Centre

The meetings of the TT Centre shall be held as and when required. The TT Centre shall have the powers to regulate its own procedure. The Member-Secretary shall keep the records of the meetings and take the required follow up actions.

07. Powers of the Chairman of the TT Centre

The Chairman shall have all the powers to take necessary steps as he may deem fit within the framework of these regulations. However, they shall be subject to the confirmation in its next meeting.

08. Powers of the Vice Chairman of the TT Centre

The Vice Chairman shall work in coordination with the Chairman and oversee the general functions of the Centre.

09. Powers of the Member-Secretary of the Centre

The Member Secretary shall perform all the administrative duties connected with the functioning of the Centre.

10. Constitution of the Committees

(a) Working Groups and Executive Committee :

For smooth day to day functioning of the TT Centre there shall be an Executive Committee comprising of the following :

(i) Vice Chairman, DDA	—Chairman
(ii) Finance member, DDA	—Member
(iii) Engineer member, DDA	—Member
(iv) Commissioner (Plg.), DDA	—Member
(v) Addl. Commr. (Plg.) TT	—Member
(vi) Project Manager (Flyover) Gr. I & II, DDA	—Member
(vii) Director (TT) DDA/Advisor (TT)	—Member-Secretary

The Executive Committee will exercise such powers as may be delegated to it by the TT Centre.

(b) The TT Centre may constitute working Groups under the Chairmanship of Engineer Member and Commissioner (Plg.), DDA.

(c) The TT Centre may, in addition, constitute any other Committee as it may consider necessary to oversee and perform functions pertaining to implementation of specific projects that may be undertaken by the TT Centre from time to time.

11. Budget, Finance & Accounts

(i) The expenses for setting up of the TT Centre and its operational activities shall be met by the Delhi Development Authority, Grants and Loans given by Govt. of India, GNCTD/Local Bodies and donations etc.

(ii) The revised and budget estimates in respect of the TT Centre shall be placed before the Authority for its approval.

(iii) The modalities of financing and processing of funds for the centre will be prescribed by the Authority. A Separate Bank Account shall be opened to record various receipts and payments relating to the TT Centre.

(iv) The TT Centre shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts including the balance sheet in such form as the Authority may prescribe.

12. Operation of Accounts

The Account of the TT Centre shall be operated by an officer so authorized by the Finance Member.

282/c

13. Powers to Incur Expenses

The TT Centre shall have the power to sanction such expenses from time to time as it considers necessary for the promotion and achieving of the aims and objectives of the TT Centre.

14. Powers for Engagement of Staff

All Ministerial Staff and Accounts Staff will be posted in the TT Centre by redeployment of DDA's existing staff. However, advisors/experts/consultants will be on contract basis.

15. Audit

The Audit of Accounts of the TT Centre shall be conducted as per the DD Act, 1957.

16. Honorarium for Attending Meetings

The non-official members will be given an honorarium as may be decided from time to time for attending the meeting of the TT Centre.

17. Disputes

The decision of the Lt. Governor, Delhi who is the Chairman of the TT Centre on any dispute shall be final.

18. Legal Proceedings

No suit against the TT Centre shall lie in any Court outside the NCT, Delhi.

19. Applicability of DD Act, 1957

The provisions of the Delhi Development Authority Act, 1957 as amended from time to time will apply.

20. Repeal and Saving

On and from the date of commencement of these Regulations, the TT Centre shall act accordingly, provided that the actions already taken for and by the TT Centre shall not be affected.

[F. No. F.5 (44) 2007/MP]

V. M. BANSAL, Pr. Comm.-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

28 7 | L

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1090] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 31, 2008/श्रावण 9, 1930
No. 1090] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 31, 2008/SRAVANA 9, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2008

का.आ.1903(अ).— दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र विनियम, 2008

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आवागमन में वृद्धि करने, भीड़ को कम करने और मानक परिवहन योजना पद्धतियां, क्षमता निर्माण, प्रवर्तन उपाय, सड़क सुरक्षा निगरानी, यातायात इंजीनियरिंग पद्धतियां लागू करके यातायात सुरक्षा को बढ़ाने के लिए तथा अच्छी लेन क्षमता एवं कार्य जोन प्रबंध, उपयोगिताओं के समन्वय, यातायात की समझ को विकसित करके और यातायात योजना की कमियों को दूर करके बेहतर संगठनात्मक समन्वय को अपनाने की दृष्टि से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र स्थापित किया गया है। यातायात एवं परिवहन केन्द्र का कार्य इन विनियमों द्वारा शासित किया जाएगा।

ये विनियम, सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से तत्काल लागू होंगे।

परिभाषाएँ

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ अथवा अभिप्राय से कुछ असंगत न हो :—

— "अधिनियम" से अभिप्राय दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) से है।

— "प्राधिकरण" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित दिल्ली विकास प्राधिकरण से है।

— "एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) "केन्द्र" (यातायात एवं परिवहन केन्द्र के रूप में संदर्भित) से अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए के अंतर्गत गठित समिति से है।

— "सदस्यों" से अभिप्राय एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र के सदस्यों से होगा।

एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र हेतु उपविधि

01. नाम

केन्द्र का नाम "एकीकृत यातायात एवं परिवहन (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र" होगा, जिसे इसके बाद **'यातायात परिवहन केन्द्र'** (टी टी सेन्टर) कहा जाएगा।

02. कार्यालय

'यातायात एवं परिवहन केन्द्र' (टी टी सेन्टर) का कार्यालय विकास मीनार, दि. वि. प्रा. कार्यालय, नई दिल्ली में अवस्थित होगा।

03. उद्देश्य एवं लक्ष्य

"एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना (योजना एवं इंजीनियरिंग) केन्द्र" के उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) यातायात एवं परिवहन की योजना एवं इंजीनियरिंग पद्धति के मानदंडों और मानकों का अध्यन एवं समन्वय करना।

क्तियां प्राप्त होंगी। सदस्य सचिव बैठकों का रिकॉर्ड रखेंगे और अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।

07. यातायात एवं परिवहन केन्द्र के अध्यक्ष की शक्तियां

अध्यक्ष को इन विनियमों के ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त समझी गई कार्रवाई करने की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। तथापि, वे अगली बैठक में पुष्टि के अधीन होंगी।

08. यातायात एवं परिवहन केन्द्र के उपाध्यक्ष की शक्तियां

उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सहयोग में कार्य करेंगे और केन्द्र के सामान्य कार्य देखेंगे।

09. केन्द्र के सदस्य-सचिव की शक्तियां

सदस्य-सचिव केन्द्र के कार्यों से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्य करेंगे।

10. समितियों का गठन

(क) कार्य-समूह और कार्यकारी समिति :-

यातायात और परिवहन केन्द्र के दैनिक कार्यों के सुचारू रूप से करने के लिए एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(1) उपाध्यक्ष, दि.वि. प्रा.	—अध्यक्ष
(2) वित्त सदस्य, दि. वि. प्रा.	—सदस्य
(3) अभियंता सदस्य, दि. वि. प्रा.	—सदस्य
(4) आयुक्त (योजना), दि. वि. प्रा.	—सदस्य
(5) अपर आयुक्त (योजना), टी टी	—सदस्य
(6) परियोजना प्रबंधक (फ्लाई ओवर) ग्रुप-I एवं II, दि.वि.प्रा.	—सदस्य
(7) निदेशक (टी टी), दि. वि. प्रा./ सलाहकार (टी टी)	—सदस्य सचिव

कार्यकारी समिति उन शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इसे यातायात एवं परिवहन केन्द्र द्वारा प्रदान की जाएंगी।

(ख) यातायात एवं परिवहन केन्द्र अभियंता सदस्य और आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में कार्य-समूहों का गठन कर सकता है।

(ग) इसके अतिरिक्त, यातायात एवं परिवहन केन्द्र, यदि आवश्यक समझे तो यातायात एवं परिवहन केन्द्र द्वारा समय-समय पर आरंभ की जाने वाली विशेष परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों की निगरानी और निष्पादन के लिए, किसी अन्य समिति का गठन कर सकता है।

11. बजट, वित्त एवं लेखा

(1) यातायात एवं परिवहन केन्द्र स्थापित करने और इसके संचालन कार्यों के लिए व्यय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा दिए गए अनुदान एवं ऋण और दान आदि से पूरा किया जाएगा।

(2) यातायात एवं परिवहन केन्द्र से संबंधित संशोधित और बजट अनुमानों को अनुमोदनार्थ, प्राधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

(3) केन्द्र के लिए वित्तपोषण की विधि तथा निधि प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएगी। यातायात एवं परिवहन केन्द्र से संबंधित विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतान के रिकार्ड के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाएगा।

(4) यातायात और परिवहन केन्द्र उचित लेखा और अन्य संबंधित रिकार्डों का रख-रखाव करेगा और प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित रूप में तुलन-पत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

12. लेखा परिचालन

यातायात एवं परिवहन लेखा का संचालन, वित्त सदस्य, दि.वि. प्रा. द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

13. व्यय करने की शक्तियां

यातायात एवं परिवहन केन्द्र को, यातायात एवं परिवहन केन्द्र के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने और पूरा करने के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे गए व्यय संस्वीकृत करने की शक्ति होगी।

14. स्टाफ नियुक्त करने की शक्तियां

यातायात एवं परिवहन केन्द्र में संपूर्ण लिपिकीय स्टाफ और लेखा स्टाफ की तैनाती, दि.वि.प्रा. के विद्यमान स्टाफ में से की जाएगी। तथापि, सलाहकारों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं को अनुबंध आधार पर रखा जाएगा।

15. लेखा-परीक्षा

यातायात एवं परिवहन केन्द्र के लेखा परीक्षा, दि.वि. अधिनियम, 1957 के अनुसार की जाएगी।

16. बैठकों में उपस्थित होने हेतु मानदेय

यातायात एवं परिवहन केन्द्र की बैठक में उपस्थित होने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर यथा निर्णीत मानदेय दिया जाएगा।

17. विवाद

किसी भी विवाद पर, उप-राज्यपाल, दिल्ली, जो यातायात एवं परिवहन केन्द्र के अध्यक्ष हैं, का निर्णय अंतिम होगा।

18. कानूनी कार्यवाही

यातायात एवं परिवहन केन्द्र के विरुद्ध रा.रा.क्षेत्र दिल्ली से बाहर किसी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।

19. दि.वि. अधिनियम, 1957 की प्रयोज्यता

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 के समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधान लागू होंगे।

20. निरसन और बचाव

इन विनियमों के आरंभ होने की तिथि को और इस तिथि से यातायात एवं परिवहन केन्द्र तद्नुसार कार्य करेगा बशर्ते कि यातायात एवं परिवहन केन्द्र के लिए एवं उसके द्वारा पहले की गई कार्रवाई प्रभावित न हो।

[फा. सं. एफ. 5 (44) 2007/एम पी]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2008

S.O. 1903(E).—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957

Experts can be co-opted from other organizations like SPA, IIT Delhi, DCE, NGOs and other such institutions.

The meeting of the Governing Body shall be normally held every three months.

Working Groups shall be constituted for day to day work and to help the Governing Body.

05. Functions of the TT Centre

In view of Aims and Objectives defined in clause 0.3, the TT Centre shall perform the following functions :—

(a) To compile a manual based on hand books/best practices/Traffic transportation planning and engineering norms for uniform adoption in NCT Delhi.

(b) To digitize the available Traffic & Transportation plans.

(c) To develop a comprehensive integrated programme for traffic and transportation projects.

(d) To coordinate integrated development of traffic & transportation projects including Integrated Freight Complex (IFC), Metropolitan Passenger Terminal (MPT), Inter-State Bus Terminal (ISBT) by involving concerned local bodies.

(e) To coordinate refurbishment of urban corridors for capacity augmentation with focus on small improvements and retrofitting measures that synergize into zero defect roads and relieving traffic congestion.

(g) All transportation projects/transport Engineering solutions in Delhi by any agency having road Engineering/Infrastructure implication would require clearance of the centre. This would ensure that latest technology and research finding support is available to all new roads and projects.

(h) The Technical support of staff and secretarial assistance to this centre shall be provided by the Authority.

06. Meetings of the TT Centre

The meetings of the TT Centre shall be held as and when required. The TT Centre shall have the powers to regulate its own procedure. The Member-Secretary shall keep the records of the meetings and take the required follow up actions.

07. Powers of the Chairman of the TT Centre

The Chairman shall have all the powers to take necessary steps as he may deem fit within the framework of these regulations. However, they shall be subject to the confirmation in its next meeting.

08. Powers of the Vice Chairman of the TT Centre

The Vice Chairman shall work in coordination with the Chairman and oversee the general functions of the Centre.

2894 GI/08-2

09. Powers of the Member-Secretary of the Centre

The Member Secretary shall perform all the administrative duties connected with the functioning of the Centre.

10. Constitution of the Committees

(a) Working Groups and Executive Committee :

For smooth day to day functioning of the TT Centre there shall be an Executive Committee comprising of the following :

(i) Vice Chairman, DDA	—Chairman
(ii) Finance member, DDA	—Member
(iii) Engineer member, DDA	—Member
(iv) Commissioner (Plg.), DDA	—Member
(v) Addl. Commr. (Plg.) TT	—Member
(vi) Project Manager (Flyover) Gr. I & II, DDA	—Member
(vii) Director (TT) DDA/Advisor (TT)	—Member-Secretary

The Executive Committee will exercise such powers as may be delegated to it by the TT Centre.

(b) The TT Centre may constitute working Groups under the Chairmanship of Engineer Member and Commissioner (Plg.), DDA.

(c) The TT Centre may, in addition, constitute any other Committee as it may consider necessary to oversee and perform functions pertaining to implementation of specific projects that may be undertaken by the TT Centre from time to time.

11. Budget, Finance & Accounts

(i) The expenses for setting up of the TT Centre and its operational activities shall be met by the Delhi Development Authority, Grants and Loans given by Govt. of India, GNCTD/Local Bodies and donations etc.

(ii) The revised and budget estimates in respect of the TT Centre shall be placed before the Authority for its approval.

(iii) The modalities of financing and processing of funds for the centre will be prescribed by the Authority. A Separate Bank Account shall be opened to record various receipts and payments relating to the TT Centre.

(iv) The TT Centre shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare annual statement of accounts including the balance sheet in such form as the Authority may prescribe.

12. Operation of Accounts

The Account of the TT Centre shall be operated by an officer so authorized by the Finance Member.

284/c

(61 of 1957) the Delhi Development Authority hereby makes the following regulations, namely :—

UNIFIED TRAFFIC AND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE (PLANNING AND ENGINEERING) CENTRE REGULATIONS, 2008

With a view to enhance mobility, reduce congestion and to promote traffic safety by adopting standard transport planning practices, capacity building, enforcement measures, road safety audits, traffic engineering practices and better organizational co-ordination for improved traffic management by efficient lane capacity and work zone management, utilities coordination, developing traffic culture and avoiding transport planning pitfalls in the National Capital Territory of Delhi, the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre is set up by Delhi Development Authority in exercise of powers under Section 5A of the Act. The business of the TT Centre will be governed by these Regulations :—

These regulations shall come into force immediately from the date of their publication in the Official Gazette.

DEFINITIONS

In these Regulations unless there is anything inconsistent with the context or meaning :—

—"Act" means the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

—"Authority" means the Delhi Development Authority constituted under Section 3 of the Act.

—"Unified" Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre" (referred as TT Centre) means the committee constituted by the Authority under Section 5A of the Act.

—"Members" shall mean the members of the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre.

BYE-LAWS FOR THE UNIFIED TRAFFIC AND TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE (PLANNING AND ENGINEERING) CENTRE

01. Name

The name of the Centre shall be "Unified Traffic and Transportation (Planning & Engineering) Centre" hereinafter called the "TT Centre".

02. Office

The office of the 'TT Centre' shall be located in Vikas Minar, DDA office, New Delhi.

03. Aims and Objectives

The aims and objectives of the "Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre" shall be as follows :—

(i) To study and coordinate the norms and standars for Planning and Engineering Practices in Traffic and Transportation.

(ii) Engineering Aspects of Implementation of National Transport Policy-2006 and Master Plan of Delhi-2021 Transportation proposals.

(iii) Traffic Road Safety Audit Guidelines (TRSAG).

(iv) To coordinate the Engineering and Infrastructure aspects of sustainable public transportation system.

(v) To evolve a parking policy and evolve parking solutions.

(vi) Inventory of corridor-wise Traffic and Transportation issues, Traffic Management Strategies and Enforcement Guidelines.

(vii) To act as a repository for sharing of traffic and transportation plans/database/information/ digitization and website development.

(viii) Evolving Environmental Impact Assessment Guidelines for Traffic and Transportation Projects.

(ix) Developing protocols and norms for signages, street furniture, lighting, signals, hoardings, trees, roadside landscapes, zebra crossing, pedestrian passages, commuter facilities etc.

(x) Evaluation—Public participation—Feedback.

(xi) To take up other related activities as may be considered appropriate by the 'TT Centre' including co-ordination, capacity building and training.

04. Constitution of the TT Centre

The Governing Body of the TT Centre shall comprise the following members :

LG, Delhi	—Chairman
Vice-Chairman, DDA	Vice-Chairman
Engineer Member, DDA	—Member
Pr. Commissioner-cum-Secy. (TPT) GNCTD	—Member
OSD (MRTS), MOUD	—Member
Commissioner (Plg.), DDA	—Member
Secretary, Indian Roads Congress (IRC)	—Member
President, Institute of Road Traffic Education	—Member
Chief Planner, TCPO	—Member
Head, Traffic & Transportation Division, CRRI	—Member
Managing Director, DIMTS	—Member
Chief Town Planner, MCD	—Member
Engineer in Chief, MCD	—Member
Engineer in Chief, PWD	—Member
Engineer in Chief, NDMC	—Member
Chief Engineer, NR	—Member
Director (Project), DMRC	—Member
Joint Commissioner of Police (Traffic)	—Member
Additional Commissioner (Planning) TT, DDA	—Member
Director (TT) DDA/Sr. Advisor (TT)	Member-Secy.

13. Powers to Incur Expenses

The TT Centre shall have the power to sanction such expenses from time to time as it considers necessary for the promotion and achieving of the aims and objectives of the TT Centre.

14. Powers for Engagement of Staff

All Ministerial Staff and Accounts Staff will be posted in the TT Centre by redeployment of DDA's existing staff. However, advisors/experts/consultants will be on contract basis.

15. Audit

The Audit of Accounts of the TT Centre shall be conducted as per the DD Act, 1957.

16. Honorarium for Attending Meetings

The non-official members will be given an honorarium as may be decided from time to time for attending the meeting of the TT Centre.

17. Disputes

The decision of the Lt. Governor, Delhi who is the Chairman of the TT Centre on any dispute shall be final.

18. Legal Proceedings

No suit against the TT Centre shall lie in any Court outside the NCT, Delhi.

19. Applicability of DD Act, 1957

The provisions of the Delhi Development Authority Act, 1957 as amended from time to time will apply.

20. Repeal and Saving

On and from the date of commencement of these Regulations, the TT Centre shall act accordingly, provided that the actions already taken for and by the TT Centre shall not be affected.

[F. No. F.5 (44) 2007/MP]

V. M. BANSAL, Pr. Comm.-cum-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
DWARKA PLANNING OFFICE
MANGLA PURI, PALAM, NEW DELHI
Ph: 25036238/5096 Fax:25036216

F.11(51)2000/Plg./Dwk./6008 Dated: 12.09.08
15-09-08

Sub: **Regarding allotment of additional land for the Distt. Court Complex in Sector-10, Dwarka.**

This is regarding proposal for additional land for **Lawyers Chamber & Malkhana** received from Delhi High Court in Sector-10, Dwarka which was processed for the change of land use for the following two pockets:

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
पावती सं
Diary No. 493
दिनांक
Date 17.9.2008

(1) Pocket –I – Land measuring 6172 Sqm. From the "Residential Use" (HAF Pkt.) to "Govt. Use"(Distt. Court- for construction of Lawyers Chamber & Malkhana).

(2) Pocket –II - Land measuring 8140 Sqm. From "Commercial Use" (Community Center) to "Public-semi Public Facilities".

The change of land use of the above two pockets has been notified by the Gazette of India No.SO-1617(E) dated 3.7.08.

2. A copy of the above Gazette Notification is enclosed for further processing regarding allotment of the above mentioned additional land to the Hon'ble High Court of Delhi as per the proposal received, so that handing over of possession can be processed by the Dwarka Project Office accordingly.

A copy of the Sector-10 Layout Plan and detail plan indicating the above stated two plots measuring (i) 6172 sqm. in Sector-10, Dwarka and (ii) 8140 sqm. in Sector-10, Dwarka Zone K-II are enclosed.

Encl: As above.

Jt. Director (Plg.)Dwk.

Director (Plg.)Dwk.
Addl. Commr.(Plg.)III
Commr.(LD)

D.D.A. / TARIFF & CO-ORDN. BRANCH
DIARY No. 784
DATE 16-9-08

Copy to:
1. Jt. Registrar (General), Delhi High Court for information please.
2. CE(Dwk.) for information & with a request to direct the concerned Division for fixing the demarcation stone and clear the site please.
3. C.E., PWD, MSO Bldg., IP Estate, New Delhi for information
4. S.E(Civil), PWD, Near NHAI Bldg., Sector-IX, Dwarka, New Delhi.
5. Under Secy.(DD), Min. Of UD, Govt. Of India, Nirman Bhawan, New Delhi.
6. Jt. Director (MP). for information & necessary action
7. Dy. Director (P&C)/Consultant, DDA w.r.t. letter No.F.2(2)2007/HC/DDA dt. 20.7.07.

12/09/08
Jt. Director (Plg.)Dwk.

16/9/2008
AD(MC)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 928] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 3, 2008/आषाढ़ 12, 1930
No. 928] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 3, 2008/ASADHA 12, 1930

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2008

का.आ. 1617(अ).—यत: नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार 2 नवम्बर, 2007 की सं. का.आ. 1863(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, बशर्ते कि मौजूदा अनधिकृत कालोनी के साथ-साथ डिफेंस अपनी भूमि पर उचित सड़क मुहैया कराए।

संशोधन :

जोन "के-II" में (i) द्वारका सेक्टर-10 में 6172 वर्ग मी. और (ii) द्वारका सेक्टर-10 में 8140 वर्ग मी. के निम्न क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा
1	2	3	4	5
सेक्टर-10, द्वारका जोन "के-II"	(i) 6172 वर्ग मीटर	'रिहायशी' (आवासीय क्षेत्र सुविधाएं)	"सरकारी प्रयोग" (वकीलों के चेम्बरों और मालखाने के निर्माण के लिए जिला न्यायालय, द्वारका)	पूर्व : सीजीएचएस प्लाट पश्चिम : सीआर/ईएसएस और 12 मी. चौड़ी सड़क उत्तर : 30 मी. चौड़ी सड़क दक्षिण : जिला न्यायालय, द्वारका
	(ii) 8140 वर्ग मीटर	'वाणिज्यिक' (सामुदायिक केन्द्र)	"सरकारी और अर्द्ध-सरकारी सुविधाएं"	पूर्व : सामुदायिक केन्द्र भूमि एवं 30 मी. चौड़ी सड़क पश्चिम : प्लाटेड विकास उत्तर : प्लाटेड विकास दक्षिण : चौड़ी सड़क

[सं. के-13011/6/2007-डी डी आई बी]
पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2008

S.O. 1617 (E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1863 (E) dated 2nd November, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India subject to the condition that proper road would be provided by Defence on their land along the existing unauthorized colony.

Modification :

The land use of the following areas measuring (i) 6172 sqm. in Sector-10, Dwarka and (ii) 8140 sqm. in Sector-10, Dwarka, in Zone 'K-II' are changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Sector-10, Dwarka, Zone-'K-II'	(i) 6172 sqm.	'Residential' (Housing Area Facilities)	'Government use' (District Court, Dwarka for Construction of Lawyers Chambers and Malkhana)	East : CGHS plots West : CR/ESS and 12 m wide road North : 30 m wide road South : District Court, Dwarka
	(ii) 8140 sqm.	'Commercial' (Community Centre)	'Public and Semi-Public Facilities'	East : Community Centre land and 30 m wide road West : Plotted development North : Plotted development South : Wide road

[No. K-13011/6/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

THE PROPOSED CHANGE [illegible] RECOMMENDED BY TECHNICAL COMMITTEE IN ITS MEETING HELD ON 12-4-07 VIDE ITEM NO. 44 AND APPROVED BY THE AUTHORITY IN ITS MEETING HELD ON 27-6-07 VIDE ITEM NO. 54/2007.

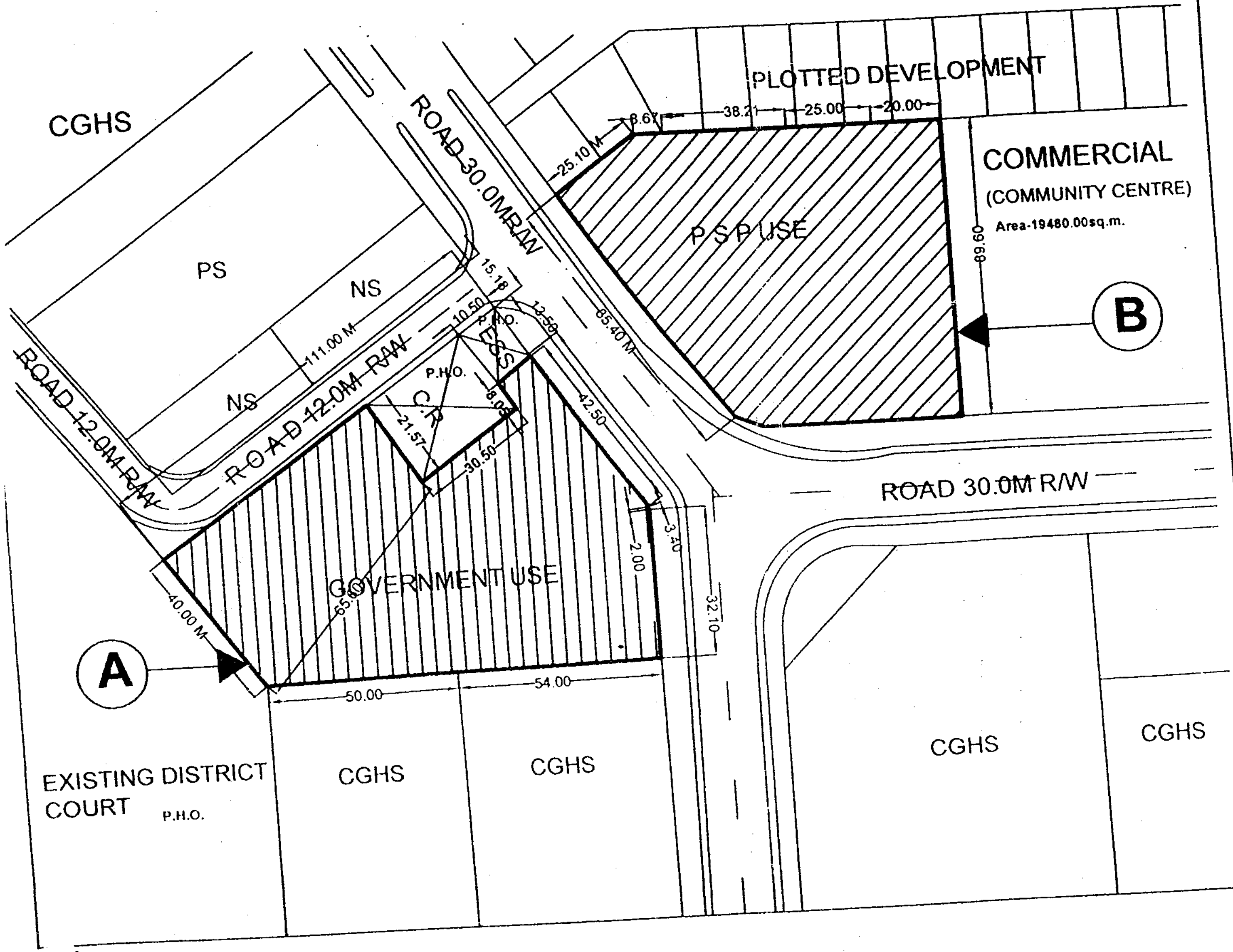

'A'

6172.00 SQ.M. PROPOSED FOR CHANGE OF LAND USE FROM RESIDENTIAL TO GOVT.

NORTH : ROAD 30.0 M R/W
EAST : C.G.H.S.PLOTS
SOUTH : EX. DISTRICT COURT
WEST : C.R./ESS AND ROAD 12.0 M R/W

'B'

8140.00 SQ.M. PROPOSED FOR CHANGE OF LAND USE FROM COMMERCIAL TO P.S.P.

NORTH : PLOTTED DEVELOPMENT
EAST : COMMERCIAL(COMMUNITY CENTRE)
SOUTH : ROAD 30.0 M R/W
WEST : PLOTTED DEVELOPMENT

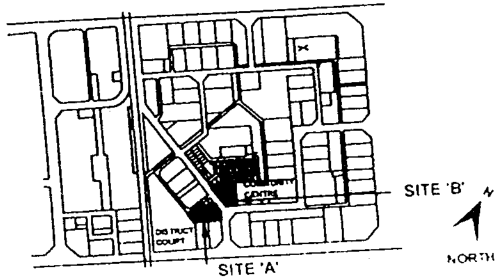

KEY PLAN

PROPOSED CHANGE OF LAND USE OF (A) 6172.00 SQ.M.FROM RESIDENTIAL TO GOVT. AND (B) 8140.00 SQ.M.FROM COMMERCIAL TO P.S.P., SECTOR - 10,DWARKA.

SCALE :			DRG. NO.
PLG. D/MAN	MANJIT SHARMA PLG. ASSTT.	31.7.07 DATE	NORTH
N.R.ARAVIND ASSTT. DIR. (PLG.)	S.DAS JT. DIRECTOR (PLG.)	R.K.JAIN DIRECTOR (PLG.)	

DWARKA PROJECT

EXTRA-ORDINARY

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 1 OF THE DELHI GAZETTE)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
8TH LEVEL, C-WING, PLAYERS BUILDING
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI

No.F.5(1)/91-Lit./Vol.-II/ LJ/08/4773 Dated : 29/7/08

NOTIFICATION

No.F.5(1)/91-Lit./Vol.-II-The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in this Government's Notification No.F.5(1)/91-Lit./LJ/07/5433 dated the 10th September, 2007, namely :

1. In the notification No.F.5(1)/91-Lit./LJ/07/5433 dated the 10th September, 2007 :-

(a) In para 1, after the words " Value Added Tax Appellate Tribunal, Delhi," the following words shall be inserted, namely :-

"and the High Court of Delhi", ;

(b) In para 1, in the Table, the name of Advocate mentioned against Sl. No. 1, i.e. "Sh. R.S. Mittal" shall be omitted and after such omission, Sl. No. 2 to Sl. No. 16 shall be renumbered as Sl. No. 1 to Sl. No.15.

By order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.

(Savita Rao)
Joint Secretary (Law)

No.F.5(1)/91-Lit./ Vol.II/ LJ/08/4773 Dated the 23/7/10

Copy forwarded to:-

1. The Pr. Secretary to the Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi, Raj Niwas, Delhi
2. The Pr. Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
3. The O.S.D. to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
4. The Registrar General, High Court of Delhi, New Delhi.
5. Divisional Commissioner, 5, Sham Nath Marg, Delhi
6. Pr. Secretary (Home), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
7. The Commissioner of Police, Police HQ., I.P. Estate, New Delhi
8. All Pr. Secretaries/Secretaries, Govt. of NCT of Delhi.
9. All Heads of Departments, Govt. of NCT of Delhi.
10. Pay & Accounts Officer-X, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., Delhi.
11. The Joint Secretary (GAD/Cord.), Govt. of NCT of Delhi, Delhi with one spare copy and Hindi version in duplicate for favour of publication in Delhi Gazette with a request to send 25 copies of Gazette for office use.
12. Concerned Advocate.
13. Guard file.

(SAVITA RAO)
Joint Secretary (Law)

-1-

No. K-20014/3/2007-DDIIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 17th July, 2008

To

The Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA Colony,
New Delhi-110 023

Sub: Cost Benefit Analysis of Rohini Phase IV & V and determination of pre-determined rates for various land uses in Rohini Phase IV & V project for the year 2008-2009.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F.4(28)07/AO(P)/DDA/37, dated the 17.4.2008, on the subject noted above, and to enclose a copy of the Notification regarding pre-determined rates for various land uses in Rohini Phase IV & V for information and further necessary action.

Yours faithfully,

Encl.: As above

(S.N. GUPTA)
Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2306 1478

Copy along with a copy of Notification to the DDA [Member (Finance)/Principal Commissioner-*cum*-Secretary/Commissioner (LD)], Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt. of India

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं / Diary No. 399
दिनांक / Date 23.7.08

दि. वि. प्रा. / संसद एवं समन्वय विभाग
D.D.A. / PARLT. & CO-ORD. BRANCH
डायरी सं. / DIARY No. 185
दिनांक / DATE 23-7-08

- 2 -

[To be published in Gazette of India - Part II-Section 3-Sub-section (i)]

No.K-20014/3/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated: 17th July, 2008

NOTIFICATION

G.S.R. No. ______________ In exercise of powers conferred by Rule 2(I) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under: -

	Category of Land	**Approved pre-determined rates for Rohini Phase IV & V for 2008-2009 (per sq. mtr.)**
1.	Rohini Plots	
	(a) EWS 26 sqm.	Rs. 5395.00
	(b) LIG 32 sqm.	Rs. 6820.00
	(c) MIG 60 sqm.	Rs. 11096.00
		(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
2.	Housing Scheme	
	(a) SFS	Rs. 8551.00
	(b) MIG	Rs. 7126.00
	(c) LIG	Rs. 4276.00
	(d) EWS	Rs. 2851.00
		(cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
3.	Alternative Plots	Rs. 6820.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
4.	Land for CGHS	Rs.8551.00
5.	J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 68.90 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2008-2009.

(S.N. Gupta)
Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110064

-3-

(भारत के राजपत्र के भाग-II खण्ड 3 उपखण्ड(i) में प्रकाशनार्थ)

सं0 के- 20014/3/2007-डीडीIIए

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,

दिनांकः 17 जुलाई, 2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं............... दिल्ली विकास प्राधिकरण (नज़ूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है ।

	भूमि की श्रेणी	**2008-2009 के लिए रोहिणी फेज-IVएवंV के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें**
1.	**रोहिणी भूखण्ड**	**(प्रति वर्ग मी0)**
(क).	ईडब्ल्यूएस 26 वर्ग मी0	5395.00 रू0
(ख).	एलआईजी 32 वर्ग0मी0	6820.00 रू0
(ग).	एमआईजी 60 वर्ग मी0	11096.00 रू0 (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल है)
2.	आवासीय स्कीम	
(क)	एसएफएस	8551.00 रू0
(ख)	एमआईजी	7126.00 रू0
(ग)	एलआईजी	4276.00 रू0
(घ)	ईडब्ल्यूएस	2851.00 रू0 (फ्लैटों की बिक्री लागत निकालते समय आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाए)
3.	वैकल्पिक भूखण्ड	6820.00 रू0 (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल है)
4.	सीजीएचएस के लिए भूमि	8551.00 रू0
4.	जे0जे0 स्क्वेटर्स (पुनर्वास)	68.90 लाख रू0 प्रति एकड़ (आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारित की जानी हैं)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए प्रभावी हैं ।

सोमनाथ गुप्ता

(एस0एन0 गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

(1)

No. K-20014/2/2007-DDIIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 17th July, 2008

दि. वि. प्रा. / संसद एवं समन्वय शाखा
D.D.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
पावती सं. / DIARY No. 246
दिनांक / DATE 23-7-08

To

The Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA Colony,
New Delhi-110 023

387-Gr plus 18/7/08

Sub: Cost Benefit Analysis of Narela and determination of pre-determined rates for various land uses in Narela project for the year 2008-2009.

Sir,

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
पावती सं. / No. 398
दिनांक 23.7-08

I am directed to refer to your letter No. F.4(26)07/AO(P)/DDA/35, dated the 17.4.2008, on the subject noted above, and to enclose a copy of the Notification regarding pre-determined rates for various land uses in Narela for information and further necessary action.

Yours faithfully,

Encl.: As above

(S.N. GUPTA)
Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2306 1478

Copy along with a copy of Notification to the DDA [Member (Finance)/Principal Commissioner-*cum*-Secretary/Commissioner (LD)], Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt. of India

23/7/08 DD (P&C) 22/7
AD (P&C)
AD (meeting cell) 25/7/08
M/A

②

(भारत के राजपत्र के भाग-।। खण्ड 3 उपखण्ड(i) में प्रकाशनार्थ)

सं0के- 20014/2/2007-डीडी।।ए

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 17 जुलाई, 2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं............... दिल्ली विकास प्राधिकरण (नज़ूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(।) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है ।

	भूमि की श्रेणी	**2008-2009 के लिए नरेला के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें** (प्रति वर्ग मी0)
1.	सीजीएचएस के लिए भूमि	8254.00 रु0
2.	वैकल्पिक भूखंड	6622.00 रु0 (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल है)
3.	डीडीए आवासीय स्कीम	
(क)	एसएफएस	8254.00 रु0
(ख)	एमआईजी	6878.00 रु0
(ग)	एलआईजी	4127.00 रु0
(घ)	ईडब्ल्यूएस	2752.00 रु0 फ्लैटों की बिक्री लागत निकालते समय आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाए)
4.	जे0जे0 स्क्वेटर्स (पुनर्वास)	68.90 लाख रु0 प्रति एकड़ (आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारित की जानी है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए प्रभावी है ।

सोम नाथ गुप्ता

(एस0एन0 गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

(3)

**[To be published in Gazette of India,
Part II-Section 3-sub-Section (i)]**

No.K-20014/2/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 17th July, 2008

Notification

G.S.R. No. ______________ In exercise of powers conferred by Rule 2(l) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under :-

	Category of Land	**Approved pre-determined rates for Narela for 2008-2009 (per sq. mtr.)**
1.	Land for CGHS	Rs.8254.00
2.	Alternative Plots	Rs.6622.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
3.	DDA Housing Schemes	
	(i) SFS	Rs. 8254.00
	(j) MIG	Rs. 6878.00
	(k) LIG	Rs. 4127.00
	(l) EWS	Rs. 2752.00 (cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
4.	J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 68.90 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2008-2009.

(S.N. Gupta)
Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110064

IMC

Govt. of N.C.T. of Delhi

Industries Deptt. 419 FIE Patparganj Delhi

No. F.1/CI/Policy/INSITU/Misc/2008/15/1422-1442 dated 21/5/08

Subject: Extra ordinary Gazette notification of Prahlad Pur Bangar vide No. F.1/CI/Policy/INSITU/Prahlad Pur Bangar/2007/19 dated 11th Sept. 2007

1164-PCUS
30/6/08

Sir,

Please find enclosed a copy of the aforesaid Gazette notification dated 11th Sept 2007 published in the Part IV of Delhi Extra ordinary Gazette for information.

ठक कक्ष, वि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं. 349
Diary No.
दिनांक 3.7.08
Date

मुख्य पत्र डायरी सं. 286 4.6.08 पर देखें जो इस पत्र के साथ सलग्न है 3.7.08

AD (MC)

M/A 3/7

Yours faithfully

Sd/- 21/5/08

(D.B. BHANGALE)

Asstt. Commissioner (Policy)

Encl: As above

1. Secretary to Hon'ble L.G. Delhi Raj Niwas Marg Delhi
2. Secretary to Minister of Industries, Govt. of N.C.T. of Delhi Delhi Sectt. I.P. Estate, N. Delhi.
3. Secretary to Chief Minister, Govt. of N.C.T. of Delhi Delhi Sectt. I.P. Estate N. Delhi.
4. S.O. to Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi I.P. Estate. New Delhi
5. The Secretary & Commissioner of Industries
6. The Vice Chairman, D.D.A. Vikas Sadan, I.N.A. N. Delhi

7. Ministry of Urban Development, Delhi Division Nirman Bhawan, New Delhi.

8. The Commissioner, MCD Town Hall Delhi

9. The Chief Planner, TCPO, Vikas Bhawan I.T.O New Delhi.

10. The Chairman NDMC, Palika Kendra, New Delhi

11. The Chairman, Central Pollution Control Board Parivesh Bhawan East Arjun Nagar, Delhi. 32

12. The Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee 4th Floor ISBT Building, Kashmiri Gate Delhi.

13. Commissioner (Planning) DDA, Vikas Minar ITO New Delhi

14. Managing Director, DSIIDC N. Block, Bombay Life Building, Connaught Place N. Delhi

15. Spl. Secy (Power) Govt. of NCT of Delhi & Delhi Sectt. IP Estate N. Delhi

16. Divisional Commissioner, Govt of NCT of Delhi 5 Sham Nath Marg Delhi

17. Secretary (Environment) Govt. of NCT of Delhi

18. Commissioner (Labour) Govt. of NCT of Delhi 5 Sham Nath Marg Delhi

19. Pr. Secretary (Land & Building) Govt. of NCT of Delhi Vikas Bhawan, New Delhi.

20. Commissioner (Transport) Govt. of NCT of Delhi

21. Pr. Secretary (Urban Development) Govt of NCT of Delhi, Delhi Sectt IP Estate N. Delhi

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES: GOVT.OF NCT OF DELHI.
SWASTHAYA SEWA NIDESHALAYA BHAWAN
F-17, KARKARDOOMA, DELHI-110032.

F. No.24/ Misc/NH/DHS/94/PF/A-2/ 25186-202

To

The Deputy Secretary
General Administration Branch (Coordination)
A wing , 2nd Level
2n Floor Delhi Sachivalaya
New Delhi

Sub : Gazette Notification of Delhi Nursing Home Registration Rules 1953 (amendment Rules , 2008)

Sir,

I am directed to enclose herewith two copies of above notification (English and Hindi version) for publishing in Delhi Gazette Part IV extraordinary today itself for the information of persons likely to be affected thereby for inviting objections and suggestions if any within a period of thirty days of its publication. It is requested that 10 copies of the same may be sent to the department as soon as it is received from the press.

Yours faithfully

Encl: A/A

(Dr Ashok Kumar)
Medical Superintendent (Nursing Homes)

Dated 16.5.08

F. No.24/ Misc/NH/DHS/94/PF/A-2/ 25186-202
Copy for Information to:

1. Secretary to Lt Governor , Raj Niwas Delhi
2. Secretary to Health Minister,. 8th Floor Govt of NCT Delhi, Delhi Sachivalaya.
3. Pr. Secretary (H) Deptt.of Health & FW, 9th Floor Delhi Sachivalaya New Delhi
4. Pr . Secretary (L&J) 8th Deptt of L&J , 8th Floor Delhi Sachivalaya New Delhi
5. Pr Secretary (IT) Delhi Sachivalaya New Delhi
6. Joint Secretary to GOI , Ministry Of H& FW Nirman Bhawan Delhi
7. VC DDA , Vikas Sadan New Delhi
8. Commissioner MCD Town Hall Delhi
9. Chairman NDMC Palika Kendra New Delhi
10. L&DO , Min. of UD , Nirman Bhawan New Delhi
11. Spl Secretary (H) Deptt. of Health & FW , 9th Floor Delhi Sachivalaya New Delhi
12. ASH-I, Department of Health & FW , 9th Floor Delhi Sachivalaya New Delhi
13. ASH-II, Department of Health & FW , 9th Floor Delhi Sachivalaya New Delhi
14. CMO (SHIB) DHS HQ with the request to place the material on website
15. President , Delhi Medical Association, Darya Ganj Delhi
16. PS to Director Health Services

Dr Ashok Kumar)
Medical Superintendent (Nursing Homes)

(TO BE PUBLISHED IN THE PART IV- OF THE DELHI GAZETTE)

EXTRAORDINARY

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT)

9TH Level, A-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi-110002

No. F.24/Misc/NH/DHS/94/PF /A-2 / 25186-202 Dated, the 16th May, 2008

NOTIFICATION

No. F.24/Misc/NH/DHS/94/PF /A-2 – The following draft of Rules further to amend the Delhi Nursing Homes Registration Rules, 1953, which the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make in exercise of the powers conferred by section 16 of the Delhi Nursing Homes Registration Act, 1953 (Delhi Act 6 of 1953), is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby, and notice is, hereby, given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing this notification are made available to the public, together with any objections or suggestions, that may be received in respect thereto by the stipulated period.

The objections and suggestions in this behalf should be addressed to the Director of Health Services, Government of NCT of Delhi, F-17, Karkardooma, Shahdara Delhi-110032: -

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Delhi Nursing Homes Registration (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force with immediate effect:
Provided that the nursing homes already registered on the date on which these rules come into force shall comply with these rules within a period of ninety days from the said date.

2. **Amendment of rule 6.** – In the Delhi Nursing Homes Registration Rules, 1953 (hereinafter referred to as "the principal Rules"), in rule 6, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely: -
"(1) An application for the renewal of registration shall be made every third year, in Form 'B' in advance in the month of January and shall be accompanied by the fee prescribed in rule 7."

3. **Substitution of new rule for rule 7.** – In the principal Rules , for rule 7 , the following rule shall be substituted, namely: -
" 7. Fees for registration and for renewal of registration for a period of three years. - (1) The fees to be paid for registration and for renewal of registration shall be charged as under: -

Bed Strength	**Registration /Renewal Fees**
Upto ten beds	Two thousand rupees
Eleven beds to thirty beds	Three thousand rupees
Thirty-one beds to one hundred beds	Eight thousand rupees
One hundred beds onwards	Eight thousand rupees plus one hundred twenty five rupees per bed for number of beds above one hundred beds.

(2) Where the fee for renewal is not deposited in time as required under rule 6, a late fee amounting to ten percent of the renewal fee shall be charged per month or part thereof.

(3) Failure to deposit the fee for renewal of registration within six months of the last date prescribed under sub-rule (1) of rule 6 shall result in refusal of the application for renewal and removal of name from the register ."

4. **Substitution of new rule for rule 11. –** In the principal Rules, for rule 11, the following rule shall be substituted, namely :-

"11. Issue of duplicate certificates. – In the event of a certificate of registration being lost, mutilated or destroyed, the holder may apply to the supervising authority for a fresh certificate and the supervising authority, if it thinks fit, may issue such certificate upon payment of a fee of five hundred rupees. A certificate issued under this rule shall be marked 'DUPLICATE'."

5. **Amendment of rule 12. – In the principal Rules, in rule 12, –**

(i) for the shoulder heading, the following shoulder heading shall be substituted, namely: –

"12. Records of patients admitted or children born in the nursing home. –";

(ii) for sub- rule (1), the following sub rule shall be substituted, namely : –

"(1) The keeper of a nursing home shall keep --

(a) in the Form "D" appended to these rules, a register of patients admitted into the nursing home as per the guidelines framed by the supervising authority from time to time;

(b) a correct alphabetical index of the names of the patients admitted in the nursing home in accordance with the admission register as per Form "D" ;

(c) record of health of every patient admitted in the nursing home containing the following information in addition to any other information, that may be required by the supervising authority and as per guidelines framed by the supervising authority from time to time:-

(1) Admission number
(2) Name --------------------------------son/daughter/wife of Shri------------------
(3) Age
(4) Sex
(5) Occupation
(6) Religion
(7) Doctor in charge of the case
(8) Date and time of admission
(9) Date of discharge
(10) Admitting diagnosis
(11) Final diagnosis
(12) Result/out come of the case
(13) Case summary
(14) Record of investigations
(15) Consent
(16) Details of operative procedure and anesthesia, if given
(17) Records of treatment
(18) Records of nursing care
(19) Special record and progress notes for patient admitted in ICU/ICCU
(20) Diet
(21) If medico legal case, date and time of information to police
(22) Summary of Medico Legal case given to police;

(d) in the Form "E" appended to these rules, a record of every maternity case admitted into the nursing home and of every child delivered;

(5)

(e) in the Form "F 1& F 2" appended to these rules, a record of all the miscarriages, medical termination of pregnancies and stillbirths occurring in the nursing home as per **the provisions under MTP Act (F 1) and PNDT Act (F 2).**"

6. **Substitution of new rule for rule 13. – In** the principal Rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely: -

"**13.Intimation of death occurring in nursing home.** – If any death occurs in the nursing home, the keeper of the nursing home shall, within twenty four hours from the occurrence of death, furnish the information in respect of such death to the supervising authorities in Form "G", together with any other information that may be required by it and to the Medical Officer of Health MCD/NDMC/Cantonment Board having jurisdiction over the area in which the nursing home is situated."

7. **Substitution of new Schedule for the Schedule . – In the principal Rules, for the Schedule , the following Schedule shall be substituted, namely :-**

" <u>**SCHEDULE**</u>

(See rule 14)

Requirements to be complied with by a nursing home:

1. **Location and surroundings.** – The nursing home shall be situated in a place having clean surroundings and shall not be adjacent to an open sewer, drain or public lavatory or to a factory emitting smoke or obnoxious odour. The nursing home shall have sufficient facilities for parking area for the visitors, as per the municipal byelaws in force from time to time/as per norms of MPD 2021.

2. **Buildings. –**

2.1 The building used for the nursing home shall comply with the municipal byelaws as in force and such guidelines as may be framed by the Government from time to time and the use of the premises shall conform to the land use prescribed under the relevant law(s).

(6)

2.2 The rooms in the nursing home shall be well ventilated and lighted and shall be kept in clean and hygienic conditions. Arrangements shall be made for cooling the rooms in summer and heating them in winter.

2.3 The walls of the labour room and operation theatre up to a height of 1.22 metre (4 feet) from the floor shall be of such construction as to render it waterproof. The flooring shall be such as not to permit retention or accumulation of dust. There shall be no chinks or crevices in the walls or floors.

2.4 Aseptic conditions shall be maintained in labour room and the operation room.

2.5 Adequate arrangements shall be made for isolating septic and infectious cases.

3. **Space accommodation for the patients, etc. –**

3.1 A nursing home providing facility for a single specialty or additional specialty shall have sufficient waiting area for the patients and attendants with proper sitting arrangements and other facilities near the reception/registration counter and shall have appropriate infrastructure according to the specialty or specialties. The floor space in the general nursing home shall not be less than 7.43 square metre (80 square feet) for one bed and additional minimum 5.57 square metre (60 square feet) for every additional bed in the room and the area shall not include the area for toilet for the patient.

3.2 A nursing home having facility for intensive care shall, in the main areas, have a space of 18.59 square meter (200 square feet) per bed. There shall be sufficient storage space for medicines and equipments (for ventilators, special beds, suction machine, transport equipment, wheel chair carts, monitors, etc.). The intensive care units shall have sturdy large shelves, wide room access with touch less door openers and outlets for battery charging. The space for doctors/staff on duty shall be in addition to the intensive care unit bed space. The supportive service rooms (changing rooms, duty rooms, attendant room) shall be near the intensive care unit. There shall be space for readily accessible storage (one for 2/4 bedded pod;

(7)

3-4 for 10 bedded ICU), crash cart alcoves (with electrical outlets), medication station, refrigerator, lockable cabinet (narcotics), countertop work area, storage cabinet/ drawers, X-ray view box.

3.3 Besides the main areas in the intensive care units, the ancillary areas shall include space for communication (house telephones, intercommunication system and emergency code alarm system), clerical space (filing cabinets and drawers) and public space adjacent to unit and prayer area.

3.4 A nursing home which intends to provide facilities for a newborn nursing or neonatal care unit shall have 4.65 square meter (50 square feet) per neonatal bed with provision of separate area for hand wash and gowning, formula preparation, stores and duty room for doctors. The floor area and walls upto 1.22 metre (4 feet) shall be washable.

4. **Operation theatre and labour room.** – The operation theatre shall be provided with a minimum floor space of not less than 13.94 square metre (150 square feet), and the labour room with an area of not less than 9.29 square metre (100 square feet) per table. The labour room shall have the facilities and equipments for neonatal resuscitation unit.

5. **Provision of duty room.** - A duty room shall be provided for the nursing staff on duty.

6. **Storage space.** – Adequate space for storage of medicines, food articles, equipments, etc. shall be provided.

7. **Water supply.** – The water used in the nursing home shall be pure and of drinkable quality.

8 **Health clothing and sanitary requirements of staff.** –

8.1 The staff employed shall be free from contagious disease, and shall be provided with clear uniforms suitable to the nature of their duties.

8.2 The workers shall be medically examined at the time of employment and periodically so examined thereafter. The worker shall be vaccinated against all contagious diseases to which they are exposed or have a high risk of being exposed.

9. **The equipments and Linens, etc. .** – The nursing home shall –

9.1 provide and maintain adequate number of commodes, bedpans and slop sinks, with flushing arrangements;

9.2 have high pressure sterilizer and instrument sterilizer;

9.3 have an uninterrupted supply of oxygen through adequate number of oxygen cylinders fitted with all necessary attachments and flow meter, for safe and hygienic delivery of oxygen to the patients;

9.4 have apparatus for transfusions, necessary equipments, instruments, apparatus and medicines of such quality and numbers, as are required in accordance with to the services offered by the nursing home;

9.5 have the equipments and drugs required in the neonatal resuscitation unit in the labour room and in the neonatal care unit as per guidelines framed by the supervising authority from time to time;

9.6 in case providing facilities for intensive care, have monitoring, diagnostic, radiological, therapeutic/supportive and bedside facilities and availability of drugs as per the guidelines framed by the supervising authority from time to time;

9.7 have adequate quantity of bed sheets , mattresses, pillows, blankets, draw sheets and other linens;

9.8 have a separate almirah under lock and key for poisons.

(9)

1

10. **Food.** – If the nursing home provides diet to the patients, it shall be prepared and served in hygienic conditions.

11 **Nursing Staff.** –

11.1 There shall be one qualified nurse on duty at all times having minimum qualification as general nursing and midwifery course, registered with the Delhi Nursing Council, for every ten beds or a fraction thereof in the nursing home: Provided that a part of nursing staff may be substituted with the prior approval of the supervising authority by other trained staff like midwife, pharmacist, dressers, etc. according to the specific needs of the nursing home.

11.2 The nursing home providing facilities of intensive care shall have the qualified staff nurses with experience of working in a 10 bedded ICU/CCU for one year. At one point of time there shall not be more than 40% inexperienced staff nurses, who have not had experience of working in intensive care unit for one year, thus ensuring that there would be availability of minimum 60% experienced staff nurses in one shift. The staff nurses shall be available in the ratio of 1:1 round the clock and for every 10 nurses there shall be one qualified supervisor in the intensive care unit round the clock. The paramedical staff posted in the intensive care unit shall have the previous experience of working in the intensive care unit.

11.3 The nursing home providing newborn nursing or neonatal care unit, hall also have 1:1 nurses patient ratio.

12. **Records.** – Separate stock registers shall be maintained by the nursing home for

(a) equipment,

(b) instruments, and

(c) linens.

13. Doctor. –

13.1 There shall be one qualified doctor of modern scientific system of medicine having registration with the Delhi Medical Council, round the clock for every 20 beds or fraction thereof, and the consultant of the concerned speciality shall be on call, in the nursing home.

13.2 In the nursing homes providing intensive care, there shall be a postgraduate doctor (MD) in the relevant speciality ICU. In case of nursing home providing facilities of super speciality, the consultant of relevant specialty shall be available on call. The consultant concerned shall possess requisite post–doctoral qualification:

Provided that in case of non availability of a postgraduate doctor,a doctor after graduation, having experience of working for one year in a 10 bedded general ICU/CCU under the supervision of a consultant, may be considered for working as resident doctor in the ICU/CCU. The ratio of the doctors shall be in the ratio of 1:4 beds round the clock and the consultants shall be on call.

14 Co-operation at the time of natural calamity or disaster. –

14.1 In the event of any natural calamity or disaster, the owner or the keeper of every nursing home shall, on being requested by the supervising authority in writing co-operate and provide such reasonable assistance and medical aid as may be considered essential by the supervising authority at the time of natural calamity or disastrous situation.

14.2 The nursing home shall not refuse treatment to the injured/serious persons brought to them due to any reason, whatsoever.

15. Display of charges. – The keeper of the nursing home shall ensure that the charges levied by the nursing home for the various services available in the nursing home are prominently displayed.

16. **Provision of stand by generator.** – The keeper of the nursing home shall ensure the provision of stand by generator in case of the power failure in the nursing home.

17. **Handling of biomedical waste.** – The nursing home shall abide by the Biomedical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, as amended from time to time and shall also get authorization from Delhi Pollution Control Committee under these rules.

18. **Disruption of services at a nursing home.** – Where the services of a nursing home are likely to be disrupted due to any reasons, the keeper shall give information about the same to the supervising authority, at least, four weeks in advance:

Provided that in the event of any exigency leading to disruption of services, the information shall be given to the supervising authority within twenty four hours of such disruption. "

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(VIVEK RAE)

PRINCIPAL SECRETARY (HEALTH & FAMILY WELFARE)

GUIDELINES REGARDING BASIC REQUIREMENTS, ESSENTIAL EQUIPMENTS AND DRUGS ETC. FOR ICU/ ICCU OPERATING IN THE PRIVATE HOSPITALS/ NURSING HOMES

Critical Care Units or Intensive care units are, such patients' units, which are responsible for a specifically defined and limited number of acutely ill, unstable, or potentially unstable patients who require constant instrument monitoring and a core of full time nurses and staff with specialized training. The critical care units would broadly include cardiac care units and intensive care units. The most common intensive care units are Medical Intensive Care Units (MICU), Surgical Intensive Care Units (SICU),Pediatric Intensive Care Units (PICU),Neurological Intensive Care Units (Neuro ICU),Neonatal Intensive Care Units (NICU),and Burn Units.

The intensive care units should have the following facilities

GENERAL ICUs

(A). Space Requirement

(1) Main

There should be a space of 200 square feet /bed for maintaining ICU bed. There should be sufficient storage space for medicine and equipment (for ventilators, special beds, suction machine, transport equipment, wheel chair carts, monitors etc.). It should have sturdy, large shelves, wide room access with touch less door openers and outlets for battery charging. The space for doctors, Nurses and staff on duty should be in addition to ICU bed space.

The supportive service rooms e.g. changing rooms, Duty rooms, attendant room should be near the ICU. Stand by electric supply system in case of failure of electricity must be available

Bedside (Readily accessible Storage) (one for 2/4 bedded pod; 3-4 for 10 bedded ICU)

Crash cart alcoves (with electrical outlets)

Medication station

Refrigerator

Lockable cabinet (narcotics)

Countertop work area

Storage cabinet/ Drawers

X-ray view box

(ii) ***Ancilliary areas***

a) Communication

House telephones

Intercommunication system

Emergency code alarm system

b) Clerical space (preferably separate)

Filing Cabinets, Drawers etc.

c) Public space (Adjacent to unit)

Telephone (House and public)

Prayer area

B. Equipments (Essential)

(i) Monitoring equipments with recording data storing and analyzing facilities

ECG machine /monitor

SpO2

Defibrillator facility

Temperature- Multiparameter

ETCo2

NIBP

Infusion Pumps Syringe

Difficult intubation/ extubation carts

Nebulisers (Ultrasonics)

Optional

Cardiac output

(ii) Diagnostic

Facilities of ABG machine, Electrolyte machine,
Haematocrit,K.F.T, Glucose Measurement facilities should be available round the clock within the ICU/Hospital

(iii) Radiological

Imaging X-rays, bedside ultrasonography facilities.
All basic imaging facilities and all investigative radiological procedure should be available. There should be assured arrangement for CT Scan and bedside Echocardiography facility.

(iv) Therapeutic/ Supportive

Ventilator/s

(v) Bedside Facilities

Central pipeline system for oxygen supply, vaccum suction, Blood Pressure monitoring System, Nitrous oxide, Air for ventilators. Sufficient electrical sockets to avoid electrical wires to crisscross, Air mattresses, Wheel Chairs, Shifting Trolleys. Adjustable bed with overhead trolly, Detachable bed.

SPECIALISED ICUs

All other ICUs such as Neurological ICU, Neonatal ICU, Medical ICU, Surgical ICU, should have equipments as per their requirements besides the requirements in a general ICU.

The Neurology/ Neurosurgery ICU must have CT Scan Facility.
The Coronary Care Units (CCU) must have cardiac monitor and temporary pacing and facilities for fluoroscopy and invasive arterial/venous pressure monitoring and Intra-aortic balloon counter pulsation facilities.
The facilities of Coronary Angiographies as optional,

(C) Essential Drugs and Consumbales

I **Drugs: -** There should be availability of required drugs / fluids in the ICU at all times and at no point of time there should be any shortage of drugs in the ICU.

A list of essential drugs is given below:

(i) Induction/ Sedation agents

Thiopentone

Ketamine

Propofol

Midazolam

Diazepam

Morphine

Pethidine

Pentazocine

Promethazine

Chlorpromazine

(ii) Relaxants

Suxamethonium

Vecuronium

Pancuronium

Rocuronium

Atracurium

(iii) Inotrops

Adrenaline

Noradrenaline

Dopamine

Dobutamine

(iv) Antibiotics

(v) Bronchodilators

Deriphyllin

Aminophyline

h

16

Terbutaline

Nebulisation solution (Asthaline, Ipravent,Budicort, Mucolytic)

(vi) Infusions

Esmolol

Nitroglycerine

Sodium Nitroprusside

Insulin

TPN Solution

Manitol

(vii) Other drugs

Metoprolol

Frusemide

Ranitidine

Metoclopramide

Onadamsetrone

Local anaesthetics (Lidocaine, Bupivacaine)

Antiarrythymic (Adenosine,Xylocard,Cordarone, Bretyllium)

Vitamine K

Low Molecular Weight Heparin

Dilitiazem

Diclofenac

Tramadol

Atropine

PAM

Inj. Avil

Inj. Decadron

Inj. Hydrocortisone

Inj.Stemetil

Inj. Emeset

Inj. Digoxin

Glycopyrrolate

Neostigmine

Calcium Gluconate

Sodabicarb

Inj Potassium Chloride and Syrup Potassium Chloride

Magnesium

Multivitamins

Local anaesthetic jelly

Eye ointment

Antiseptic solutions and ointments

Cleaning / disinfecting solutions

Antisnake venome

Colloids (Polygeline,Starches,Dextrans,Albumin)

Mexiletine

II. Consumbales

Endotracheal tubes (all sizes)

Tracheostomy tubes all sizes)

LMAs (including ILMA) (all sizes)

Face masks (all sizes)

Oropharyngeal airtways (all sizes)

Nasopharyngeal airways (all sizes)

Non touch suction apparatus

Suction catheters (all sizes)

Heat and Moisture exchangers (For use with ETT, Tracheostomy tube)

Incentive spirometers

I/V Cannulae

Three ways

CVP lines (all sizes)

Intra-arterial Cannulae

Foley's Catheters

Nasogastric tubes

CPAP Masks

Venturi Mask

Binasal Cannulae

Nasal Spectacle
Percutaneous dilatation tracheostomy set
Sterile dressings
Disposable Gloves, Masks, Syringes and needles, Shoe Covers.
Temporary pacing leads 6F.7F
Temporary pulse generator
Check Flow (5-7F) and Swan Ganz Catheter
Arterial Puncture Needle.
Sterile drape Sheets

(D). Staff requirement

(i) Doctors

There should be a post graduate doctor (MD) in the relevant specialty ICU and the consultant of relevant specialty should be available on call, in case of super-specialty. The consultant concerned must possess requisite post–doctoral qualification. In case of non availability of a post graduate doctor, a doctor after graduation, having experience of working for one year in a 10 bedded general ICU/CCU under the supervision of a consultant may be considered for working as Resident doctor in ICU/CCU. The doctors should be registered with Delhi Medical Council and the ratio of the doctors should be in the ratio 1:4 beds round the clock and the consultants should be on call.

(ii) Nursing Staff

There should be staff nurses with minimum qualification as General Nursing and Midwifery Course; having registration with Delhi Nursing council with an experience of working in a10 bedded ICU/CCU for one year. At one point of time there should not be more than 40 % inexperienced staff nurses, who have not had experience of working in ICU for a period of one year, thus ensuring that there would be availability of minimum 60% experienced staff nurses in one shift. The staff nurses should be available in the ratio of 1:1 round the clock and for every 10 nurses there should be one Qualified Supervisor in the ICU round the clock.

(iii) **Paramedical Staff**

The paramedical staff posted in the ICU should have the previous experience of working in the ICU.

(E) General services

Fire safety features

Air conditioning / Heating

Grounded electric points

Emergency Power source

Circuit Breaker access

Proper Lighting

The facilities for transport of the patients to other Hospitals or High Centres should be available with each of the ICU/ ICCU.

These recommendations have been made to be the guidelines for an ICU/ICCU and are not exhaustive, and they may need revision from time to time.

BASIC REQUIREMENT OF ESSENTIAL EQUIPMENTS AND DRUGS IN THE NEWBORN CARE UNIT/NEONATAL CARE UNIT AND NEONATAL RESUSCITATION UNIT IN NURSING HOMES

Newborn care unit:

1. A nursing home intending to provide a newborn care unit shall have the following essential equipments and facilities:-

a) A stethoscope with neonatal chest-piece for each Neo-natal bed
b) Baby weighing machine
c) Oxygen hood box and other oxygen delivery apparatus like humidifier and regulator
d) Phototherapy unit
e) Uninterrupted availability of oxygen and compressed air
f) Oxygen analyzer (oximeter)
g) Non-invasive blood pressure monitor
h) Heart rate and/or apnea monitor
i) Newborn resuscitation kit.
j) Transport incubator
k) Suction machine
l) Air thermometer
m) Radiant heat source

There shall be facilities to get requisite biochemical and hematological test done round the clock, as may be required for management of a sick baby, facilities for infection control such as uninterrupted water supply and isolation of infected babies, safe and adequate method for handling of soiled and dirty linen or other infected waste.

Neonatal resuscitation unit in labour room :

a) A functioning wall clock with seconds arm or a stop clock.
b) Radiant heat source.
c) Pressure controlled suction machine and requisite number of mucus extractors.
d) Two working infant laryngoscopes with neonatal sized blades.
e) Requisite facilities for IPPR with self-inflating bag, well fitting neonatal facemask, endotracheal tubes and appropriate adapters.
f) Umbilical vein cannulations set.
g) Baby weighing machine.
h) Essential drugs needed during resuscitation.

GUIDELINES FOR MAINTAINING RECORDS OF THE PATIENTS IN THE NURSING HOMES

The nursing homes shall maintain the records as per the format given below in the Forms

FORM "D" Register of patients admitted

FORM "E" Records of every maternity cases admitted in the nursing home.

FORM "F" Records of miscarriages, MTP cases and still births occurring in the
F1 & F2 nursinghomes & PNDT Act

FORM "G" Records of deaths occurring in the nursing homes

4

22

FORM"D"
(See rule 12)

Register of patients admitted to ______________ Nursing Home

Admn. No.	Name, S/o, D/o W/o & address	Age/ Sex	Date & time of Admn.	Admitting Diagnosis	Final diagnosis	Doctor I/c of case	Date & Time of Discharge/ Death/LAMA
1	2	3	4	5	6	7	8

Whether MLC (Y/N)	Outcome or/ and remarks.
9	10

FORM "D"

(See rule 12)

Register of patients admitted to --Nursing Home/ Hospital

Admn. No.	Name, S/o, D/o, W/o & Address	Age/Sex	Date & time of Admn	Admitting diagnosis	Final diagnosis	Doctor I/C of case	Date & time of discharge/ Death/ LAMA	Whether MLC (Y/N)	Outcome or / and remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

F-1

FORM I

..................(Name and qualification of the Registered Medical practitioner in block letters)

.... (Full address of the Registered Medical practitioner)

.... (Name and qualification of the Registered Medical practitioner in block letters)

.... (Full address of the Registered Medical practitioner)

hereby certify that *I/ We am/are of opinion, formed in good faith, that it is necessary to terminate the pregnancy of............................(Full name of pregnant women in block letters) resident of ....(Full name of pregnant women in block letters)

for the reasons given below**

*I/we hereby give intimation that *I/We terminated the pregnancy of the woman referred to above who bears the serial no.........................in the Admission Register of the hospital/approved place.

Signature of the registered Medical Practitioner/Practitioners

Place:
Date:

- Strike out whichever is not applicable,
- Of the reasons specified items (I) to (v) write the one which is appropriate.
  (I) In order to save the life of the pregnant women,
  (ii) in order to prevent grave injury to the physical and mental health of the pregnant women,
  (iii) In view of the substantial risk that if the child was born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped,
  (iv) as the pregnancy is alleged by pregnant women to have been caused by rape,
  (v) as the pregnancy has occurred as result of failure of any contraceptive device or methods used by married woman or her husband for the purpose of limiting the number of children.

  Note—Account may be taken of the pregnant women's actual or reasonably foreseeable environment in determining whether the continuance of her pregnancy would involve a grave injury to her physical or mental health.

Place:
Date:

Signature of the registered Medical Practitioner/Practitioners

FORM II

[See Regulation 4(5)]

Medical Termination of Pregnancy Act Report for the Month of________ East District Delhi

1. (i) No. of Institution approved________

(ii) No. of Institution reporting________

For the Month________

2. Total no. of M.T.P case done________

3. Break up of the total no. of cases

(i). Duration of pregnancy (give total No. only

(a)	Up to 12 weeks.	
(b)	Up to 12-20 weeks.	

(ii). Age group

(a)	Less than 15	
(b)	15--19	
(c)	20--24	
(d)	25--29	
(e)	30--34	
(f)	35--39	
(g)	40--44	
(h)	45 & above	
(i)	not available	

Total =

(iii). Religion of women

(a)	Hindu	
(b)	Muslim	
(c)	Christian	
(d)	Others	
	Total	

(iv). Reasons for termination:
(give total number under each sub-head)

(a)	Danger to life of the pregnant woman.	
(b)	Grave injury to the physical health of the pregnant woman.	
(c)	Grave injury to the mental health of the pregnant woman.	
(d)	Pregnancy cause by rape.	
(e)	Substantial risk that if the child was born, it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped.	
(f)	Failure of any contraceptive device or method.	
(e)	Not aviliable	

4. Termination with acceptance of contraception.

(a)	Sterilisation	
(b)	I.U.D.	

5. No. of Death Reported

Signature of the Officer In charge with Date

F-1

FORM III
(See Regulation 5)

Admission Register

S. No.	Date of Admission	Name of the patient	Wife / Daughter of	Age	Religion	Address
1	2	3	4	5	6	7

Duration Of Pregnancy	Reasons on Which Pregnancy Is Terminated	Date of termination Of Pregnancy	Date of Discharge Of patient	Result and Remarks	Name of Registered Medical Practitioner (s) by who the opinion is formed	Name of Registered medical practitioner (s) by whom pregnancy is terminated
8	9	10	11	12	13	14

F-2

"FORM A

[See rules 4(1) and 8(1)]

(To be submitted in Duplicate with supporting documents as enclosures)

...PPLICATION FOR REGISTRATION OR RENEWAL OF REGISTRATION OF A GENETIC COUNSELLING ...ENTRE/GENETIC LABORATORY/GENETIC CLINIC/ULTRASOUND CLINC/IMAGING CENTRE

...of the applicant
... name of the organisation sought to be registered)

...Address of the applicant

3. Type of facility to be registered
(Please specify whether the application is for registration of a Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/Ultrasound Clinic/Imaging Centre or any combination of these)

4. Full name and address/addresses of Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ Ultrasound Clinic/Imaging Centre with Telephone/Fax number(s)/Telegraphic/Telex/E-mail address (s).

5. Type of ownership of Organisation (individual ownership/partnership/company/co-operative/any other to be specified). In case type of organization is other than individual ownership, furnish copy of articles of association and names and addresses of other persons responsible for management, as enclosure.

6. Type of Institution (Govt. Hospital/Municipal Hospital/Public Hospital/Private Hospital/Private Nursing Home/Private Clinic/Private Laboratory/any other to be stated.)

7. Specific pre-natal diagnostic procedures/tests for which approval is sought
(a) Invasive (i) amniocentesis/ chorionic villi aspiration /chromosomal/biochemical/molecular studies
(b) Non-Invasive Ultrasonography
Leave blank if registration is sought for Genetic Counselling Centre only.

8. Equipment available with the make and model of each equipment (List to be attached on a separate sheet).

9. (a) Facilities available in the Counselling Centre.
(b)Whether facilities are or would be available in the Laboratory/Clinic for the following tests:

(i) Ultrasound
(ii) Amniocentesis
(iii) Chorionic villi aspiration
(iv) Foetoscopy
(v) Foetal biopsy
(vi) Cordocentesis

Whether facilities are available in the Laboratory/ Clinic for the following:

(i) Chromosomal studies
(ii) Biochemical studies
(iii) Molecular studies
(iv) Preimplantation genetic diagnosis

10 Names, qualifications, experience and registration number of employees (may be furnished as an enclosure).

11 State whether the Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ultrasound clinic/imaging centre [1[1]] qualifies for registration in terms of requirements laid down in Rule 3]

4

F-2 101

DECLARATION

I, Sh./Smt./Kum./Dr........................... son/daughter/wife of .... aged .... years .... working as (indicate designation ....) in (indicate name of the organisation to be registered ....) hereby declare that I have read and understood the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994) and the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Rules, 1996,

I also undertake to explain the said Act and Rules to all employees of the Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ultrasound clinic/imaging centre in respect of which registration is sought and to ensure that the Act and Rules are fully complied with.

Date:

Place

(.......................................)

Name, designation and signature of the person authorized to

sign on behalf of the organisation to be registered

[SEAL OF THE ORGANISATION SOUGHT TO BE REGISTERED]

ACKNOWLEDGEMENT
[See Rules 4(2) and 8(1)]

The application in Form A in duplicate for grant*/renewal* of registration of Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre* by .... (Name and address of applicant) has been received by the Appropriate Authority .... On (date).

*The list of enclosures attached to the application in Form A has been verified with the enclosures submitted and found to be correct.

OR

*On verification it is found that the following documents mentioned in the list of enclosures are not actually enclosed

This acknowledgement does not confer any rights on the applicant for grant or renewal of registration.

(.......................................)

Signature and Designation of Appropriate Authority, or authorized person in the
Office of the Appropriate Authority.

Date:
Place:

SEAL

4

ORIGINAL/DUPLICATE FOR DISPLAY

FORM B

[See Rules 6(2), 6(5) and 8(2)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(To be issued in duplicate)

1. In exercise of the powers conferred under Section 19 (1) of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994), the Appropriate Authority .... hereby grants registration to the Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre* named below for purposes of carrying out Genetic Counselling/Pre-natal Diagnostic Procedures*/Pre-natal Diagnostic Tests/ultrasonography under the aforesaid Act for a period of five years ending on ....

2. This registration is granted subject to the aforesaid Act and Rules thereunder and any contravention thereof shall result in suspension or cancellation of this Certificate of Registration before the expiry of the said period of five years apart from prosecution.

A. Name and address of the Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre*.

B. Pre-natal diagnostic procedures* approved for (Genetic Clinic).
Non-Invasive
(i) Ultrasound
Invasive
(ii) Amniocentesis
(iii) Chorionic villi biopsy
(iv) Foetoscopy
(v) Foetal skin or organ biopsy
(vi) Cordocentesis
(vii) Any other (specify)

C. Pre-natal diagnostic tests* approved (for Genetic Laboratory)
(i) Chromosomal studies
(ii) Biochemical studies
(iii) Molecular studies

D. Any other purpose (please specify)

3. Model and make of equipments being used (any change is to be intimated to the Appropriate Authority under rule 13).

4. Registration No. allotted

5. Period of validity of earlier Certificate of Registration.
(For renewed Certificate of Registration only) From .... To ....

Signature, name and designation of
The Appropriate Authority

Date:

SEAL

DISPLAY ONE COPY OF THIS CERTIFICATE AT A CONSPICUOUS PLACE AT THE PLACE OF BUSINESS

F-2 16

FORM C
[See Rules 6(3), 6(5) and 8(3)]

FORM FOR REJECTION OF APPLICATION FOR GRANT/RENEWAL OF REGISTRATION

In exercise of the powers conferred under Section 19(2) of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994, the Appropriate Authority .... hereby rejects the application for grant*/renewal* of registration of the undermentioned Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre*.

(1) Name and address of the Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic*/Ultrasound Clinic*/Imaging Centre*

(2) Reasons for rejection of application for grant/renewal of registration:

Signature, name and designation of
the Appropriate Authority with SEAL of Office

Date:
Place:

---

*Strike out whichever is not applicable or necessary.

4

(31)

FORM D
[See rule 9(2)]

FORM FOR MAINTENANCE OF RECORDS BY THE GENETIC COUNSELLING CENTRE

1. Name and address of Genetic Counselling centre.
2. Registration No.
3. Patient's name
4. Age
5. Husband's/Father's name
6. Full address with Tel. No., if any
7. Referred by (Full name and address of Doctor(s) with registration No.(s)
(Referral note to be preserved carefully with case papers)
8. Last menstrual period/weeks of pregnancy
9. History of genetic/medical disease in the family (specify)
Basis of diagnosis:
(a) Clinical
(b) Bio-chemical
(c) Cytogenetic
(d)Other (e.g.radiological, ulrasonography)
10. Indication for pre-natal diagnosis
A. Previous child/children with:
(i) Chromosomal disorders
(ii) Metabolic disorders
(iii) Congenital anomaly
(iv) Mental retardation
(v) Haemoglobinopathy
(vi) Sex linked disorders
(vii) Single gene disorder
(viii) Any other (specify)
B. Advanced maternal age (35 years or above)
C. Mother/father/sibling having genetic disease (specify)
D. Others (specify)
11. Procedure advised[2][2]
(i) Ultrasound
(ii) Amniocentesis
(iii) Chorionic villi biopsy
(iv) Foetoscopy

(v) Foetal skin or organ biopsy
(vi) Cordocentesis
(vii) Any other (specify)
12. Laboratory tests to be carried out
(i) Chromosomal studies
(ii) Biochemical studies
(iii) Molecular studies
(iv) Preimplantation genetic diagnosis
13. Result of diagnosis
If abnormal give details. Normal/Abnormal
14. Was MTP advised?
15. Name and address of Genetic Clinic* to which patient is referred.
16. Dates of commencement and completion of genetic counseling.

F-2

FORM E

[See Rule 9(3)]

FORM FOR MAINTENANCE OF RECORDS BY GENETIC LABORATORY

1. Name and address of Genetic Laboratory
2. Registration No
3. Patient's name
4. Age
5. Husband's/Father's name
6. Full address with Tel. No., if any
7. Referred by/sample sent by (full name and address of Genetic Clinic) (Referral note to be preserved carefully with case papers)
8. Type of sample: Maternal blood/Chorionic villus sample/amniotic fluid/Foetal blood or other foetal tissue (specify)
9. Specify indication for pre-natal diagnosis

   A. Previous child/children with
      - (i) Chromosomal disorders
      - (ii) Metabolic disorders
      - (iii) Malformation(s)
      - (iv) Mental retardation
      - (v) Hereditary haemolytic anaemia
      - (vi) Sex linked disorder
      - (vii) Single gene disorder
      - (viii) Any other (specify)

   B. Advanced maternal age (35 years or above)

   C. Mother/father/sibling having genetic disease (specify)

   D. Other (specify)

10. Laboratory tests carried out (give details)
    - (i) Chromosomal studies
    - (ii) Biochemical studies
    - (iii) Molecular studies
    - (iv) preimplantation gentic diagnosis
11. Result of diagnosis

    If abnormal give details. Normal/Abnormal
12. Date(s) on which tests carried out.

The results of the Pre-natal diagnostic tests were conveyed to .... on ....

Name, Signature and Registration No. of the
Medical Geneticist/Director of the Institute

Place:
Date:

4

F-2

FORM F

[See Proviso to Section 4(3), Rule 9(4) and Rule 10(1A)]

FOR MAINTENANCE OF RECORD IN RESPECT OF PREGNANT WOMAN BY GENETIC CLINIC/ULTRASOUND CLINIC/IMAGING CENTRE

Name and address of the Genetic Clinic/Ultrasound Clinic/Imaging Centre.

Registration No.

Patient's name and her age

Number of children with sex of each child

Husband's/Father's name

Full address with Tel. No., if any

Referred by (full name and address of Doctor(s)/Genetic Counselling Centre (Referral note to be preserved carefully with case papers)/self referral

Last menstrual period/weeks of pregnancy

History of genetic/medical disease in the family (specify)
Basis of diagnosis:
(a) Clinical
(b) Bio-chemical
(c) Cytogenetic
(d) Other (e.g.radiological, ultrasonography etc. specify)

0. Indication for pre-natal diagnosis

A. Previous child/children with:
(i) Chromosomal disorders
(ii) Metabolic disorders
(iii) Congenital anomaly
(iv) Mental retardation
(v) Haemoglobinopathy
(vi) Sex linked disorders
(vii) Single gene disorder
(viii) Any other (specify)

B. Advanced maternal age (35 years)
C. Mother/father/sibling has genetic disease (specify)
D. Other (specify)

11. Procedures carried out (with name and registration No. of Gynaecologist/Radiologist/Registered Medical Practitioner) who performed it.

Non-Invasive
(i) Ultrasound (specify purpose for which ultrasound is to done during pregnancy)
[List of indications for ultrasonography of pregnant women are given in the note below]

Invasive
(ii) Amniocentesis
(iii) Chorionic Villi aspiration
(iv) Foetal biopsy
(v) Cordocentesis
(vi) Any other (specify)

12. Any complication of procedure – please specify

F-2-

pre-natal diagnostic procedure
ve details)
(b) Ultrasonography Normal/Abnormal
specify abnormality detected, if any).

Date(s) on which procedures carried out.

16. Date on which consent obtained. (In case of invasive)

17. The result of pre-natal diagnostic procedure were conveyed to ....on ....

18. Was MTP advised/conducted?

19. Date on which MTP carried out.

Date:
Place

Name, Signature and Registration number of the
Gynaecologist/Radiologist/Director of the Clinic

DECLARATION OF PREGNANT WOMAN

I, Ms. ________________ (name of the pregnant woman) declare that by undergoing ultrasonography /image scanning etc. do not want to know the sex of my foetus.

Signature/Thump impression of pregnant woman

3 Strike out whichever is not applicable or not necessary

DECLARATON OF DOCTOR/PERSON CONDUCTING ULTRASONOGRAPHY/IMAGE SCANNING

I, __________________ (name of the person conducting ultrasonography/image scanning) declare that while conducting ultrasonography/image scanning on Ms. ___________ (name of the pregnant woman), I have neither detected nor disclosed the sex of her foetus to any body in any manner.

Name and signature of the person conducting ultrasonography/image scanning
Director or owner of genetic clinic/ultrasound clinic/imaging centre

Important Note:

(i) Ultrasound is not indicated/advised/performed to determine the sex of foetus except for diagnosis of sex-linked diseases such as Duchenne Muscular Dystrophy, Haemophilia A & B etc.

(ii) During pregnancy Ultrasonography should only be performed when indicated. The following is the representative list of indications for ultrasound during pregnancy.

(1) To diagnose intra-uterine and/or ectopic pregnancy and confirm viability.
(2) Estimation of gestational age (dating).
(3) Detection of number of foetuses and their chorionicity.
(4) Suspected pregnancy with IUCD in-situ or suspected pregnancy following contraceptive failure/MTP failure
(5) Vaginal bleeding / leaking.
(6) Follow-up of cases of abortion.
(7) Assessment of cervical canal and diameter of internal os.
(8) Discrepancy between uterine size and period of amenorrhoea.
(9) Any suspected adenexal or uterine pathology / abnormality.
(10) Detection of chromosomal abnormalities, foetal structural defects and other abnormalities and their follow up.
(11) To evaluate foetal presentation and position.
(12) Assessment of liquor amnii.
(13) Preterm labour / preterm premature rupture of membranes.
(14) Evaluation of placental position, thickness, grading and abnormalities (placenta praevia, retroplacental haemorrhage, abnormal adherence etc.).
(15) Evaluation of umbilical cord – presentation, insertion, nuchal encirclement, number of vessels and presence of true knot.
(16) Evaluation of previous Caesarean Section scars.
(17) Evaluation of foetal growth parameters, foetal weight and foetal well being.
(18) Colour flow mapping and duplex Doppler studies.
(19) Ultrasound guided procedures such as medical termination of pregnancy, external cephalic version etc. and their follow-up.
(20) Adjunct to diagnostic and therapeutic invasive interventions such as chorionic villus sampling (CVS),

FORM G

[See Rule 10]

FORM OF CONSENT

(For invasive techniques)

I, ... wife/daughter of .... Age .... years resid... .... hereby state that I have been explained fully the probable side effects and after effects of the pre-natal diagnostic procedures.

I wish to undergo the preimplantation/pre-natal diagnostic technique/test/procedures in my own interest to know the possibility of any abnormality (i.e. disease/deformity/disorder) in the child I am carrying.

I undertake not to terminate the pregnancy if the pre-natal procedure/technique/test conducted show the absence of disease/deformity/disorder.

I understand that the sex of the foetus will not be disclosed to me.

I understand that breach of this undertaking will make me liable to penalty as prescribed in the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (57 of 1994) and rules framed thereunder.

Date

Place

Signature of the pregnant woman.

I have explained the contents of the above to the patient and her companion (Name .... Address .... Relationship ....) in a language she/they understand.

Name, Signature and/Registration number of
Gynaecologist/Medical Geneticist/Radiologist/Paediatrician
Director of the Clinic/Centre/Laboratory

Date

Name, Address and Registration number of
Genetic Clinic/Institute

SEAL

\0 [-- --

FORM H
[See Rule 9(5)]

.ORM FOR MAINTENANCE OF PERMANENT RECORD OF APPLICATIONS FOR GRANT/REJECTI REGISTRATION UNDER THE PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (REGULATION AND PREVENTI MISUSE) ACT, 1994.

1.Sl. No.

2.File number of Appropriate Authority.

3.Date of receipt of application for grant of registration.

4.Name, Address, Phone/Fax etc. of Applicant:

5.Name and address(es) of Genetic Counselling Centre*/Genetic Laboratory*/Genetic Clinic* /Ultrasound Clinic*/Imaging Centre*.

6.Date of consideration by Advisory Committee and recommendation of Advisory Committee, in summary.

7.Outcome of application (state granted/rejected and date of issue of orders - record date of issue of order in Form B or Form C).

8.Registration number allotted and date of expiry of registration.

9.Renewals (date of renewal and renewed upto).

10. File number in which renewals dealt.

11. Additional information, if any.

Name, Designation and Signature of
Appropriate Authority

Guidance for Appropriate Authority

(a) Form H is a permanent record to be maintained as a register, in the custody of the Appropriate Authority.

(b) * Means strike out whichever is not applicable.

(c) On renewal, the Registration Number of the Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/G Clinic/Ultrasound Clinic/Imaging Centre will not change. A fresh registration Number will be allotted in the ev change of ownership or management.

(e) Registration number shall not be allotted twice.

(f) Each Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic/ Ultrasound Clinic/Imaging Centre m allotted a folio consisting of two pages of the Register for recording Form H.

(g) The space provided for 'additional information' may be used for recording suspension, cancellations, rejec application for renewal, change of ownership/management, outcome of any legal proceedings, etc.

(h) Every folio (i.e. 2 pages) of the Register shall be authenticated by signature of the Appropriate Authority with and every subsequent entry shall also be similarly authenticated.".

(Ms. K. Sujatha
Joint Secretary to the Government of

[No.N.24026/14/2002-PND

Footnote:- The Principal Notification was published in the Gazette of India vide No.G.S.R. 1(E) dated 1st January
This is the first amendments to the Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Rules, 199

FORM “G”

(See rule 13)

FORMAT FOR DEATH REGISTER

S.No.	Admn. No.	Name S/o, D/o, W/o & address	Age/ Sex	Final Diagno sis	Doctor I/C of the case	Cause of Death	Date & time of Death	Whether MLC (Y/N) If yes P.S. where registered	Remarks
	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
9वां तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–02

सं.फा. 24/विविध/डीएचएस/94/पीएफ/ए–2/25186-202 दिनांकः– 16.5.08

अधिसूचना

सं.फा. 24/विविध/ एन एच /डीएचएस/94/पीएफ/ए–2/ – दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण नियमावली, 1953 का फिर से संशोधन करने के लिये नियमावली का निम्नलिखित प्रारूप, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1953 (1953 का दिल्ली अधिनियम 6) की धारा, 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाना प्रस्तावित करते हैं, वह इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतियां, जिस तिथि से जनता को उपलब्ध होती हैं, उस तिथि से तीस दिन के अवधि बीतने के पश्चात् इस संबंध में निर्धारित अवधि तक प्राप्त होने वाले किन्हीं आपत्तियों या सुझावों के साथ विचार किया जायेगा ।

इस संबंध में आपत्तियां तथा सुझाव निदेशक स्वास्थ्य सेवायें, दिल्ली सरकार, एफ–17, कड़कड़डूमा, शाहदरा, दिल्ली–110032 को भिजवाए जाने चाहिये ।

प्रारूप नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :– (1) इन नियमों को दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जा सकता है ।

(2) ये तत्काल प्रभावी होंगे ।
शर्त यह है कि जिस तिथि से ये नियम प्रवृत्त होते हैं, उस तिथि को पहले ही पंजीकृत नर्सिंग होम उक्त तिथि से नब्बे दिन के अवधि के भीतर इन नियमों का पालन करेंगे ।

2. नियम 6 का संशोधन : दिल्ली नर्सिंग होग पंजीकरण नियमावली, 1953 (इसके पश्चात् "मूल नियमावली" के रूप में संदर्भित) के नियम 6 के उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रति स्थापित किया जायेगा अर्थात् (1) "पंजीकरण के नवीनीकरण का आवेदन पत्र प्रत्येक तीसरे वर्ष जनवरी माह में फार्म ख अग्रिम में किया जायेगा और इसके साथ नियम 7 में निर्धारित शुल्क लगा होगा" ।

3. नियम 7 के स्थान पर नये नियम का प्रतिस्थापन :– मूल नियमावली के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :

7. "तीन वर्ष की अवधि के लिये पंजीकरण तथा पंजीकरण का नवीनीकरण का शुल्क
(1) पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये भुगतान किये जाने वाला शुल्क निम्न प्रकार से वसूल किया जायेगा :

बिस्तरों की संख्या	पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क
दस बिस्तरों तक	दो हजार रूपये
ग्यारह से तीस बिस्तर	तीन हजार रूपये

इक्कतीस से एक सौ बिस्तर	आठ हजार रूपये
एक सौ से अधिक बिस्तर	आठ सौ रूपये तथा एक सौ से अधिक बिस्तरों की संख्या के लिये एक सौ पच्चीस रूपये प्रति बिस्तर

(2) जहां नियम 6 के अनुसार नवीनीकरण का शुल्क यथासमय जमा नहीं कराया जाता है, वहां नवीनीकरण शुल्क की दस प्रतिशत राशि के बराबर राशि विलम्ब शुल्क के रूप में प्रतिमाह या इसके भाग के लिये जमा करानी होगी ।

(3) नियम 6 के उप नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित अन्तिम तिथि से छः माह के भीतर पंजीकरण के नवीनीकरण का शुल्क जमा कराने में विफलता के परिणामस्वरूप नवीनीकरण के आवेदन–पत्र का अस्वीकरण होगा ।"

4. **नियम 11 के स्थान पर नये नियम का प्रतिस्थापन–** मूल नियमावली के नियम 11 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :–

11 **"डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करना —**

यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाता है, विकृत या नष्ट हो जाता है तो वह नये प्रमाण पत्र के लिये पर्यवेक्षक प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है और पर्यवेक्षक प्राधिकारी यदि उचित समझते हैं तो पांच सौ रूपये के शुल्क के भुगतान करने पर ऐसा प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं । इस नियम के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र पर "डुप्लीकेट" उल्लिखित होगा ।"

5. **नियम 12 का संशोधन–** मूल नियमावली के नियम 12 में —

(I) मुख्य शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् : "12 नर्सिंग होम में दाखिल रोगी या जन्म शिशु का अभिलेख"

(II) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित शामिल किया जायेगा । अर्थात् "(1) किसी नर्सिंम होग का रखने वाला निम्नलिखित रखेगा —

(क) समय–समय पर पयर्वेक्षण अधिकारी द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार नर्सिंग होम में दाखिल रोगियों का रजिस्टर इन नियमों के साथ संलग्न फार्म **"डी"** में,

(ख) फार्म **"डी"** में प्रवेश रजिस्टर के अनुसार नर्सिंग होम में दाखिल रोगियों के नाम, सही वर्णक्रम के अनुसार,

(ग) किसी अन्य जानकारी के अतिरिक्त नर्सिंग होम में दाखिल प्रत्येक रोगी के स्वास्थ्य का अभिलेख निम्नलिखित जानकारी सहित जो पर्यवेक्षक अधिकारी को समय–समय पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा बनाये गये मार्ग निर्देशों के अनुसार चाहिय:–

1. प्रवेश संख्या
2. नाम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
3. आयु य
4. लिंग
5. व्यवसाय
6. धर्म

7. केस का प्रभारीडाक्टर
8. प्रवेश का समय व तिथि ....
9. छुट्टी देने की तिथि :
10 .प्रवेश के समय रोग निदान
11. अन्तिम निदान
12. मामले का परिणाम/नतीजा
13. मामले का सारांश
14. जांच का अभिलेख
15. परामर्श
16. शल्यचिकित्सा प्रक्रिया का विवरण तथा संवेदनाहरण यदि किया गया हो ।
17. उपचार का अभिलेख
18. नर्सिंग देखभाल का अभिलेख
19. आईसीयू/आईसीसीयू में दाखिल रोगियों के लिये विशेष अभिलेख तथा प्रगति
20. आहार
21. यदि चिकित्सीय टीप कानूनी मामला है तो पुलिस को सूचना देने की तिथि और समय
22. पुलिस को सौंपे चिकित्सीय कानूनी मामले का सारांश

(घ) इस नियमों के साथ संलग्न फार्म "ड़" में नर्सिंग होम में दाखिल प्रत्येक प्रसूति मामले और वहां पैदा हुये प्रत्येक शिशु का अभिलेख

(ड़) इन नियमों के साथ संलग्न फार्म "च 1 तथा च 2" में नर्सिंग होम में हुये गर्भपात, चिकित्सीय गर्भ समापन तथा मृत जन्में शिशुओं का सारा अभिलेख होगा तथा वे एमटीपी अधिनियम (एफ–1) तथा पी एन डी टी अधिनियम (एफ–2) के प्रावधानों का अनुसरण करेंगे ।

6. **नियम 13 के स्थान पर नये नियम का प्रतिस्थापन** : मूल नियमावली के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"13. नर्सिंग होम में हुई मृत्यु की सूचना :–

यदि कोई मृत्यु नर्सिंग होम में होती है तो नर्सिंग होम का संचालक (कीपर) मृत्यु होने के चौबीस घंटों के भीतर ऐसी मृत्यु के संबंध में पर्यवेक्षण प्राधिकारी को फार्म "जी" में, जिस स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी एमसीडी / एनडीएमसी/केन्टोमैन्ट बोर्ड के क्षेत्राधिकार में नर्सिंग होम स्थित है, उस स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी अन्य जानकारी के साथ प्रस्तुत करेगा ।"

7. **अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन** :– मूल नियमावली की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी अर्थात् :–

अनुसूची
(नियम 14 देखिए)

किसी नर्सिंग होम द्वारा पालन की जाने वाली अपेक्षाएं

1. **स्थान और आसपास :–** नर्सिंग होम का स्थान और उसके आसपास का क्षेत्र साफ सुथरा होगा और किसी खुली सीवर लाइन, नाले या जनता शौचालय के निकट नहीं होगा या धुंआ छोड़ने वाले या गंदी/विषैली दुर्गंध छोड़ने वाले कारखाने के निकट नहीं होगा । नर्सिंग होम के पास समय–समय पर प्रचलित नगर निगम उपविधियों एम पी डी 2021 के अनुसार आगुन्तकों के लिये पार्किंग क्षेत्र की पर्याप्त सुविधायें होगी ।

2. **भवन :–**

2,1 नर्सिंग होम के लिये प्रयुक्त भवन प्रचलित नगर निगम उप विधियों का और समय–समय पर सरकार द्वारा बनाए गये ऐसे दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे और परिसर का प्रयोग सम्बद्ध कानून/कानूनों में निर्धारित भूमि प्रयोग के अनुरूप करेगा ।

2,2 नर्सिंग होम के कमरे सुवातित (हवादार) प्रकाश वाले होंगे और उन्हें साफ सुथरा स्वास्थ्य कर परिस्थितियों में रखा जायेगा । गर्मियों में कमरे ठण्डे रखने और सर्दियों में गर्म रखने की व्यवस्था होगी ।

2,3 प्रसव कक्ष और शल्य चिकित्सा मंच की दीवार तल से 1.22 मीटर (4फुट) की ऊंचाई तक इस तरह निर्मित होगी ताकि यह जलरोधक हो ! फर्श ऐसे होंगे कि उन पर धूल नहीं जमी होगी । दीवारों या तलों में किसी प्रकार की छेद या सुराख/तेराड़ नहीं होंगे ।

2,4 प्रसव कक्ष और आपरेशन कक्ष एसेप्टिक होंगे ।

2,5 सेप्टिक तथा संक्रामक मामलों को अलग रखने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जायेंगी ।

3. **रोगियों के लिये आवास, स्थान आदि :–**

3.1 किसी एक विशेषज्ञता या अतिरिक्त विशेषज्ञता के लिये सुविधा प्रदान करने वाले नर्सिंग होम में रोगियों तथा उनके परिचरों के लिये पर्याप्त बैठने की व्यवस्था तथा अन्य सुविधा वाला पर्याप्त प्रतीक्षा क्षेत्र स्वागत/पंजीकरण काऊंटर के समीप होना चाहिये और विशेषज्ञता के अनुसार पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । सामान्य नर्सिंग होम में तल क्षेत्र 7.43 वर्ग मीटर (80 वर्ग फुट) एक बिस्तर के लिये तथा कमरे में प्रत्येक अतिरिक्त बिस्तर के लिये 5.57 वर्ग मीटर (60 वर्ग फुट) से कम नहीं होना चाहिये तथा इसमें रोगियों के लिये शौचालय का क्षेत्र शामिल नहीं होगा ।

3.2 सघन चिकित्सा कक्ष की सुविधा वाले नर्सिंग होम में मुख्य क्षेत्र में 18.50वर्ग मीटर (200 वर्ग फुट) प्रति बिस्तर का स्थान होना चाहिये । इसमें दवाईयां तथा उपकरणों (वेंटिलेटर, विशेष बिस्तर, सक्शन मशीन, परिवहन उपकरण, व्हील चेयर कार्ट, मोनिटर आदि) को रखने के लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिये । सघन चिकित्सा युनिटों में बड़े–बड़े सेल्फ, चौड़े दरवाजे जो बिना छुए खुले तथा बैटरी चार्जिंग के स्थान होने चाहिये । डॉक्टरों/

सेवाओं के कक्ष (चेंजिंग रूम, ड्यूटी रूम, अटैंडेंट रूम) सघन चिकित्सा कक्ष के नजदीक होने चाहिये । इसमें भंडारण (एक 2/4 बैडिड पोड के लिये ; 3-4, 10 बैडिड आईसीयू के लिये) क्रेश कार्ट एल्कोब्स (इलैक्ट्रिक आउटलैट वाले) मेडिकेशन स्टेशन, रेफ्रिजरेटर, लोकेवल केबिनेट (नेरकोटिक्स) काउंटरटाप वर्क एरिया, स्टोरेज केबिनेट/द्राज, एक्सरे व्यू बॉक्स के लिये सुगमता से पहुंचा जा सकने वाला स्थान होना चाहिये ।

डयूटी पर स्टाफ के लिये स्थान सघन चिकित्सा कक्ष के अतिरिक्त होना चाहिये । सहायक

3.3 मुख्य सघन चिकित्सा कक्षों के क्षेत्र के अलावा आनुषंगिक क्षेत्रों में संप्रेषण (टेलिफोनों के लिये, इंटरकम्यूनिकेशन सिस्टम तथा एमरजेंसी कोड अलार्म सिस्टम), लिपिकीय स्थान (फाइलिंग केबिनेट तथा द्राज) तथा युनिट के साथ सार्वजनिक स्थान तथा प्रार्थना क्षेत्र आदि होगें ।

3.4 नवजात शिशुओं या नवप्रसूति सुश्रुत युनिट की सुविधा प्रदान करने वाले नर्सिंग होम में 4.65वर्ग मीटर (50वर्ग फीट) का क्षेत्र प्रत्येक नवप्रसूति बिस्तर के लिये होना चाहिये जिसमें हाथ धोने तथा गाउनिंग, फार्मुला तैयार करने, भंडार तथा डाक्टरों के लिये ड्यूटी रूम के लिये अलग क्षेत्र होना चाहिये । फर्श क्षेत्र तथा 1.22मीटर (4फुट) तक दीवार धोई जा सकें ।

4. **आपरेशन थियेंटर तथा लेबर रूम :-** आपरेशन थियेटर का फर्श क्षेत्र 13.94 वर्ग मीटर (150 वर्ग फुट) तथा लेबर रूम 9.29 वर्ग मीटर (100 वर्ग फुट) प्रति टेबल से कम नहीं होना चाहियें । लेबर रूम में नवप्रसूति रिसस्सीटेशन युनिट की सुविधा तथा उपकरण होने चाहियें ।

5. **ड्यूटी रूम की व्यवस्था :-** ड्यूटी पर नर्सिंग स्टाफ के लिये ड्यूटी रूम होगा ।

6. **भंडारण स्थान :-** दवाईयों, खाने का सामान, उपकरणों आदि के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जायेगा ।

7. **जलापूर्ति :-** नर्सिंग होम में प्रयोग किया जाने वाला पानी स्वच्छ तथा पीने योग्य गुणवत्ता का होना चाहिये ।

8. **स्वास्थ्य, कपड़े तथा स्टाफ की सफाई संबंधी आवश्यकतायें :-**

8.1 नियुक्त किया गया स्टाफ संक्रामक रोगों से मुक्त होना चाहिये तथा उन्हें अपनी ड्यूटी की प्रकृति के अनुरूप स्वच्छ वर्दी प्रदान की जायेगी ।

8.2 कर्मचारियों को रोजगार दिये जाते समय चिकित्सा जाँच होगी तथा उसके पश्चात समय-समय पर जाँच की जाती रहेगी । कर्मचारियों को सभी संक्रामक बीमारियों से बचाने या संभावित खतरे वाली संक्रामक बीमारियों के लिये टीके लगाये जायेंगे ।

9. उपकरण तथा लिनन आदि :– नर्सिंग होम में –

9.1 पर्याप्त संख्या में कोमोड, बैडपैन तथा फलसिंग व्यवस्था वाले स्लोप सिंक होंगे तथा अनुरक्षित किये जायेंगे ।

9.2 हाईप्रेशर स्टेरलाइजर और औजार स्टेरलाइजर होंगे ।

9.3 रोगियों को सुरक्षित तथा स्वच्छ आक्सीजन देने के लिये सभी प्रकार के आवश्यक उपकरणों तथा फ्लोमीटरों से लैस प्राप्त संख्या में आक्सीजन सिलेंडरों से अबाध आक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था होगी ।

9.4 ट्रांस्फ्यूजन के उपकरण, आवश्यक उपकरण, औजार, यंत्र तथा दवाईयाँ उस स्तर तथा संख्या में होने चाहिये जो नर्सिंग होम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अनुरूप हों ।

9.5 प्रसूति कक्ष तथा नवप्रसूति देखभाल कक्ष की नवप्रसूति रिसस्सीटेशन युनिट में उपकरण तथा दवाईयाँ पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा समय–समय पर तैयार किए गये मार्ग दर्शक नियमों के अनुसार होने चाहिये ।

9.6 सघन देखभाल के लिये सुविधायें प्रदान करने के विषय में इसके लिये पर्यवेक्षण, निदानात्मक, रेडियोलॉजिकल, थेरेप्यूटिक/सहायक तथा बिस्तरों के समीप सुविधायें तथा समय–समय पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा तैयार किये गये मार्ग दर्शक नियमों के अनुसार होने चाहिये ।

9.7 पर्याप्त मात्रा में चादरें, गददे तकिए, कंबल, बिछाने वाली चादरें तथा अन्य लिनन होने चाहिये ।

9.8 विशेष ओषधियों के लिये ताला लगी हुई अलग अलमारी होनी चाहिये ।

10. भोजन यदि नर्सिंग होम रोगियों को खुराक प्रदान करता है तो इसे स्वारस्थ्यपरक स्थितियों में पकाया और परोसा जाये ।

11. नर्सिंग स्टाफ :–

11.1 ड्यूटी पर पूरे समय, दिल्ली नर्सिंग परिषद् के पंजीकृत कम से कम सामान्य नर्सिंग तथा मिडवाईफरी परीक्षा उत्तीर्ण, नर्स होनी चाहिये जो नर्सिंग होम के प्रत्येक दस बिस्तरों या उसके किसी भाग के लिये एक होनी चाहिये ।

बशर्ते कि पर्यवेक्षण अधिकारी पूर्वानुमोदन से नर्सिंग स्टाफ के एक भाग के स्थान पर अन्य प्रशिक्षित स्टाफ जैसे मिडवाईफ, फार्मासिस्ट, ड्रेसर आदि नर्सिंग होम की विशेष जरूरतों के अनुसार हो सकते हैं ।

11.2 सघन देखभाल की सुविधा प्रदान करने वाले नर्सिंग होम में किसी 10बिस्तरों वाले आईसीयू/सीसीयू में एक वर्ष के कार्य का अनुभव रखने वाली प्रशिक्षित स्टाफ नर्स होनी चाहिये । किसी विशेष समय पर 40प्रतिशत से अधिक अनुभवहीन स्टाफ नर्स नहीं होने

चाहिये जिन्हें किसी सघन देखभाल युनिट में एक वर्ष कार्य का अनुभव न हो इस तरह एक शिफ्ट में न्यूनतम 60प्रतिशत अनुभवी स्टाफ नर्सें अवश्य ही उपलब्ध रहेंगी । स्टाफ नर्सें 1:1 के अनुपात में चौबीस घंटे उपलब्ध रहेंगी तथा प्रत्येक 10 नर्सों के साथ सघन देखभाल युनिट में चौबीस घंटे एक योग्य पर्यवेक्षक रहेगा । सघन देखभाल युनिट में तैनात अर्धचिकित्सीय स्टाफ को ऐसी युनिट में कार्य का पिछला अनुभव होना चाहिये ।

11.3 नवजात की देखभाल या नवप्रसूति देखभाल युनिट सेवा प्रदान करने वाले नर्सिंग होम में भी 1:1 नर्स रोगी का अनुपात रहेगा ।

12 **रिकार्ड** :– निम्नलिखित के लिये नर्सिंग होम द्वारा अलग स्टॉक रजिस्टर रखे जायेंगे;

(अ) उपकरण

(ब) ओजार और

(स) लिनन

13 डाक्टर :–

13.1 नर्सिंग होम में दिल्ली चिकित्सा परिषद् द्वारा पंजीकृत आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति का एक योग्य डाक्टर चौबीस घंटे प्रत्येक 20बिस्तर या उसके किसी भाग की संख्या के लिये उपलब्ध रहेगा तथा संबंधित विशेषज्ञता की सेवा बुलाने पर उपलब्ध होनी चाहिये ।

13.2 सघन देखभाल सेवा प्रदान करने वाले नर्सिंग होम में संबंधित विशेषज्ञता आईसीयू में स्नातकोत्तर डाक्टर (एमडी) होनी चाहिये । सुपर स्पेशलिटी की सुविधा प्रदान करने वाले नर्सिंग होम के मामले में संबंधित विशेषज्ञता का परामर्श बुलाने पर उपलब्ध रहेगा । संबंधित परामर्शदाता अपेक्षित स्नातकोत्तर योग्यता वाला होगा ।

बशर्ते कि किसी स्नातकोत्तर डाक्टर के उपलब्ध न होने की स्थिति में, स्नातक उपाधि के पश्चात् किसी परामर्शदाता के पर्यवेक्षक में 10 बिस्तर वाले सामान्य आईसीयू/सीसीयू में एक वर्ष के कार्य अनुभव वाले डाक्टर पर भी आईसीयू/सीसीयू में रेजिडेंट डाक्टर के रूप में कार्य पर भी विचार किया जा सकता है । डाक्टरों बिस्तर का अनुपात चौबीस घंटे 1:4 का रहेगा तथा परामर्शदाता बुलाने पर आयेंगे ।

14 प्राकृतिक आपदा या विनाश के समय सहयोग :–

14.1 किसी प्राकृतिक आपदा या विनाश की स्थिति में प्रत्येक नर्सिंग होम के स्वामी या संचालक को पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा लिखित अनुरोध किये जाने पर सहयोग देना होगा तथा प्राकृतिक आपदा या विनाश के समय पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली उपयुक्त सहायता तथा चिकित्सा सहायता उपलब्ध करानी होगी ।

14.2 नर्सिंग होम किसी भी कारण से इलाज के लिये लाए गए घायल/गंभीर व्यक्ति को इंकार नहीं करेगा ।

15 **प्रभारों का प्रदर्शन** :– नर्सिंग होम का संचालक सुनिश्चित करेगा कि नर्सिंग होम द्वारा नर्सिंग होम में उपलब्ध सभी सेवाओं के लिये जाने वाले प्रभार स्थायी रूप से प्रदर्शित किये जाते रहें ।

16 **अतिरिक्त जेनरेटर की व्यवस्था :–** नर्सिंग होम का रखवाल नर्सिंग होम में बिजली जाने की स्थिति में अतिरिक्त जेनरेटर की व्यवस्था करेगा ।

17 **जैव चिकित्सा कूड़े को संभालना :–** नर्सिंग होम समय–समय पर यथासंशोधित जैव चिकित्सा कूड़ा (प्रबंधन एवं संभालना) नियमावली, 1998 का पालन करेगा तथा इन नियमों के अन्तर्गत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से अधिकार पत्र प्राप्त करेगा ।

18 **नर्सिंग होम की सेवा में व्यवधान :–** जहाँ किसी नर्सिंग होम में किसी भी कारण से सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है तो रखवाल इसके विषय में कम से कम चार सप्ताह पूर्व पर्यवेक्षक अधिकारी को इसकी सूचना देगा ।

बशर्ते कि किसी आपातकालिक स्थिति में सेवाओं में व्यवधान की स्थिति में सूचना पर्यवेक्षक अधिकारी को इस प्रकार के व्यवधान के चौबीस घंटे के भीतर देनी होगी ।

राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

विवेक रे

(विवेक रे)

प्रधान सचिव (स्वा. एवं परि. कल्याण)

नर्सिंग होम में इनटैनसिव केयर यूनिट (सघन चिकित्सा कक्ष) मे अनिवार्य उपकरणों /औषधियों की आवश्यकताओं के लिये दिशा निर्देश

गंभीर देखभाल यूनिट या गहन चिकित्सा यूनिट ऐसे रोगियों के यूनिट हैं जो अत्यधिक बीमार, अस्थिर स्थिति वाले या अत्यधिक अस्थिर स्थिति वाले रोगियों के लिये है जिनके लिये निरन्तर उपकरण संचालन तथा पूर्णकालिक नर्सो और विशेष प्रशिक्षित स्टॉफ की आवश्यकता है । गंभीर देखभाल यूनिटों में विस्तृत रूप से हृदय रोग संबंधी यूनिट तथा गहन चिकित्सा यूनिट सम्मिलित होंगे । अत्यधिक सामान्य गहन चिकित्सा यूनिटों में मेडिकल केयर यूनिट (एम आई सी यू), सर्जिकल इनटैनसिव केयर यूनिट (एस आई सी यू) बाल चिकित्सा यूनिट देखभाल यूनिट (पीआईसीयू) न्यूरोलोजीकल गहन चिकित्सा यूनिट (न्यूरो आईसीयू), न्यूओनैटल गहन देखभाल यूनिट (एन आई सी यू) तथा बर्न यूनिट सम्मिलित है ।

गहन चिकित्सा यूनिटों में निम्नलिखित सुविधायें होनी चाहिये :–

सामान्य आई0 सी0 यू0

(क) स्थान अपेक्षाएं

(1) मुख्य

आई0 सी0 यू0 बैड के लिए 200 वर्ग फीट/बैड का स्थान होना चाहिए। औषधियों तथा उपकरण (वेंटिलेटर, विशेष बैड, सक्शन मशीन, वहन उपकरण, व्हीलचेयर कार्ट, मोनिटर्स आदि) के भंडारण हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए। यह विस्तृत, बड़े–बड़े सैल्फ, खुला दरवाजा जिसमें टच लैस डोर ओपनर हो तथा बैटरी चार्जिंग के लिए स्थान होना चाहिए। डाक्टरों, नर्सो तथा ड्यूटी पर स्टाफ के लिए स्थान आई0सी0यू बैड स्थान से अतिरिक्त होना चाहिए।

सहायक सेवा कक्ष अर्थात् चेंजिंग रूम, ड्यूटी रूम, अटेंडेट रूम आईसीयू के नजदीक होना चाहिए। बिजली जाने पर वैकल्पिक बिजली आपूर्ति उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

बैड साइड (तत्काल उपलब्ध सामान) (2–4 बिस्तर वाले पोड के लिए एक, 10 बिस्तर वाले आईसीयू के लिए 3–4) क्रेश कार्ट एल्कोव्स (इलैक्ट्रिकल आउट लैट सहित)

मेडिकेशन स्टेशन
रेफ्रिजेरेटर
ताले वाली केबिनेट (नार्कोटिक्स)
काउंटर टाप वर्क एरिया
भंडारण केबिनेट/दराजे
एक्स–रे– व्यू बाक्स

(ii) आनुषंगिक क्षेत्र

(क) सम्प्रेषण
हाउस टेलिफोन
इंटर कम्यूनिकेशन सिस्टम
इमरजेंसी कोड अलार्म सिस्टम

(ख) लिपिकीय स्थान (वरीयता अलग)
फाइलिंग केबिनेट्स दराजे आदि

(ग) सार्वजनिक स्थान (युनिट के साथ)
टेलिफोन (हाउस तथा सार्वजनिक)
प्रार्थना क्षेत्र

-4

(ख) उपकरण (अनिवार्य)

(i) **रिकार्डिंग डॉटा स्टोरिंग तथा विश्लेषण सुविधाओं सहित उपकरण संचालन** -

ई सी जी मशीन/संचालन

एस पी ओ 2

डैफीब्रिलेटर सुविधा

तापमान--मल्टीपैरामीटर

ईटीसीओ

एन आई वी पी 2

इन्फ्यूज़न पम्प सिरिंज

डिफिकल्ट इनट्यूवेशन/एक्सट्यूबेशन कार्ट

नेबुलाइज़र (अल्ट्रासोनिक्स)

वैकल्पिक
कार्डिअक, ऑउटपुट

(ii) **डाइगनोस्टिक**
ए बी जी मशीन, इलैक्ट्रोलयर मशीन की सुविधा हेमाटोक्रिट, के एफ टी, ग्लुकोस मापन सुविधाएं आई सी यू/अस्पताल में चौबीस घंटो उपलब्ध होनी चाहिये ।

(iii) **रेडियोलॉजिकल**

इमैजिना एक्स--रे, बेडसाइट अल्ट्रासोनोग्राफी सुविधाएं समस्त मूलभूत इमैजिंग सुविधाएं तथा समस्त इनवैस्टिगेटिव रेडियोलॉजिकल पद्धति उपलब्ध रहनी चाहिये । सी टी स्कैन तथा वेडसाइड इकोकार्डियोग्राफी सुविधा के लिये प्रबंध सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

(iv) **थैराप्यूटिक/सपोरटिव**

वैनटिलेटर्स

(v) **बैडसाइड सुविधाएं**

आक्सीजन आपूर्ति के लिये केन्द्रीय पाइपलाईन प्रणाली, वैक्यूम एक्शन, बल्डप्रैशर संचालन प्रणाली, निटशैस आक्साइड, वैनटिलेशन के लिये हवा, विद्युतीय तारों के आड़े – तिरछे बिखरे रूप से बचने के लिये पर्याप्त इलैक्ट्रिकल सौकेट्स, एयर मैटरस, व्हीलचेयर, शिफ्टिंग ट्रॉली, ओवरहैड ट्रोली सहित एडजस्टेबल बिस्तर, डीटैचेब्ल बिस्तर –

विशेष आई.सी.यू

समस्त अन्य आई.सी.यू.जैसे :–न्यूरोलॉजिकल आई.सी.यू., न्यूरोलॉजिकल आई.सी.यू., न्यूओनैटल आई.सी.यू., मेडिकल आई.सी.यू., सर्जिकल आई.सी.यू. में सामान्य आई.सी.यू. के अतिरिक्त उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण होने चाहिये ।

न्यूरोलॉजी/न्यूरोसर्जरी आई.सी.यू. में सी.टी.स्कैन सुविधा होनी चाहिये ।

कोरोनरी केयर यूनिट (सी सी यू) में कार्डिअग मौनीटर तथा अस्थाई पेसिंग तथा फ्लूओरोसकॉपी तथा इनवेसिव आरटिऊल/वीनिऊस दाब संचालन तथा इनद्राओरटिक बैलून काउंटर पलसेशन सुविधा के लिये सुविधा होनी चाहिये ।

कोरोनटी एंजोग्राफी की सुविधा वैकल्पिक है ।

ग **अनिवार्य औषधियाँ तथा उपयोग हेतु आवश्यक वस्तु :–**

1. **औषधियाँ :–** आई.सी.यू. में चौबीस घंटे अपेक्षित औषधियाँ/फ्लूड उपलब्ध रहने चाहिये तथा आई.सी.यू. में किसी भी समय किसी भी दवाई की कमी नहीं होनी चाहिये । अनिवार्य औषधियों की सूची नीचे दी गई है :–

(i) **इन्डैक्शन/सीडेशन एजेंट**

थिओपैनटोन

केटामिन

प्रोपोफोल

मिडाजोलम

डिऊाउपैम

मोरफिन

पैथीडाइन

पैन्टाजोसिने

प्रोमीथाजिन

चोरप्रोमैज़िन

4

(ii) **रिलैक्सेंटस**

सुएक्समैथोनिऊम

वैक्यूरोनिऊम

पैनक्यूरोनिऊम

रोक्यूरोनियम

एटराक्यूरिऊम

(iii) **इनोट्रोप्स**

एडरिनेलिन

नोराड्रेनालिन

डोपामाइन

डोबूटामाइन

(iv) **एन्टीबॉयोटिक्स**

(v) **ब्रोनकोडिर्लेटस**

डैरिफिलिन

एमीनोफिलिन

टरब्यूटेलिन

नेबूलिसेशन सोलूशन (आस्थालाइन, आईपरावैंट, बडीकोर्ट, म्यूकोलाइटिक)

(vi) **इनफ्यूशन**

एस्मोलोल

नाईट्रोगिलिशरीन

सोडियम निट्रोप्रैसाइड

इन्सुलिन

टी पी एन सोल्यूशन

मैनीटोल

(vii) **अन्य औषधियाँ**

मैरोपरोलोल

फ्रूसमाइड

रैनिटाइडिन

मैटोक्लोपरामाइड

ओनाडामसीट्रोन

स्थानीय एनैसथैटिक्स (लिडोकेन, बुपीवैकेन)

एन्टीरयूमैटिक (एडनोसाइन, एक्लीलोकार्ड, कारडरोन, ब्रीटैलिअयम)

विटामिन के

लोमोलीक्यूलर वेटहीपैरिन

डिलीटिआजम

डिक्लोफिनैक

ट्रेमाडोल

एटरोपाइन

पी ए एम

इन्जैक्शन एविल

इन्जैक्शन डिकाड्रोन

इन्जैक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन

इन्जैक्शन एटीमैटिल

इन्जैक्शन इमैसैट

इन्जेक्शन डाइजोक्सिन
ग्लाइकोफीरोलेट

न्यूओस्टिगमाइन

कैल्शियम ग्लुकोनेट

सोडाबाईकार्ब

इन्जैक्शन पोटाशियम क्लोराइड

तथा सिरप पोटासियम क्लोराइड

मैगनेशियम

मल्टीविटामिन्स

लोकल एनसकैटिक जैली

आई आइनटमैंट

एन्टीसौटिक सोल्यूशन तथा आइनटमैंट

क्लीनिंग/डिसइनफैक्टिंग सोलूशन

एन्टीस्नेक वीनोम

कोलोइड्स (पोलीजैलिन, स्टार्य, डीम्ट्राँस एलवूमिन)

मैक्सिलेटिन

II **कन्ज्यूमेबल**

इन्डोट्रैकल ट्यूब (समस्त आकारों में)

ट्रैचोसटोमी ट्यूब (समस्त आकारों में)

एल एन ए (आई एल एम ए सहित) (समस्त आकारों में)

फेस मास्क (समस्त आकार)

ओरोपैरीनजील एयरवेज (समस्त आकार)

नेसोफेरिजियल एयरवेज समस्त आकार

नौन टच सक्शन उपकरण

सक्शन केथेटर्स (समस्त आकार)

गर्मी और नमी एक्सचेंजर (इटीटी, ट्रोचैक्टोमी ट्यूब के साथ प्रयोगार्थ)

इनसैनटिव स्पाईरोमीर्टस

आई/वी कैन्यूलै

थ्री वेज़

सी पी पी लाइन (समस्त आकार)

इनट्रा आरटीरियल कैनूलेक

फोलीस कैथटर्स

नैसोगैस्ट्रिक ट्यूट

सी पी ए पी मास्क

वैन्ट्यूटी मास्क

बिनैसल कैनूलैक

नैसल संपैक्टेकल

परक्यूटैनिऊस डिलेशन ट्रकैओस्टोमी केट

स्टराइल ड्रेसिंग

डिस्पोजेबल ग्लोब, मास्क, सीरिंज तथा नीडल, शू कवर

अस्थाई पैसिंग लीड्स 6 एफ/7एफ अस्थाई पल्स जनरेटर

चैक फ्लो (5–7एफ) तथा स्वान गंज कैथेटर

आरटीरियल पंक्चर नीडल

स्टराइल ड्रेप शीट्स

(घ) **अपेक्षित कर्मचारी**

4

(i) Stage

संबंधित विशेषज्ञता आईसीयू में स्नातकोत्तर डाक्टर (एमडी) तथा सुपर स्पेसिलिटी के मामले में संबंधित विशेषज्ञता का परामर्शदाता उपलब्ध होना चाहिए संबंधित परामर्शदाता को अपेक्षित स्नातकोत्तर योग्यता संपन्न होना चाहिए। स्नातकोत्तर डाक्टर के उपलब्ध न होने पर किसी 10 बिस्तर वाले सामान्य आइसीयू/सीसीयू में किसी परामर्शदाता के पर्यवेक्षण में एक वर्ष तक कार्य का अनुभव रखने वाले किसी स्नातक डाक्टर को रेजिडेंज डाक्टर रखा जा सकता है डाक्टर का दिल्ली चिकित्सा परिषद में पंजीकरण हो तथा डाक्टरों का अनुपात 24 घंटे बिस्तरों का 1:4 का होना चाहिए तथा विशेषज्ञ बुलाए जाने पर उपलब्ध हो।

(ii) **नर्सिंग कर्मचारी**

ऐसी स्टाफ नर्स हों जिनकी न्यूनतम योग्यता सामान्य नर्सिंग तथा मिडवाइफरी कोर्स होना चाहिए। दिल्ली नर्सिंग परिषद के पास पंजीकृत तथा 10 बिस्तर वाले आईसीयू/सीसीयू में एक वर्ष कार्य का अनुभव हो। किसी एक समय 40प्रतिशत से अधिक ऐसी अनुभवहीन स्टाफ नर्सें नहीं होनी चाहिए जिन्हें एक वर्ष आईसीयू में कार्य का अनुभव न हो। अतः सुनिश्चित होना चाहिए कि एक पारी में न्यूनतम 60प्रतिशत अनुभवशील स्टाफ नर्से उपलब्ध होनी चाहिए। स्टाफ नर्स 24 घंटे 1:1 के अनुपात में होगी तथा प्रत्येक 10 नर्सों पर शिक्षित पर्यवेक्षक चौबीस घंटे आई0सी0यू0 में उपलब्ध होना चाहिए।

(iii) **अर्ध–चिकित्सा स्टाफ**

आई0सी0यू0 में तैनात अर्ध–चिकित्सा स्टाफ को आई0सी0यू0 में कार्य का पिछला अनुभव होना चाहिए।

(ङ) **सामान्य सेवाएं**

अग्नि सुरक्षा उपाय

वातानुकूलन/हीटिंग

भूमिगत विद्युत प्वाइंट

आपातकालीन पॉवर स्रोत

सर्किट ब्रेकर उपकरण

उचित प्रकाश व्यवस्था

मरीजों को अन्य अस्पताल ले जाने या बड़े–बड़े केन्द्रों में लाने–ले जाने की सुविधा आई.सी.यू./सी.सी.यू. सहित होनी चाहिये ।

ये सिफारिशें आई.सी.यू./सी.सी.यू. के लिये दिशा निदेश बनाई गई है तथा संपूर्ण नहीं है तथा इनमें समय–समय पर संशोधन की आवश्यकता हो सकता है ।

नर्सिंग होम में नवजात शिशु (न्यूबोर्न) देखभाल यूनिट नवप्रसूति (नियोनेटल) देखभाल यूनिट तथा नियोनेटल पुनर्जीवन यूनिट में अनिवार्य उपकणों और औषधियों की मूलभूत आवश्यकता

नवजात शिशु (न्यूबोर्न) देखभाल यूनिट

1. वे नर्सिंग होम जो नवजात शिशु देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराते हैं उनमें निम्नलिखित अनिवार्य उपकरण और सुविधायें होनी चाहिये :—

(क) प्रत्येक नवप्रसूति बिस्तर के लिये नियोनेप्ल चेस्टपीस सहित एक स्टैथोस्कोप
(ख) बच्चे का वजन मापक मशीन
(ग) आक्सीजन हूड बॉक्स तथा अन्य आक्सीजन वितरण उपकरण जैसे हम्यूडिकायर तथा रेगुलेटर
(घ) फोटोथैरेपी यूनिट
(ङ) आक्सीजन तथा कम्प्रैस्ड एयर की निरन्तर उपलब्धता
(च) आक्सीजन एनॉलाइज़र (आक्सीमीटर)
(छ) नॉनइन्वेसिव बल्ड प्रैशर मानीटर
(ज) हार्ट रेट तथा/या अपनीया मानीटर
(झ) नवजात शिशु बचाव किट
(ञ) ट्रांसपोट इंक्यूबेटर
(त) सक्सन मशीन
(थ) एयर थर्मामीटर
(द) रेडीएन्ट हीट सोर्स

ऐसी नर्सिंग होम में चौबीसों घंटे बायोकैमीकल तथा हीमेटोलोजिकल जाँच के लिये अपेक्षित सुविधायें होगी जो बीमार शिशु के उपचार प्रबंधन के लिये आवश्यक हो सकती हैं । संक्रमण नियंत्रण की सुविधा होनी चाहिये जैसे अबाधित जलापूर्ति तथा संक्रमित शिशुओं को अलग रखने की व्यवस्था । गन्दे और मैले लीलन या अन्य सीमित अवशिष्ट के निपटान की सुरक्षित और पर्याप्त पद्धति ।

लेबर रूम में नवप्रसूति पुनजीवत (नियोनोल)

(क) एक चालू दीवार घड़ी जिसमें सैकेंड की सुई हो या स्टाप क्लॉक ।
(ख) रेडीएंट हीट साधन
(ग) दाब नियंत्रण यूपण मशीन तथा म्यूकस एक्सट्रैक्र की पर्याप्त संख्या ।
(घ) नवप्रसूति आधार के ब्लेज सहित दो कार्यरत स्वर यंत्रदर्शी
(ङ) सैल्फ इनफ्लैटिंग बैग सहित आई पी पी आर के लिये अपेक्षित सुविधाएं, भलीभांति फिट किये गये नियोजनटल फेस मास्क, एन्डोट्रेक्ल ट्यूब तथा समुचित एडॉटरस्
(च) अनबिलिंकल वेन केन्यूलेशनस् सेट
(छ) शिशु भार मापक मशीन
(ज) प्रसव के दौरान आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता ।

नर्सिंग होम में रोगियों के अभिलेखों के रखरखाव के लिये दिशा–निर्देश

नर्सिंग होम को निम्नलिखित प्रपत्रों के दिए गए प्रारूप के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव करना होगा ।

फार्म प्रपत्र "डी" भर्ती रोगियों का रजिस्टर ।
फार्म प्रपत्र "ई" नर्सिंग होम में भर्ती प्रत्येक प्रसूति मामलों का अभिलेख ।
फार्म प्रपत्र "एफ 1–2" गर्भपातों का अभिलेख एम0 टी0 पी0 मामले, तथा
नर्सिंग होम में होने वाले मृत प्रसव का अभिलेख फार्म "जी" नर्सिंग होम में हुई मृत्यु का रिकार्ड ।

फार्म घ (संशोधित)
(नियम 12 देखें)

—————————— नर्सिंग होम/अस्पताल के रोगियों का रजिस्टर

भर्ती संख्या	नाम पुत्र/पुत्री/पत्नी तथा पता	आयु/लिंग	भर्ती की तिथि तथा समय	भर्ती का रोग निदान	अंतिम रोग निदान	केस की प्रभारी डाक्टर	छुट्टी/मृत्यु/लामा की तिथि तथा समय	एमएलसी या नहीं (हाँ/नहीं)	परिणाम या/तथा टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

फार्म 'ङ'

क्र0 सं0	माता का नाम, आयु एवं दाखिला	पिता का नाम एवं पता	डिलीवरी की तारीख तथा समय	डिलीवरी का तरीका	बच्चे का नाम वजन एवं लिंग	क्या बच्चा जीवित अथवा मृत हुआ	डिलीवरी करवाने वाले चिकत्सा कार्मिक का नाम व पता	केस की प्रभारी डॉक्टर	नर्सिंग होम में फिडिंग की सलाह	डिस्चार्ज (छुट्टी) की तारीख व समय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रप-1

फार्म–झ

मैं ———————————————— (आर0 एम0 पी0 का नाम एवं योग्यता स्पष्ट अक्षरों में)
————————————————————(आर0 एम0 पी0 का पूरा नाम)
मैं ——————————————————(आर0 एम0 पी0 का नाम एवं योग्यता स्पष्ट अक्षरों में)
———————————————————— (आर0 एम0 पी0 का पूरा नाम)
एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है* मेरा/हमारा सद्भाव पूर्वक विचार है कि ———————
(गर्भवती महिला का पूरा नाम एवं पता स्पष्ट अक्षरों में) का गर्भपात कराना आवश्यक है।

जिसका निम्नलिखित कारण है **

* मैं/हम एतद् द्वारा सूचित करते है कि मैं* हम उपरोक्त महिला जिसका अस्पताल/अनुमोदित स्थान के दाखिले रजिस्टर में ——— क्रम संख्या है गर्भपात करता हूँ/करते हैं।

आर0एम0पी0 के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक:

---

* जो लागू न हो उसे काट दिया जाए
* मद संख्या (1) से (5) तक विनिर्दिष्ट कारण में से जो सही हो उसे लिखे :–

(i) गर्भवती महिला का जीवन बचाने के उद्देश्य से।
(ii) गर्भवती महिला के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुँचने से बचाने के उद्देश्य से।
(iii) महत्वपूर्ण जोखिम को ध्यान में रखते हुए जैसे यदि बच्चा पैदा होता तो वह ऐसी शारीरिक अथवा मानसिकता असामान्यता के रूप में होता है जो कि गंभीर रूप से विकलांग हो सकता था।
(iv) गर्भवती महिला का गर्भधारण बलात्कार के कारण हुआ है।
(v) गर्भावस्था बच्चों की संख्या को सीमित रखने के उद्देश्य से विवाहित महिला अथवा उसके पति द्वारा प्रयोग किए गर्भनिरोधक उपायों अथवा साधनों की असफलता के परिणामस्वरूप हुआ हो।

नोट : गर्भवती महिला के वास्तविक स्थिति तथा ऐसे वातावरण को निर्धारित करने का ध्यान रखा जाए कि गर्भपात करने के लिए उसके शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाने से बचाया जा सकेगा।

आर0एम0पी0 के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक:

h

फार्म–II
(विनियम 4 (5) देखें)

माह ———————— की [redacted] जिला, दिल्ली की गर्भपात अधिनियम सूचना

1.(i) अनुमोदित संस्थानों की संख्या ——————

(ii) सूचना देने वाले संस्थानों की संख्या —————

महीने का नाम —————

2. कुल एम0टी0पी0 मामले ——————

3. कुल मामलों का विभाजन

4.

(i) गर्भधारण की अवधि (केवल कुल संख्या दें)

a	12 सप्ताह तक	
b	12–20 सप्ताह तक	

(ii) आयु समूह

a	15 से कम	
b	15–19	
c	20–24	
d	25–29	
e	30–34	
f	35–39	
g	40–44	
h	45 से अधिक	
i	उपलब्ध नहीं	

(iii) महिला का धर्म

a	हिन्दु	
b	मुस्लिम	
c	ईसाई	
d	अन्य	
e	कुल	

एफ-1

फार्म–III
(विनियम 5 देखें)
प्रवेश रजिस्टर

क्र0 सं0	दाखिले की तारीख	रोगी का नाम	—— की पत्नी / पुत्री	आयु	धर्म	पता	गर्भावस्था की अवधि	गर्भपात करने के कारण	गर्भपात की तारीख	रोगी को डिस्चार्ज करने की तारीख	परिणाम तथा अभ्युक्ति	पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिसनर का नाम जिसके द्वारा विचार किया गया	पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिसनर का नाम जिसके द्वारा गर्भपात किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

h

एफ-2

फार्म क

(नियम 4 (1) तथा 8 (1) देखें)

(समर्थित दस्तावेजों सहित अनुलिपि में जमा कराए)

जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र के पंजीकरण अथवा पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन

1. आवदेक का नाम उस संगठन का नाम जिसका पंजीकरण किया जाना है	
2. आवेदक का पता	
3. पंजीकृत किए जाने वाली सुविधा की किस्म (कृपया उल्लेख करें कि जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र अथवा इनमें से किसी के सम्मिलन के पंजीकरण हेतु आवेदन किया जाना है)	
4. जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र का दूरभाष संख्या/फैक्स संख्या/टेलीग्राफिक/टैलेक्स/ई-मेल पते सहित उनका पूरा नाम एवं पता	
5. संगठन के स्वामित्व का प्रकार (व्यक्तिगत स्वामित्व/साझेदारी/कंपनी/सहकारी/अन्य कोई, विनिर्दिष्ट किया जाए, यदि संगठन की किस्म व्यक्तिगत स्वामित्व के अतिरिक्त है तो उस स्थिति में संस्था मदों की प्रति तथा संलग्न व्यक्तियों जो कि प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है, ऐसे व्यक्तियों का नाम एवं पता प्रस्तुत करें।)	
6. संस्था की किस्म (सरकारी अस्पताल/नगर अस्पताल/सार्वजनिक अस्पताल/निजी अस्पताल/निजी नर्सिंग होम/प्राईवेट क्लिनिक/प्राईवेट प्रयोगशाला/अन्य कोई)	
7. विशेष पूर्व प्रसव निदान पद्धति/जांच जिसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया जाना है (क) इनवेसइव (i) एमनीओ सेटेसिस/जरायु अकुंर एसपाइरेशन/कैरोमोशोमल/जीव रसायन/मोलीक्यूलर अध्ययन (ख) नॉन इनवेसइव : अल्ट्रासोनोग्राफी इसे खाली छोड दे यदि पंजीकरण केवल जैनेटिक परामर्श केन्द्र के लिए ही चाहिए।	
8. प्रत्येक उपकरण के मेक एवं मॉडल सहित उपलब्ध उपकरण (अलग पेपर पर सूची)	
9. (क) परामर्श केन्द्र में उपलब्ध सुविधाएं (ख) क्या निम्नलिखित जाँचों के लिए प्रयोगशाला/क्लिनिक में सुविधाएं उपलब्ध है या होगी :- (i) अल्ट्रासाउंड (ii) एमनीओ सेरेसिस (iii) जरायु अंकुर एसपाइरेशन	

(iv) फोयटोस्कॉपी (v) फोयटल बायोस्पी (vi) कार्डोसेटेंसिस क्या निम्नलिखित के लिए प्रयोगशाला/क्लिनिक में सुविधाएं उपलब्ध हैं :– (i) गुण सूत्रीय अध्ययन (ii) जीव रसायन अध्ययन (iii) आणविक अध्ययन (iv) प्रीम प्लांटेशन जैनेटिक निदान	
10. कर्मचारियों के नाम योग्यताएं अनुभव तथा पंजीकरण संख्या (अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत करें)	
11. यह उल्लेख करें कि जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र/इमेजिंग केन्द्र नियम 3 में निर्धारित अपेक्षाओं को पंजीकरण के लिए पूरा करते हैं।	
12. केवल नवीकरण आवेदनों के लिए (क) पंजीकरण संख्या (ख) वर्तमान पंजीकरण प्रमाण पत्र के जारी होने एवं समाप्ति की तारीख	
13. संलग्नकों की सूची (कृपया संलग्नकों/समर्थित दस्तावेजों की सूची इसके साथ संलग्न करें।)	

घोषणा

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी/डॉ0 —————————— पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ————— आयु —————————— वर्ष पता ————————————————————— (पंजीकृत किए जाने वाले संस्थान का नाम बताएं) इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (विनियम एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) तथा प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (विनियम एवं दुरूपयोग निवारण) नियमावली, 1996 को पढ़ा है और समझ लिया है।

मैं शपथ लेता हूँ कि उक्त अधिनियम तथा नियमावली के विषय में जैनेटिक काउंसलिंग केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र के सभी कर्मचारियों को बता दूंगा जिनके अंतर्गत पंजीकरण करवाया गया है तथा सुनिश्चित करता हूँ कि अधिनियम तथा नियमावली का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

तिथि :
स्थानः

व्यक्ति का नाम, पदनाम तथा हस्ताक्षर जिसे
संस्थान की तरफ से पंजीकृत किया गया है जिसका
पंजीकरण किया जाना है

पावती

(नियम 4 (2) तथा 8(1) देखें)

जैनेटिक काउंसलिंग केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र का पंजीकरण प्रदान करने/नवीकरण के लिये दो प्रतियों में फार्म 'क' में आवेदन पत्र —————————— (आवेदक का नाम और पता) उपयुक्त अधिकारी ने प्राप्त कर लिया है तिथि ——————

*फार्म 'क' में आवेदन के साथ अनुलग्नकों की सूची को प्रस्तुत किए गए अनुलग्नकों से जाँच करके सही पाया गया है।

या

*जाँच करने पर पाया गया कि सूची में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न नहीं है।

इस पावती से आवेदक को पंजीकरण प्रदान करने/नवीकरण का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं होता।

(————————)

समुचित अधिकारी के कार्यालय में समुचित
अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर तथा पदनाम

तिथि :
स्थानः

मुहर

प्रदर्शन हेतु मूल/डुप्लीकेट
फार्म ख
(नियम 6 (2), 6 (5) तथा 8 (2) देखें)
पंजीकरण प्रमाण पत्र
(दो प्रतियों में जारी किया जाए)

1. पूर्व प्रसव निदान तकनीक (विनियम तथा दुरूपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 19 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुचित प्राधिकारी ------------------------ उपरोक्त अधिनियम के अधीन दिनांक ------------ को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए जैनेटिक काउंसलिंग/पूर्व प्रसव निदान पद्धति/पूर्व प्रसव निदान जाँच/अल्ट्रासोनोग्राफी करने के उद्देश्य से निम्नलिखित जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग सेंटर का पंजीकरण करता हूँ।

2. यह पंजीकरण उपरोक्त अधिनियम तथा उसके अधीन नियमों के अनुसार किया जाता है तथा इसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर अभियोजन के अतिरिक्त पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व पंजीकरण प्रमाण–पत्र को निलंबित किया जाएगा या रद्द किया जाएगा।

क फार्म ग का (1) लें
ख. पूर्व प्रसव निदान पद्दति (जैनेटिक क्लिनिक) के लिए अनुमोदित
नॉन इनवेसइव
(i) अल्ट्रासाउंड
इनवेसइव
(ii) एमनीयोसेंटसिस
(iii) जरायु अंकुर बायोप्सी
(iv) फोइटो स्कॉपी
(v) भ्रूण त्वचा या अंग बायोप्सी
(vi) कॉरडोसेटेसिस
(vii) अन्य कोई (उल्लेख करें)
ग. जैनेटिक प्रयोगशाला के लिए अनुमोदित प्रसव पूर्व निदान जाँच
(i) गुणसूत्र अध्ययन
(ii) जीव रसायन अध्ययन
(iii) आणविक अध्ययन
घ. अन्य कोई उद्देश्य (कृपया उल्लेख करें)

3. प्रयोग किए गए उपकरणों मॉडल तथा मेक (किसी भी प्रकार के परिवर्तन से नियम 13 के अधीन समुचित प्राधिकारी को सूचित किया जाए)

4. आबंटित पंजीकरण संख्या

[redacted]

फार्म ग

(नियम 6 (3), 6(5) तथा 8(3) देंखे)

पंजीकरण करने/नवीकरण के लिये आवेदन पत्र को रद्द करने के लिये फार्म

पूर्व प्रसव निदान तकनीक (विनियम तथा दुरूपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1994 की धारा 19(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये समुचित प्राधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित जैनेटिक परामर्श केन्द्र/* जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लीनिक/अल्ट्रासांउड क्लीनिक/इमेजिंग केन्द्र के पंजीकरण/नवीकरण के आवेदन को रद्द करता हूँ ।

(1) जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लीनिक/अल्ट्रासाउंड क्लीनिक/इमेजिंग केन्द्र का नाम एवं पता

(2) पंजीकरण करने/नवीकरण के लिये आवेदन

दिनांक : समुचित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान : नाम तथा पदनाम कार्यालय मुहर सहित

---

* जो लागू न हो, काट दिया जाए ।

फार्म – घ
(नियम 9 (2) देखें)
जैनेटिक परामर्श केन्द्र द्वारा रिकार्ड के रखरखाव के लिए फार्म

1.	जैनेटिक परामर्श केन्द्र का नाम एवं पता	
2.	पंजीकरण संख्या	
3.	रोगी का नाम	
4.	आयु	
5.	पति/पिता का नाम	
6.	पूरा पता, दूरभाष सहित, यदि कोई हो	
7.	द्वारा भेजा गया (डॉक्टर/जैनेटिक परामर्श केन्द्र का पूरा नाम व पता) (रैफरल नोट को केस पेपरों के साथ सुरक्षित रखा जाए) सैल्फ रैफरल	
8.	अंतिम महावारी तारीख/गर्भावस्था के सप्ताह	
9.	परिवार में जैनेटिक/मेडिकल रोगों का पूर्ववृत्त (उल्लेख करें) निदान का आधार (क) क्लिनिकल (ख) जीव रसायन (ग) साइटोजैनिटिक (घ) अन्य (रेडियोलॉजिकल, अल्ट्रासोनोग्राफी इत्यादि का उल्लेख करें)	
10.	पूर्व प्रसव निदान के लिए विशेष अनुदेश क. पहले हुए बच्चा/बच्चे (i) गुणसूत्र संबंधी खराबी (ii) चयापचयी खराबी (iii) विकृति (iv) मानसिक खराबी (v) वंशानुगत एनीमिया (vi) लिंग खराबी (vii) सिंगल जैनी खराबी (viii) अन्य कोई (उल्लेख करें) ख. एडवांस मातृत्व आयु (35 वर्ष या अधिक) ग. माता/पिता/सहोदर जिन्हे जैनेटिक रोग हो (उल्लेख करें) घ. अन्य (उल्लेख करें)	
11.	प्रक्रिया सलाह (i) अल्ट्रासाउंड (ii) एमनीओसेंटेसिस (iii) जरायु अंकुर बायोस्पी (iv) फोटोस्कॉपी	

	(v) भ्रूण त्वचा या अंग बायोप्सी (vi) गुणसूत्र (vii) अन्य कोई (उल्लेख करें)	
12.	किए गए प्रयोगशाला जाँच (i) गुणसूत्रीय अध्ययन (ii) जीव रसायन अध्ययन (iii) आणविक (iv) प्रीम प्लांटेशन जैनेटिक निदान	
13.	निदान का परिणाम यदि असामान्य है तो विवरण दें सामान्य/असामान्य	
14.	एमटीपी सलाहकार	
15.	उस जैनेटिक क्लिनिक का नाम व पता जहां रोगी भेजा गया ।	
16.	जैनेटिक परामर्श का प्रारंभ तथा अंत का विवरण	

फार्म ड़ (ई)
(नियम 9 (3) देंखे)

1. जैनेटिक प्रयोगशाला द्वारा अभिलेखों के रखरखाव के लिये फार्म
2. जैनेटिक प्रयोगशाला का नाम एवं पता
3. पंजीकरण संख्या
4. रोगी का नाम
5. आयु
6. पति/पिता का नाम
7. पूरा पता, दूरभाष सहित, यदि कोई हो
8. द्वारा भेजा गया/द्वारा नमूना भेजा गया (जैनेटिक क्लिनिक का पूरा नाम एवं पता) (रैफरल नोट को केस पेपरों के साथ सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा जाये)
9. नमूने का प्रकार : मातृ रक्त/ जरायु अंकुर नमूना/एमनीओटिक फ्लूड/भ्रूण का रक्त या अन्य भ्रूण टिशु (उल्लेख करें)

(क) पहले हुये बच्चा/बच्चे
- (i) गुणसूत्र खराबी
- (ii) चयापचयी खराबी
- (iii) विकृति
- (iv) मानसिक खराबी
- (v) वंशानुगत एनीमिया
- (vi) लिंग खराबी
- (vii) सिंगल जैनी खराबी
- (viii) अन्य कोई (उल्लेख करें)

(ख) एडवांस मातृत्व आयु (35वर्ष या अधिक)
(ग) माता/पिता/सहोदर जिन्हें जननिक रोग हो (उल्लेख करें)
(घ) अन्य (उल्लेख करें)

10. किए गये प्रयोगशाला जाँच (विवरण दें)
- (i) गूणसूत्र अध्ययन
- (ii) जीव रसायन अध्ययन
- (iii) आणविक अध्ययन
- (iv) प्रिइम प्लांटेशन जैनेटिक निदान

11. निदान का परिणाम
यदि असामान्य हो तो विवरण दें सामान्य/असामान्य
12. वह तारीख जिसमें जांच की गई
पूर्व प्रसव निदान जांचों का परिणाम............................को दिनांक ....को भेजा गया ।

नाम, हस्ताक्षर एवं चिकित्सा जैनेटिक पंजीकरण
सं./संस्था के निदेशक

स्थान :
दिनांक :

फार्म ड़ (ई)
(नियम 9 (3) देंखे)

1. जैनेटिक प्रयोगशाला द्वारा अभिलेखों के रखरखाव के लिये फार्म
2. जैनेटिक प्रयोगशाला का नाम एवं पता
3. पंजीकरण संख्या
4. रोगी का नाम
5. आयु
6. पति/पिता का नाम
7. पूरा पता, दूरभाष सहित, यदि कोई हो
8. द्वारा भेजा गया/द्वारा नमूना भेजा गया (जैनेटिक क्लिनिक का पूरा नाम एवं पता) (रैफरल नोट को केस पेपरों के साथ सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा जाये)
9. नमूने का प्रकार : मातृ रक्त/ जरायु अंकुर नमूना/एमनीओटिक फ्लूड/भ्रूण का रक्त या अन्य भ्रूण टिशु (उल्लेख करें)

(क) पहले हुये बच्चा/बच्चे
- (i) गुणसूत्र खराबी
- (ii) चयापचयी खराबी
- (iii) विकृति
- (iv) मानसिक खराबी
- (v) वंशानुगत एनीमिया
- (vi) लिंग खराबी
- (vii) सिंगल जैनी खराबी
- (viii) अन्य कोई (उल्लेख करें)

(ख) एडवांस मातृत्व आयु (35वर्ष या अधिक)
(ग) माता/पिता/सहोदर जिन्हें जननिक रोग हो (उल्लेख करें)
(घ) अन्य (उल्लेख करें)

10. किए गये प्रयोगशाला जाँच (विवरण दें)
- (i) गूणसूत्र अध्ययन
- (ii) जीव रसायन अध्ययन
- (iii) आणविक अध्ययन
- (iv) प्रिइम प्लांटेशन जैनेटिक निदान

11. निदान का परिणाम
यदि असामान्य हो तो विवरण दें सामान्य/असामान्य
12. वह तारीख जिसमें जांच की गई
पूर्व प्रसव निदान जांचों का परिणाम............................को दिनांक ....को भेजा गया ।

नाम, हस्ताक्षर एवं चिकित्सा जैनेटिक पंजीकरण
सं./संस्था के निदेशक

स्थान :
दिनांक :

(vi) अन्य कोई उल्लेख करें

12. प्रक्रिया की कोई जटिलता (कृपया उल्लेख करें)

प्रसव पूर्व निदान प्रक्रिया
(विवरण दें)

(ख) अल्ट्रासोनोग्राफी (सामान्य/असामान्य)
(पता लगाई गई असामान्यता, यदि कोई है, स्पष्ट करें)

15. वे तिथियाँ जब प्रक्रिया पूरी की गई ।
16. सहमति प्राप्त करने की तिथि (आक्रामक के मामले में)
17. प्रसव–पूर्व निदान प्रक्रिया के परिणाम .... को ....(तिथि) को बताए गए ।
18. क्या एमटीपी की सलाह दी गई/की गई ?
19. एमटीपी करने की तारीख ।

दिनांक:
स्थान :

स्त्री रोग विज्ञानी/रेडियोलॉजिस्ट/
क्लीनिक के निदेशक का नाम, हस्ताक्षर
तथा पंजीकरण संख्या

गर्भवती की घोषणा

मैं सुश्री...(गर्भवती का नाम) घोषणा करती हूँ कि अल्ट्रासोनीग्राफी/इमेज स्केनिंग आदि करवाकर मैं भ्रूण का लिंग नहीं जानना चाहती हूँ ।

गर्भवती के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

---

3. जो लागू या आवश्यक न हो, उसे काट दें

अल्ट्रासोनोग्राफी/इमेज स्केनिंग करने वाले डॉक्टर/व्यक्ति की घोषणा

मैं......................................(अल्ट्रासोनोग्राफी)करने वाले व्यक्ति का नाम) घोषणा करता हूँ कि सुश्री..........................(गर्भवती) की अल्ट्रासोनोग्राफी करते समय मैंने किसी भी व्यक्ति को न ही भ्रूण का लिंग बताया है और न ही मैंने पता लगाया है ।

अल्ट्रासोनोग्राफी करने वाले व्यक्ति जनेटिक क्लीनिक/
अल्ट्रासाउंड क्लीनिक/इमेजिंग क्लीनिक के निदेशक/
स्वामी का नाम तथा हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण नोट :

(i) अल्ट्रासाउंड भ्रूण का लिंग पता लगाने के लिये नहीं किया गया/सलाह दी गई है यह डकेन मस्कुलर डिस्ट्राफी, हिमोफीलिया ए एवं बी आदि लिंग–सापेक्ष रोगों के निदान के लिये किया गया है ।

(ii) गर्भावस्था में अल्ट्रासोनोग्राफी जब बताई गई हो तभी की जानी चाहिये । गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड के लिये निम्नलिखित संकेतक सूची है ।

1. इंट्रा–यूट्राइन एवं/या एक्टोपिक गर्भाधान एवं स्वस्थ होने की पुष्टि
2. गेस्टेशनल आयु का पूर्वाकलन (तिथि)
3. भ्रूणों की संख्या एवं उनकी कोरियोनिसिटी का पता लगाना
4. आइ यू सी डी होने पर गर्भावस्था या गर्भनिरोधक असफल/ एम टीपी असफल होने पर संभावित गर्भावस्था
5. योनि रक्त स्राव/स्राव
6. गर्भपात मामलों की अनुवर्ती परीक्षा
7. आन्तरिक ओ एस की सर्वाइकल कनाल तथा व्यास का निर्धारण करने के लिये
8. योनि आकार एवं अनार्तव की अवधि के बीच विसंगति
9. कोई संभावित एडिने क्सल या यूटीराइन पेथोलोजी/असामान्यता
10. क्रामोसोम संबंधी असामान्यता का पता लगाना, गर्भ का स्वरूप संबंधी दोष तथा अन्य असामान्यताएँ एवं अनुवर्ती
11. भ्रूण उपस्थिति एवं स्थिति का निर्धारण
12. लिकर एमनी का निर्धारण
13. अवधि पूर्व प्रसव/अवधि पूर्व प्रीमेच्योर रपचर ऑफ मेमब्रेन्स
14. प्लेसेंटाल स्थिति, मोटाई, ग्रेडिंग तथा असामान्यताओं का मूल्यांकन (प्लेसेंटा प्रीवीया, रेट्रोप्लेसेंटाल, हेमरेज, असामान्य एडेरेंस आदि)
15. गर्भनाल का मूल्यांकन–उपस्थिति, डालना, नकेल घेरा, वाहिनियों की संख्या तथा ट्रूनाट की उपस्थिति
16. पिछले सिजेरियन कटाई के निशानों का मूल्यांकन
17. भ्रूण विकास मानदण्डों का निर्धारण भ्रूण भार तथा भ्रूण स्वास्थ्य
18. रंग स्राव जाँच तथा डूप्लेक्स डापलर अध्ययन
19. अल्ट्रासाउंड आधारित प्रक्रियाएँ जैसे चिकित्सीय गर्भपात, बाह्य सिफालिक वर्जन आदि एवं अनुवर्ती
20. निदान संबंधी एडजंक्ट एवं थेरेप्यूटिक इनवेसिव इंटरवेंशन जैसे जीर्ण विलस सेम्पलिंग (सी वी एस)

प्रपत्र – छ
(नियम 10 देंखे)
सहमति का प्रपत्र
(अपवंचन तरीको के लिये)

मैं..पत्नी/पुत्री..आयु.. वर्ष निवासी..एतद्द्वारा उल्लेख करती हूँ कि मैंने संभावित साइड प्रभावों तथा पूर्व–प्रसव निदान पद्धतियों के बाद के प्रभावों को पूर्ण रूप से रूपवर कर दिया है ।

मैं बच्चे में, जो मेरी देखरेख में है । किसी भी प्रकार की असामान्यता (जैसे :– बीमारी/विकृति/ खराबी की संभावना का पता लगाने के लिये अपनी इच्छा से प्रिइम प्लांटेशन/पूर्व–प्रसव निदान तकनीक/जांच पद्धतियाँ अपनाना चाहता हूँ।)

मैं समझता हूँ कि भ्रूण के लिंग के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं होगी ।
मैं समझता हूँ कि इस शपथ का उल्लंघन करने पर मैं दण्ड का उत्तरदायी हूँ जैसा कि पूर्व–प्रसव निदान तकनीक (विनियम तथा दुरूपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) में तथा उसके अधीन निर्मित नियमावली में निर्धारित है ।

दिनांक :
स्थान :

गर्भवती महिला के हस्ताक्षर :

मैंने उपरोक्त तथ्यों के बारे में मरीज को तथा उसके सहयोगी की उसकी/उनकी भाषा में स्पष्ट रूप से समझा दिया है/स्पष्ट कर दिया है.....................(नाम..पता......................... सम्बन्ध)

स्त्री रोग विशेषज्ञ/
चिकित्सा जैनिटिसिस्ट/रेडियोलोजिस्ट

दिनांक:

जैनेटिक क्लिनिक/संस्था का नाम, पता
तथा पंजीकरण संख्या

मुहर

फार्म – ज

(नियम 9 (5) देखें)

पूर्व–प्रसव नैदानिक तकनीक (विनियम तथा दुरूपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1994 के अधीन पंजीकरण करने/रद्द करने के लिए आवेदनों के स्थायी अभिलेख के रखरखाव के लिए प्रपत्र

1. क्रम संख्या

2. समुचित प्राधिकारी की फाइल संख्या

3. पंजीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्ति की तारीख

4. आवेदक का नाम, पता, फोन/फैक्स इत्यादि

5. जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/ अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र का नाम एवं पता

6. सलाहकार समिति द्वारा विचार किए जाने एवं सिफारिश (संक्षेप्त में) की तारीख

7. आवेदन की स्थिति (दियिा गया प्रपत्र ख तथा ग में) रद्द किया गया तथा आदेश अभिलेख जारी करने की तारीख

8. आबंटित पंजीकरण संख्या तथा समाप्ति की तारीख

9. नवीकरण (नवीकरण की तारीख तथा जब तक नवीकरण किया गया)

10. फाईल संख्या जिसमें नवीकरण किया गया

11. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो

समुचित प्राधिकारी का नाम,
पदनाम तथा हस्ताक्षर

(क) प्रपत्र 'क' एक स्थायी अभिलेख है जो समुचित प्राधिकारी की अभिरक्षा में रजिस्टर के रूप में रखा जाए।

(ख) *साधन काट दिए जाएं, जो लागू न हो ।

(ग) नवीकरण पर जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/ अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र की पंजीकरण संख्या परिवर्तित नहीं होगी। एक नया पंजीकरण संख्या स्वामित्व अथवा प्रबंधन में परिवर्तन के कारण आबंटित किया जाएगा।

(घ) पंजीकरण संख्या दो बार आबंटित नहीं की जाएगी।

(ङ) प्रत्येक जैनेटिक परामर्श केन्द्र/जैनेटिक प्रयोगशाला/जैनेटिक क्लिनिक/ अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग केन्द्र को एक फोलियो दिया जाएगा जिसमें प्रपत्र 'ज़' के अभिलेख के लिए रजिस्टर के दो पृष्ठ होंगे।

(च) अतिरिक्त सूचना के लिए निर्धारित स्थल निलंबन अभिलेख, निरसन, नवीकरण के लिए आवेदन को रद्द करना स्वामित्व/प्रबंधन में परिवर्तन, किसी प्रकार की अन्य कानूनी कार्यवाही इत्यादि के लिए प्रयुक्त किया जाए।

(छ) रजिस्टर के प्रत्येक फोलियों (2 पृष्ठ) समुचित प्राधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा तारीख सहित प्रमाणित होगी तथा प्रत्येक प्रविष्टि भी उसी तरह प्रमाणित होगी।

(सुश्री के0 सुजाता राव)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
संख्या 24026/14/2008 पीएनडीटी सैल

पाद : मूल अधिसूचना 01 जनवरी, 1996 के हीएसआर 1(ई) के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई।

राज निवास
दिल्ली-११००५४
RAJ NIWAS
DELHI-110054

सत्यमेव जयते

Please find enclosed herewith a Notification dated 30th January, 2008 of Ministry of Urban Development, Govt. of India relating to National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007.

Hon'ble LG has instructed that the directions contained in the said Notification should be complied with immediately.

(A.K. Acharya) 6.2.'08
Addl. Secy. to L.G.

1. VC, DDA
2. **Commissioner, MCD**
3. **Chairperson, NDMC**

U.O.No. 100(3)2008/RN/343/2255 Dated 6/2/08

वैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं / Diary No. 131
दिनांक / Date 27.2.2008

उपाध्यक्ष कार्यालय
डायरी सं० 628C
दिनांक 7.2.08

E.M.
PC
PC-Secy.
Com(Plg.)

DD 27/2
27/2/08
Medip Asstt
AD(MC) 28/2/2008

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2008/माघ 10, 1929
No. 127] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2008/MAGHA 10, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2008

का.आ. 213(अ).—यत: दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43) (यहाँ इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 के निबन्धनों के अनुसार अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी नोटिस, दिसम्बर, 2008 के 31वें दिन तक के लिए निलम्बित माने जाएंगे;

और यत: उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के उपबंधों के निबन्धनों के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में उल्लिखित अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत विकास के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई दिसम्बर, 2008 के 31वें दिन तक के लिए निलम्बित रखी जाएगी;

अत:, अब, दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश देती है :

निर्देश

1. (i) उक्त अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित अतिक्रमण या अनधिकृत विकास के संबंध में अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्र तथा इसके विस्तार क्षेत्र को छोड़कर, न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सीलिंग कार्य बंद करने सहित जनवरी, 2006 के पहले दिन की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कार्यवाही की जाएगी ।

(ii) न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी सीलिंग कार्य बन्द करने सहित अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्र तथा इसके विस्तार क्षेत्र जो 31 मार्च, 2002 को 8 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार मौजूद थे, की स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथास्थिति बनाई रखी जाएगी ।

2. अधिनियम के खण्ड 3 में उल्लिखित अतिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध प्रारंभिक कार्रवाई के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी सभी सूचनाएं निलंबित होंगी और 31 दिसम्बर, 2008 तक कोई भी दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

3. दिसम्बर, 2007 के 5वें दिन से 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 4 में यथानिर्दिष्ट अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संगत विधियों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी और की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट आगामी माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी जाएगी ।

[फा. सं. के-12016/2/2006-डीडीआईबी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2008

S.O. 213(E).— Whereas in terms of Section 3 of The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 (43 of 2007) (hereafter referred to as

the said Act), all notices issued by the local authorities in respect of the categories of encroachment or unauthorized development mentioned therein shall be deemed to have been suspended till the 31st day of December, 2008;

And whereas in terms of the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the said Act, punitive action, against encroachment or unauthorized development referred to in sub-section (1) of Section 3 of the Act shall be suspended till the 31st day of December, 2008;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 5 of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 (43 of 2007), the Central Government hereby issues the following directions to the local authorities to give effect to the provisions of the said Act, namely :

DIRECTIONS

(1) (i) Notwithstanding any judgement, decree, or order of Court, steps shall be taken by the local authority, including desealing, to maintain status quo as on 1st day of January, 2006 in respect of encroachment or unauthorized development referred to in Section 3 of the said Act except in respect of unauthorized colonies, village abadi area and its extension.

(ii) Notwithstanding any judgement, decree, or order of Court, steps shall be taken by the local authority, including desealing, to maintain status quo, in the unauthorized colonies, village abadi area and its extension, which existed on the 31st day of March, 2002, as on the 8th day of February, 2007.

(2) All notices issued by any local authority for initiating action against encroachment or unauthorised development referred to in Section 3 of the Act shall be suspended and no punitive action shall be taken till the 31st day of December, 2008.

(3) During the period up to 31st December, 2008 w.e.f. 5th day of December, 2007, action as per relevant laws shall continue to be taken by the local authorities in respect of the categories of encroachment or unauthorized development, as specified in Section 4 of the said Act and a monthly report of the action taken shall be sent to the Secretary, Ministry of Urban Development, New Delhi by the end of the first week of the succeeding month.

[F. No. K-12016/2/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K-12016/2/2006- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 31st January, 2008

Subject: Notification dated 30.1.2008 regarding issue of directions to the local authorities in the Extraordinary Gazette of India.

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681/
23061006 /23061478

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)/ Director (DD).

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं / Diary No. 130
दिनांक / Date 26.2.08

संसद एवं समन्वय विभाग / D.D.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
डायरी सं / DIARY No. 88-6
दिनांक / DATE 26-2-08

All notifications shd be kept at one place and shd be readily available

AD(MC)
Meeting Room

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2008/माघ 10, 1929
No. 127] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2008/MAGHA 10, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2008

का.आ. 213(अ).—यत: दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43) (यहाँ इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 के निबन्धनों के अनुसार अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी नोटिस, दिसम्बर, 2008 के 31वें दिन तक के लिए निलम्बित माने जाएंगे;

और यत: उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के उपबंधों के निबन्धनों के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में उल्लिखित अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत विकास के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई दिसम्बर, 2008 के 31वें दिन तक के लिए निलम्बित रखी जाएगी;

अत:, अब, दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश देती है :

निर्देश

1. (i) उक्त अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित अतिक्रमण या अनधिकृत विकास के संबंध में अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्र तथा इसके विस्तार क्षेत्र को छोड़कर, न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सीलिंग कार्य बंद करने सहित जनवरी, 2006 के पहले दिन की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

   (ii) न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी सीलिंग कार्य बन्द करने सहित अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्र तथा इसके विस्तार क्षेत्र जो 31 मार्च, 2002 को 8 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार मौजूद थे, की स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथास्थिति बनाई रखी जाएगी।

2. अधिनियम के खण्ड 3 में उल्लिखित अतिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध प्रारंभिक कार्रवाई के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी सभी सूचनाएं निलंबित होंगी और 31 दिसम्बर, 2008 तक कोई भी दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

3. दिसम्बर, 2007 के 5वें दिन से 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 4 में यथानिर्दिष्ट अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संगत विधियों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी और की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट आगामी माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

[फा. सं. के-12016/2/2006-डीडीआईबी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2008

S.O. 213(E).— Whereas in terms of Section 3 of The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 (43 of 2007) (hereafter referred to as

the said Act), all notices issued by the local authorities in respect of the categories of encroachment or unauthorized development mentioned therein shall be deemed to have been suspended till the 31st day of December, 2008;

And whereas in terms of the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the said Act, punitive action, against encroachment or unauthorized development referred to in sub-section (1) of Section 3 of the Act shall be suspended till the 31st day of December, 2008;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 5 of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 (43 of 2007), the Central Government hereby issues the following directions to the local authorities to give effect to the provisions of the said Act, namely :

DIRECTIONS

(1) (i) Notwithstanding any judgement, decree, or order of Court, steps shall be taken by the local authority, including desealing, to maintain status quo as on 1st day of January, 2006 in respect of encroachment or unauthorized development referred to in Section 3 of the said Act except in respect of unauthorized colonies, village abadi area and its extension.

(ii) Notwithstanding any judgement, decree, or order of Court, steps shall be taken by the local authority, including desealing, to maintain status quo, in the unauthorized colonies, village abadi area and its extension, which existed on the 31st day of March, 2002, as on the 8th day of February, 2007.

(2) All notices issued by any local authority for initiating action against encroachment or unauthorised development referred to in Section 3 of the Act shall be suspended and no punitive action shall be taken till the 31st day of December, 2008.

(3) During the period up to 31st December, 2008 w.e.f. 5th day of December, 2007, action as per relevant laws shall continue to be taken by the local authorities in respect of the categories of encroachment or unauthorized development, as specified in Section 4 of the said Act and a monthly report of the action taken shall be sent to the Secretary, Ministry of Urban Development, New Delhi by the end of the first week of the succeeding month.

[F. No. K-12016/2/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Dir (UC)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 389] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2008/चैत्र 4, 1930
No. 389] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2008/CHAITRA 4, 1930

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2008

दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन के विनियम (दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत)

का.आ. 683(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :

1. प्रस्तावना

2. परिभाषाएं

3. अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन के मानदण्ड

3.1 निर्धारक तिथि

3.2 नियमन के लिए पात्र बस्ती

3.3 नियमन के लिए विचार नहीं की जाने वाली कॉलोनियों की प्रकृति

3.4 गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले आवासीय भवन

3.5 अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई

3.6 विनियम जो संभ्रांत कॉलोनियों से संबद्ध नहीं हैं

4. नियमन की पद्धति

4.1 रेजीडेंट सोसायटी का पंजीकरण

4.2 रेजीडेंट सोसायटी के कार्य

4.3 ले-आउट प्लान तैयार करना

4.4 ले-आउट प्लान में संशोधन करना

4.5 ले-आउट प्लान प्रस्तुत करने की अपेक्षाएं

4.5.1 प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

4.5.2 वर्तमान/प्रस्तावित ले-आउट प्लान के संबंध में सूचना

4.5.3 वचनबंध-पत्र

5. नियमन के लिए स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई/पद्धति

5.1 एक पृथक कक्ष (सेल) का सृजन

5.2 ले-आउट प्लान की जांच

5.3 सीमाओं को अंतिम रूप देना

5.4 स्थानीय निकायों को ले-आउट प्लान अग्रेषित करना

5.5 ले-आउट प्लान का अनुमोदन

5.6 भूमि उपयोग परिवर्तन

5.7 आदेश जारी करना

5.8 भूमि की लागत

5.9 जुर्माना

5.10 विकास कार्य प्रारंभ करना

5.11 समय अनुसूची

6. नियमन के मानदण्ड/आधार

6.1 भूमि का हक

6.2 योजना मानदण्ड

6.3 मिश्रित उपयोग

6.4 लागत/विकास प्रभार की वसूली

7. विविध

7.1 संस्वीकृति देना या ठुकराना

7.2 दिशानिर्देशों के साथ पठित विनियम

7.3 समन्वय आदि रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा

1. प्रस्तावना

शहरी विकास मंत्रालय ने दिनांक 05-10-2007 के पत्र द्वारा दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन हेतु संशोधित मार्गनिर्देश 2007 की सूचना दी है, जिसे 1994 की रिट याचिका सं. 725 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14-02-2006 के आदेशों और 1993 की सिविल रिट याचिका सं. 4771 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 27-2-2001 के आदेशों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। उच्च न्यायालय के आदेशों में मार्गनिर्देशों के अनुसार नियमित की जाने वाली कॉलोनियों की अधिसूचना और नियमों को तैयार करने की माँग की गई है।

2. परिभाषाएँ

(क) ''वास्तुकार/नगर योजनाकार'' ऐसा वास्तुकार जो वास्तुकला परिषद् में पंजीकृत हो और जिसके पास नगर योजना में ऐसी योग्यता हो जो नगर योजनाकार संस्थान, भारत की सदस्यता के लिए मान्य हो;

(ख) ''संबंधित एजेंसी'' से अभिप्राय ऐसे स्थानीय निकाय/दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.)/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार) अथवा किसी अन्य एजेन्सी से है, जो योजनाओं के नियमन/तैयार करने, क्रियान्वयन की प्रक्रिया और अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन के कार्य में सम्मिलित हो।

(ग) ''बस्ती'' शब्द से अभिप्राय संशोधित मार्गनिर्देश 2007/विनियमों में यथा निर्दिष्ट नियमन के उद्देश्य के लिए उन बस्तियों से है जो 31-3-2002 को विद्यमान थी तथा जो गाँव की आबादी के विस्तार के रूप में बनी हैं और जो गाँव की आबादी के लाल डोरा विस्तार के रूप में अधिसूचित नहीं हैं;

(घ) ''आधारिक संरचना'' से अभिप्राय उस आधारिक संरचना से है, जो 'सामाजिक आधारिक संरचना' जैसे जल आपूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, बिजली और कूड़ा निपटान, जिसका उल्लेख दिल्ली मुख्य योजना (एम.पी.डी.)-2021 के अध्याय-14 (भौतिक आधारिक संरचना) में हुआ है, से भिन्न है;

(ङ) ''ले-आउट प्लान'' से अभिप्राय: उस नक्शे से है जिसमें सभी विद्यमान (प्रस्तावित भी, यदि कोई हो) सड़कों की उनकी चौड़ाई सहित अवस्थिति, बिल्डिंग लाइन्स सहित प्लाटों की दिशाओं, नालों और सार्वजनिक सुविधाओं, यदि कुछ हो, की अवस्थिति, सड़कों के स्थल के कुल क्षेत्रफल को दर्शाने वाला विवरण और यदि उपलब्ध हो, तो पार्कों के लिए खुले स्थलों, खेल-मैदानों, मनोरंजनात्मक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों को दर्शाया गया हो;

(च) ''रेजीडेंट्स सोसायटी'' से अभिप्राय एक पंजीकृत रेजीडेंट सोसायटी से है, जिसमें अनधिकृत कॉलोनी/आवास के सदस्य शामिल हैं, जो समन्वय, ले-आउट प्लान तैयार करने और नियमन की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में संबंधित एजेंसी से सम्पर्क करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(छ) ''सर्विस रोड''—ऐसी रोड/लेन जिसकी व्यवस्था सर्विस उद्देश्यों के लिए प्लाट के पीछे या एक तरफ की गई है;

(ज) ''साइट या प्लॉट''—ऐसा भूखण्ड जिसकी सीमाएँ निर्धारित हैं;

(झ) ''सामाजिक आधारिक संरचना'' से अभिप्राय उन सामाजिक आधारिक संरचना संबंधी सुविधाओं से है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल सुविधाओं एवं सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यकलापों और धार्मिक कार्यकलापों से संबंधित हैं;

(ञ) ''स्ट्रीट'' में कोई भी मार्ग, रोड, लेन, स्कवेयर, कोर्ट, गली, नाली, रास्ता चाहे वह आम रास्ता हो या न हो और चाहे यह बना हुआ हो या न हो, जिसके ऊपर आम जनता को चलने का अधिकार हो और चाहे वह किसी पुल या पक्के नदी पथ पर बना रोड वे या पैदल रास्ता हो, शामिल है;

(ट) ''अनधिकृत कॉलोनी'' से अभिप्राय ऐसी कॉलोनी/समीपस्थ विकास क्षेत्र से है, जहाँ ले-आउट प्लान, और/अथवा बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन के लिए संबंधित एजेंसी से कोई अनुमति प्राप्त न की गई हो;

3. अनधिकृत कॉलोनियों और बस्तियों के नियमन हेतु मानदण्ड

3.1 नियमन की निर्धारक (कट ऑफ) तिथि 31-3-2002 है।

3.2 ऐसे आवास जो गाँव की आबादी के विस्तार के रूप में बने है और जो गाँव के लाल डोरे से बाहर स्थित हैं, वे नियमन के लिए अनधिकृत कॉलोनियों की पद्धति के समान आधार पर नियमन के लिए पात्र होंगे।

3.3 निम्नलिखित प्रकार की कॉलोनियों अथवा उनके भाग पर नियमन हेतु विचार नहीं किया जाएगा :

(क) ऐसी अनधिकृत कॉलोनियाँ/कॉलोनियों के भाग/बस्तियां, जो अधिसूचित या आरक्षित वन क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं।

(ख) अनधिकृत/कॉलोनियां/कॉलोनियों के भाग/बस्तियां जो आधारिक-संरचना सुविधाओं की व्यवस्था में बाधा

अतिक्रमण करती हैं, अथवा विद्यमान/प्रस्तावित रेलवे लाइनों; मुख्य योजना सड़कों और बड़ी/मुख्य जलापूर्ति और सीवरेज लाइनों के मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) के क्षेत्र में आती हैं।

(ग) अनधिकृत कॉलोनियां/बस्तियां, जिनमें नियमन योजना की औपचारिक घोषणा की तिथि को 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटों पर निर्माण कार्य नहीं हुआ है। तथापि, उपर्युक्त कॉलोनियों में 31-3-2002 के बाद और नियमन योजना की औपचारिक घोषणा की तिथि तक बने प्लाटों को कॉलोनी की नियमन की पात्रता निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) अनधिकृत कॉलोनियां/कॉलोनियों के भाग/बस्तियां-जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1956 की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करती हैं।

3.4 समय-समय पर यथा संशोधित, दि.मु.यो.-2021 में निहित मिश्रित भूमि उपयोग विनियमों के अंतर्गत शामिल होने वाले आवासीय भवनों को छोड़कर, गैर-आवासीय उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जा रहे आवासीय भवनों के संबंध में कोई नियमन नहीं किया जाएगा। इन कॉलोनियों के संबंध में दि.मु.यो.-2021 के खण्ड 15.3.4 में यथा-निर्धारित मिश्रित उपयोग सड़कों की अधिसूचना के लिए सर्वेक्षण करने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कॉलोनी को नियमित कॉलोनी माने जाने की अधिसूचना की तिथि से अथवा उस तिथि-जिससे कॉलोनी नियमन के लिए योग्य मानी जाएगी, से आरंभ होगी।

3.5 अनधिकृत कॉलोनियां/कालोनियों के भाग/बस्तियां जो नियमन की शर्तें पूरी नहीं करती हैं, में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा पैरा 16.2.3 में दी गई व्यवस्थाओं सहित दिल्ली मुख्य योजना में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार की जाएगी।

3.6 ये विनियम सार्वजनिक और निजी भूमि पर संभ्रांत वर्गों द्वारा बसायी गयी बस्तियों/अनधिकृत कॉलोनियों पर लागू नहीं होते।

4. नियमन के लिए प्रक्रिया

नियमन के लिए निम्नलिखित कदमों को अपनाया जाएगा:-

4.1 रेजीडेण्टस् सोसायटी का पंजीकरण

प्रत्येक अनधिकृत कॉलोनी/बस्ती के निवासी एक पंजीकृत रेजीडेण्ट्स सोसायटी (जिसे आगे रेजीडेण्ट सोसायटी कहा जाएगा) का गठन करेंगे। नियमन के मामले में विचार के लिए यह एक पूर्व-शर्त होगी। एक कॉलोनी में कई एसोसिएशनों के होने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, परंतु इन एसोसिएशनों को संयुक्त रूप से एक पंजीकृत रेजीडेण्टस् सोसायटी बनानी होगी। स्थानीय निकाय केवल ऐसी रेजीडेण्ट्स सोसायटियों को मान्यता देगा और उनसे बातचीत करेगा, जिसमें उस कॉलोनी के कम-से-कम 75 प्रतिशत निवासी उसके सदस्य हों।

4.2 रेजीडेण्ट्स सोसायटी निम्नलिखित कार्य करेगी:-

4.2.1.1 नियमन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मामलों में संबंधित अभिकरण के साथ सम्पर्क स्थापित करना।

4.2.1.2 वास्तुकार/नगर योजनाकार के माध्यम से कॉलोनी का विद्यमान ले-आउट प्लान तैयार करना। तथापि, रेजीडेन्ट सोसायटी अपनी कॉलोनी के संबंध में संशोधित ले-आउट प्लान स्वैच्छिक रूप से भी जमा करा सकती है।

4.2.1.3 इस प्रकार तैयार किया गया ले-आउट प्लान रेजीडेण्ट सोसायटी द्वारा संबंधित स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत किया जाएगा और इसके साथ ही साथ रेजीडेण्ट सोसायटी रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को भी ले-आउट प्लान की एक प्रति जमा कराएगी।

4.2.2 रेजीडेण्ट सोसायटी द्वारा ले-आउट प्लान के साथ पूर्ण विवरण जैसे प्लाट नं. और कॉलोनी के क्षेत्रफल सहित सदस्यों की पूर्ण सूची स्थानीय निकाय को जमा कराना होगा। रेजीडेण्ट्स सोसायटी का यह दायित्व होगा कि वह सामाजिक आधारिक संरचना की व्यवस्था करने हेतु कार्य करने के लिए संबंधित अभिकरण को जहां संभव हो, भूमि उपलब्ध कराए। जिन कॉलोनियों में सोसायटी द्वारा सामाजिक आधारिक संरचना के लिए भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकती, उन कॉलोनियों को ऐसी आधारिक-संरचना की व्यवस्था के बिना अपना काम चलाना होगा।

4.2.3 स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार/भारत संघ के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी कि वे उन निवासियों को वैकल्पिक स्थलों/फ्लैटों का आवंटन करें, जिन्हें खण्ड 3.3 में यथावर्णित नियमित नहीं हुई कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं/आधारिक-संरचना की व्यवस्था के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए विस्थापित किया गया हो।

4.2.4 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार रेजिडेंट सोसायटियों/व्यक्तियों से वसूल किए जाने वाले विकास प्रभारों/कार्यवाही शुल्क, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगी।

4.3 रेजिडेंट सोसायटी को ले-आउट प्लान और संशोधित ले-आउट प्लान का प्रस्ताव, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना होगा। यह उस विधि से और उतनी संख्या में प्रस्तुत करना होगा जिस रूप में रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उचित समझा जाए।

4.4 ले-आउट प्लान एक बार संस्वीकृत हो जाने पर रेजिडेंट सोसायटी उसकी मुद्रित प्रमाणित प्रति सोसायटी के सभी सदस्यों को उपलब्ध कराएगी। संस्वीकृत ले-आउट प्लान में कोई भी अंतर एवं संशोधन संबंधित स्थानिय निकाय/दि.वि.प्रा. के अनुमोदन के अधीन होगा।

4.5 ले-आउट प्लान को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज

4.5.1 प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज :

अनधिकृत कालोनियों के नियमन हेतु आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

(i) खसरा संख्या सहित भूमि का ब्योरा जिसके साथ स्थल नक्शा लगा हो जिसमें स्थल का वास्तविक विवरण दिया गया हो।

(ii) प्रमाण पत्रों पर रेजिडेंट सोसायटी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/स्वामी और वास्तुकार/नगर योजनाकार के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए।

(iii) विनियमन हेतु आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया ले-आउट प्लान 1:1000 या बड़े पैमाने पर तैयार किया हुआ होना चाहिए और उसमें आगे के पैराग्राफ में दिया गया विवरण दर्शाया हुआ होना चाहिए।

4.5.2 विद्यमान/प्रस्तावित ले-आउट प्लान पर प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित जानकारी :

(i) स्वामित्व संबंधी स्थिति सहित स्थल की चारदीवारी और उससे सटी हुई भूमि;

(ii) समीपवर्ती क्षेत्र/सड़कों के संबंध में इस स्थल की स्थिति;

(iii) उन मार्गों के नाम जिनमें प्लॉट प्रस्तावित/विद्यमान हैं;

(iv) भूमि के उप विभाजन (सब डिवीजन)सहित उस पर प्लॉटों का उपयोग एवं स्थिति ;

(v) पहुंच मार्ग/रोड स्ट्रीट और उनकी चौड़ाई ;

(vi) नॉर्थ प्वाइंट ;

(vii) अन्य विद्यमान भौतिक विशेषताएं जैसे कुंए, नाले, वृक्ष आदि;

(viii) प्लान रेजिडेंट सोसायटी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और वास्तुकार/नगर योजनाकार द्वारा अधिप्रमाणित होना चाहिए।

4.5.3 वचनबंध-पत्र

रेजिडेंट्स सोसायटी को ले-आउट प्लान प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित वचनबंध-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

(i) वे शर्तो सहित अथवा शर्तो के बिना यथा अनुमोदित ले-आउट प्लानों का पालन करेंगे।

(ii) वे सामाजिक-आधारिक संरचना के लिए उपलब्ध भूमि, यदि कोई हो, का हस्तांतरण दि.वि.प्रा. या दि. न.नि./नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के नाम में, नि:शुल्क रूप से, ऐसी सामाजिक आधारिक संरचना उपलब्ध कराने के लिए करेंगे।

5. नियमन के लिए स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले उपाय/कार्य-पद्धति :

5.1 स्थानीय निकायों/दि.वि.प्रा./रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार में, उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली अनधिकृत कालोनियों के नियमन से संबंधित कार्य को करने के लिए एक पृथक कक्ष बनाया जाएगा। रेजीडेंट सोसायटी द्वारा तैयार किया गया ले-आउट प्लान इस कक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

5.2 रेजिडेंट सोसायटी द्वारा प्रस्तुत किए गए ले-आउट प्लान को प्राप्त होने पर स्थानीय निकाय अथवा दि.वि.प्रा. जैसी भी स्थिति हो, दो माह के अन्दर ले-आउट प्लान की जांच पूरी करेगा।

5.3 इसके साथ-साथ, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार सैटेलाइट/एरियल सर्वेक्षण चित्रों का प्रयोग करते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से तीन माह के अन्दर प्रत्येक निर्धारित कालोनी की सीमाओं को अंतिम रूप देगी।

5.4 संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा जांच किए गए ले-आउट प्लान पर सीमाएं निर्धारित किए जाने के बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, औपचारिक रूप से ले-आउट प्लान को अनुमोदन के लिए स्थानीय निकाय को भेजेगी।

5.5 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा चारदीवारियों के निर्धारण के पश्चात् ले-आउट प्लान की प्राप्ति के एक माह के अन्दर संबंधित स्थानीय निकाय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदित किया जाएगा।

5.6 साथ ही साथ, स्थानीय निकाय मामले को नियमन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार को और भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए दि.वि.प्रा. को भेजेगा।

5.7 भूमि उपयोग परिवर्तन और सभी अपेक्षित प्रभारों के भुगतान सहित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् ही रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा औपचारिक आदेश अथवा नियमन जारी किया जाएगा।

5.8 सरकारी भूमि पर कॉलोनियों के संबंध में भूमि की लागत भूमि स्वामी एजेंसी की ओर से स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा एकत्रित की जाएगी। प्राप्त की गई राशि को संबंधित भूमि स्वामी एजेंसी के खाते में जमा किया जाएगा।

5.9 इसी तरह, स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा एकत्रित की जाने वाली जुर्माना राशि एक अलग फंड में जमा की जाएगी।

5.10 यदि यह संतुष्टि होती है कि कॉलोनियां अथवा उनके भाग-संशोधित दिशानिर्देश 2007 में निहित सामान्य सिद्धान्तों की पूर्ति करते हैं तो ले-आउट प्लान की प्राप्ति के तुरन्त बाद रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार सार्वजनिक हित में कालोनियों में विकास कार्य और आधारिक सुविधाओं के संबर्धन को प्रारम्भ कर सकती है।

5.11 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगी कि भूमि उपयोग में परिवर्तन के अतिरिक्त नियमन की संपूर्ण-प्रक्रिया 6 माह के अन्दर पूरी होगी और रेजिडेंट सोसायटी द्वारा ले-आउट प्लान प्रस्तुत करने के 9 माह के अन्दर भूमि उपयोग में प्रभावी परिवर्तन के बाद औपचारिक नियमन हो जाएगा। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विशिष्ट अनुरोध पर उपराज्यपाल, दिल्ली पृथक कॉलोनियों के संबंध में समय-सीमा में छूट दे सकते हैं।

6. नियमन के लिए मानदण्ड/आधार

6.1 भूमि का हक

भूमि का हक देने के लिए, समुचित संशोधित दिशानिर्देश, 2007 तैयार करने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार दि.वि.प्रा. के प्रतिनिधियों के साथ वरीयत: 2 माह की समय-सीमा के अन्दर एक कमेटी का गठन करेगी।

6.2 योजना मानदण्ड

दि. मु.यो.—2021 के पैरा 4.2.2.2 (बी) में यथा निहित संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

6.3 मिश्रित उपयोग

दि.मु. यो.—2021 के संगत प्रावधान संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा मिश्रित उपयोग सड़कों (स्ट्रीट्स)/स्थानीय व्यावसायिक स्ट्रीट की घोषणा के आधार पर लागू होंगे।

6.4 भूमि की लागत और विकास प्रभारों की वसूली

यूनिट एरिया विधि के आधार पर सम्पत्ति कर की वसूली हेतु कॉलोनियों के वर्गीकरण के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा अपनाए गए मानदण्ड के आधार पर नियमितीकरण उद्देश्य हेतु, कॉलोनियों को मुख्यत: तीन समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जो कि निकटवर्ती नियोजित कॉलोनी की अपेक्षा दो स्तर कम से मानक पर आधारित है।

समूह I : श्रेणी सी एवं डी में अनधिकृत कॉलोनियां।

समूह II : श्रेणी ई एवं एफ में अनधिकृत कॉलोनियां।

समूह III : श्रेणी जी में अनधिकृत कॉलोनियां।

सरकारी भूमि की लागत निम्नानुसार वसूल की जाएगी :-

(क) अविकसित सार्वजनिक/सरकारी भूमि हेतु :

समूह-I की कालोनियों में :

कृषि भूमि की प्रचलित अधिग्रहण लागत (575 रुपए प्रति वर्ग मी.) + 100 वर्ग मीटर तक के प्लाट आकार हेतु 10 प्रतिशत जुर्माना राशि और 100 से 250 वर्ग मीटर तक के प्लाट साइज के लिए 25 प्रतिशत जुर्माना राशि, और 250 वर्गमीटर से बड़े प्लाट साइज के लिए 50 प्रतिशत जुर्माना राशि ।

समूह II की कालोनियों में :

कृषि भूमि की प्रचलित अधिग्रहण लागत में से 15 प्रतिशत घटाकर + 100 से 250 वर्गमीटर तक के प्लाट साइज के लिए 10 प्रतिशत जुर्माना राशि और 250 वर्ग मीटर से बड़े प्लाट साइज के लिए 25 प्रतिश जुर्माना राशि । 100 वर्ग मीटर तक के प्लाट साइज के लिए कोई जुर्माना राशि वसूल नहीं की जाएगी ।

समूह III की कालोनियों में :

कृषि भूमि की प्रचलित अधिग्रहण लागत में से 30 प्रतिशत घटाकर + 100 से 250 वर्ग मी. तक के प्लाट साइज के लिए 5 प्रतिशत जुर्माना राशि और 250 वर्ग मी. से बड़े प्लाट साइज के लिए 10 प्रतिशत जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। 100 वर्ग मीटर तक के प्लाट के लिए कोई जुर्माना राशि वसूल नहीं की जाएगी।

(ख) विकसित सार्वजनिक भूमि/सरकारी भूमि हेतु :

अधिसूचित भूमि-दर और जुर्माना राशि (100 वर्ग मीटर तक के प्लाट के लिए 10 प्रतिशत तथा 100 वर्ग मीटर से बड़े प्लाट के लिए 50 प्रतिशत)।

(ग) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा निजी भूमि के रूप में निर्धारित की गई भूमि पर बसी हुई अधनाद्य (नॉन-एंपलूएंट) कॉलोनियों से कोई भी परिवर्तन प्रभार अथवा संघटन-शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त दरें समय-समय पर परिवर्तनीय रहेंगी।

7. विविध

7.1 संस्वीकृति प्रदान करना अथवा मना करना :—

स्थानीय निकाय योजनाओं को अनुमोदित अथवा संशोधित कर सकता है अथवा जैसा वह आवश्यक समझे उन्हें संशोधनों/निर्देशों सहित मंजूर कर सकता है तथा विनिर्धारित रूप में नोटिस देकर संबंधित व्यक्ति को अपना निर्णय प्रेषित करेगा। जिन मामलों में प्लान में दिशा-निर्देश, 2007 अथवा विनियमों का पर्याप्त उल्लंघन पाया जाएगा, उन मामलों में स्थानीय निकाय प्लान को रद्द कर सकता है अथवा 'रेजिडेंट सोसाइटी' द्वारा उन्हें संशोधित कराने का आदेश दे सकता है।

7.2 इन विनियमों को, संशोधित दिशा-निर्देश, 2007 के साथ पढ़ा जाए और एक तालमेल के साथ इनका प्रतिपादन किया जाए ताकि अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया सुविधाजनक हो सके।

7.3 नियमितीकरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा समन्वित और पर्यवेक्षित किया जाना है, जो संशोधित दिशा-निर्देश, 2007 और इन विनियमों को और भी अधिक प्रचार-प्रसार देगी।

[सं. फा. 3(11)2004/एम.पी./पार्ट-I]

विश्व मोहन बंसल, प्रधान आयुक्त एवं सचिव

अनुबंध

अनधिकृत कॉलोनी के नियमन हेतु जांच-सूची

1. कॉलोनी का नाम और पता :
2. रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की सूची :
3. रेजिडेंट्स वैलफेयर एसोसिएशन/आवेदक की सोसायटी का नाम :
4. रेजिडेंट्स वैलफेयर/एसोसिएशन सोसायटी की पंजीकरण संख्या :
5. अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं के नाम :
6. कॉलोनी की श्रेणी (दि.न.नि. सम्पत्तिकर के अनुसार) :
7. राजस्व गांव/खसरा सं. :
8. जोन (दिल्ली मुख्य योजना के अनुसार) :

1075 GI/08-2

9. अनधिकृत कालोनी कब से अस्तित्व में है :

10. अवस्थिति/आस-पास के स्थान (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर) :

11. विकास क्षेत्र सं.– :

दि.न.नि./न.दि.न.पा./कैंट बोर्ड क्षेत्र/ :

क्या यह अधिसूचित स्लम क्षेत्र में पड़ता है?

12. अनधिकृत कालोनी का कुल क्षेत्र :

13. भूमि की स्थिति (स्टेट्स) :

14. न्यायालय मुकदमा, यदि कोई हो :

(कृपया, विवरण संलग्न करें)

15. क्या भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचित है? :

16. रेजिडेंट्स सोसायटी के सदस्य के रूप में निवासियों/गृह-स्वामियों का प्रतिशत :

17. निर्मित प्लॉटों की संख्या :

(i) 100 वर्ग मीटर तक :

(ii) 100 वर्ग मीटर से अधिक एवं 250 वर्ग मीटर तक :

(iii) 250 वर्ग मीटर से अधिक :

18. खाली प्लॉटों की संख्या :

(i) 100 वर्ग मीटर तक :

(ii) 100 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर :

(iii) 250 वर्ग मीटर से बड़े :

19. सुविधाओं की स्थिति	संख्या/क्षेत्र/चौड़ाई/लंबाई	विकास-चरण
• पार्क/परिवहन लॉट्स/सामान्य खुला स्थल		
• स्कूल		
• समाज सदन		
• सामान्य पार्किंग क्षेत्र		
• डिस्पेंसरी/स्वास्थ्य केन्द्र		
• धार्मिक संरचना		
• पुलिस पोस्ट/फायर पोस्ट		

संलग्नक :

(क) सदस्यों/स्वामियों/अधिभोगियों की सूची

(ख) रेजिडेंट्स सोसायटी का पंजीकरण/संकल्प

(ग) नियमितीकरण प्लान्स/ले-आउट प्लान

(घ) वचन बंधपत्र

(ङ) प्रमाणित भूमि स्वामित्व दस्तावेज/खसरा गिल्दावरी

(च) भुगतानों की रसीद

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर रेजिडेंट्स सोसायटी

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2008

Regulations for Regularisation of Unauthorised Colonies in Delhi

(under Section 57 of DD Act, 1957)

S.O. 683(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations :—

1. Introduction
2. Definitions
3. Criteria for Regularization of Unauthorized Colonies
   - 3.1 Cut off date
   - 3.2 Habitation eligible for regularization
   - 3.3 Types of colonies NOT to be considered for regularization
   - 3.4 Residential buildings used for non-residential purposes
   - 3.5 Action against unauthorized construction
   - 3.6 Regulations not relate to affluent colonies
4. Procedure for Regularization
   - 4.1 Registration of Resident Society
   - 4.2 Functions of Resident Society
   - 4.3 Submission of Layout Plan
   - 4.4 Modification in the Layout Plan
   - 4.5 Requisites for submission of Layout Plan
   - 4.5.1 Documents to be submitted
   - 4.5.2 Information regarding existing/proposed Layout Plan
   - 4.5.3 Undertakings
5. Steps/procedure to be followed by Local Body/DDA/GNCTD for regularization
   - 5.1 Creation of a separate Cell
   - 5.2 Scrutiny of Layout Plan
   - 5.3 Finalization of boundaries
   - 5.4 Forwarding of Layout Plan to Local Body
   - 5.5 Approval of Layout Plan
   - 5.6 Change of Land Use
   - 5.7 Issue of Orders
   - 5.8 Cost of land
   - 5.9 Penalties
   - 5.10 Commencement of developmental works
   - 5.11 Time schedule

6 Parameters/basis for regularization

6.1 Title of land

6.2 Planning norms

6.3 Mixed use

6.4 Recovery of cost/development charges

7. Miscellaneous

7.1 Grant of sanction or refusal

7.2 Regulations to be read together with Guidelines

7.3 GNCTD to Coordinate, etc.

1. Introduction

Ministry of Urban Development *vide* letter dated 05-10-2007 conveyed the Revised Guidelines 2007 for regularization of unauthorized colonies in Delhi which also referred to orders of Supreme Court dated 14-02-2006 in WP@ No. 725 of 1994 and orders of Delhi High Court dated 27-2-2001 in CW(P) No. 4771 of 1993. The High Court order stipulates notification of the colonies to be regularized as per the guidelines and framing of modalities.

2. Definitions

(a) "Architect/Town Planner": An architect registered with the Council of Architecture and having qualification in Town Planning, recognized for the membership of Institute of Town Planners, India;

(b) "Concerned agency" means Local Body/Delhi Development Authority (DDA)/ Government of NCT of Delhi (GNCTD) or any other agency involved in the process of regularization/ preparation, implementation of the plans and work of regularization of unauthorized colonies falling within their respective jurisdictions;

(c) "Habitations" for the purpose of regularization as envisaged in the Revised Guidelines 2007/ Regulations means those habitations existing as on 31-3-2002 that have come up as extension to village abadi and have not been notified as Lal Dora extension to village abadi;

(d) "Infrastructure" means infrastructure other than 'social infrastructure' such as water supply, drainage, sewerage, electricity and solid waste management, as mentioned in the Chapter 14 (Physical Infrastructure) of the Master Plan for Delhi (MPD)-2021.

(e) "Layout Plan" means a plan that will indicate the location of all existing (also proposed, if any) roads with their widths, dimensions of plots along with building lines, location of drains and public facilities, if any, a statement indicating the total area of the site under roads, and if available, then open spaces for parks, playgrounds, recreational spaces and other public spaces;

(f) "Residents' Society" means a registered Resident Society and comprising the members of the unauthorized colony/habitation which will be responsible for coordination, preparation of layout plans, and for liaison with the concerned agency in respect of various issues pertaining to the regularization process;

(g) "Service Road" - A road/lane provided at the rear or side of a plot for service purposes;

(h) "Site or Plot" - A parcel/piece of land enclosed by definite boundaries;

(i) "Social infrastructure" means social infrastructure facilities pertaining to health, education, sports facilities and socio-cultural activities and religious activities.

(j) "Street" includes any way, road, lane, square, court, alley, gully, passage, whether a thoroughfare or not and whether built upon or not, over which the public have a right of way and also the roadway or footway over any bridge or causeway;

(k) "Unauthorized colony" means a colony/ development comprising of contiguous area, where no permission of concerned agency has been obtained for approval of Layout Plan, and/ or building plan;

3. Criteria for Regularization of Unauthorized Colonies and Habitations

3.1 Cut off date for regularization is 31-3-2002.

3.2 Habitations that have come up as extension to village abadi and are outside the Lal Dora of village, would be eligible for regularization on the same lines as those of unauthorized colonies.

3.3 The following types of colonies or parts thereof would not be considered for regularization:

(a) Unauthorized colonies/part of colonies/ habitations falling in notified or reserved forest areas.

(b) Unauthorized colonies/part of colonies/ habitations which pose hindrances in the provision of infrastructure facilities or fall in the area of right of way (ROW) of existing/proposed railway lines; Master Plan roads and major/trunk water supply and sewerage lines.

(c) Unauthorized colonies/habitations where more than 50% plots are un-built on the date of formal announcement of regularization scheme. However, plots, which have been built up in the above mentioned colonies, even after 31-3-2002

1075 GI/08-3

and till the date of formal announcement of regularization scheme will be taken into consideration for deciding the eligibility of the colony for regularization.

(d) Unauthorized colonies/part of colonies/ habitations which violates the provisions of Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1958.

3.4 No regularization will be done in respect of residential buildings used for non-residential purposes except those covered under the mixed land use regulations contained in the MPD-2021 as may be amended from time to time. The time limit of 90 days for conducting survey for notification of mixed use streets as prescribed in clause 15.3.4 of the MPD-2021 in respect of these colonies will commence with effect from the date of notification of the colony as deemed regularized colony by the GNCTD or the date with effect from which the colony shall qualify for regularization.

3.5 Action against unauthorized constructions in unauthorized colonies/parts of colonies/ habitations which do not fulfill the conditions for regularization, will be taken by concerned Local Body/DDA subject to provisions contained in Master Plan of Delhi including those in para 16.2.3.

3.6 These Regulations do not relate to unauthorized colonies/habitations inhabited by affluent sections on public and private land.

4. Procedure for regularization

The following steps are to be followed for regularization :

4.1 Registration of Residents' Society

The residents of each unauthorized colony/ habitation shall establish a registered Residents Society (henceforth called as Resident Society). This shall be a pre-condition for considering the case for regularization. There would be no objection to several associations in a colony, but they would have to be federated into one recognized Residents Society. The Local Body shall only recognize and interact with such Residents Societies which have at least 75% of residents of that colony as its members.

4.2 The Resident Society shall perform/carry out the following functions :

4.2.1.1 Liaise with the concerned agency in various matters pertaining to the regularization process.

4.2.1.2 Prepare through an Architect/Town Planner, the existing layout plan of the colony. The Resident Society may, however, voluntarily also submit proposal for improved Layout Plan in respect of their colony.

4.2.1.3 The Layout Plan thus prepared shall be submitted by the Resident Society to the concerned Local Body/DDA, and simultaneously, a copy of the Layout Plan shall also be submitted to GNCTD by the Resident Society.

4.2.2 Along with the layout plan, the Resident Society shall be required to submit the complete list of members with details such as plot nos. and area of the colony to the Local Body. It shall be the duty of the Resident Society to make available, wherever possible, land to the concerned agency for taking up the works for provision of social infrastructure. In such colonies where land cannot be made available by the society for social infrastructure, the colony shall have to manage without the provision of such infrastructure.

4.2.3 There shall be no obligation on part of the Local Body/DDA/GNCTD/Union of India to allot alternate sites/flats to residents who may be displaced on account of provision of land for civic amenities/infrastructure which are not regularized as in clause 3.3.

4.2.4 The GNCTD shall determine the development charges/processing fee, if any, to be charged from the Residents Societies/individuals.

4.3 The Resident Society shall be required to submit the layout plan and proposal for improved layout plan if any. It shall be submitted in such manner and numbers as the GNCTD may deem fit.

4.4 Once sanctioned, a printed authenticated copy of the layout plan shall be made available by the Resident Society to all its members. Any deviation and modification in the sanctioned layout plan shall be subject to approval by the concerned Local Body/DDA.

4.5 Requisites for submission of Layout Plan:

4.5.1 Documents to be submitted

Application for regularization of unauthorized colonies shall be accompanied by the following documents:

(i) Land details with Khasra No. accompanied by a site plan giving the physical description of the site.

(ii) The certificates duly signed by the authorized signatory of Resident Society/ owner and the Architect/Town Planner.

(iii) The layout plan submitted with the application for regularization shall be drawn to a scale of 1 : 1000 or larger and shall show details as given in the following paragraphs.

4.5.2 Information required to be furnished on Existing/ Proposed Layout Plan:

(i) The boundaries of the site and of contiguous land with ownership status;

(ii) The position of the site in relation to neighbouring area/roads;

(iii) The name of the streets in which the plots are proposed/existing;

(iv) The use and position of the plots on the land including sub division;

(v) The means of access/roads streets and their widths;

(vi) The North point;

(vii) Any existing physical features, such as wells, drains, trees etc;

(viii) The plan shall be authenticated by the authorized signatory of Resident Society and Architect/Town Planner.

4.5.3 Undertakings

The Residents' Society shall furnish the following undertakings at the time of submission of the layout plan:

(i) That they shall abide by the layout plans as may be approved with or without conditions.

(ii) That they shall transfer the land available if any for social infrastructure in the name of the DDA or the MCD/NDMC, free of cost, in order to provide such social infrastructure.

5. *Steps/Procedure to be followed by Local Body/ DDA/GNCTD for regularization:*

5.1 A separate Cell is to be created in the local bodies/ DDA/GNCTD to carry out the work relating to regularization of unauthorized colonies within their jurisdiction. The layout plan prepared by Resident Societies would be submitted to this Cell.

5.2 On receipt of the layout plan submitted by the Resident Society, the Local Body or DDA, as the case may be, within two months will complete the scrutiny of the layout plan.

5.3 Simultaneously, GNCTD will finalize the, boundaries of each identified colony within three months from the last date of submission of lay-out plan by using satellite/aerial survey images.

5.4 After fixing the boundaries on the scrutinized layout plan by the Local Body concerned, GNCTD to formally forward the layout plan to Local Body for approval.

5.5 Lay-out plan to be approved by the competent authority in the Local Body concerned within one month of receipt of LOP after fixation of boundaries by GNCTD.

5.6 Simultaneously, the Local Body to refer the case to GNCTD for regularization and to DDA for land use change.

5.7 Formal orders or regularization to be issued by GNCTD only after completing all formalities including land use change and payment of all requisite charges.

5.8 The cost of land shall be collected by Local Body/ DDA on behalf of land owning agency in respect of colonies on public land. Amounts so recovered to be credited to the account of respective land owning agency.

5.9 Similarly, penalties to be collected by Local Body/ DDA and to be credited into a separate fund.

5.10 GNCTD may commence the development works and augmentation of infrastructure facilities in public interest in colonies soon after the receipt of layout plan if it is satisfied that the colonies or part thereof fulfil the general principles contained in the Revised Guidelines 2007.

5.11 GNCTD shall take all required steps to ensure that the entire process of regularization except change in land use is completed within six months and formal regularization after effecting change in land use is done within nine months of submission of LOP by Resident Society. Lt. Governor, Delhi may relax the time limit in respect of individual colonies on specific request of GNCTD.

6. Parameters/basis for regularization

6.1 Title of land

GNCTD shall constitute a Committee with representatives of DDA to evolve suitable Revised Guidelines-2007 to confer title of land preferably within a time frame of two months.

6.2 Planning norms

Relevant provisions as contained in para 4.2.2.2(B) of MPD 2021 to apply.

6.3 Mixed Use

The relevant provisions of MPD-2021 shall be applicable subject to declaration of mixed use street / local Commercial Street by the concerned Local Body.

6.4 Recovery of cost of land and development charges

Based on criteria adopted by the Municipal Corporation of Delhi for categorization of colonies for recovery of property tax based on Unit Area Method, the colonies are broadly clubbed under three groups for regularization purpose based on the criteria of two stage lower than adjacent planned colony:

Group-I: Unauthorized Colonies in Category C and D

Group-II: Unauthorized Colonies in Category E & F

Group-III: Unauthorized Colonies in Category G

The cost of Government land shall be recovered as under:

(a) For undeveloped public/Govt. land

In Group-I colonies:

Prevailing Cost of acquisition of agricultural land (Rs. 575 per sqm) + 10% penalty for plot size up to 100 sqm and 25% penalty for plot size from 100 to 250 sq. m, and 50% penalty for plot size beyond 250 sqm.

In Group-II colonies:

Prevailing Cost of acquisition of agricultural land minus 15% + 10% penalty for plot size from 100 to 250 sqm and 25% penalty for plot size beyond 250 sqm. No penalty is to be levied for plot size up to 100 sqm.

In Group-III colonies:

Prevailing Cost of acquisition of agricultural land minus 30%; + 5 % penalty for plot size from 100 to 250 sqm and 10% penalty for plot size beyond 250 sqm. No penalty is to be levied for plot size up to 100 sqm.

(b) For developed public land/Govt. land

Notified land rate and penalty (10% up to 100 sqm plot and 50% beyond 100 sqm plot).

(c) No conversion charges or compounding fee for non-affluent colonies on lands identified as private land by the GNCTD shall be levied.

Above rates are subject to changes from time to time.

7. Miscellaneous

7.1 Grant of Sanction or Refusal - The Local Body may either approve or modify the plans, or may sanction them with modifications or directions as it may deem necessary and thereupon shall communicate its decision to the person giving the notice in the prescribed form. In cases where the plans are substantially violative of the guidelines-2007 or the Regulations, the Local Body may reject or cause the plans to be modified by the Resident Society.

7.2 These Regulations may be read together with the Revised Guidelines 2007 and may be interpreted harmoniously so as to facilitate the process of regularization of the unauthorized colonies.

7.3 The entire process of regularization is to be coordinated and supervised by GNCTD, which may also give wide publicity to the Revised Guidelines 2007 and these Regulations.

[F. No. 3(11)2004-MP-pt. I]

V. M. BANSAL, Pr. Commr.-cum-Secy.

Annexure

Check list for Regularization of Unauthorized Colony

1. Name and address of the Colony
2. Serial No. in the GNCTD List, if any
3. Name of RWA/Applicant Society
4. Registration no. of the RWA/Society
5. Name of Authorized Signatories
6. Category of colony (as per MCD Property Tax)
7. Revenue Village/khasra no.
8. Zone (As per Master Plan of Delhi)
9. Date from which unauthorized colony exists
10. Location/surroundings (Towards North, South, East West)
11. Development Area No :

    MCD/NDMC/Cantt. Board Area/Whether falls in Notified Slum Area?
12. Total area of Unauthorized Colony
13. Land Status
14. Court Case, if any (Please attach details)
15. Land whether notified for acquisition
16. Percentage of Residents/house owners as members of the Residents Society
17. No. of Built up Plots:
    (i) Up to 100 sq.m.———
    (ii) Above 100 sqm & upto 250 sqm.———
    (iii) Above 250 sqm.———
18. No. of Vacant Plots:
    (i) Upto 100 sq.m.———
    (ii) Upto 100 - 250 sqm.———
    (iii) Above 250 sqm.———
19. Status of Facilities Nos./ Area/ Width/ Length Stage of Development.

- Parks / Transport lots/ Common open space;
- Schools
- Community Hall
- Common Parking Areas
- Dispensary / Health Centre
- Religious structures
- Police Post / Fire Post

—Enclosures:

(a) Lists of members/owners/occupants.
(b) Registration/ resolution of the Residents Society.
(c) Regularization Plans / Layout Plan.
(d) Undertakings
(e) Certified Land Ownership documents/ Khasra Gildawari (f) Receipt of payments.

Signature of Authorized Signatory
Resident Society

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2008/वैशाख 26, 1930
No. 674] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2008/VAISAKHA 26, 1930

बैठक कक्ष, वि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 290
दिनांक
Date 28.5.08

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2008

का.आ. 1169(अ).—यत:, नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार 14 नवम्बर, 2007 की सं. का.आ. 1933(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत का राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत:, केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, बशर्ते कि मौजूदा अनधिकृत कालोनी के साथ-साथ डिफेंस अपनी भूमि पर उचित सड़क मुहैया कराए।

संशोधन :

जोन-जे (दक्षिण दिल्ली-II) में 12.15 हेक्टे. (29.968 एकड़) के निम्न क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोन-जे (दक्षिण दिल्ली-II) रंगपुरी (वसंतकुंज)	12.15 हेक्टे. (29.968 एकड़)	कृषि और जलाशय "ग्रामीण"	डिफेंस उद्देश्य हेतु "सरकारी भूमि (अनिश्चित उपयोग)"	पूर्व — एयरपोर्ट प्राधिकरण की भूमि पश्चिम — कृषि और जलाशय (ग्रामीण) और क्षेत्रीय पार्क उत्तर — महरौली-महिपालपुर रोड और सुल्तानगढ़ी मकबरा दक्षिण — नांगल देवात बेदखल स्कीम

[फा. सं. के-13011/4/2007-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

Copy sent to AD/ Meeting Cell, DDA for n/a & record.

AD/ Meeting Cell 28/5/08

AD/ Plg 28/5/08

Mtg Asstt.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2008

S.O. 1169(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1933(E) dated the 14th November, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India. Subject to the condition that proper road would be provided by Defence on their land along the existing unauthorized colony.

Modification:

The land use of the following area measuring 12.15 Ha. (29.968 acres) of land falling in Zone-J (South Delhi-II) is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rangpuri (Vasant Kunj) in Zone-J (South Delhi-II)	12.15 Ha. (29.968 Acres)	Agricultural and Water Body 'Rural'	'Government Land (use undetermined)' for defence purpose.	East — Air-port Authority land West — Agricultural and Water Body (Rural) and Regional Park North— Mehrauli Mahipalpur Road and Sultan Garhi Tomb South— Nangal Dewat Evictees Scheme

[F. No. K-13011/4/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2008/वैशाख 26, 1930
No. 674] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2008/VAISAKHA 26, 1930

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं Diary No. 280
दिनांक Date 28.5.08

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 मई, 2008

का.आ. 1169(अ).—यतः, नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार 14 नवम्बर, 2007 की सं. का.आ. 1933(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत का राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः, केन्द्र सरकार ने, मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, बशर्ते कि मौजूदा अनधिकृत कालोनी के साथ-साथ डिफेंस अपनी भूमि पर उचित सड़क मुहैया कराए।

संशोधन :

जोन-जे (दक्षिण दिल्ली-II) में 12.15 हेक्टे. (29.968 एकड़) के निम्न क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोन-जे (दक्षिण दिल्ली-II) रंगपुरी (वसंतकुंज)	12.15 हेक्टे. (29.968 एकड़)	कृषि और जलाशय "ग्रामीण"	डिफेंस उद्देश्य हेतु "सरकारी भूमि (अनिश्चित उपयोग)"	पूर्व — एयरपोर्ट प्राधिकरण की भूमि पश्चिम — कृषि और जलाशय(ग्रामीण) और क्षेत्रीय पार्क उत्तर — महरौली-महिपालपुर रोड और सुल्तानगढ़ी मकबरा दक्षिण — नांगल देवात बेदखल स्कीम

[फा. सं. के-13011/4/2007-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

Copy sent to AD/ Meeting Cell, 201 for n/a & record.

Brew 28/5/08
AD/ Pk

AD/ Meeting Cell 28/5/08
Mtg Asstt -

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2008

S.O. 1169(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1933(E) dated the 14th November, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India. Subject to the condition that proper road would be provided by Defence on their land along the existing unauthorized colony.

Modification:

The land use of the following area measuring 12.15 Ha. (29.968 acres) of land falling in Zone-J (South Delhi-II) is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Rangpuri (Vasant Kunj) in Zone-J (South Delhi-II)	12.15 Ha. (29.968 Acres)	Agricultural and Water Body 'Rural'	'Government Land (use undetermined)' for defence purpose.	East —	Air-port Authority land
				West —	Agricultural and Water Body (Rural) and Regional Park
				North—	Mehrauli Mahipalpur Road and Sultan Garhi Tomb
				South—	Nangal Dewat Evictees Scheme

[F. No. K-13011/4/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 674] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 16, 2008/वैशाख 26, 1930
No. 674] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 16, 2008/VAISAKHA 26, 1930

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 280
दिनांक
Date 28.5.08

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2008

का.आ. 1169(अ).—यत:, नीचे उल्लिखित क्षेत्र के बारे में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव है, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार 14 नवम्बर, 2007 की सं. का.आ. 1933(अ) की सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत का राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यत:, केन्द्र सरकार ने, मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, बशर्ते कि मौजूदा अनधिकृत कालोनी के साथ-साथ डिफेंस अपनी भूमि पर उचित सड़क मुहैया कराए।

संशोधन :

जोन-जे (दक्षिण दिल्ली-II) में 12.15 हेक्टे. (29.968 एकड़) के निम्न क्षेत्र का भू-उपयोग नीचे सूचीबद्ध वर्णन के आधार पर बदला जाता है :—

स्थान	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	भू-उपयोग परिवर्तित	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जोन-जे (दक्षिण दिल्ली-II) रंगपुरी (वसंतकुंज)	12.15 हेक्टे. (29.968 एकड़)	कृषि और जलाशय "ग्रामीण"	डिफेंस उद्देश्य हेतु "सरकारी भूमि (अनिश्चित उपयोग)"	पूर्व — एयरपोर्ट प्राधिकरण की भूमि पश्चिम — कृषि और जलाशय (ग्रामीण) और क्षेत्रीय पार्क उत्तर — महारौली-महिपालपुर रोड और सुल्तानगढ़ी मकबरा दक्षिण — नांगल देवात बेदखल स्कीम

[फा. सं. के-13011/4/2007-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

Copy sent to AD/ Meeting Cell, DDA for n/a & record.

AD/ Meeting Cell 28/5/08

AD/ Plg 28/5/08

M/g Asstt.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2008

S.O. 1169(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 1933(E) dated the 14th November, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas, the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi, 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India. Subject to the condition that proper road would be provided by Defence on their land along the existing unauthorized colony.

Modification:

The land use of the following area measuring 12.15 Ha. (29.968 acres) of land falling in Zone-J (South Delhi-II) is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land use changed to	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rangpuri (Vasant Kunj) in Zone-J (South Delhi-II)	12.15 Ha. (29.968 Acres)	Agricultural and Water Body 'Rural'	'Government Land (use undetermined)' for defence purpose.	East — Air-port Authority land West — Agricultural and Water Body (Rural) and Regional Park North— Mehrauli Mahipalpur Road and Sultan Garhi Tomb South— Nangal Dewat Evictees Scheme

[F. No. K-13011/4/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 241
दिनांक
Date 24/4/08

216-6-PG
25/4/08

No. K- 12016/6/2003-DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 21st April, 2008

Subject: Modification of Composition of Heritage Conservation Committee-- forwarding of copy of Extraordinary Gazette Notification issued on 4.4.2008.

PC-Secy
Com (Plg.)

A copy of Notification No.817 (E) dated 4th April, 2008 published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

24/4/08

(P.K.Santra)
Under Secretary
Tel.No.23061681

Copy to:

1. **Special Secretary**, MoUD and Chairman of the Heritage Conservation Committee, Nirman Bhavan, New Delhi
2. **Member Secretary**, DUAC,
3. **Director General**, Archeological Survey of India, Janpath, New Delhi
4. **Vice Chairman**, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi
5. **Chairperson**, NDMC, Palika Kendra, New Delhi
6. **Commissioner** (MCD), Town Hall, Delhi
7. **Director General (Works)**, CPWD, Nirman Bhavan, New Delhi

उपाध्यक्ष कार्यालय
डायरी सं0 864-B
दिनांक 22/4/08

DD (P2)
25/4
25/4/08
AD(MC)
25/4

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2008/चैत्र 15, 1930
No. 452] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2008/CHAITRA 15, 1930

REGD.

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2008

का.आ. 817(अ).—केन्द्र सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली भवन निर्माण उप-नियमों में एतद्द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है :–

संशोधन :

1. धारा 23.16 में हेरीटेज संरक्षण समिति के गठन में क्र.सं. (i) को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाए :–

"1. विशेष सचिव/अपर सचिव शहरी विकास मंत्रालय — अध्यक्ष"

2. दिनांक 20 नवम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1964(अ) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है । उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :–

संशोधन

1. हेरीटेज संरक्षण समिति के गठन में क्र.सं. 1 को संशोधित करके इस प्रकार पढ़ा जाए :–

"1. विशेष सचिव/अपर सचिव शहरी विकास मंत्रालय — अध्यक्ष"

2. पैरा 2 को इस प्रकार संशोधित किया जाए :–

"2. समिति का कार्यकाल दिनांक 9-2-2007 से लेकर 3 वर्ष तक का होगा" ।

[सं. के–12016/6/2003–डीडीआईबी]

पी. के. सांत्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2008

S.O. 817(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the Delhi Development Act, 1957, the Central Government hereby makes the following modifications in the Delhi Building Bye Laws with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Sl.No. (i) in the composition of the Heritage Conservation Committee in Clause 23.16 shall be modified to read as under :—

"(i) Special Secretary/Additional Secretary, Ministry of Urban Development — Chairman"

2. Attention is also invited to Notification No. S.O.1964(E) dated 20th November, 2007. The following modifications shall be made in the said Notification :—

Modifications

1. In the composition of the Heritage Conservation Committee, SI.No.1 shall be modified to read as under :—

"1. Special Secretary/Additional Secretary, Ministry of Urban Development — Chairman"

2. Para 2 shall be modified as under :—

"2. The tenure of the Committee shall be 3 years with effect from 9-2-2007".

[No. K-12016/6/2003-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

1270 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

(To be published in Part I, Section 2 of the Gazette of India)

No. K-11011/42/2006-DDIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

G
1 81-pus
3/4/08

Nirman Bhawan, New Delhi-110 108
Dated: April 2, 2008

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 205
दिनांक
Date 4.4.2008

NOTIFICATION

The President is pleased to appoint Ms. Veena Ish, IAS (AP:85) as Principal Commissioner (Commonwealth Games) in the Delhi Development Authority at the level of Joint Secretary in the pay scale of Rs. 18400-22400 for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or till the term of the Commonwealth Games or until further orders, whichever is the earliest.

(N.T. Joseph)
Under Secretary (DD 1A)
Tel: 23061478

To

The Manager,
Govt. of India Press, (with Hindi version)
FARIDABAD (Haryana)

Copy forwarded to:

1. The Secretary to the Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
2. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
3. Department of Personnel & Training (Shri A.K. Singhal, Director) w.r.t O.M. No. 26/1/2007-EO (SM.I) dated 20.3.2008.
4. Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Secretariat, Hyderabad.
5. Ms. Veena Ish, IAS (AP:85) through Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Secretariat, Hyderabad.
6. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
7. Commissioner (Personnel), DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Copy also forwarded for information to:-

PS to UDM / Sr. PPS to Secretary (UD) / PS to SS (UD) / PS to JS(DL)/PS to JS &FA/PS to JS(UD).

(N.T. Joseph)
Under Secretary (DD 1A)
Tel: 23061478

DD(MC) 4/4

4/4/08

AD(MC) 4/4/08
Mtg. Asst.

(To be published in Part I, Section 2 of the Gazette of India)

No. K-11011/42/2006-DDIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

181-pcn
3/4/08

Nirman Bhawan, New Delhi-110 108
Dated: April 2, 2008

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 205
दिनांक
Date 4.4.2008

NOTIFICATION

The President is pleased to appoint Ms. Veena Ish, IAS (AP:85) as Principal Commissioner (Commonwealth Games) in the Delhi Development Authority at the level of Joint Secretary in the pay scale of Rs. 18400-22400 for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or till the term of the Commonwealth Games or until further orders, whichever is the earliest.

(N.T. Joseph)
Under Secretary (DD 1A)
Tel: 23061478

To

The Manager,
Govt. of India Press, (with Hindi version)
FARIDABAD (Haryana)

Copy forwarded to:

1. The Secretary to the Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
2. Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
3. Department of Personnel & Training (Shri A.K. Singhal, Director) w.r.t O.M. No. 26/1/2007-EO (SM.I) dated 20.3.2008.
4. Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Secretariat, Hyderabad.
5. Ms. Veena Ish, IAS (AP:85) through Chief Secretary, Govt. of Andhra Pradesh, Secretariat, Hyderabad.
6. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
7. Commissioner (Personnel), DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

Copy also forwarded for information to:-

PS to UDM / Sr. PPS to Secretary (UD) / PS to SS (UD) / PS to JS(DL)/PS to JS &FA/PS to JS(UD).

(N.T. Joseph)
Under Secretary (DD 1A)
Tel: 23061478

DD(MC) 4/4
4/4/08
ADM(C) 4/4/08
Mtg. Asst.

MONITORING COMMITTEE
(Constituted by Supreme Court of India)

No. MC/IHC/D- 263 **Dated: 4th Feb 2008**

Sub: De-sealing of premises sealed under the directions of the Hon'ble Supreme Court of India.

The Monitoring Committee has noticed from Notification dated 30th January 2008 of the Government of India, Ministry of Urban Development that the Central Government has directed the local authorities to take steps including de-sealing, repeat de-sealing, to maintain status-quo as on 1st January 2006 in respect of encroachment or unauthorized development referred to in Section 3 of the said Act except in respect of unauthorized colony, village abadi area and its extension. (In respect of unauthorized colonies, village abadi area & its extension, the steps including de-sealing have been ordered to maintain status-quo which existed on the 31st March 2002, as on the 8th day of February 2007).

The Monitoring Committee is of the view that section 3 of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions Act 2007) provides that "all notices issued by any local authorities for initiating action against encroachment of unauthorized development referred to in Sub-Section 1 shall be deemed to have been suspended and no punitive action shall be taken till the 31st day of December 2008." The Act does not provide for de-sealing of premises sealed under the directions of the Hon'ble Supreme Court in these areas. Further, by its Order dated 10th August 2006 in the matter, the Hon'ble Supreme Court stayed similar direction for de-sealing in the Notification dated 20th May 2006 issued by the Government of India, Ministry of Urban Development agreeing with the view of the petitioner that the said Notification is a unique statute which over-rules, annuls and sets aside the decision of the Hon'ble Supreme Court dated 16th Feb 2006 and other orders passed thereafter.

In view of the above, the Monitoring Committee requests the DDA, MCD & NDMC not to de-seal any premises sealed under the directions of the Hon'ble Supreme Court vide its Judgement dated 16th Feb 2006 and other Orders passed thereafter, without the approval of the Monitoring Committee or the Hon'ble Supreme Court of India.

4/2/08

(Member)
Monitoring Committee

1. **Vice Chairman, DDA**
2. **Commissioner, MCD**
3. **Chairman, NDMC**

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं Diary No. 133
दिनांक Date 27.2.08

197 pus 5/2/08

316 B 4/2/08

P.C./P.C.-2 S.
C(Plg.)
C.L.D.
C.L.M.
(separate copies)

DD (Re) To keep it on the file of notification dt 30.1.08

09 Feb

DD 27/2

27/2/08 AD(MC) 28.2.2008 Meeting Asstt

PC-Secy
P.C.
Com(LM)
Com(LA)

No. K-20013/17/2006- DDVA/IB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 12th February, 2008

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 109
दिनांक
Date 13.2.2008

Subject: Extraordinary Gazette Notification – No.S.O. 272(E) dated 7.2.2008 regarding change of land use.

...

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

उपाध्यक्ष कार्यालय
डायरी सं0 361-B
दिनांक 12/2/08

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi.
12. Dy. Registrar (AG), Supreme Court of India.

Copy to :-

Computer Cell, M/o UD for display the above Notification on the website of the Ministry.

DD (MC) 13/2/08
14/2/08
AD (MC)
Meeting Asstt
14/2/08

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929
No. 176] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

का.आ. 272(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 16 मई, 2007 की सं. का.आ. 767(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए ।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित विचार किया गया तथा यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

3. अत: अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

जोन "डी" में 12.19 एकड़ माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया गया है :–

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन "डी" में आईटीपीओ, प्रगति मैदान	12.19 एकड़	मनोरंजनात्मक	सरकारी कार्यालय	उत्तर-रेलवे लाईन/मेट्रो लाईन पूर्व और दक्षिण-प्रगति मैदान काम्पलैक्स पश्चिम-मथुरा रोड

[फा. सं. के-20013/17/2006-डी डी V ए/बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

No. K-13011/10/2006- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 12th February, 2008

104-G-PCS
14/11/08

Subject: Extraordinary Gazette Notification – No.S.O.273(E) dated 7.2.2008 regarding change of land use.

...

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

उपाध्यक्ष कार्यालय
डायरी सं० 371-B
दिनांक 13/2/08

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 114
दिनांक
Date 15/2/08

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

Computer Cell, M/o UD for display of the above Notification on the website of the Ministry.

PC
PC - Secy
Com (LD)
Com (LM)
Com (Plg.)
(separate copies)

14/2
DD(MC) 14/2
15/2/08
AD (MC)
Multiple copies
15/2

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929
No. 177] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

शहरी विकास मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

का.आ. 273(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 2 नवम्बर, 2007 की सं. का.आ. 1862(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए ।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में केवल एक आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ था। यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

3. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

जोन "एफ" में 2.21 हेक्टेयर (5.25 एकड़) माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया गया है :–

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन "एफ" में आर. के. पुरम, सेक्टर-II	2.21 हेक्टेयर (5.25 एकड़)	मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क)	आवासीय	पूर्वोत्तर : सेंट थामस चर्च, सेंट थामस स्कूल और केन्द्रीय विद्यालय पूर्व : 45 मी. चौड़ा अफ्रिका एवेन्यू दक्षिण : पूर्व-सैक्टर-II, आर. के. पुरम के मौजूदा आवासीय क्वाटर्स दक्षिण-पश्चिम : अयप्पा मंदिर

[फा. सं. के-13011/10/2006-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

PC-Secy
P.C.
Com(LD)
Com(LM)
Com(S/B.)
(Separate copies)

No. K-13011/11/2007- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 12th February, 2008

Subject: Extraordinary Gazette Notification – No.S.O.274(E) dated 7.2.2008 regarding change of land use.

...

G
105-PW
14/2/08

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 115
दिनांक
Date 15/2/08

372-B
13/2/08

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi.

Copy to :-

Computer Cell, M/o UD for display of the above Notification on the website of the Ministry.

DD(Sec.) 14/2
15/2/08
AD(Mc.)
Meeting Asstt
15/2/08

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929
No. 178] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

का.आ. 274(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 3 दिसम्बर, 2007 की सं. का.आ. 2070(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अत: अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

जोन "डी" में 12982 वर्ग मीटर माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया गया है :—

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन "डी" में बापा नगर में दिल्ली हाईकोर्ट के निकट	(i) 9648 वर्ग मीटर	आवासीय	सरकारी कार्यालय/कोर्ट	**पूर्व :** दिल्ली हाई कोर्ट **पश्चिम :** डा. जाकिर हुसैन मार्ग (45 एम आर/डब्ल्यू) **उत्तर :** वेलैसले मैस **दक्षिण :** आवासीय क्वार्टर (बापा नगर)
	(ii) 3334 वर्ग मीटर	आवासीय	सरकारी कार्यालय/कोर्ट	**पूर्व :** निकटवर्ती खेल क्षेत्र/हरित क्षेत्र **पश्चिम :** दिल्ली हाई कोर्ट **उत्तर :** शेरशाह सूरी मार्ग (45.72 एम आर/डब्ल्यू) **पश्चिम :** आवासीय क्वार्टर (बापा नगर)

[सं. के-13011/11/2007-डी डी I बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2008

S.O. 274(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 2070(E) dated 3rd December, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 12982 sq.m. of land in Zone-D is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Adjacent to Delhi High Court at Bapa Nagar in Zone-D	(i) 9648 sqm.	'Residential'	Government Office/Courts	**East :** Delhi High Court **West :** Dr. Zakir Husain Marg (45 m R/W) **North :** Wellesley Mess **South :** Residential Quarters (Bapa Nagar)
	(ii) 3334 sqm.	'Residential'	Government Office/Courts	**East :** Neighbourhood Play Area/Green Spaces **West :** Delhi High Court **North :** Sher Shah Suri Marg (45.72 m R/W) **South :** Residential Quarters (Bapa Nagar)

[No. K-13011/11/2007-DD I B]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K-13011/10/2006- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 12th February, 2008

Subject: Extraordinary Gazette Notification – No.S.O.273(E) dated 7.2.2008 regarding change of land use.

...

बैठक कक्ष. दि.वि.प्रा.
Meeting ... D.D.A.
डायरी
Diary No. 111
दिनांक
Date 14.2.08

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

Computer Cell, M/o UD for display of the above Notification on the website of the Ministry.

DD (Plg) 13/2

14/2/08

AD (MC)

Meeting Asstt.

14/2/2008

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929
No. 177] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

का.आ. 273(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 2 नवम्बर, 2007 की सं. का.आ. 1862(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में केवल एक आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुआ था। यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अत:, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

जोन "एफ" में 2.21 हेक्टेयर (5.25 एकड़) माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया गया है :—

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन "एफ" में आर. के. पुरम, सेक्टर-II	2.21 हेक्टेयर (5.25 एकड़)	मनोरंजनात्मक (डिस्ट्रिक्ट पार्क)	आवासीय	पूर्वोत्तर : सेंट थामस चर्च, सेंट थामस स्कूल और केन्द्रीय विद्यालय पूर्व : 45 मी. चौड़ा अफ्रिका एवेन्यू दक्षिण : पूर्व-सैक्टर-II, आर. के. पुरम के मौजूदा आवासीय क्वाटर्स दक्षिण-पश्चिम : अयप्पा मंदिर

[फा. सं. के-13011/10/2006-डी डी आई बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2008

S.O. 273(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as public Notice vide S.O. No. 1862(E) dated 2nd November, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas only one objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with efect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 2.21 ha.(5.25 acres) of land in Zone F is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
R.K. Puram, Sector-II Zone-F	2.21 ha. (5.25 acres)	'Recreational' (District Park)	'Residential'	**North-East :** St. Thomas Church, St.Thomas School and Kendriya Vidyalaya **East :** 45 m wide Africa Avenue **South-East :** Existing Residential Quarters of Type-IV, R.K. Puram, Sector-II **South-West :** Ayyappa Temple

[F. No. K-13011/10/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K-13011/11/2007- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 12th February, 2008

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 110
दिनांक
Date 14.2.2008

Subject: Extraordinary Gazette Notification – No.S.O.274(E) dated 7.2.2008 regarding change of land use.

...

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi.

Copy to :-

Computer Cell, M/o UD for display of the above Notification on the website of the Ministry.

DD 13/2
AD(MC)
Meeting Asstt
14/2/2008

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929

No. 178] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

का.आ. 274(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 3 दिसम्बर, 2007 की सं. का.आ. 2070(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए ।

2. यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान, 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

3. अत: अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान, 2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

जोन "डी" में 12982 वर्ग मीटर माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया गया है :—

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन "डी" में बापा नगर में दिल्ली हाईकोर्ट के निकट	(i) 9648 वर्ग मीटर	आवासीय	सरकारी कार्यालय/ कोर्ट	**पूर्व** : दिल्ली हाई कोर्ट **पश्चिम** : डा. जाकिर हुसैन मार्ग (45 एम आर/डब्ल्यू) **उत्तर** : वेलैसले मैस **दक्षिण** : आवासीय क्वार्टर (बापा नगर)
	(ii) 3334 वर्ग मीटर	आवासीय	सरकारी कार्यालय/ कोर्ट	**पूर्व** : निकटवर्ती खेल क्षेत्र/हरित क्षेत्र **पश्चिम** : दिल्ली हाई कोर्ट **उत्तर** : शेरशाह सूरी मार्ग (45.72 एम आर/डब्ल्यू) **पश्चिम** : आवासीय क्वार्टर (बापा नगर)

[सं. के-13011/11/2007-डी डी I बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2008

S.O. 274(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice *vide* No. S.O. 2070(E) dated 3rd December, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 12982 sq.m. of land in Zone-D is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Adjacent to Delhi High Court at Bapa Nagar in Zone-D	(i) 9648 sqm.	'Residential'	Government Office/Courts	**East :** Delhi High Court **West :** Dr. Zakir Husain Marg (45 m R/W) **North :** Wellesley Mess **South :** Residential Quarters (Bapa Nagar)
	(ii) 3334 sqm.	'Residential'	Government Office/Courts	**East :** Neighbourhood Play Area/Green Spaces **West :** Delhi High Court **North :** Sher Shah Suri Marg (45.72 m R/W) **South :** Residential Quarters (Bapa Nagar)

[No. K-13011/11/2007-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

99-G-pers
12/2/08

No. K-20013/17/2006- DDVA/IB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 12th February, 2008

Subject: Extraordinary Gazette Notification – No.S.O. 272(E) dated 7.2.2008 regarding change of land use.

...

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 106
दिनांक
Date 13.2.08

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi.
12. Dy. Registrar (AG), Supreme Court of India.

Copy to :-

Computer Cell, M/o UD for display the above Notification on the website of the Ministry.

DD 12/2 13/2/08 AD(MC) Meeting Asstt 13/2/08

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 7, 2008/माघ 18, 1929
No. 176] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 7, 2008/MAGHA 18, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2008

का.आ. 272(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 16 मई, 2007 की सं. का.आ. 767(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथाअपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित विचार किया गया तथा यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अत: अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

जोन "डी" में 12.19 एकड़ माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया गया है :—

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
1	2	3	4	5
जोन "डी" में आईटीपीओ, प्रगति मैदान	12.19 एकड़	मनोरंजनात्मक	सरकारी कार्यालय	उत्तर-रेलवे लाईन/मेट्रो लाईन पूर्व और दक्षिण-प्रगति मैदान काम्पलैक्स पश्चिम-मथुरा रोड

[फा. सं. के-20013/17/2006-डी डी V ए/बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2008

S.O. 272(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 767(E) dated 16th May, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas a number of objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with efect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

Modification :

The land use of the following area measuring 12.19 acreas of land in Zone D is changed as per description listed below :—

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
ITPO, Pragati Maidan in Zone-D	12.19 acre	'Recretional'	Government office	**North :** Railway line/Metro station **East and South :** Pragati Maidan Complex **West :** Mathura Road

[F. No. K-20013/17/2006-DDVA/IB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K-12016/2/2006- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 31st January, 2008

Subject: Notification dated 30.1.2008 regarding issue of directions to the local authorities in the Extraordinary Gazette of India.

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681/
23061006 /23061478

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)/ Director (DD).

बैठक कक्ष, वि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं. 95 Diary No.
दिनांक 5/2/08 Date

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2008/माघ 10, 1929
No. 127] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2008/MAGHA 10, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2008

का.आ. 213(अ).—यत: दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43) (यहाँ इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 के निबन्धनों के अनुसार अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी नोटिस, दिसम्बर, 2008 के 31वें दिन तक के लिए निलम्बित माने जाएंगे;

और यत: उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के उपबंधों के निबन्धनों के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में उल्लिखित अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत विकास के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई दिसम्बर, 2008 के 31वें दिन तक के लिए निलम्बित रखी जाएगी;

अत:, अब, दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश देती है :

निर्देश

1. (i) उक्त अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित अतिक्रमण या अनधिकृत विकास के संबंध में अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्र तथा इसके विस्तार क्षेत्र को छोड़कर, न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सीलिंग कार्य बंद करने सहित जनवरी, 2006 के पहले दिन की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

   (ii) न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी सीलिंग कार्य बन्द करने सहित अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्र तथा इसके विस्तार क्षेत्र जो 31 मार्च, 2002 को 8 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार मौजूद थे, की स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथास्थिति बनाई रखी जाएगी।

2. अधिनियम के खण्ड 3 में उल्लिखित अतिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध प्रारंभिक कार्रवाई के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी सभी सूचनाएं निलंबित होंगी और 31 दिसम्बर, 2008 तक कोई भी दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

3. दिसम्बर, 2007 के 5वें दिन से 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 4 में यथानिर्दिष्ट अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संगत विधियों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी और की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट आगामी माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

[फा. सं. के-12016/2/2006-डीडीआईबी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2008

S.O. 213(E).— Whereas in terms of Section 3 of The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 (43 of 2007) (hereafter referred to as

the said Act), all notices issued by the local authorities in respect of the categories of encroachment or unauthorized development mentioned therein shall be deemed to have been suspended till the 31st day of December, 2008;

And whereas in terms of the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the said Act, punitive action, against encroachment or unauthorized development referred to in sub-section (1) of Section 3 of the Act shall be suspended till the 31st day of December, 2008;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 5 of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 (43 of 2007), the Central Government hereby issues the following directions to the local authorities to give effect to the provisions of the said Act, namely :

DIRECTIONS

(1) (i) Notwithstanding any judgement, decree, or order of Court, steps shall be taken by the local authority, including desealing, to maintain status quo as on 1st day of January, 2006 in respect of encroachment or unauthorized development referred to in Section 3 of the said Act except in respect of unauthorized colonies, village abadi area and its extension.

(ii) Notwithstanding any judgement, decree, or order of Court, steps shall be taken by the local authority, including desealing, to maintain status quo, in the unauthorized colonies, village abadi area and its extension, which existed on the 31st day of March, 2002, as on the 8th day of February, 2007.

(2) All notices issued by any local authority for initiating action against encroachment or unauthorised development referred to in Section 3 of the Act shall be suspended and no punitive action shall be taken till the 31st day of December, 2008.

(3) During the period up to 31st December, 2008 w.e.f. 5th day of December, 2007, action as per relevant laws shall continue to be taken by the local authorities in respect of the categories of encroachment or unauthorized development, as specified in Section 4 of the said Act and a monthly report of the action taken shall be sent to the Secretary, Ministry of Urban Development, New Delhi by the end of the first week of the succeeding month.

[F. No. K-12016/2/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K-12016/2/2006- DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
Delhi Division

Nirman Bhavan, New Delhi
Dated the 31st January, 2008

Subject: Notification dated 30.1.2008 regarding issue of directions to the local authorities in the Extraordinary Gazette of India.

A copy of above Notification published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं Diary No. 100
दिनांक Date 8.2.2008

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681/
23061006 /23061478

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-

PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)/ Director (DD).

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 2008/माघ 10, 1929
No. 127] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 2008/MAGHA 10, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2008

का.आ. 213(अ).—यत: दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43) (यहाँ इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 के निबन्धनों के अनुसार अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी नोटिस, दिसम्बर, 2008 के 31वें दिन तक के लिए निलम्बित माने जाएंगे;

और यत: उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के उपबंधों के निबन्धनों के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में उल्लिखित अतिक्रमण अथवा अप्राधिकृत विकास के खिलाफ दाण्डिक कार्रवाई दिसम्बर, 2008 के 31वें दिन तक के लिए निलम्बित रखी जाएगी;

अत:, अब, दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का 43) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए स्थानीय प्राधिकरणों को एतद्द्वारा निम्नलिखित निर्देश देती है :

निर्देश

1. (i) उक्त अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित अतिक्रमण या अनधिकृत विकास के संबंध में अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्र तथा इसके विस्तार क्षेत्र को छोड़कर, न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सीलिंग कार्य बंद करने सहित जनवरी, 2006 के पहले दिन की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

(ii) न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी सीलिंग कार्य बन्द करने सहित अनधिकृत कालोनियों, गांव आबादी क्षेत्र तथा इसके विस्तार क्षेत्र जो 31 मार्च, 2002 को 8 फरवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार मौजूद थे, की स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथास्थिति बनाई रखी जाएगी।

2. अधिनियम के खण्ड 3 में उल्लिखित अतिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध प्रारंभिक कार्रवाई के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी सभी सूचनाएं निलंबित होंगी और 31 दिसम्बर, 2008 तक कोई भी दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

3. दिसम्बर, 2007 के 5वें दिन से 31 दिसम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 4 में यथानिर्दिष्ट अप्राधिकृत विकास की श्रेणियों के संबंध में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संगत विधियों के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी और की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट आगामी माह के प्रथम सप्ताह के अंत तक सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

[फा. सं. के-12016/2/2006-डीडीआईबी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2008

S.O. 213(E).— Whereas in terms of Section 3 of The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 (43 of 2007) (hereafter referred to as

810

the said Act), all notices issued by the local authorities in respect of the categories of encroachment or unauthorized development mentioned therein shall be deemed to have been suspended till the 31st day of December, 2008;

And whereas in terms of the provisions of sub-section (3) of Section 3 of the said Act, punitive action, against encroachment or unauthorized development referred to in sub-section (1) of Section 3 of the Act shall be suspended till the 31st day of December, 2008;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 5 of the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007 (43 of 2007), the Central Government hereby issues the following directions to the local authorities to give effect to the provisions of the said Act, namely :

DIRECTIONS

(1) (i) Notwithstanding any judgement, decree, or order of Court, steps shall be taken by the local authority, including desealing, to maintain status quo as on 1st day of January, 2006 in respect of encroachment or unauthorized development referred to in Section 3 of the said Act except in respect of unauthorized colonies, village abadi area and its extension.

(ii) Notwithstanding any judgement, decree, or order of Court, steps shall be taken by the local authority, including desealing, to maintain status quo, in the unauthorized colonies, village abadi area and its extension, which existed on the 31st day of March, 2002 as on the 8th day of February, 2007.

(2) All notices issued by any local authority for initiating action against encroachment or unauthorised development referred to in Section 3 of the Act shall be suspended and no punitive action shall be taken till the 31st day of December, 2008.

(3) During the period up to 31st December, 2008 w.e.f. 5th day of December, 2007, action as per relevant laws shall continue to be taken by the local authorities in respect of the categories of encroachment or unauthorized development, as specified in Section 4 of the said Act and a monthly report of the action taken shall be sent to the Secretary, Ministry of Urban Development, New Delhi by the end of the first week of the succeeding month.

[F. No. K-12016/2/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. K-20014/2/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 09th January, 2008

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Sub:- Publication of Pre-determined rates for Narela for 2007-08 in Part II Section – 3 Sub-section (I) in the Gazette of India.

Sir,

I am directed to send herewith a copy each of the notifications (Hindi & English versions) (duly signed in ink) in respect of pre-determined rates of Narela for the year 2007-08 for being published in the Gazette of India.

2. It is requested that the same may be published immediately and one set each of the Gazette Notifications may be sent to this office for official use.

3. This may be treated as **MOST IMMEDIATE**. This issues with the approval of Hon'ble Urban Development Minister.

Yours faithfully.

(S.N. Gupta)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel.: 2306 1478

Encl. :- As above.

Copy to:

1. The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, I.N.A, New Delhi,
2. The Secretary to L.G, Delhi.
3. Secretary (L & B), GNCTD, Delhi.
4. Finance Member, DDA, Vikas Sadan, I.N.A, New Delhi.
5. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, I.N.A, New Delhi.

Under Secretary to the Govt. of India

(भारत के राजपत्र के भाग-।। खण्ड 3 उपखण्ड(i)में प्रकाशनार्थ)

सं0 20014/2/2007-डीडी।।ए
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
ooooo

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 09.01.2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं.............. दिल्ली विकास प्राधिकरण (नज़ूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(।) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्‌द्वारा अधिसूचित करती है ।

	भूमि की श्रेणी	2007-2008 के लिए नरेला के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी0)
1.	सीजीएचएस के लिए भूमि	7602.00
2.	वैकल्पिक भूखंड	6108.00 रु0 (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल है)
3.	डीडीए आवासीय स्कीम	
(क)	एसएफएस	7602.00 रु0
(ख)	एमआईजी	6335.00 रु0
(ग)	एलआईजी	3801.00 रु0
(घ)	ईडब्ल्यूएस	2534.00 रु0 (फ्लैटों की बिक्री लागत निकालते समय आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाय)
4.	जे0जे0 स्क्वेटर्स (पुनर्वास)	22.90 लाख रु0 प्रति एकड़ (आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धाररिति किया जाना है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी है ।

शोमनाथ गुप्ता
(एस0एन0 गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

[To be published in Gazette of India, Part II-Section 3-sub-Section (i)]

No.K-20014/2/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 09th January, 2008

Notification

G.S.R. No. ______________ In exercise of powers conferred by Rule 2(I) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under :-

	Category of Land	**Approved pre-determined rates for Narela for 2007-2008 (per sq. mtr.)**
1.	Land for CGHS	Rs.7602.00
2.	Alternative Plots	Rs.6108.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
3.	DDA Housing Schemes	
	(a) SFS	Rs. 7602.00
	(b) MIG	Rs. 6335.00
	(c) LIG	Rs. 3801.00
	(d) EWS	Rs. 2534.00 (cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
4.	J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 22.90 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2007-2008.

(S.N. Gupta)
Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110064

No. K-20014/3/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 09th January, 2008

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Sub :- Publication of Pre-determined rates for Rohini Phase IV & V for 2007-08 in Part II Section – 3 Sub-section (I) in the Gazette of India.

Sir,

I am directed to send herewith a copy each of the notifications (Hindi & English versions) (duly signed in ink) in respect of pre-determined rates of Rohini Phase IV & V for the year 2007-08 for being published in the Gazette of India.

4. It is requested that the same may be published immediately and one set each of the Gazette Notifications may be sent to this office for official use.

5. This may be treated as **MOST IMMEDIATE**. This issues with the approval of Hon'ble Urban Development Minister.

Yours faithfully.

(S.N. Gupta)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel.: 2306 1478

Encl. :- As above.

Copy to:
1. The Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, I.N.A, New Delhi,
2. The Secretary to L.G, Delhi.
3. Secretary (L & B), GNCTD, Delhi.
4. Finance Member, DDA, Vikas Sadan, I.N.A, New Delhi.
5. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, I.N.A, New Delhi.

Under Secretary to the Govt. of India

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 45
दिनांक
Date 11/1/08

डि. वि. प्रा. / संसद एवं समन्वय विभाग
D.D.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
डायरी सं. / DIARY No. 28
दिनांक / DATE 11-1-08

डायरी सं० 73B
दिनांक 9/1/08

F.M.
P.C.
P.C. Secy.

(भारत के राजपत्र के भाग-।। खण्ड 3 उपखण्ड(i)में प्रकाशनार्थ)

सं0 20014/3/2007-डीडी।।ए
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
ooooo

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांकः 09.01.2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं............... दिल्ली विकास प्राधिकरण (नज़ूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है।

भूमि की श्रेणी	2007-2008 के लिए रोहिणी फेज-IV एवं V के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी0)
1. रोहिणी प्लाट	
(क) ईडब्ल्यूएस 26 व0मी0	4905.00 रु0
(ख) एलआईजी 32 व0मी0	6193.00 रु0
(ग) एमआईजी 60 व0मी0	10058.00 रु0 (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल)
3. आवासीय स्कीम	
(क) ईडब्ल्यूएस	2577.00 रु0
(ख) एलआईजी	3865.00 रु0
(ग) एमआईजी	6441.00 रु0
(घ) एसएफएस	7730.00 रु0 (फ्लैटों के बिक्री लागत पूरा करने के दौरान आंतरिक विकास के लागत को जोड़ा जाय)
3. वैकल्पिक प्लाट	6193.00 रु0 (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल)
4. सीजीएचएस के लिए भूमि	7730.00 रु0

5. जे0जे0 स्क्वेटर्स (पुनर्वास) — 22.90 लाख रु0 प्रति एकड़ (आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारति किया जाना है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी है ।

सोमनाथ गुप्ता

(एस0एन0 गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

[To be published in Gazette of India -
Part II-Section 3-Sub-section (i)]

No.K-20014/3/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 09th January, 2008

NOTIFICATION

G.S.R. No. ______________ In exercise of powers conferred by Rule 2(I) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under: -

	Category of Land	Approved pre-determined rates for Rohini Phase IV & V for 2007-2008 (per sq. mtr.)
1.	Rohini Plots	
	(a) EWS 26 sqm.	Rs. 4905.00
	(b) LIG 32 sqm.	Rs. 6193.00
	(c) MIG 60 sqm.	Rs. 10058.00
		(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
2.	Housing Scheme	
	(a) EWS	Rs. 2577.00
	(b) LIG	Rs. 3865.00
	(c) MIG	Rs. 6441.00
	(d) SFS	Rs. 7730.00
		(cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
3.	Alternative Plots	Rs. 6193.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
4.	Land for CGHS	Rs. 7730.00
5.	J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 22.90 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2007-2008.

(S.N. Gupta)
Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110064

No. K-20014/3/2007-DDIIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 09th January, 2008

To

The Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA Colony,
New Delhi-110 023

[Attention: Shri Prahlad Singh, Director(LC)]

Sub: Cost Benefit Analysis of Rohini Phase IV & V and determination of pre-determined rates for various land uses in Rohini Phase IV & V project for the year 2006-2007.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F.4(25)06/AO(P)/DDA/49, dated the 11.7.2007, on the subject noted above, and to enclose a copy of the Notification regarding pre-determined rates for various land uses in Rohini Phase IV & V for information and further necessary action.

Yours faithfully,

Encl.: As above

(S.N. GUPTA)
Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2306 1478

Copy along with a copy of Notification to the DDA [Member (Finance)/Principal Commissioner-*cum*-Secretary/Commissioner (LD)], Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt. of India

दि. वि. प्रा. / समन्वय एवं समन्वय विभाग
D.D.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
डायरी सं. / DIARY No. 17-6
दिनांक / DATE 11-1-08

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 44
दिनांक
Date 11.1.08

उपाध्यक्ष कार्यालय
डायरी सं0 72B
दिनांक 9/1/08

(भारत के राजपत्र के भाग-।। खण्ड 3 उपखण्ड(i)में प्रकाशनार्थ)

सं0 20014/3/2007-डीडी।।ए
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
ooooo

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांकः 09.01.2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं............... दिल्ली विकास प्राधिकरण (नज़ूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है ।

भूमि की श्रेणी	2007-2008 के लिए रोहिणी फेज-IV एवं V के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी0)
1. रोहिणी प्लाट	
(क) ईडब्ल्यूएस 26 व0मी0	4905.00 रु0
(ख) एलआईजी 32 व0मी0	6193.00 रु0
(ग) एमआईजी 60 व0मी0	10058.00 रु0 (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल)
3. आवासीय स्कीम	
(क) ईडब्ल्यूएस	2577.00 रु0
(ख) एलआईजी	3865.00 रु0
(ग) एमआईजी	6441.00 रु0
(घ) एसएफएस	7730.00 रु0 (फ्लैटों के बिक्री लागत पूरा करने के दौरान आंतरिक विकास के लागत को जोड़ा जाय)
3. वैकल्पिक प्लाट	6193.00 रु0 (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल)
4. सीजीएचएस के लिए भूमि	7730.00 रु0

5. जे0जे0 स्क्वेटर्स (पुनर्वास)

22.90 लाख रु0 प्रति एकड़
(आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारति किया जाना है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी है ।

सोमनाथ गुप्ता
(एस0एन0 गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

[To be published in Gazette of India -
Part II-Section 3-Sub-section (i)]

No.K-20014/3/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 09th January, 2008

NOTIFICATION

G.S.R. No. ______________ In exercise of powers conferred by Rule 2(l) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under: -

	Category of Land		Approved pre-determined rates for Rohini Phase IV & V for 2007-2008 (per sq. mtr.)
1.	Rohini Plots		
	(a)	EWS 26 sqm.	Rs. 4905.00
	(b)	LIG 32 sqm.	Rs. 6193.00
	(c)	MIG 60 sqm.	Rs. 10058.00
			(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
2.	Housing Scheme		
	(a)	EWS	Rs. 2577.00
	(b)	LIG	Rs. 3865.00
	(c)	MIG	Rs. 6441.00
	(d)	SFS	Rs. 7730.00
			(cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
3.	Alternative Plots		Rs. 6193.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
4.	Land for CGHS		Rs. 7730.00
5.	J.J. Squatters (Resettlement)		Rs. 22.90 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2007-2008.

(S.N. Gupta)
Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110064

No. K-20014/2/2007-DDIIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 09th January, 2008

To

The Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA Colony,
New Delhi-110 023

[Attention: Shri Prahlad Singh, Director (LC)]F

Sub: **Cost Benefit Analysis (CBA) of Narela and determination of pre-determined rates for various land uses in Narela project for the year 2007-2008.**

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F.4(23)06/AO(P)/DDA/47 dated 11.7.2007, on the subject noted above, and to enclose a copy of the Notification regarding pre-determined rates for various land uses in Narela for information and further necessary action.

Yours faithfully,

Encl.: As above

(S.N. GUPTA)
Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2306 1478

Copy along with a copy of Notification to the DDA [Member (Finance)/Principal Commissioner-*cum*-Secretary/Commissioner (LD)], Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt. of India

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 47
दिनांक
Date 11/1/08

(भारत के राजपत्र के भाग-।। खण्ड 3 उपखण्ड(i)में प्रकाशनार्थ)

सं0 20014/2/2007-डीडी।।ए
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
ooooo

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 09.01.2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं.............. दिल्ली विकास प्राधिकरण (नज़ूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है ।

	भूमि की श्रेणी	2007-2008 के लिए नरेला के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी0)
1.	सीजीएचएस के लिए भूमि	7602.00
2.	वैकल्पिक भूखंड	6108.00 रु0 (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल है)
3.	डीडीए आवासीय स्कीम	
(क)	एसएफएस	7602.00 रु0
(ख)	एमआईजी	6335.00 रु0
(ग)	एलआईजी	3801.00 रु0
(घ)	ईडब्ल्यूएस	2534.00 रु0 (फ्लैटों की बिक्री लागत निकालते समय आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाय)
4.	जे0जे0 स्क्वेटर्स (पुनर्वास)	22.90 लाख रु0 प्रति एकड़ (आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारति किया जाना है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी है ।

(एस0एन0 गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

[To be published in Gazette of India, Part II-Section 3-sub-Section (i)]

No.K-20014/2/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 09th January, 2008

Notification

G.S.R. No. ______________ In exercise of powers conferred by Rule 2(l) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under :-

	Category of Land	Approved pre-determined rates for Narela for 2007-2008 (per sq. mtr.)
1.	Land for CGHS	Rs.7602.00
2.	Alternative Plots	Rs.6108.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
3.	DDA Housing Schemes	
	(a) SFS	Rs. 7602.00
	(b) MIG	Rs. 6335.00
	(c) LIG	Rs. 3801.00
	(d) EWS	Rs. 2534.00 (cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
4.	J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 22.90 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2007-2008.

(S.N. Gupta)
Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110064

No. K-20014/2/2007-DDIIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 09th January, 2008

To

The Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA Colony,
New Delhi-110 023

[Attention: Shri Prahlad Singh, Director (LC)]F

Sub: **Cost Benefit Analysis (CBA) of Narela and determination of pre-determined rates for various land uses in Narela project for the year 2007-2008.**

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F.4(23)06/AO(P)/DDA/47 dated 11.7.2007, on the subject noted above, and to enclose a copy of the Notification regarding pre-determined rates for various land uses in Narela for information and further necessary action.

Yours faithfully,

Encl.: **As above**

(S.N. GUPTA)
Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2306 1478

Copy along with a copy of Notification to the DDA [Member (Finance)/Principal Commissioner-*cum*-Secretary/Commissioner (LD)], Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt. of India

दि. वि. प्रा. / संसद एवं समन्वय विभाग
D.D.A. / PARLT. & CO-ORDN. BRANCH
डायरी सं. / DIARY No. 1669
दिनांक / DATE 10-1-08

27-G-PW
9/1/08

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं. / Diary No. 41
दिनांक / Date 10/1/08

DD(R) 10/1
10/1/08
AD(MC)

M-cell Asstt
10/1/2008

(भारत के राजपत्र के भाग-।। खण्ड 3 उपखण्ड(i)में प्रकाशनार्थ)

सं0 20014/2/2007-डीडी।।ए
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 09.01.2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं............... दिल्ली विकास प्राधिकरण (नज़ूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(।) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है ।

	भूमि की श्रेणी	2007-2008 के लिए नरेला के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी0)
1.	सीजीएचएस के लिए भूमि	7602.00
2.	वैकल्पिक भूखंड	6108.00 रु0 (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल है)
3.	डीडीए आवासीय स्कीम	
(क)	एसएफएस	7602.00 रु0
(ख)	एमआईजी	6335.00 रु0
(ग)	एलआईजी	3801.00 रु0
(घ)	ईडब्ल्यूएस	2534.00 रु0 (फ्लैटों की बिक्री लागत निकालते समय आंतरिक विकास लागत भी जोड़ी जाय)
4.	जे0जे0 स्क्वेटर्स (पुनर्वास)	22.90 लाख रु0 प्रति एकड़ (आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारित किया जाना है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी है ।

(एस0एन0 गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

[To be published in Gazette of India, Part II-Section 3-sub-Section (i)]

No.K-20014/2/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 09th January, 2008

Notification

G.S.R. No. ______________ In exercise of powers conferred by Rule 2(I) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under :-

	Category of Land	**Approved pre-determined rates for Narela for 2007-2008 (per sq. mtr.)**
1.	Land for CGHS	Rs.7602.00
2.	Alternative Plots	Rs.6108.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
3.	DDA Housing Schemes	
	(a) SFS	Rs. 7602.00
	(b) MIG	Rs. 6335.00
	(c) LIG	Rs. 3801.00
	(d) EWS	Rs. 2534.00 (cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
4.	J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 22.90 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2007-2008.

(S.N. Gupta)
Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110064

No. K-20014/3/2007-DDIIA
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division)

Nirman Bhawan, New Delhi-110 011
Dated the 09th January, 2008

To

The Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan,
INA Colony,
New Delhi-110 023

[Attention: Shri Prahlad Singh, Director(LC)]

28-G-PW
9/1/08

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 37
दिनांक
Date 10.1.08

Sub: **Cost Benefit Analysis of Rohini Phase IV & V and determination of pre-determined rates for various land uses in Rohini Phase IV & V project for the year 2006-2007.**

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F.4(25)06/AO(P)/DDA/49, dated the 11.7.2007, on the subject noted above, and to enclose a copy of the Notification regarding pre-determined rates for various land uses in Rohini Phase IV & V for information and further necessary action.

Yours faithfully,

Encl.: **As above**

(S.N. GUPTA)
Under Secretary to the Govt. of India
☎ # 2306 1478

Copy along with a copy of Notification to the DDA [Member (Finance)/Principal Commissioner-*cum*-Secretary/Commissioner (LD)], Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi for information and necessary action.

Under Secretary to the Govt. of India

DD(LC) 9/1

10/1/08

AD(MC) 10/1/2008

M Asstt

(भारत के राजपत्र के भाग-।। खण्ड 3 उपखण्ड(i)में प्रकाशनार्थ)

सं0 20014/3/2007-डीडी।।ए
भारत सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
00000

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011,
दिनांक: 09.01.2008

अधिसूचना

जी.एस.आर.सं............... दिल्ली विकास प्राधिकरण (नज़ूल भूमि विकास का निपटान) नियम, 1981, के नियम 2(I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विभिन्न प्रयोगों के लिए पूर्व निर्धारित प्रभार योग्य दरों को एतद्द्वारा अधिसूचित करती है ।

भूमि की श्रेणी		2007-2008 के लिए रोहिणी फेज-IV एवं V के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दर (प्रति वर्ग मी0)
1.	रोहिणी प्लाट	
(क)	ईडब्ल्यूएस 26 व0मी0	4905.00 रु0
(ख)	एलआईजी 32 व0मी0	6193.00 रु0
(ग)	एमआईजी 60 व0मी0	10058.00 रु0 (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल)
3.	आवासीय स्कीम	
(क)	ईडब्ल्यूएस	2577.00 रु0
(ख)	एलआईजी	3865.00 रु0
(ग)	एमआईजी	6441.00 रु0
(घ)	एसएफएस	7730.00 रु0 (फ्लैटों के बिक्री लागत पूरा करने के दौरान आंतरिक विकास के लागत को जोड़ा जाय)
3.	वैकल्पिक प्लाट	6193.00 रु0 (आंतरिक विकास की लागत एवं प्रयोग और अधिभोग प्रभार शामिल)
4.	सीजीएचएस के लिए भूमि	7730.00 रु0

5. जे0जे0 स्क्वेटर्स (पुनर्वास) — 22.90 लाख रु0 प्रति एकड़ (आंतरिक विकास के दरों को छोड़कर जो एमसीडी के स्लम विभाग द्वारा निर्धारति किया जाना है)

ये दरें वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रभावी है ।

सोमनाथ गुप्ता

(एस0एन0 गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

[To be published in Gazette of India -
Part II-Section 3-Sub-section (i)]

No.K-20014/3/2007-DD IIA
Government of India
Ministry of Urban Development

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 09th January, 2008

NOTIFICATION

G.S.R. No. _____________ In exercise of powers conferred by Rule 2(l) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notify the pre-determined rates chargeable for different uses as under: -

	Category of Land	Approved pre-determined rates for Rohini Phase IV & V for 2007-2008 (per sq. mtr.)
1.	Rohini Plots	
	(a) EWS 26 sqm.	Rs. 4905.00
	(b) LIG 32 sqm.	Rs. 6193.00
	(c) MIG 60 sqm.	Rs. 10058.00
		(inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
2.	Housing Scheme	
	(a) EWS	Rs. 2577.00
	(b) LIG	Rs. 3865.00
	(c) MIG	Rs. 6441.00
	(d) SFS	Rs. 7730.00
		(cost of internal development to be added while working out the disposal cost of flats)
3.	Alternative Plots	Rs. 6193.00 (inclusive of cost of internal development and use and occupation charges)
4.	Land for CGHS	Rs. 7730.00
5.	J.J. Squatters (Resettlement)	Rs. 22.90 lakh per acre (excluding rates of internal development which is to be carried out by the Slum Deptt. of MCD)

These rates are effective for the financial year 2007-2008.

(S.N. Gupta)
Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager,
Government of India Press
Mayapuri,
New Delhi-110064

No. N-11013/19/2006-DDIB
No. K-13011/3/2004-DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division 1B)
****

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 7th January, 2008

Subject: **Extraordinary Gazette Notification – circulation of Notification (i) S.O. No. 2178(E) dated 28.12.2007 and (ii) S.O. No. 141(E) dated 1.1.2008.**

वैठक कक्ष, दि.वि.प्रा
Meeting Cell, D.D.A.
Dy. No. 38
Date 10.1.08

A copy each of Notification/Corrigendum dated 27.12.2007 and 1.1.2008 referred to above and published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

P.C. & Secy (Plg.) (Separate Copies)

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

548
8.1.08
24-G-PCY
9/1/08

Copy to :-
PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)

10/1/08
AD(MC)
DD
9/1
Meetg Asstt
10/1/2008

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1595] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2007/पौष 6, 1929
No. 1595] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2007/PAUSA 6, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2187(अ).—यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 की का.आ.सं.1690(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए ।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों /सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित विचार किया गया तथा यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन:

जोन "डी" में रेस कोर्स रोड(45 मीटर मार्गाधिकार) के 19668 वर्ग मीटर माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाए :-

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
जोन "डी" में 45 मीटर मार्गाधिकार वाले रेस कोर्स रोड	19668 वर्ग मीटर	सर्कुलेशन/रोड	आवासीय (प्रधान मंत्री के सरकारी आवास)	पूर्व- मनोरंजनात्मक(जिम खाना क्लब) पश्चिम- आवासीय (7 रेस कोर्स रोड कॉम्पलैक्स) उत्तर/पश्चिम- अकबर रोड और तीन मूर्ति मार्ग का चौराहा. दक्षिण- क्लब रोड(36.57 मीटर मार्गाधिकार)

[फा.सं. के-13011/3/2004-डी डी I बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2007

S.O. 2187(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1690 (E) dated Ist October 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification were duly considered by the competent authority and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of an area measuring 19668 sqm of Race Course Road (45 m R/W) in Zone-D is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Race Course Road 45m R/W in Zone-D	19668 sqm	Circulation/ Road	Residential (Official Residence of the Prime Minister)	**East** – Recreational (Gymkhana Club) **West** – Residential (7 Race Course Road Complex) **North/West** – Junction of Akbar Road and Teen Murti Marg **South**- Club Road 36.57m R/W

[F. No. K-13011/3/2004-DDIB]

P.K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2008/पौष 11, 1929
No. 6] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2008/PAUSA 11, 1929

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st January, 2008

S.O. 6(E).—Reference is invited to Ministry of Urban Development's Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 141(E) dated 7-2-2007 (issued from F. No. K-12011/1/2005-DDIB). In the English version of the said Notification, in note (i), under the column 'other controls' against Sl. Nos. (c) Hotel, below table 5.4:—Development Controls—Commercial Centres, for the numerics "5 10%", *read* "10%".

[No. N-11013/19/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

8 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

No. N-11013/19/2006-DDIB
No. K-13011/3/2004-DDIB
Government of India
Ministry of Urban Development
(Delhi Division 1B)
****

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 7th January, 2008

Subject: **Extraordinary Gazette Notification – circulation of Notification (i) S.O. No. 2178(E) dated 28.12.2007 and (ii) S.O. No. 141(E) dated 1.1.2008.**

26-6-PW
9/1/08

बैठक कक्ष, दि.वि.प्रा.
Meeting Cell, D.D.A.
डायरी सं
Diary No. 36
दिनांक
Date 10.1.08

A copy each of Notification/Corrigendum dated 27.12.2007 and 1.1.2008 referred to above and published in the Gazette of India Extraordinary is sent herewith for information and necessary action.

(P.K. Santra)
Under Secretary
Telefax.: 23061681

To

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
2. Principal Commissioner-cum-Secretary, DDA, Vikas Sadan, New Delhi
3. Commissioner (Planning), DDA, Vikas Minar, New Delhi
4. Commissioner (LD), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
5. Commissioner (LM), DDA, Vikas Sadan, New Delhi
6. Principal Secretary (UD), GNCTD, Delhi.
7. Chief Planner, TCPO, IP Estate, New Delhi.
8. The L&DO, Nirman Bhawan, New Delhi.
9. Secretary, NDMC, Palika Kendra, New Delhi.
10. Commissioner, MCD, Town Hall, Delhi.
11. Secretary, DUAC, India Habitat Centre, Zone-6, Core-F, Lodhi Road, New Delhi

Copy to :-
PS to UDM / PS to MoS (UD) / Sr. PPS to Secy.(UD) / PS to JS (D&L)

10/1/08 AD(MC) DD(B) 9/1
M Asstt
10/1/2008

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1595] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2007/पौष 6, 1929
No. 1595] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2007/PAUSA 6, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2187(अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली मास्टर प्लान- 2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 की का.आ.सं.1690(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम के खण्ड 11-ए के उप खण्ड (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए ।

2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों /सुझावों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित विचार किया गया तथा यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

3. अत:, अब उक्त अधिनियम के खण्ड ।।-ए के उपखण्ड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन:

जोन "डी" में रेस कोर्स रोड(45 मीटर मार्गाधिकार) के 19668 वर्ग मीटर माप वाले निम्नलिखित क्षेत्र के भू-उपयोग को निम्नलिखित विवरण अनुसार परिवर्तित किया जाए :-

स्थिति	क्षेत्रफल	भू-उपयोग (एमपीडी-2021)	परिवर्तित भू-उपयोग	सीमाएं
जोन "डी" में 45 मीटर मार्गाधिकार वाले रेस कोर्स रोड	19668 वर्ग मीटर	सर्कुलेशन/रोड	आवासीय (प्रधान मंत्री के सरकारी आवास)	पूर्व- मनोरंजनात्मक(जिम खाना क्लब) पश्चिम- आवासीय (7 रेस कोर्स रोड कॉम्पलैक्स) उत्तर/पश्चिम- अकबर रोड और तीन मूर्ति मार्ग का चौराहा दक्षिण- क्लब रोड(36.57 मीटर मार्गाधिकार)

[फा.सं. के-13011/3/2004-डी डी I बी]

पी. के. सांतरा, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2007

S.O. 2187(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. 1690 (E) dated Ist October 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modification were duly considered by the competent authority and whereas the Central Government, after carefully considering all aspects of the matter, have decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification:

The land use of an area measuring 19668 sqm of Race Course Road (45 m R/W) in Zone-D is changed as per description listed below:-

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land Use changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Race Course Road 45m R/W in Zone-D	19668 sqm	Circulation/ Road	Residential (Official Residence of the Prime Minister)	**East** – Recreational (Gymkhana Club) **West** – Residential (7 Race Course Road Complex) **North/West** – Junction of Akbar Road and Teen Murti Marg **South**- Club Road 36.57m R/W

[F. No. K-13011/3/2004-DDIB]

P.K. SANTRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 1, 2008/पौष 11, 1929

No. 6] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 1, 2008/PAUSA 11, 1929

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st January, 2008

S.O. 6(E).—Reference is invited to Ministry of Urban Development's Extraordinary Gazette Notification No. S.O. 141(E) dated 7-2-2007 (issued from F. No. K-12011/1/2005-DDIB). In the English version of the said Notification, in note (i), under the column 'other controls' against Sl. Nos. (c) Hotel, below table 5.4:—Development Controls—Commercial Centres, for the numerics "5 10%", *read* "10%".

[No. N-11013/19/2006-DDIB]

P. K. SANTRA, Under Secy.

8 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.